माला, खंड 31, अंक 8

बुधवार, 26 फरवरी, 2003
7 फाल्गुन, 1924 (शक)

FOR REFERENCE ONLY.

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ....55........
Date.....20/10/03.......

(खण्ड 31 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2003/1924 (शक)

अंक 8, बुधवार, 26 फरवरी, 2003/7 फाल्गुन, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
सरकार की आर्थिक नीतियों, जिनके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है, के विरुद्ध कर्मकारों की रैली के बारे में	1-26
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 122, 124 और 126	27-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 121, 123, 125 और 127 से 140	32-73
अतारांकित प्रश्न संख्या 1241 से 1433	73-401
सभा पटल पर रखे गए पत्र	401-404
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
उनतालीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां, तैंतालीसवां और चवालीसवां प्रतिवेदन	405-406
समिति के लिए निर्वाचन	
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसाइटी	406
रेल बजट, 2003-2004	
श्री नीतीश कुमार	408-439
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
अयोध्या मुद्दे पर चर्चा के बारे में	441-444
नियम 377 के अधीन मामले	445-454
(एक) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों के विकास में वन संरक्षण अधिनियम बाधक न बनने देना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	445
(दो) हरियाणा में रेवाड़ी--नारनौल राजमार्ग पर कुतुबपुर रेलवे फाटक पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
डा. (श्रीमती) सुधा यादव	446-447

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(तीन) राजस्थान में रतनगढ़–सरदारशहर–पल्लू सादुलशहर होकर हनुमानगढ़ और सुजानगढ़ के बीच स्थित राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 447

(चार) गुजरात में बिल्लीमोरा और बहाई के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने तथा इसे नासिक तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल 447-448

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 448

(छह) कोचीन के निकट नेदुम्बास्सेरी में एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नितला 448-449

(सात) केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 449-450

(आठ) आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री कालवा श्रीनिवासुलु 450-451

(नौ) बिहार में खगड़िया रेलवे स्टेशन के निकट खगड़िया और होमगार्ड फांड़ी के बीच सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी 451

(दस) उड़ीसा में भुवनेश्वर में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 452

(ग्यारह) बीटी कॉटन के निष्पादन का विस्तृत स्वतंत्र मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी 452-453

(बारह) किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फसल बीमा योजना के उपबंधों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी 453

(तेरह) केरल में त्रावणकोर क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसका मुख्यालय कोत्तारकारा में हो, खोले जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश 453-454

विषय	कॉलम
केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक—पारित	457-528
विचार करने के लिए प्रस्ताव	513
श्री अनादि साहू	457-460
श्री पी. एच. पांडियन	460-461
श्री टी. गोविन्दन	461-463
श्री चन्द्रकांत खैरे	463-465
श्री पी. एस. गढ़वी	465-467
श्री रूपचन्द पाल	467-473
श्री गिरधारी लाल भार्गव	473-475
कुंवर अखिलेश सिंह	475-479
श्री खारबेल स्वाइं	479-486
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	486-493
श्री सुबोध मोहिते	494-497
श्री प्रबोध पण्डा	497-499
श्री जी. एम. बनातवाला	499-502
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	502-505
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	505
श्री रामदास आठवले	505-507
श्री रवि प्रकाश वर्मा	507-509
श्री हरिन पाठक	509-513
खण्ड 2 से 28 और 1	513-528
पारित करने के लिए प्रस्ताव	528

लोक सभा

बुधवार, 26 फरवरी, 2003/7 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा निवेदन

सरकार की आर्थिक नीतियों, जिनके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है, के विरुद्ध कर्मकारों की रैली के बारे में

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने प्रश्न काल के निलंबन की सूचना दी है...*(व्यवधान)* हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है...*(व्यवधान)* आज पूरे देश से लाखों श्रमिक दिल्ली आए हुए हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए। कोई एक सदस्य बोले तो मैं बात समझ सकता हूं कि क्या बोलना है? सुनील खां जी, बैठिए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। आज दिल्ली की सड़कों पर पूरे हिन्दुस्तान के लाखों की संख्या में मजदूर सरकार की श्रम विरोधी नीति के चलते प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले चार बरसों में मजदूर विरोधी नीति के चलते एक करोड़ 70 लाख कर्मचारियों की छंटनी हो चुकी है और छोटे–बड़े मिला कर 6 लाख कारखाने इस सरकार की आर्थिक नीति के कारण भेंट चढ़ गए। यह बहुत गम्भीर मामला है। मुनाफे के सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है जिससे मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधान मंत्री ने लालकिले के मैदान से यह घोषणा की थी कि एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इसके बाद द्वितीय श्रम आयोग बना।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इतनी बात ही कहिए कि यह कार्य स्थगन प्रस्ताव कैसे है?

श्री रामजीलाल सुमन : यह सरकार मजदूर विरोधी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एडजर्न मोशन नहीं हो सकता है। आप बैठिए।

श्री रामजीलाल सुमन : प्रॉविडेंट फंड की जमा राशि पर जो 12 परसेंट ब्याज था, उसे घटा कर 9 प्रतिशत कर दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : दिल्ली की सड़कों पर लाखों की संख्या में मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव कैसे होता है, इतना ही बता दीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : केन्द्र सरकार मजदूरों का गला घोटने का प्रयास कर रही है। मेरा आग्रह है कि समस्त कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, अग्रिम सूचना देकर आईएनटीयूसी (इंटक), सीआईटीयू (सीटू), एआईटीयूसी, ईटीयूसी तथा एचएमएस जैसी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के लाखों कार्यकर्ता, जो इस सरकार के अन्तर्गत निरंतर अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, वे अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान केन्द्रित करने के लिए आज दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठे हुए हैं। आज तक, केवल पश्चिम बंगाल में ही एक लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो चुके हैं और ऐसा इस सरकार की विनिवेश नीतियों के परिणामस्वरूप एक के बाद एक कंपनी बंद होने के कारण हुआ है।

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : केरल के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं उसी पर आ रहा हूं। यही हाल महाराष्ट्र का है, यही हाल केरल का है और यही हाल गुजरात की वस्त्र इकाइयों से लेकर उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों तक संपूर्ण भारत का है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर भाषण नहीं कर सकते हैं, आप इससे अवगत हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में एनजेएमसी की बड़ी जूट इकाइयों में से एक इकाई के श्रमिकों को मजदूरी नहीं दी गई है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की मजदूर विरोधी सिफारिश मजदूर वर्ग के लिए एक और बड़ा खतरा है। यदि सरकार किसानों और श्रमिकों की समस्याओं, जिनकी वह अनदेखी कर रही है, की ओर ध्यान नहीं देती तो देश की आंतरिक शक्ति अस्थिर और कमजोर होगी। आज यहां प्रधान मंत्री जी उपस्थित हैं। चूंकि प्रधान मंत्री जी ने ही यह आश्वासन दिया था और वायदा किया था कि उनकी सरकार न केवल एक करोड़ रोजगारों का सृजन करेगी अपितु वर्तमान रोजगारों की भी रक्षा की जाएगी। इसलिए, मैं यह मांग करता हूं कि वह उन श्रमिकों, जो आज सड़क पर हैं, उनकी जरूरतों की ओर ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अरूण शौरी जी का विभाग और वित्त मंत्रालय प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों श्रमिकों की रोजी–रोटी छीन रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र की जिन इकाइयों को बंद किया गया है उनको पुनर्गठित करने और उनकी पुनः स्थापना करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए और मैं यह मांग भी करता हूं कि एच.पी.सी.एल. तथा बी.पी.सी.एल. का जबरन विनिवेश नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह उन श्रमिकों का मुद्दा है जो आज विरोध प्रदर्शन के लिए संसद भवन आ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। आप हमें अनुमति प्रदान करें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, उसके लिए आप निर्णय दीजिए। यह एक गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैंने आपको इजाजत दी है लेकिन आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि यह सदन में प्रश्नकाल का समय है और मुझे प्रश्नकाल शुरू करना है। आपने क्वश्चन ऑवर को सस्पैंड करने के लिए नोटिस दिया है। इसलिए मैंने आपको इजाजत दी है। मैं सभी सदस्यों को इजाजत नहीं दे सकता, नहीं तो प्रश्नकाल होगा ही नहीं। यह आप सब जानते हैं। इधर वाले माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रश्नकाल हो जाए।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : हमने प्रश्न काल को निलंबित करने की सूचना दी है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मजदूरों और किसानों की जितनी यह सरकार हितैषी है, पिछले पचास सालों में कभी नहीं हुआ है। वैस्ट बंगाल या कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही सरकारें मजदूरों के साथ अन्याय कर रही हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इन्हीं लोगों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आज कोई शून्य काल नहीं होगा। मैंने कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि आज कोई 'शून्य काल' नहीं होगा। लेकिन हर किसी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाना चाहिए। दूसरे किसी विषय पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कल कहा था कि आप पहले मेरा नाम लेंगे। आज मेरा पहला नाम है, इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आज सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं। आज सारे हिन्दुस्तान के मजदूर आन्दोलित होकर सड़कों पर आए हुए हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रतिवर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाने का वायदा किया गया था और उसके लिए इस सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अब तक डेढ़ करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, शायद मल्होत्रा जी पढ़ते–लिखते नहीं क्योंकि इन्होंने एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था लेकिन 2 से 3 करोड़ लोगों की छंटनी भी हुई है। प्रधान मंत्री जी ने स्वयं रोजगार के अवसर ढूंढ़ने के लिए एक समित बैठाई थी। उसकी रिपोर्ट आ गई है, शायद मल्होत्रा जी ने वह रिपोर्ट नहीं पढ़ी। यह बहुत गम्भीर मामला है। उस समिति की रिपोर्ट आ गई है। समिति का कहना है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होनें तक 3 करोड़ लोगों की संख्या बेरोजगारी में बढ़ जाएगी। आज 10-11 करोड़ लोगों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं। इससे और बेरोजगारी हो जाएगी। आप एक तरफ रोजगार छीन रहे हैं और दूसरी तरफ जिन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में, जहां अरबों–खरबों रुपए की सम्पत्ति लगी हुई है, और वे घाटे में नहीं, फिर भी उन्हें बेचा जा रहा है इसलिए हमारा आरोप है कि यह पहली सरकार है जिसने हिन्दुस्तान की सम्पत्ति को बेचा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कहना चाहता हूं कि आप सारे कार्यक्रम रद्द कीजिए और इस पर बहस कराइए। माननीय प्रधान मंत्री जी आप यहां बैठे हुए हैं, कृपया एक संतोषजनक उत्तर दीजिए। यदि इसी तरह से हिन्दुस्तान की सम्पत्ति को बेचते चले जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी और अगर बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी तो आप न तो आतंकवाद से लड़ पाएंगे। आप चाहे विदेशों में जाकर कितनी ही अपनी बात कहिए, लेकिन आप इस देश को खोखला कर रहे हैं। सड़कों पर आज असंतोष है, अलगाव है। इसलिए देश को एक रखने के लिए आप गंभीरता से विचार कीजिए और जो सरकारी सम्पदा बेची जा रही है, उसे बेचना बंद कीजिए और लोगों को रोजगार के अवसर दीजिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सारी कार्रवाई रोककर इस पर बहस हो।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा में उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को दैनिक मामलों के रूप में न लें।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसे हम विपक्षी दल के लोग ही नहीं उठा रहे हैं, अपितु राजग के कई माननीय सदस्यों ने भी हमारे द्वारा वर्तमान में श्रमिक वर्ग से संबंधित समस्याओं को उठाने पर यहां खुले रूप से उनका समर्थन किया है।

जहां तक विनिवेश का प्रश्न है, हम हमेशा यही कहते रहे हैं कि हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस देश में श्रमिकों की स्थिति क्या है? निजीकरण किन लोगों के लाभ के लिए है? इस देश में बिक्री प्रक्रिया के साथ क्या हो रहा है? ये बहुत गंभीर मामले हैं। आप बताइए, कितने रोजगार छीने जा चुके हैं? इस बात को कहने का क्या फायदा है कि 'हम एक करोड़ रोजगारों का सृजन कर रहे है?' विगत दो वर्षों में श्रमिकों के रोजगार में 8 प्रतिशत की कमी हुई है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। देश में कोई नई आर्थिक हलचल नहीं हो रही।

जहां तक कृषक मजदूरों का संबंध है, वे सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य यही कह रहा है। हमारे सम्मानित मित्र श्री के. येरननायडू ने एक दिन पहले इस सभा में इस बात का ठीक ही उल्लेख किया था। दूसरे राज्य भी इस मामले को उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

जहां तक श्रमिक वर्ग का संबंध है उनमें बहुत अधिक निर्धनता व्याप्त है।

जहां तक उनकी भविष्य निधि का सवाल है उस पर देय ब्याज दर में कमी आई है। प्रधान मंत्री जी यह बात जानते हैं कि हम उन्हें और वित्त मंत्री जी को इस बारे में पत्र भेज रहे हैं। पूरे देश में लोग इस बारे में पूछ रहे हैं।

आयात पर खुली छूट दे दी गई है। आप देश का प्रत्येक वर्ग परेशान है। हम इसे सरकार की आलोचना करने मात्र के लिए नहीं उठा रहे हैं। लोग सरकार की नीतियों के असर को महसूस करने लगे हैं। इसीलिए देश की विभिन्न ट्रेड यूनियनों का समर्थन करने वाले लाखों–लाख श्रमिक यहां दिल्ली में भारत सरकार से अपनी व्यथा व्यक्त करने आए हैं।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। प्रधान मंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है कि ये श्रमिक भी आपके देश

के ही नागरिक हैं। वे यहां अपनी व्यथा व्यक्त करने आए हैं। उन नीतियों के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त करने आए हैं जो इस देश में आर्थिक समस्याओं को और अधिक जटिल बना रही है। सरकार के इन कार्यक्रमों से कौन लाभान्वित हो रहा है। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

महोदय, इसलिए सभा के सभी वर्गों से मेरा अनुरोध है कि वे इस मुद्दे को दैनिक मामले के रूप में न लें। सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि विपक्ष इसे विरोध करने मात्र के लिए उठा रहा है। यहां पूरे देश के लोग आए हैं। सभी लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इन श्रमिकों के मांग पत्र पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और यदि सरकार सोचती है कि वह इन श्रमिकों के आंदोलन को कुचल देगी, उन पर पोटा लगा देगी, उन्हें बर्खास्त कर देगी तो उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। श्रमिक कभी भी दमनात्मक कार्यवाही के आगे झुकेंगे नहीं...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मैं भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप हमें भी अनुमति प्रदान करें। बंगाल में कितनी इकाइयों का विनिवेश किया गया है?...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह चेत जाए...*(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री जी को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि श्रमिकों की उचित मांगों को स्वीकार किया जा सके।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं यह रोज उठकर पूछने लगते हैं कि सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को बंद किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब, श्री चन्द्रशेखर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से पूछूंगा यदि वह इस बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे तो कर सकती है। अन्यथा, मैं इस बारे में अपनी व्यवस्था दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं केवल प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा था...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या केन्द्र के किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का निजीकरण हुआ है और क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को बेचा है?... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया जाना चाहिए ताकि इन्हें प्रतिदिन उत्तर देने का अवसर मिल सके।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इन्हें कैबिनेट में शामिल करने का प्राधिकार मेरे पास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, आप इस तरह का सुझाव तो दे ही सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को व्यवस्थित करिए। इनका आचरण सदन में रोज ऐसे ही होता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके बाजू में चन्द्रशेखर जी खड़े हैं, उनको बोलने दें। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, यह स्वयं मंत्री बनना चाहते होंगे लेकिन कह रहे हैं कि मैं मंत्री बनना चाह रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : स्वाइं जी, कृपया इसे गंभीरता से न लें।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वह ऐसा अपने नेता को प्रभावित करने के लिए नहीं बोल रहे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब, श्री चन्द्रशेखर।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही निवेदन करना है। प्रधान मंत्री जी ने प्रारंभ में ही कहा था कि हर साल एक करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा और देश में एक बड़ी आशा जगी थी कम से कम मजदूरों के बारे में, लेकिन हर साल एक करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, या तो मैं बैठ जाऊं वरना मुझे इस तरह से बोलने की आदत नहीं है। आपने निर्देश दिया है नहीं तो मुझे कुछ कहना नहीं है।

खादी कमीशन जो सरकारी संस्था है, उसने कहा है कि अगर अकेले तीनों को जोड़ दिया जाए तो 40 लाख लोग खादी ग्रामोद्योग में बेरोजगार हुए हैं। हर साल नए-नए नियम निकल रहे हैं। रोजगार के जो साधन बनाए गए थे सार्वजनकि क्षेत्र के उद्योगों में, वे कंपनियां आज बंद हो रही हैं या उनका डिसइनवैस्टमेंट हो रहा है। इस कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, इसका अनुवाद तो हो ही नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे दिखवाता हूं।

श्री चन्द्रशेखर : मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किए गए उस वायदे अथवा आश्वासन का उल्लेख कर रहा था कि प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रोजगारों का सृजन किया जाएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। प्रत्येक वर्ष एक करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो रहे हैं।

खादी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अकेले खादी आयोग में 40 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या तो बंद हो रहे हैं या उनमें विनिवेश किया जा रहा है। इससे और बेरोजगारी बढ़ रही है। लघु उद्योग विदेश से आयातित सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं और वे भी बंद हो रहे हैं। स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है।

यदि श्रमिक वर्ग में कोई असंतोष नहीं है और यदि हम उन्हें संतुष्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं तो स्थिति नियंत्रण से बाहर भी हो सकती है। यदि श्रमिक असंतुष्ट हो गया तो हमारी संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढंग से चलाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा यही निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेगी?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, प्रधान मंत्री जी को अवश्य उत्तर देना चाहिए। यह एक गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई, दक्षिण मध्य) : महोदय, वर्कर्स का नुकसान हो रहा है। सरकार जो डिसइनवैस्टमेंट कर रही है, उससे वर्कर्स का नुकसान हो रहा है। इस बारे में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें। मैंने भी एक सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह प्रश्नकाल है। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूं कि मुझे प्रश्नकाल स्थगित करने के इस मुद्दे पर सात माननीय संसद सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर 11-12 माननीय संसद सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. जसवंतसिंह यादव (अलवर) : ये सारे क्यों खड़े हो जाते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों खड़े हो जाते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको यह स्पष्ट कर रहा हूं। सभी

संसद सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि 2–3 माननीय संसद सदस्य बोलना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, कृपया आप अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, कृपया आप अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषप पर सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैं केवल दो–तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। उसके बाद प्रधान मंत्री जी रेस्पांड करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। मैं सभी माननीय संसद सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। श्री बसुदेव आचार्य अपनी बात कह सकते हैं। श्री आचार्य, कृपया केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें और उससे अधिक समय न लें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आज लाखों श्रमिक दिल्ली आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे देश की स्थिति गंभीर है। गोरखपुर, बरौनी, दुर्गापुर, हल्दिया, तल्चर, रामागुन्डम वास्तव में आठ उर्वरक संयंत्र–जैसे सरकारी क्षेत्र के उर्वरक इकाइयों जैसे उपक्रम बड़ी संख्या में बंद हुए हैं। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स, एफ.ए.सी.टी. भारतीय उर्वरक निगम आदि बंद हो गए हैं।

जब हम प्रधान मंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने स्वयं यह आश्वासन दिया था कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक उर्वरक इकाई होनी चाहिए। लेकिन उस आश्वासन का पालन नहीं हुआ। सभी इकाइयां बंद हो रही हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, हमने इस मुद्दे पर बहस आरंभ नहीं की है। कृपया आप बैठ जाइए। आप भाषण देना जारी नहीं रख सकते हैं। अब डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

श्री आचार्य, कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : श्रमिक वर्ग को बहुत संघर्षों के बाद अपने अधिकार मिले हैं...*(व्यवधान)* अब उनके अधिकार वापस लिए जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत सी सूचनाएं मिली हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का एक प्रस्ताव है। ठेका श्रम (विनियभन और उत्सादन) अधिनियम को वापस लिए जाने का प्रस्ताव था जिससे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां न्यूनतम मजदूरी पर ठेके पर श्रमिकों को काम देकर उनका शोषण कर सकें। ब्याज दरें घटा दी गई हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य कृपया बैठ जाइए। यह वाद–विवाद नहीं है। आप केवल इस बात पर बोल सकते हैं कि आप कार्य–स्थगन प्रस्ताव पर क्यों जोर देना चाहते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। अब डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम यह मांग करते हैं कि सरकार विनिवेश की नीति को वापस ले...*(व्यवधान)* सरकार को यह नीति वापस लेनी चाहिए और प्रधान मंत्री को आगे आकर एक वक्तव्य देना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, देश के कोने–कोने से तमाम वर्कर्स, मजदूर, सभी ट्रेड यूनियनों के लोग जन्तर–मन्तर पर बड़ा भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार

की किसान–विरोधी और मजदूर–विरोधी नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगार तबाह हो रहे हैं, नौजवान लोग, पढ़े–लिखे लोग, अनपढ़ लोग, आधे पढ़े–लिखे लोग, सभी तबकों के नौजवान लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसके कारण देश भर में कोलाहल मचा हुआ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, कृपया समाप्त करिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : देश के सामने गंभीर सवाल है कि सरकार की खराब आर्थिक नीतियों के चलते, किसान–विरोधी तथा जन–विरोधी नीतियों के चलते बेरोजगारी बढ़ रही है और प्राइवेट कंपनियों और मल्टी नेशनल्स को मुनाफे वाले सरकारी उद्योगों को औने–पौने दामों में बेचा जा रहा है और इस प्रकार से देश का धन विदेशियों को जा रहा है। विदेशियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सम्पत्ति बेची जा रही है। इसी के चलते जन्तर–मन्तर पर जो प्रदर्शन हो रहा है, वह बड़ा शानदार, जानदार और बड़ा भारी प्रदर्शन है। सरकार की नीति के खिलाफ, डिसइनवैस्टमेंट के खिलाफ लोग जुटे हुए हैं और देश के करोड़ों लोग यह सोचते हैं कि यह सरकार विदेशी लोगों के दबाव में आकर काम कर रही है और देश–विरोधी नीतियां चलाई जा रही हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी किसान–विरोधी, मजदूर–विरोधी और जन–विरोधी नीतियों को चलाने से तत्काल रोके। मैं यही बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : राम विलास पासवान जी, अब आप बोलिए। लेकिन मैं आपके निवेदन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने इस विषय में नोटिस दिए हैं, उनके नाम लेना चाहता हूं–श्री अजय चक्रवर्ती, श्री रामजीलाल सुमन, श्री बसुदेव आचार्य, श्री लक्ष्मण सेठ, श्री रूपचन्द पाल, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री सुनील खां, श्री मोइनुल हसन, श्री प्रबोध पण्डा, श्री दासमुंशी, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री राम विलास पासवान। इन संसद सदस्यों ने इस मुद्दे पर सूचनाएं दी हैं। कृपया याद रखें। मैंने आपको जो इजाजत दी है, वह केवल एडजर्नमेंट मोशन क्यों होना चाहिए, इस विषय पर बोलने के लिए दी है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बातें बोलूंगा। तमाम पक्ष के लोग इस बात को जानते हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, श्री दासमुंशी जी यहां बैठे हुए हैं, उनके सामने यह बात कही थी कि कल मैं आपको पहले बुलाऊंगा, लेकिन अभी तक हमें नहीं बुलाया गया। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारा इससे भी अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए हमारी बात पहले सुनी जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, यह विषय पूरा होने के बाद मैं आपको इजाजत देने वाला हूं। अभी आप बैठ जाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, तब तक 12 बज जाएंगे और आप रेल बजट शुरू करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं उससे पहले यह विषय पूरा करूंगा और आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनने के बाद ही रेल बजट होगा।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप जल्दी बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अन्य किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी है, कृपा कर आप बैठ जाइए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट बोलूंगा। मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठाना चाहता हूं कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स में एससी, एसटी के लोगों का रिजर्वेशन था और अब ये पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में लाए जा रहे हैं और उनमें कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। हम जब मंत्रालय में थे, प्रधान मंत्री जी और अरूण शौरी जी यहां बैठे हुए हैं, हमने हर बार इस मुद्दे को उठाया था बैकवर्ड एरिया का सिंदरी और बरौनी का कारखाना बंद हो गया, जो बैकवर्ड क्लास और एसटा के लोग हैं उन्हें इनमें एक साल में लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, उनका प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद रोजगार छीन लिया गया है। इससे सबसे ज्यादा तबाही हो रही है। जो वीकर सैक्शन और बैकवर्ड एरिया के लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 29,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जा चुकी है। ये रुपए कहां लगाए जा रहे हैं। किसी को पता नहीं है। एम्प्लायमेंट और ट्रेनिंग के लिए तथा लोगों को समान स्तर पर लाएं, इसके लिए

क्यों नहीं खर्च किए जा रहे हैं। एक तो डिसइनवैस्टमेंट की पालिसी गलत है, दूसरा जो डिसइनवैस्टमेंट हो रहा है या बेचा जा रहा है, उस पैसे को कहां लगाया जा रहा है और तीसरा यह है कि जो एससी, एसटी के लोग हैं तथा बैकवर्ड क्लास के हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कैसे होगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, आप अपने विचार केवल दो वाक्यों में रख सकते हैं उससे अधिक नहीं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, हमारे देश की राजधानी में लाखों की संख्या में श्रमिक वर्ग एकत्रित हो रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इनका नोटिस है आपका नोटिस नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : श्रमिक वर्ग राजधानी में अपनी वेदना और भारत सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरुद्ध एकत्रित हो रहा है। एक के बाद एक सरकारी क्षेत्र की इकाइयां निजी क्षेत्र की इकाइयों को हस्तांतरित की जा रही हैं। भारत सरकार सरकारी क्षेत्र की इन इकाइयों को भी बंद कर रही है जो लाभ अर्जित कर रही हैं। प्रतिष्ठित लाभ–अर्जक कंपनियां, जैसे– एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. को बंद किया जा रहा है और हजारों–हजार श्रमिकों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। अपने पिछले चुनाव घोषणापत्र में भा.ज.पा. ने लोगों को प्रतिवर्ष एक करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराने का वादा किया था। नौकरियां उपलब्ध कराए जाने के स्थान पर लाखों श्रमिकों को नौकरियों से निकाला जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह संभव नहीं है। एक से अधिक संसद सदस्य अपने विचार रख रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती : आज मजदूर–संघों के नेतृत्व में लाखों श्रमिक भारत सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध करने और अपनी वेदना व्यक्त करने एकत्रित हो रहे हैं। सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं सभी संसद सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया बैठ जाइए। मुझे सरकार की प्रतिक्रिया मिलने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, इसमें संदेह नहीं है कि प्रतिपक्ष ने जो मामला उठाया है, वह गंभीर है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि मामला इस समय उठाने के बजाय अगर प्रतिपक्ष प्रश्नकाल के बाद यह सवाल उठाता तो ज्यादा अच्छा होता।...*(व्यवधान)* मैं नहीं जानता कि आधे घण्टे में कितने बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि आधा घण्टा हमने ऐसी बात के लिए बिताया है, जिस बात के ऊपर सदन में कोई मतभेद नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया शांत रहें। प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं, आप तो कम से कम मत बोलिए।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : देश में बेकारी की विकराल समस्या है। सब पार्टियां बेकारी से लड़ना चाहती हैं, सब पार्टियां रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन पार्टियां जानती हैं और जो सत्ता में हैं, वे तो और अच्छी तरह से जानती हैं, भले ही वे दिल्ली में सत्ता में न हों, कलकत्ता में हैं, वे अच्छी तरह से जानती हैं कि कठिनाई है।...*(व्यवधान)* मैं उस कठिनाई पर विचार करने के लिए तैयार हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कब?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब आप तय करें। लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही है, असमें कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सोमनाथ बाबू। आपने मामला उठा दिया, मजदूरों में जाकर आप भाषण कर सकते हैं, हम भी यही धंधा करते थे, लेकिन हमने देखा कि इससे समस्या हल नहीं हुई है।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : आप इसे धंधा समझते हैं, लेकिन हमारे लिए यह प्रिंसीपल है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रोजगार के अवसर बढ़ाने

का पूरा प्रयास हो रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। हमने एक करोड़ रोजगार की बात कही थी। एक करोड़ हमारा लक्ष्य था, उस एक करोड़ की संख्या में से हम अभी तक 70 लाख लोगों को नए रोजगार दे सके हैं।...*(व्यवधान)* हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आइए, एक बहस हो जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। प्लीज सुनिए, आप लोग बैठिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह तथ्यतः गलत है। प्रधान मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि किन क्षेत्रों में ये 70 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप अपना पक्ष रखिए, वह रिकार्ड पर आ जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

श्री रामजीलाल सुमन : प्रधान मंत्री जी के बयान का कोई अर्थ नहीं है, बेरोजगारों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज सिट डाउन, मैं खड़ा हूं। देखिए, आप लोगों ने प्रश्न उठाया है, आप लोगों ने अपने विचार रखे, प्रधान मंत्री जी ने उत्तर दिया। मेरी दृष्टि से यह प्रश्न आज के लिए पूरा हो गया है। मैं प्रभुनाथ सिंह जी को उनका प्रश्न रखने के लिए कह रहा हूं। प्रभुनाथ सिंह जी, आप अपना प्रश्न रखिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि 70 लाख नौकरियां सृजित की गई हैं...*(व्यवधान)* यह तथ्यतः ठीक नहीं है...*(व्यवधान)* अभी पूर्व प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखर ने कहा है कि 40 लाख नौकरियां समाप्त हो गई हैं,...*(व्यवधान)* यह तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर चर्चा कराए जाने की मांग कर सकते हैं। मैं इसे कार्य-मंत्रणा समिति के समक्ष ले जाऊंगा और यदि समिति सहमत होती है तो आपको चर्चा की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए। आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। प्लीज बैठिए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, इस बयान का कोई मतलब नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया दूरदर्शन रिले बन्द किया जाए।

(व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हर साल हम एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी के बयान का सत्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम इस विषय पर सदन का बहिष्कार करते हैं।

पूर्वाह्न 11.37 बजे

(तत्पश्चात श्री रामदास आठवले सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नारों को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। किसी नारे को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने के नाते मैं आपको इस मुद्दे पर वाद-विवाद की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। आप जो चाहते हैं माननीय प्रधान मंत्री जी से पूछ सकते हैं। यदि आप उनसे सहमत नहीं हैं तो आप उस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप वाद-विवाद करना चाहते हैं तो इस मुद्दे पर एक विशेष वाद विवाद का प्रबन्ध किया जा सकता है। मैं इसे शीघ्रातिशीघ्र कार्य-मंत्रणा समिति के पास

ले जाऊंगा। आप वाद-विवाद में इस सब प्रश्नों को उठा सकते हैं। इस समस्या का हल सदन में चिल्लाने से नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया श्री सोमनाथ चटर्जी की बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे विषय पर हूं। मैं यह प्रश्न सॉल्व करना चाहता हूं, इससे आपको फायदा होगा। मैं आपको मौका दे रहा हूं। इसीलिए तो रास्ता ढूंढ़ रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुख की बात है कि प्रधान मंत्री की टिप्पणी से सरकार की ओर से पूर्ण असंवेदनशीलता का प्रदर्शन होता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, यह क्या तरीका है। प्रधान मंत्री जी जब बोल चुके तो उसके बाद आप क्या बोलना चाहते हैं? प्रधान मंत्री जी के ज्वाब के बाद हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रधान मंत्री जी ने ठीक जवाब दिया है, उसके बाद उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए था।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यह क्या मजाक बना रखा है और आप उनको इजाजत दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप मुझे केवल यह बता सकते हैं कि इसका हल क्या है। इसका हल इस पर वाद-विवाद कराना और सरकार को उत्तर देने के लिए कहना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय प्रधान मंत्री जी को कौन सूचना दे रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वी. धनंजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।...*(व्यवधान)* यह क्या तरीका है? प्रधान मंत्री ने जब जवाब दे दिया, उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)* हम इसे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी के जवाब देने के बाद क्या तरीका हो सकता है?...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने ठीक जवाब दिया है।...*(व्यवधान)* उसके बाद तो समाधान होना चाहिए था।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वे मुझसे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, वे हर बार आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। वे हर बार माननीय अध्यक्ष महोदय को चुनौती दे रहे हैं...*(व्यवधान)* यह क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : वैस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा ...*(व्यवधान)* कितनी बार आपको बोलने का मौका देंगे?...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मिनिस्टर उठकर नहीं बोलते इसलिए आप बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लेंग्वेज यूज की है, वह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदन में गतिरोध दूर करने के लिए एक सुझाव दिया है। अब यह सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि सदन की कार्यवाही बाधित न हो। मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह का नाम लिया है क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। यह सदन की कार्यवाही चलाने का तरीका नहीं हो सकता।

मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी से अनुरोध किया है कि वे इस गतिरोध को दूर करने का कोई रास्ता निकालें। मेरा केवल यही कहना है कि मैं उनसे हमारे समक्ष जो विषय है उस पर बोलने का अनुरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका समय

पहले ही पूरा हो चुका है। माननीय प्रधान मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। श्री रूपचन्द पाल, कृपया बैठ जाइए। मैं आपको इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरी चिंता केवल इस बात को लेकर है कि महत्वपूर्ण मुद्दा होने के नाते मैं इस पर एक व्यापक वाद–विवाद चाहता हूं। मैं भी देश में बेरोजगारी के महत्व को समझ सकता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि कई वर्षों से प्रत्येक राजनैतिक दल इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करता रहा है लेकिन वे ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसलिए, मैं विपक्षी दलों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले पर एक संपूर्ण पारित करें और हम इस पर चर्चा करें। इस पर चर्चा में कोई हानि नहीं है। श्री सोमनाथ चटर्जी यदि आप इस संबंध में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने स्वयं माना है कि मामला अत्यंत 'गंभीर' है; ये उनके अपने शब्द हैं। हांलाकि मेरी हिन्दी अच्छी नहीं है परन्तु मेरे विचार से इसका अर्थ 'बहुत गंभीर' है। हमने आशा की थी कि माननीय प्रधान मंत्री–हम आज उनकी उपस्थिति से लाभान्वित हैं–इस बात का खुलासा करेंगे कि इस गंभीर समस्या का हल कैसे होगा।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अभी दो मिनट में कैसे हो जाएगा?...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, हाउस ऐसे कैसे चलेगा?...*(व्यवधान)* हम इनकी सराहना करते हैं, इन्हें एप्रीशियेट करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं इस बात की सराहना करता हूं कि प्रधान मंत्री ने स्वयं मामले की गंभीरता को स्वीकार किया।

महोदय, हम बच्चे नहीं हैं जो ये आशा करें कि माननीय प्रधान मंत्री एक ही वाक्य में सारी समस्याओं का समाधान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना सुझाव दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम माननीय प्रधान मंत्री से निर्देश चाहते हैं।

महोदय, उनकी दो टिप्पणियों से मुझे दुःख हुआ है। वे मानते हैं कि मजदूरों के हितों का समर्थन करना एक 'धंधा' है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से यह आशा नहीं थी। दूसरा उन्होंने...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया।...*(व्यवधान)* हिन्दी में धंधा का मतलब रोजगार से है।...*(व्यवधान)* जब आप लेंग्वेज ही नहीं समझते तब आप इसके बारे में कैसे कह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको उनको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, यदि वे इसी तरह व्यवहार कर रहे हैं तो आप सभ की कार्यवाही को रोक दीजिए...*(व्यवधान)*

मैं केवल यही कह रहा हूं उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार 70 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मेरे विचार से वृद्धि और कमी दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए 70 लाख लोगों को रोजगार दिए गए हैं और जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है उनके लिए भी रोजगार का प्रावधान किया गया है। मुझे नहीं पता कि उनको किसी ने सिर्फ बताया है या उनको गुमराह किया गया है। परन्तु मुझे विश्वास है कि वे जानबूझ कर सभा को गुमराह नहीं करेंगे। ऐसे सलाहकार हैं जो उनको गुमराह कर रहे हैं और जिसके परिणामस्वरूप देश को गुमराह किया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चर्चा के लिए सहमत हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनको पहल करनी चाहिए और देश को विश्वास में लेकर लोगों को बताना चाहिए कि इस गंभीर मामले को किस प्रकार सुलझाया जाए। लोग यहां मौज मनाने या आमोद–प्रमोद के लिए नहीं आए हैं। दिल्ली में लाखों लोग आए हैं। वे यहां इसलिए आए हैं क्योंकि वे दुःखी और अपने आस्तित्व का प्रश्न उपस्थित हो गया है। यह हाउस का मजाक बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने चर्चा का सुझाव दिया है यदि

आप चर्चा के लिए सहमत हैं तो ठीक है अन्यथा, ऐसा कोई मद नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस मामले पर चर्चा करने के मेरे सुझाव से सहमत हैं?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि उनके द्वारा व्यक्त विचारों पर आप टिप्पणी करें। इसी कारणवश मैं आपको चर्चा करने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए अब आपका सुझाव क्या है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम माननीय प्रधान मंत्री के आभारी हैं।

पूर्वाह्न 11.46 बजे

(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने की अनुमति दीजिए। हमारी बात भी सुनिए। ये क्यों बोलेंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप शुरू कीजिए। मैं आपको इजाजत देता हूं।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.47 बजे

(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रभुनाथ सिंह बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप शुरू कीजिए। मैं आपको इजाजत देता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि...*(व्यवधान)* हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, क्या ये ही लोग बोलेंगे? हम लोगों की भी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं आपको बार-बार बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा की मांग कीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : आप पहले उनको तो बिठाइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे आपको बोलने देंगे बशर्ते आप मुद्दे पर बोलिए। आप मुझे इतना बताइए कि चर्चा पर आपका क्या सुझाव है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कृपया मुझे मेरी बात कहने दीजिए, वे लगातार व्यवधान डाल रहे हैं..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : जब हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा तो हम उन्हें भी नहीं बोलने देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मेरी मांग बहुत साधारण है। मेरा माननीय प्रधान मंत्री को बहुत छोटा सा सुझाव है। माननीय प्रधान मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि 70 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। सरकार ने साढे तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। जैसा कि उन्होंने देश से वादा किया था प्रतिवर्ष

एक करोड़ नौकरियों की दर से अब तक तीन करोड़ 50 लाख नौकरियों का सृजन किया जाना था। परन्तु प्रधान मंत्री जी इस नतीजे पर पहुंचे हैं और उन्होंने राष्ट्र से कहा है कि इन साढ़े तीन सालों में तीन करोड़ 50 लाख नौकरियों में से उन्होंने केवल 70 लाख नौकरियां ही सृजित की हैं। पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर ने कहा है कि खादी आयोग का अधिकारिक प्रतिवेदन यह कहता है कि लोगों से 40 लाख नौकरियां छीन ली गई हैं। हमारे आंकड़ों को भूल जाइए। 70 लाख नौकरियों में से 40 लाख नौकरियों को घटा दीजिए तो 30 लाख नौकरियां बच जाएंगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो एक करोड़ पचास लाख नौकरियां देने का वादा देश को किया है उसमें से केवल तीस लाख ही नई नौकरी दी हैं।

मेरी मांग है कि प्रधान मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में की गई कर्मचारियों की वास्तविक छंटनी को और कहां नौकरियां पूरी तरह खत्म की गई हैं कहां कम की गई हैं इन सब की रिपोर्ट सभा पटल पर रखें। इन आंकड़ों को लेकर प्रधान मंत्री को अवश्य सभा में आना चाहिए। यह देश के साथ धोखाधड़ी है कि प्रतिवर्ष एक करोड़ नौकरियों का वादा करने के बाद सरकार नौकरियों के सृजन के जिन आंकड़ों का दावा कर रही है वह वास्तविक उपलब्ध नौकरियों के अवसर से मेल खाती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह जी को अनुमति दी है। प्रभुनाथ सिंह जी, अब आप शुरू कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस समय सीमा पर युद्ध हो रहा था,...*(व्यवधान)* सुन ही नहीं रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसलिए मैं महसूस करता हूं कि प्रधान मंत्री जी राष्ट्र के समक्ष यह स्पष्ट कर दें कि सरकार वादा निभाने में नाकाम रही है और जितनी संख्या में नई नौकरियां सृजित की हैं उससे अधिक छीन ली गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने की अनुमति दी है अब केवल वे ही बोलेंगे। अन्य सदस्य कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस समय सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे थे, उस समय उनकी लाश को ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए 500 कास्केट्स का आर्डर भारत सरकार द्वारा दिया जिसमें से 150 कास्केट्स इस देश में आए जिस संबंध में एक करोड़ सतत्तर लाख रुपया दिया गया था। दाम को लेकर कई बार विवाद भी हुआ है कि महंगे लिए गए हैं। 2500 अमरीकी डॉलर के हिसाब से एक कांट्रैक्ट हुआ था जबकि अमरीका ने उसके दाम पर अपनी मुहर लगा दी और उसने कहा कि...*(व्यवधान)* जांच के बाद यह पाया गया कि 2768.40 रुपया प्रति कास्केट के हिसाब से प्राप्त हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्नकाल के निलंबन के निवेदन को अस्वीकार कर दिया है। मैंने सभा के समक्ष प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें से 90 लाख रुपए की वापसी के लिए भारत सरकार ने लिखा है लेकिन हिमाचल के चुनाव के दौरान विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी, जो गंभीर आरोपों से घिरी हुई हैं और जिन पर चार गंभीर आरोप हैं...*(व्यवधान)* पहला आरोप सिटीजनशिप की शैक्षणिक योग्यता का है,*...*(व्यवधान)* उन्होंने विपक्ष के नेता की गरिमा को समाप्त किया है।...*(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब प्रश्नकाल की कार्यवाही पर आता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 121 श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 122 प्रो. दुखाभगत।

(व्यवधान)

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

पूर्वाह्न 11.52 बजे

[हिन्दी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्रामों में तार रहित दूरभाष सुविधाएं

*122. **प्रो. दुखा भगत** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान ग्रामों में तार रहित टेलीफोन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार प्रत्येक जिले में कितने ग्रामों में उपर्युक्त सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन ग्रामों की पहचान करने के लिए क्या मानदंड हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत संचार निगम लि. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में भी टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने के लिए कार्यक्रम तैयार करता है। इनमें से कुछ कनैक्शन वायरलैस टेलीफोनी पर आधारित हैं। वित्तीय वर्ष 2002–03 में ग्रामीण डब्ल्यूएलएल के लिए 3,40,000 कनैक्शनों और वर्ष 2003–04 में 4,61,000 कनैक्शनों का लक्ष्य है। लक्ष्य कलैण्डर वर्ष के आधार पर नहीं रखा जाता है।

ये कनैक्शन बीटीएस (बेस–ट्रांस रिसीवर केन्द्र) के नेटवर्क तथा ग्रामीण एक्सचेंज स्थापित करके प्रदान किए जाते हैं, जिनकी योजना एसडीसीए (अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र) में टेलीफोन कनैक्शनों की मांग के आधार पर बनाई जाती है। बीटीएस द्वारा सेवा उपलब्ध कराए जाने वाले गांवों की सही संख्या की योजना बना पाना संभव नहीं है क्योंकि वायरलेस सिग्नल का कवरेज भौगोलिक स्थिति, व्यवधानों आदि पर निर्भर करता है। बीटीएस की संख्या निर्धारित करके योजना बनाई जाती है तथा यदि प्रतीक्षा--सूची में दर्ज कुछ आवेदकों को यह सुविधा नहीं मिल पाती है तो उनके लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकीय समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है।

(ग) एक्सचेंज से 5 कि.मी. दूरी के भीतर स्थित गांवों को लैण्ड–लाइनों के जरिए तथा 5–25 कि.मी. की दूरी पर स्थित गांवों को "लाइन आफ साइट" साफ होने पर निकटतम बीटीएस से डब्ल्यूएलएल पर कनैक्शन दिया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 123. कुंवर अखिलेश सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आपका प्रश्न है।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन व्यवस्थित नहीं है, चूंकि आज मजदूरों ने पूरे देश के अन्दर प्रदर्शन किया है, इसलिए हम यह प्रश्न पूछने में असमर्थ हैं। सम्पूर्ण विपक्ष स्पष्ट आश्वासन चाहता है...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी मजदूरों के सवाल पर खड़े होकर कुछ कहें।...*(व्यवधान)* मान्यवर, आपसे आग्रह है कि आप सदन व्यवस्थित कराएं ताकि इस गंभीर विषय पर मैं प्रश्न पूछ सकूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी आपत्तिजनक हो उसे कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 124। श्री ए. नरेन्द्र।

[हिन्दी]

दसवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन

*124. **श्री ए. नरेन्द्र** :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विकास–दर को बढ़ाने हेतु किन–किन विकल्पों की पहचान की गई है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास हेतु अपनाई गई रणनीति के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। राष्ट्रीय विकास परिषद ने दसवीं पंचवर्षीय योजना को दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) विकास दर को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा पहचान किए गए विकल्पों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) निजी और सार्वजनिक क्षेत्रक, दोनों में कुशलता में सुधार की काफी गुंजाइश है क्योंकि विद्यमान पूंजी परिसंपत्तियों का बड़ा स्टाक या तो निष्क्रिय रहता है या उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता।

(ii) वर्धनीय पूंजी आउटपुट अनुपात (आईसीओआर) कम करने के लिए औद्योगिक और आधारिक संरचनात्मक निवेश की पक्वनावधि में कमी लाना।

(iii) नई परियोजनाएं शुरू करने से पहले अंशतः पूरी हुई अथवा चल रही परियोजनाओं को पूरा करने पर और विद्यमान पूंजी परिसंपत्तियों के स्तरोन्नयन पर पूरा बल देना; और

(iv) परिसंपत्तियों के तुरन्त अन्तरण को सुकर बनाने के लिए कानूनी एवं प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन जैसे कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम एसआईसीए को रद्द करना, दिवालियापन कानून पेश करना, न्यायिक प्रक्रियाएं तेज करना, आदि उपाय शामिल हैं।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं, द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया था।

पूर्वाह्न 11.55 बजे

(इस समय श्री कान्तिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात के लिए सहमत हूं कि जो भी आपत्तिजनक होगा उसे कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी आपत्तिजनक होगा उसे कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं कि जो भी आपत्तिजनक होगा उसे कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.56 बजे

(इस समय श्री कान्तिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 125, श्री अजय चक्रवर्ती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 126, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. एस. गढवी।

दूरभाष केन्द्रों का सी-डॉट केन्द्रों में परिवर्तन/प्रतिस्थापन

+

***126. श्री पी. एस. गढ़वी :**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे दूरभाष केन्द्रों को सी–डॉट केन्द्रों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कार्य पूरा करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रतिस्थापन का कोई लागत/लाभ संबंधी विश्लेषण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि छोटे टेलीफोन केन्द्रों को पहले ही सी–डॉट केन्द्रों में बदला जा चुका है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आपत्तिजनक होगा तो मैं इसे कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. एस. गढ़वी की बात को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री पी. एस. गढ़वी : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि छोटे टेलीफोन केन्द्रों को पहले ही सी–डॉट केन्द्रों में बदला जा चुका है।...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ और अधिक डब्ल्यू.एल.एल. सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जहां तक सी–डॉट केन्द्रों में बदले जाने का संबंध है सभी केन्द्रों को बदला जा चुका है और 30 प्रतिशत केन्द्र...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयुर्वेदिक चिकित्सकों का सम्मेलन

***121. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन में आयोजित आयुर्वेदिक चिकित्सकों के हाल ही में सम्पन्न हुए सम्मेलन के दौरान एक ग्लोबल आयुर्वेद वॉच बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जैसा कि दिनांक 20 जनवरी, 2003 के दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भाग लेने वालों द्वारा किन–किन बातों पर विशेष चिन्ता व्यक्त की गई है; और

(ग) सरकार का विचार इस समस्या का समाधान किस प्रकार करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सरकार को मालूम है कि लंदन में 17 जनवरी, 2003 को आयोजित एक सम्मेलन में समस्त देशों, जहां अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायियों और

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्थानीय व्यावसायिक संघों की काफी संख्या हो, के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके "आयुर्वेद वॉच" के रूप में ज्ञात एक निकाय सृजित करने का संकल्प अपनाया गया। "आयुर्वेद वॉच" का एक उद्देश्य दूसरे देशों में आयुर्वेद की प्रैक्टिस तथा उसके उत्पादों के विपणन का बारीकी से अनुवीक्षण करना होगा ताकि मानकों के किसी प्रकार के उल्लंघन का पता लगाया जा सके।

इस सम्मेलन में जिन विशिष्ट बातों पर चिन्ता व्यक्त की गई, वे थीं : (1) किसी देश में आयुर्वेदिक पद्धति के शिक्षणार्थ घंटों की संख्या समान पाठ्यक्रम की विषयवस्तु पर भारत में निर्धारित घंटों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए; (2) केवल अर्हताप्राप्त आयुर्वेदिक डाक्टरों को ही आयुर्वेद के शिक्षण में लगाया जाना चाहिए; (3) भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और तिब्बत से ही निर्यात किए जा रहे उत्पादों को आयुर्वेदिक उत्पादों के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए।

सरकार अवगत है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के औपचारिक शिक्षण को आरंभ करने के लिए कुछ देश प्रस्ताव कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने आयुर्वेद, चीनी चिकित्सा तथा अन्य जड़ी–बूटीय चिकित्सा पद्धतियों सहित जड़ी–बूटीय चिकित्सा प्रैक्टिस को विनियमित करने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने प्रस्तावित जड़ी–बूटीय चिकित्सा विनियामक पाठ्यक्रम में, कम से कम 1666 घंटों के शिक्षण तथा नैदानिक अभ्यास को कवर करते हुए आयुर्वेद की मुख्य पाठ्यचर्या को शामिल करने का उन्हें सुझाव दिया है। सरकार द्वारा सुझाई गई मुख्य पाठ्यचर्या में केवल मुख्य आयुर्वेदिक भाग शामिल है तथा अनिवार्य आधुनिक विषयों के शिक्षण की अतिरिक्त रूप से व्यवस्था करनी होगी।

सरकार सदैव ही इस बात पर जोर देती रही है कि केवल अर्हताप्राप्त आयुर्वेदिक अध्यापकों को ही विदेशों में आयुर्वेद के शिक्षण में लगाया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार शुल्क में वृद्धि

***123. कुंवर अखिलेश सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार शुल्क में आठ गुणा वृद्धि कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आम आदमी पर इस वृद्धि का संभावित क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रबंधन विस्तार, नियुक्तियों, प्रोन्नतियों, वेतन असमानताओं, खरीद और उपचार शुल्कों में संशोधन आदि के मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उपचार शुल्क में अत्यधिक वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रद्द करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (च) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने दिनांक 1.1.2003 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अस्पताल और उससे संबद्ध केन्द्रों में विभिन्न विकिरण–नैदानिक जांचों के शुल्क संशोधित किए हैं। इन जांचों में प्रयोग होने वाले 'उपभोज्यों' की कीमत में पिछले 10 वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है इसलिए फीस में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है। शुल्कों में वृद्धि करते समय यह प्रयास किए गए हैं कि वृद्धि सीमित स्तर तक की जाए।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक स्थायी समिति के निर्णय के अनुसार, विभिन्न शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदानकर्ताओं को वास्तविक रूप से निर्धन एवं जरूरतमंद रोगियों की पहचान करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले रोगियों को राष्ट्रीय रोग सहायता निधि के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सरकारी अभिकरणों, स्वैच्छिक एवं धर्मार्थ संगठनों से भी अनुदान मिलता है, जिसके जरिए निर्धन रोगियों की सहायता की जाती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सक्षम प्राधिकारी इन संस्थाओं के अधिनियम, नियम और विनियमों तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के आधार पर नियुक्ति, पदोन्नति, सेवा संबंधी विषय, खरीद, फीस में संशोधन आदि से संबंधित निर्णय करते हैं।

केवल कुछ नैदानिक जांचों के शुल्क बढ़ाए गए हैं। शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए संस्थान के स्थायी वित्त समिति/शासी निकाय/संस्थान निकाय के सैद्धान्तिक निर्णय के

अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दरों में वृद्धि की गई है।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्रियों की बैठक

***125. श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण योजनाओं पर चर्चा करने और उन्हें कार्यान्वित करने में उनके धीमे कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने हेतु संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कोई बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या जनसंख्या नियंत्रण दसवीं योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री ने चार राज्यो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ जनसंख्या स्थिरीकरण के मामले पर विचार–विमर्श करने और इन चार राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व को इसके लिए प्रेरित करने के वास्ते 16 जनवरी, 2003 को एक समीक्षा बैठक की। बैठक के अन्त में निम्नलिखित कार्यनीति अपनाने का निर्णय लिया गया :

(i) सहायक नर्स (ए.एन.एम.), चिकित्साधिकारियों इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं के सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता देकर भरना चाहिए। भर्ती करने के तत्काल बाद इन सभी कार्यकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में रचनात्मक सुधार करना चाहिए। इसके लिए बुनियादी सुविधाओं की सभी कमियों को दूर किया जाना चाहिए।

(ii) नागरिक समाज की सभी संस्थाओं, विशेष तौर से इन चार राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों और सहकारी निकायों की संभावित व्यापक सहभागिता, के साथ जनसंख्या स्थिरीकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को जन आन्दोलन बनाया जाना चाहिए। इन राज्यों से सभी कार्यक्रमों को लिंग संवेदी बनाने और अपनी कार्यनीति में महिला अधिकारिता को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए विशेष आग्रह किया गया है।

(iii) जनसंख्या, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और न्यायसंगत लिंग व्यवस्था संबंधी मुद्दों के बारे में जन–जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक प्रभावी और स्थाई प्रचार अभियान शुरू करने के लिए सरकारी और निजी स्वामित्व वाले सभी उपलब्ध जन–प्रचार माध्यमों का उपयोग करना चाहिए।

उपर्युक्त कार्यनीति के माध्यम से दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित जांच योग्य लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है :

— वर्ष 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर में कमी लाकर उसे 16.2 प्रतिशत करना।

— शिशु मृत्यु दर में कमी लाकर उसे 2007 तक प्रति हजार जीवित जन्मों पर 45 तथा 2012 तक 28 पर लाना।

— मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाकर उसे 2007 तक प्रति हजार जीवित जन्मों पर 2 तथा 2012 तक 1 पर लाना।

इस बात पर सहमति हुई कि मुख्य मंत्री चुने हुए कार्य बिन्दुओं (संलग्न विवरण) के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम की मासिक आधार पर समीक्षा करेंगे। प्रधान मंत्री इन चार राज्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मुख्य मंत्रियों के साथ नियमित रूप से बैठकें करेंगे।

विवरण

कार्य बिन्दु

1. उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ए एन एम, अतिरिक्त ए एन एम, प्रयोगशाला तकनीशियनों और चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में केवल चार ए एन एम रजिस्टर रखना और उनके रखरखाव के बारे में चिकित्सा अधिकारियों को बताना।

3. उपकेन्द्र स्तरों पर स्थायी गर्भनिरोधन विधियों हेतु दो या दो से अधिक बच्चे वाले पात्र दम्पतियों की पहचान करना।

4. सभी जिला, उप जिला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवार नियोजन क्लिनिक के लिए एक दिन निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी अर्हताप्राप्त डाक्टर परिवार नियोजन ऑपरेशन कर रहे हैं।

5. ए एन एम द्वारा पात्र दम्पतियों में आई यू डी और कण्डोम के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना।

6. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक महीने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर लगाना।

7. मूल्यांकित सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवार नियोजन और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उपकेन्द्र स्तरों पर कार्य योजनाएं तैयार करना।

8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित करना और उनको जवाबदेह बनाना।

9. ग्रामवार मासिक टीकाकरण दिवस निर्धारित करना जिसका प्रबंधन ए एन एम, आंगनवाडी कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत प्रधान संयुक्त रूप से करेंगे।

10. रेफरल परिवहन योजना और राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना के लिए ए एन एम और आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के पास कुछ अग्रिम धनराशि रखना।

11. राज्य और जिला स्तरों पर प्राथमिकता के आधार पर परामर्शदाताओं के पद को भरना।

12. जहां कहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सही ढंग से काम नहीं कर रही है, वहां पर गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को उपकेन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आवंटित करना।

स्वास्थ्य संबंधी व्यय

***127. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वर्ल्ड कमीशन ऑफ मैक्रोइकॉनॉमिक्स एण्ड हैल्थ' के 'इंडियन चैप्टर' की 9 जनवरी, 2003 को औपचारिक रूप से शुरूआत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सलाहकार ने इंगित किया है कि भारत को स्वास्थ्य पर और अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता है और उक्त आयोग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से और अधिक वित्तीय सहायता दिलवाने में भारत के राज्यों को सहायता करेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने हेतु वित्त मंत्रालय से सम्पर्क किया है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 9 जनवरी, 2003 को नेशनल कमीशन ऑन मेकरोइकोनोमिक्स एण्ड हैल्थ को औपचारिक रूप से शुरू किया है। प्रोफेसर जेफ्फरे सेच, अध्यक्ष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कमीशन ऑन मेकरोइकोनोमिक्स एण्ड हैल्थ और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष सलाहकार विशिष्ट अतिथि थे। प्रस्तावित कमीशन की अध्यक्षता संयुक्त रूप से केन्द्रीय वित्त और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा की जाएगी। प्रस्तावित एन.सी.एम.एच. को स्थापित करने की आवश्यक औपचारिकताओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) से (च) प्रस्तावित कमीशन के उद्घाटन के दौरान भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रस्तावित कमीशन के विचारार्थ विषयों में स्वास्थ्य कार्यकलाप के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना

और इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए वित्त पोषण संबंधी कार्यनीतियां बनाना शामिल हैं। इस रिपोर्ट में की गई संस्तुतियों के आधार पर और अनिवार्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के वास्ते विदेशी संसाधनों की तुलना में देशीय वित्त पोषण जैसे विस्तृत ब्यौरे तैयार किए जाएंगे।

[हिन्दी]

विनिवेश संबंधी रिपोर्ट

***128. श्री नवल किशोर राय :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने हाल में ही सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है,

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रिपोर्ट में कुल कितनी संस्थाओं के विनिवेश की सिफारिश की गई है और उनमें से कितनी संस्थाओं का सरकार द्वारा विनिवेश किया जा चुका है; और

(घ) सरकार द्वारा विनिवेश हेतु संस्थाओं का चयन करने में प्राथमिकता देने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जुलाई, 2001 में गठित विनिवेश आयोग ने अभी तक 15 कम्पनियों के संबंध में नई सिफारिशों से युक्त और चार कम्पनियों के संबंध में समीक्षा सिफारिशों की रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

रिपोर्ट	माह	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम
1	2	3
सं. XIII	जनवरी, 2002	1. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि. (समीक्षा)
		2. मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि. (समीक्षा)
		3. रेल इण्डिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा लि. (समीक्षा)
		4. परियोजना एवं उपस्कर निगम लि. (समीक्षा)
सं. XIV	सितम्बर, 2002	1. इरकॉन इन्टरनेशनल लि.
		2. केन्द्रीय अन्तर्देशी जल परिवहन निगम
		3. कोचीन शिपयार्ड लि.
		4. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
सं. XV	नवम्बर, 2002	1. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
		2. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
		3. सेमीकन्डक्टर कॉम्पलैक्स लि.
		4. टेलीकम्युनिकेशन्स कन्स्लटैन्ट्स इण्डिया लि.
सं. XVI	दिसम्बर, 2002	1. कोटन कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
		2. इण्डियन मेडीसिन्स फार्मेस्टीक्यूलस लि.
		3. जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
		4. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम
सं. XVII	जनवरी, 2003	1. हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
		2. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
		3. राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मेस्टीक्यूलस लि.

इनमें से किसी भी कम्पनी का सरकार द्वारा अभी तक विनिवेश नहीं किया गया है।

(घ) विनिवेश की प्राथमिकता, बाजार परिस्थितियों, विनिवेश की प्रकृति और किसी अन्य कारक, जिससे प्राप्य मूल्य के प्रभावित होने की संभावना रहती है, को ध्यान में रखकर तय की जाती है।

[अनुवाद]

खेल प्रतिभा खोज योजना

***129. श्री प्रबोध पण्डा :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभा खोजने हेतु एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) की शाखाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के माध्यम से ऐसी कई योजनाओं को कार्यान्वित करती है जो ग्रामीण क्षेत्रों सहित हर जगह से खेल प्रतिभा का पता लगाने और विकास करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, ग्रामीण खेल कार्यक्रम की योजना कार्यान्वित करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों से खेल प्रतिभा का पता लगाने में भी सहायता करती है। अतः ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभा का पता लगाने के लिए किसी नई योजना के शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

लाभ अर्जित करने वाले उद्योगों का विनिवेश

***130. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह** : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लाभ अर्जित करने वाले उद्योगों का विनिवेश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कौन–कौन सी कम्पनियों को विनिवेश हेतु चुना गया है और गत तीन वर्षों के दौरान उनके कारोबार और लाभ/हानि संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) सभी गैर–महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, चाहे वे लाभ अर्जित करने वाले हों या घाटे में चलने वाले, मामला–दर–मामला आधार पर 26 प्रतिशत तक अथवा आवश्यकता पड़ने पर इससे निचले स्तर तक विनिवेशित किया जा सकता है। अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संचालन की कार्य–कुशलता की बजाय नियंत्रित मूल्य–निर्धारण अथवा एकाधिकार की स्थिति के कारण ही लाभ अर्जित करने वाले हैं। कई ऐसे भी मामले हैं, जहां उदारीकरण तथा बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के बाद लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चलने लगे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन, नई परिसम्पत्तियों का निर्माण करने, रोजगार जुटाने तथा सार्वजनिक ऋण के बोझ से मुक्ति पाने के लिए सरकार द्वारा अपेक्षित संसाधन अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नहीं जुटाएंगे। इसके अलावा, गैर–महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश कम्पनी के स्वामित्व से जुड़े वाणिज्यिक और व्यावसायिक जोखिम से सरकारी वित्त–पोषण को सुरक्षित रखेगा, सरकार के नियामक कार्यों और सेवाओं तथा उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति के बीच विभाजन की शुरूआत करेगा।

(ग) ऐसे 45 मामले हैं, जिनके विनिवेश का निर्णय लिया गया है तथा विनिवेश प्रगति पर है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों का कारोबार तथा लाभ/हानि खाता संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	कारोबार (करोड़ रुपये)			करोपरान्त लाभ (करोड़ रुपये)		
	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	416.53	421.18	408.29	–23.07	–105.02	–39.06
राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	2302.21	2452.66	2808.74	41.15	34.89	27.31
बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड	610.55	693.97	744.18	16.83	14.32	6.01

1	2	3	4	5	6	7
ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी	117.63	62.04	111.84	0.41	−14.13	1.74
बर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कम्पनी	199.89	164.88	166.3	281.63	−35.41	−45.22
भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड	214.56	125.52	256.69	0.94	−20.36	0.94
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड	144.29	138.55	211.91	−34.19	−48.13	17.76
फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	1270.79	1547.61	1732.9	−48.26	−39.8	−151.95
हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड	5.35	4.83	5.24	−2.16	−2.91	−2.19
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	203.86	915.65	856.98	−138.73	−99.31	−71.41
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	667.23	511.46	655.87	−5.12	−147.46	−105.8
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1161.17	1230.04	1404.81	−25.74	24.98	−29.76
मेकॉन लिमिटेड	207.93	235.04	274.47	−11.17	−20.27	−51.36
खनिज एवं धातु व्यापार निगम	4289.64	4802.27	5338.37	18.07	14.97	12.39
नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	1506.25	2142.32	2406.32	248.25	511.53	655.83
नेशनल इन्स्ट्रूमैन्ट्स लिमिटेड	2.99	2.94	5.35	−29.02	−27.03	0.09
नेपा लिमिटेड	91.6	97.68	130.79	−22.6	5.68	4.86
भारत राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	2005.95	1321.17	1077.67	12.51	22.92	26.65
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया	2520.84	2542.76	2994.76	201.33	161.61	382.56
टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया	52.55	59.24	36.6	−61.77	−60.62	−66.43
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	31.31	31.18	38.57	0.06	0.08	0.07
इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड	376.67	444.14	972.82	118.06	126.2	123.86
मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड	118.27	134.11	165.22	13.71	11.73	20.05
स्पॉंज आयर इण्डिया लिमिटेड	21.69	20.68	29.29	−9.64	−14.7	6.64
भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड	2.77	1.6	1.6	−24.58	−37.69	−37.69
इन्स्ट्रूमैन्टेशन लि. कोटा (मदर यूनिट) इसमें पालक्कड यूनिट शामिल है, जिसका अलग से विनिवेश किया जा रहा है	126.88	124.48	106.74	20.65	−28.35	−34.52
हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	413.36	441.87	531.54	9.32	10.6	32.8
होटल कॉर्पो. ऑफ इण्डिया लिमिटेड (टिप्पणी 1)	93.54	84.57	90.49	0.68	−1.6	−25.08

1	2	3	4	5	6	7
भारत पर्यटन विकास निगम (टिप्पणी 2)	279.44	274.36	295.71	9.94	–27.33	–35.47
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21599.78	33384.68	45932.07	706.02	701.64	820.12
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	23910.3	33830.87	48566.84	901.26	1057.41	1088.01
होटल रांची अशोक, रांची	1.07	1.18	1.37	–0.3	–0.46	–0.07
होटल नीलांचल अशोक, पुरी	0.46	0.27	0.36	–0.69	–1.03	–0.98
होटल लेकव्यूह अशोक, भोपाल	2.32	2.02	1.75	–0.36	–0.54	–0.57
होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी	1.86	2.27	2.83	–0.26	–0.41	–0.2
होटल पांडिचेरी अशोक, पांडिचेरी	0.76	0.75	0.68	–0.12	–0.1	–0.25
होटल दोनयी पोलो अशोक, ईटानगर	0.51	0.68	0.7	–0.15	0.011	0.014

टिप्पणी 1 : दिए गए आंकड़े समग्र कम्पनी के हैं। तथापि, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया की 2 इकाइयों, दिल्ली स्थित सैंतूर होटल एयरपोर्ट (सेफेयर दिल्ली सहित), सेफेयर मुम्बई का विनिवेश किया जा रहा है।

टिप्पणी 2 : दिए गए आंकड़े समग्र कंपनी के हैं। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम की 5 इकाइयों होटल सम्राट, नई दिल्ली, जयपुर, पाटलीपुत्र, भुवनेश्वर और जम्मू का विनिवेश किया जा रहा है।

टिप्पणी 3 : मारुति उद्योग लि. के शेष शेयरों का विनिवेश भी 2003–04 में पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का कार्यकरण

***131. श्री नरेश पुगलिया :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीग संचारी रोग संस्थान (एनआईसीडी) महामारी फैलने के दौरान समय पर नैदानिक जांच रिपोर्ट प्रदान करने में समर्थ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसके कार्यकरण की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के अनुरोध पर या जानपदिक रोग विज्ञानीय अपेक्षा के अनुसार पूरे वर्ष देश के विभिन्न भागों में रोग के प्रकोपों की जांच पड़ताल करता रहता है। अधिकांश मामलों में अपनाई गई विधियां सुस्थापित होती हैं और नियंत्रण संबंधी उपायों के बारे में संबंधित राज्य सरकार प्राधिकारियों को बता दिया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में जब रोग की प्रकृति जटिल होती है तो नवीनतम विधि द्वारा प्रयोगशाला में गहन परीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है जिसमें काफी समय लग जाता है। रोग के सूचित प्रकोपों, संचारी रोगों और असंचारी रोग के कारण होने वाले नए पैथोजेन्स को शामिल करते हुए सूचित बीमारियों के बारे में यदि आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान प्रकोपों के निदान और नियंत्रण के लिए अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता लेता है। प्रत्येक परीक्षण के बाद राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक रिपोर्टें समयबद्ध होती है और क्लिनिको–जानपादिक रोग विज्ञानी एवं क्षेत्र स्थितियों पर आधारित होती हैं तथा तत्काल नियंत्रण के उपाय करने के लिए इनकी जांच की जाती है और इन उपायों के बारे में संबंधित राज्य प्राधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है।

उपलब्ध आंकड़े के अनुसार, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर विभिन्न रोगों के संबंध

में पूरे देश में वर्ष 1997–2001 के दौरान कुल 75 प्रकोपों की जांच करने या स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने के बारे में शीघ्र कार्रवाई की है। वर्ष 2002 के दौरान राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने कुल 14 प्रकोपों की जांच की है। चूंकि यह संस्थान अपनी ड्यूटी अच्छी तरह कर रहा है इसलिए इसके कार्यों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस संस्थान के कार्यकलापों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए दसवीं योजना में कुछ योजना स्कीमें बनाने की योजना की गई है।

दसवीं योजना में लघु उद्योगों की विकास दर

***132. श्री सुबोध मोहिते :** क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना अवधि के दौरान लघु उद्योग हेतु 12 प्रतिशत की वृद्धि दर सुनिश्चित करने हेतु एक कार्यनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवीं योजना अवधि के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र के लिए लक्षित वृद्धि दर प्राप्त कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके माध्यम से रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कम वृद्धि दर के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। उत्पादन, नियोजन तथा निर्यातों की शर्तानुसार लघु उद्योग सेक्टर की वृद्धि हेतु उच्च संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए दसवीं योजना में रणनीति इस सेक्टर के सुदृढ़ीकरण की रखी गई है, जिससे यह मार्किट से जुड़ी अर्थव्यवस्था के संबंध में प्रतिस्पर्धा बनाए रख सके तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित कर सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लघु उद्योग सेक्टर को उचित और समय पर निविष्टियां प्रदान की जाएंगी जैसे कि :

1. वित्तीय संस्थानों/बैंकों से पर्याप्त क्रेडिट/ऋण।
2. प्रोद्यौगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए फण्ड्स।
3. पर्याप्त बुनियादी संरचना।
4. आधुनिक परीक्षण सुविधाएं तथा गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला।
5. आधुनिक प्रबन्धन व्यवहार तथा उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से निपुणता उन्नयन।
6. विपणन सहायता।
7. संगठित सेक्टर के बराबर लेबल फ्लेइंग फील्ड।

नौवीं योजना के 1982 करोड़ रु. की राशि के मुकाबले में लघु उद्योग सेक्टर के लिए दसवीं योजना के दौरान 2584 करोड़ रु. की बढ़ी हुई रूपरेखा विभिन्न योजनाओं/स्कीमों को सहायता सुविधा प्राप्त होगी।

(ग) से (ङ) नौवीं योजना में लघु उद्योग सेक्टर में लक्ष्यों तथा उत्पादन और नियोजन के संबंध में उपलब्धि निम्नोक्त प्रकार से है :

वर्ष नौवीं योजना का टर्मिनल वर्ष	उत्पादन (करोड़ रु.)		नियोजन (लाखों में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2001–2002	7,25,000	6,90,316	185	192.23

घरेलू तथा विश्वव्यापी दोनों तौर से कुल मिला कर औद्योगिक स्थिति का शोषण होने की वजह से नौवीं योजना में लघु उद्योग सेक्टर की उत्पादन लक्ष्य उपलब्धि में सीमान्त कमी आई है। तथापि, लघु उद्योग सेक्टर में नियोजन संबंधी लक्ष्य को नौवीं योजना में पूर्णतया प्राप्त कर लिया गया है।

[हिन्दी]

कैंसर के मामले

***133. श्री महेश्वर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फेफड़ों के कैंसर की तुलना में गर्भाशय और स्तन कैंसर के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान कैंसर के ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या देश में ऐसे रोगियों के उपचार हेतु कोई राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) गर्भाशयग्रीवा और वक्ष कैंसर महिलाओं में सबसे सामान्य कैंसर हैं जबकि फेफड़े के कैंसर की घटना उनमें अपेक्षाकृत काफी कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार, वक्ष कैंसर की घटनाओं में समय के साथ–साथ मामूली वृद्धि हुई है। भारत में सभी रजिस्ट्रियों में गर्भाशयग्रीवा के कैंसर की घटना दर में कुल मिलाकर कमी पाई गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री द्वारा किए गए संकलन अनुसार, विभिन्न स्थानों पर कैंसर की घटनाओं को दर्शाने वाली एक तालिका विवरण–I पर दी गई है।

(ख) यह सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जा रही है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत यह मंत्रालय विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिनका उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और उपचार तथा अनुसंधान कार्यकलापों को सुकर बनाना है। इन योजनाओं के ब्यौरे विवरण–II पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने उपचार प्रदान करने और अनुसंधान कार्यकलाप चलाने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है। इन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की एक सूची विवरण–III पर दी गई है।

विवरण-I

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अधीन जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों में प्रमुख कैंसर, 1997, महिलाएं

रैंक	बंगलौर	बर्षी	भोपाल	चेन्नई	दिल्ली	मुम्बई
1	वक्ष (14.0)	गर्भाशयग्रीवा गर्भाशयी (18.7)	गर्भाशयग्रीवा गर्भाशयी (12.7)	गर्भाशयग्रीवा गर्भाशयी (23.6)	वक्ष (19.8)	वक्ष (20.6)
2	गर्भाशयग्रीवा गर्भाशयी (13.8)	वक्ष (7.5)	वक्ष (12.3)	वक्ष (21.4)	गर्भाशयग्रीवा गर्भाशयी (15.8)	गर्भाशयग्रीवा गर्भाशयी (12.1)
3	ग्रासनली (3.8)	ग्रासनली (2.1)	डिम्बग्रंथि (3.5)	आमाशय (4.6)	डिम्बग्रंथि (6.5)	डिम्बग्रंथि (6.0)
4	आमाशय (3.1)	डिम्बग्रंथि (2.1)	ग्रासनली (2.5)	डिम्बग्रंथि (4.4)	पित्ताशय (5.6)	ग्रासनली (3.9)
5	डिम्बग्रंथि (2.9)	मसूड़ा (1.2)	अन्य और मुख के गैर–निर्दिष्ट भाग (2.5)	ग्रासनली (4.2)	लिम्फोमा (2.3)	श्वास प्रणाल, श्वसनी और फेफड़ा (3.0)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रति 100000 पर अपरिष्कृत घटना दरें हैं।

विवरण-II

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

जागरूकता कार्यकलाप

1. जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1990–91 के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्वास्थ्य शिक्षा, रोग का पता लगाने और पीड़ा राहत उपायों के लिए जिला परियोजना (अवधि पांच वर्ष) की एक चल रही योजना 1990–91 में शुरू की गई थी। इस योजना में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को परियोजना अवधि के शेष चार वर्षों के लिए प्रत्येक जिले के लिए 10.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष के प्रावधान के साथ इस योजना के अधीन चुनिंदा प्रत्येक जिले के लिए 15.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पांच वर्ष के बाद इस परियोजना को राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है। यह योजना जागरूकता पैदा करने, रोकथाम करने और शीघ्र पता लगाने के लिए है।

2. पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अधीन स्वैच्छिक संगठनों को राज्य सरकार की विशिष्ट सिफारिशों पर कैंसर में स्वास्थ्य शिक्षा और रोग का शीघ्र पता लगाने संबंधी कार्यकलापों को चलाने के लिए 5.00 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है।

3. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र

इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 30 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी है। चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता और संस्थान रोटरी कैंसर अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का एक अलग तरह का वित्त पोषण स्वरूप है। शेष क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र क्षेत्र में कैंसर की रोकथाम करने और शीघ्र पता लगाने के लिए जागरूकता पैदा करने के अलावा कैंसर के क्षेत्र में उपचार सुविधाएं प्रदान करते हैं और अनुसंधान करते हैं।

अन्य कार्यकलाप

- संशोधित जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम—चार राज्यों में एक स्वास्थ्य शिक्षा एवं सर्वेक्षण अभियान चलाया गया।
- 2001 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट निकाला गया है जिस पर एक महिला को 'अपने वक्ष की जांच' स्वयं करते हुए दर्शाया गया है।
- हर वर्ष 7 नवम्बर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाना और कैंसर समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करना।
- चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता द्वारा तैयार की गई स्वास्थ्य शिक्षा श्रव्य सामग्री का एफ एम रेडियो के जरिए प्रसारण।
- कैंसर का शीघ्र पता लगाने और जागरूकता पैदा करने के लिए मेडिकल कालेजों द्वारा आऊटरीच कार्यकलाप।
- स्वास्थ्य मेलों में भाग लेना और स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री का वितरण।

विवरण-III

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश

चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

किदवई मेमोरियल आन्कोलॉजी संस्थान, बंगलौर, कर्नाटक

क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, अडयार, चेन्नई, तमिलनाडु

आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान एवं उपचार केन्द्र, उड़ीसा

क्षेत्रीय कैंसर नियंत्रण सोसायटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश

कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

भारतीय रोटरी कैंसर संस्थान, (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), नई दिल्ली

आर.एस.टी. अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, नागपुर, महाराष्ट्र

पंडित जे.एन.एम. मेडिकल कालेज, रायपुर, छत्तीसगढ़

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम

गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात

एम एन जे आन्कोलाजी संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

पांडिचेरी क्षेत्रीय कैंसर सोसायटी जिपमेर, पांडिचेरी

डा. बी.बी. कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम

टाटा मैमोरियल अस्पताल, मुम्बई, महारष्ट्र

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार

आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर ट्रस्ट एवं अनुसंधान संस्थान, बीकानेर, राजस्थान

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, पंडित बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक, हरियाणा

सिविल अस्पताल, आइजोल, मिजोरम।

[अनुवाद]

विनिवेश में विदेशी निवेशकों की भूमिका

***134. श्री पी. डी. एलानगोवन :** क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश में विदेशी निवेशकों की भागीदारी की प्रविधियों के बारे में विनियमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के विनिवेश में विदेशी निवेशकों के माध्यम से कुल कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(घ) क्या सम्भावित विदेशी निवेशकों की कमी के कारण हाल के वर्षों में विनिवेश प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस स्थिति की समीक्षा और सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के माध्यम से वसूल की गई धनराशि खर्च करने की प्राविधियों के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कतिपय मामलों में, विनिवेश में विदेशी निवेश की सीमा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वर्तमान क्षेत्रीय पूंजी से कम तय की गई है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में से केवल नई दिल्ली के लोधी होटल को विदेशी कंपनियों के एक संकाय अर्थात मैसर्स सिल्वर लिंक होल्डिंग लिमिटेड, फ्लेश राइस लिमिटेड, शार्प प्वाइंट लिमिटेड, फर्स्ट सर्कल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिटिश विर्जिन आइसलैण्ड के पैरानल फाइनेन्स एस ए को 76.41 करोड़ रुपए में बेचा गया है। अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारतीय कंपनियों को बेचा गया है। तथापि, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड को एक भारतीय कंपनी के संयुक्त उद्यम मैसर्स जुआरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और मोरक्को की कपनी, मैसर्स मारोक फोसफोर एस ए को 151.70 करोड़ रुपए में बेचा गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, हां।

(छ) सरकार ने, 09 दिसम्बर, 2002 को संसद के दोनों सदनों में यह घोषणा की थी कि सामाजिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों के लिए विनिवेश अर्थागम के उपयोग की सरकार की निरन्तर वचनबद्धता को पूर्णतः दृष्यता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार विनिवेश अर्थागम कोष की स्थापना करेगी। इस कोष का उपयोग नए रोजगार के अवसरों तथा निवेश के वित्त पोषण और सार्वजनिक ऋण के बोझ से मुक्ति पाने के लिए किया जाएगा।

देश में उपलब्ध प्रतिबंधित औषध

***135. श्री सुनील खां :**
डा. बलिराम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय की समाचार रिपोर्टों का संज्ञान लिया है कि 'एनालजिन' और 'फ्यूराजालीडान', 'फ्यूराजोलीडोन' आदि औषधों समेत विदेशों में प्रतिबंधित औषधों का अब भी भारत में उत्पादन, भंडारण किया जा रहा है और उन्हें बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ब्रांड नामों समेत ऐसी औषधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन औषधों के गंभीर दुष्प्रभावों के कारण इन औषधों को विदेशों में प्रतिबंधित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा देश में ऐसी औषधों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (च) समाचार पत्र की हाल की रिपोर्टों में कहा गया कि एनाल्जिन, टर्फेनाडिन, एस्टेमिजोल, लिनेस्टेनोल, फिनाइल्यूबूटाजोल, फेनोल्फथालिन, पिपराजिन, फ्यूराजौलिडोन, नाइट्रोफ्यूरोजान तथा ड्रापेरिडाल, यद्यपि ये वैश्विक रूप से प्रतिबंधित हैं, का विपणन देश में किया जा रहा है।

ऐसी समाचार रिपोर्टें भी छपी हैं जिनमें कुछ यूरोपीय देशों में निमेसुलाइड का उपयोग बंद होने के बाद (एक शोथ-रोधी, पीड़ाहर तथा ज्वरहर औषध) इसके प्रयोग के बारे

में चिन्ता व्यक्त की गई है। देश के प्रमुख विकलांग चिकित्सा विज्ञानियों, जठरान्त्ररोग विज्ञानियों तथा बाल रोग चिकित्सकों और भारतीय बाल रोग चिकित्सा अकादमी से परामर्श करके इस औषध के निरापदता संबंधी पहलू का व्यापक मूल्यांकन किया गया है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने राय दी है कि यह औषध निरापद एवं उपयोगी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, इस औषध की औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा आगे और समीक्षा की जाएगी।

इन औषधों की स्थिति विवरण में दी गई है।

वैसे, ये नई रिपोर्टें भ्रामक हैं। एनाल्जिन तथा फ्यूरो–जोलिडोन को बहुत से विकसित देशों सहित अनेक देशों में प्रयोग में लाया जाता है। किसी औषध पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने की कोई प्रणाली नहीं है। कुछ देशों में समय–समय पर प्रतिबंधित कुछ औषधों एवं फार्मूलेशनों का अन्य देशों में विपणन किया जाना जारी रहता है। ऐसा करने का निर्णय सामान्यतया जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित रहता है जिन्हें बहुत से कारक प्रभावित करते हैं जैसे कि देश में रोग पैटर्न, औषध के प्रति नियत जनसंख्या के कुछ जातीय समूहों की अलग–अलग प्रतिक्रियाएं तथा अपेक्षाकृत निरापद विकल्पों की उपलब्धता और किसी रोग के उपचार में निहित लागत कारक। समग्रतया यह जागरूकता भी है कि किसी औषध का सेवन अनुषंगिक प्रभावों अथवा जनसंख्या का सांख्यिकीय रूप से गैर–महत्वपूर्ण अल्पसंख्या में प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं से पूर्णतया मुक्त नहीं होता।

किसी अनुमोदित औषध का जोखिम निर्धारण किसी देश में इसकी समीक्षा, पाबंदी, रोक अथवा प्रतिबंध के बारे में सूचना से शुरू होता है। इन ब्यौरों का मूल्यांकन नियत विशिष्टता के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके किया जाता है। उनकी सलाह के आधार पर इस मामले को औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाता है, जो एक सांविधिक निकाय है तथा जिसमें चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि, राज्य औषध प्रवर्तन प्राधिकारी, विशेषज्ञों की संस्थाएं एजेंसियां शामिल हैं, जो औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के कार्यान्वयन से संबंधित तकनीकी मामलों पर सरकार को सलाह देता है, जैसे कि किसी मौजूदा औषध पर प्रतिबंध लगाना है अथवा नहीं, औषध के प्रयोग को क्रमिक रूप से समाप्त करना है अथवा नहीं। अब तक देश में औषधों/औषध फार्मूलेशनों के 75 वर्गों को प्रतिबंधि किया जा चुका है।

विवरण

रिपोर्टों में उल्लिखित औषधों की स्थिति

क्र.सं.	औषध का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	एनाल्जिन	इसके लाभों, जोखिमों के अनुपात और उपलब्ध ब्यौरे की गहन जांच करने के पश्चात् विशेषज्ञों ने अन्य औषधों के साथ इसके मिश्रित फार्मुलेशनों को छोड़कर इसका सतत उपयोग करने की संस्तुति की थी। इसलिए, औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने इस प्रतिबंध लगाने की संस्तुति नहीं की और 1994 में दाखिल एक जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। उस जनहित याचिका में इसके विरुद्ध कोई दिशानिर्देश दिए बगैर उसे फरवरी, 2003 में निपटा दिया गया।
2.	टेरफेनाडाइन	विशेषज्ञों की इन संस्तुतियों कि इस श्रेणी में इससे बेहतर औषधें उपलब्ध हैं (एन्टी–हिस्टामिनिक), के आधार पर इस औषध की बिक्री 31 मार्च, 2003 से रोक दी जाएगी। यह औषध कुछ देशों में उपयोग में लाई जा रही है।
3.	एस्टेमिलोज	वर्ष 1993 में इस औषध की समीक्षा की गई थी और इसके लेबल पर "रोजाना की खुराक 10 मिली ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए" की चेतावनी के साथ इसके विपणन को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इस औषध की पुनः समीक्षा की गई। 31 मार्च, 2003 से भारत में इसकी बिक्री को रोक देने का निर्णय लिया गया है। यह औषध कुछ देशों में उपयोग में लाई जा रही है।
4.	लाइनेस्ट्रेनॉल	विशेषज्ञों द्वारा 90 के दशक के प्रारंभ में इस औषध की समीक्षा की गई है और मासिक धर्म की अनियमितताओं हेतु इसके चल रहे विपणन को उपयुक्त समझा गया।

1	2	3
5.	फेनाइलबुटाजोन	भारत में प्रयोग की जा रही खुराकों तथा कुल मिलाकर होने वाले लाभ–जोखिम के संदर्भ में इस औषध की जांच की गई थी और अल्पकालिक शोथ (इन्फ्लेमेटरी) विकारों और एन्क्वाइलोसिंग स्पान्डेलाइटिस के लिए इसकी संस्तुति की गई थी। इस औषध को एकल औषध फार्मुलेशन के रूप में अनुमति दी गई है। तथापि, अन्य औषधों के साथ इसके संयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह स्थिति उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखी गई थी।
6.	फेलाइलफ्थालीन	मृदुविरेचक (लैक्सेटिव) के रूप में ब्रिटिश तथा भारतीय भेषज संहिता में इस औषध का उल्लेख लगातार किया जा रहा है। वैसे, मार्च, 2003 में होने वाली आगामी उप समिति की बैठक में समीक्षा प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है।
7.	पिपेराजिन	विशेषज्ञों द्वारा 1992–93 के दौरान इस औषध की जांच की गई थी और गोलकृमि (राउन्डवार्म) के उपचार हेतु इस एक सस्ती और प्रभावी औषध माना गया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी यह स्थिति रखी गई थी।
8.	फ्यूराजोलीडोन	विशेषज्ञों द्वारा नौवें दशक के प्रारंभ के दौरान इसकी जांच की गई और भारतीय संदर्भ में गैस्ट्रो–इन्ट्रीटीज के उपचार हेतु प्रभावी समझा गया। इस औषध को एकल फार्मुलेशन के रूप में अनुमति दी गई है। वैसे, संयोजन वाले फार्मुलेशनों में इसके प्रयोग पर भारत में प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह स्थिति भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखी गई थी।
9.	निट्रोफ्यूराजोन	विशषज्ञों द्वारा नौवें दशक के प्रारंभ के दौरान इसकी जांच की गई। बदन पर लगाई जाने वाली (ऑपिकल) क्रीम के रूप में उपयोग में लाई जाती है और उपरिस्थ (सुपरफिसियल) घावों, जले अंगों और त्वचा संक्रमणों के लिए उपयोगी समझा गया। इस औषध की एकल औषध फार्मुलेशन के रूप में अनुमति दी जाती है। वैसे, संयोजन फार्मुलेशन के रूप में इसके प्रयोग पर भारत में रोक लगा दी गई है।
10.	ड्रोफेरिडोल	उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ देशों में संवेदनाहारक के अनुषंगी के रूप में इस औषध पर का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए पत्र सं. 1, 2002 के अनुसार यू.एस.एफ.डी. ए. को इसके लेबल पर चेतावनी तथा सावधानियों के लिए दिशानिर्देश दिए हैं।
11.	सेरीवैस्टाटिन	यह औषध वर्ष 2002 में देश में प्रारंभ की गई थी और बाद में 2001 में इसे वापस ले लिया गया था। कोई नई अनुमतियां नहीं दी जा रही हैं। इसलिए, फिलहाल यह औषध देश में विपणित नहीं की जा रही है।
12.	निमेसुलाइड	यह एक नॉन स्टेरॉयडल एन्टी–इन्फ्लेमेटरी औषध है जिसके भारत सहित लगभग 50 देशों में प्रयोग में लाए जाने की सूचना है और तेज दर्द/इन्फ्लेमेशन तथा ज्वर के लिए बताई जाती है। मीडिया की रिपोर्टों और फिनलैण्ड, टर्की तथा स्पेन में निमेसुलाइड के प्रयोग को रोक देने (सस्पेंशन) पर विचार करके एक विशेषज्ञ समिति द्वारा बच्चों पर इसके प्रयोग सहित निमेसुलाइड की निरापदता से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने हेतु एक विस्तृत जांच प्रारंभ की गई है। अधिकतर विशेषज्ञ ने निमेसुलाइड की विश्वसनीयता की पुष्टि की है और देश में कोई गंभीर विपरीत रिएक्शन की रिपोर्ट नहीं मिली।

1	2	3
13.	क्वीनिओडोक्लोर (क्लीओक्वीनॉल, आइडोक्लोहाइ–ट्रोक्सीक्विनोलीन)	इस औषध का प्रयोग आंत्र अमीबा रुग्णता तथा यात्रियों के अतिसार इत्यादि के उपचार के लिए किया गया है। 60 के दशक में जापान में उप तीव्र माइलो आप्टि–कोन्यूरोपैथी की सूचना मिली और बहुत से देशों में इस औषध का मुंह के माध्यम से सेवन बंद कर दिया गया। वैसे, इस औषध की निरापदता तथा प्रभावकारिता की भारत के चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से जांच की गई तथा इसकी उपयोगिता और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत में इसके सतत विपणन की अनुमति देने का विचार किया गया। भारतीय जनसंख्या पर उप तीव्र माइलो आप्टिकोन्यूरोपैथी (एस.एम.ओ.ए.) के प्रभाव की कोई सूचना नहीं है। इस औषध का लगभग सभी देशों में जीवाणुरोधी (एण्टीवैक्टीरियल) के रूप में स्थानीय उपयोगों के लिए भी प्रयोग किया जा चुका था।

[हिन्दी]

पशुओं पर परीक्षण करने पर प्रतिबंध

***136. डा. अशोक पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पशुओं पर किए जाने वाले परीक्षणों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण सस्ते मूल्यों पर खतरनाक रोगों की औषधियों का विनिर्माण कठिन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपर्युक्त प्रतिबंध हटाने पर पुनर्विचार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परियार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पी सी ए) अधिनियम, 1960 जैव–चिकित्सीय अनुसंधान के लिए पशुओं पर प्रयोग करने कि लिए पशुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाता। तथापि, इस अधिनियम की धारा–17 के अधीन बनाए गए कुछ नियम जैव–चिकित्सीय अनुसंधान पर बुरा असर डाल रहे हैं। वे इस प्रकार हैं :

(i) केवल प्रजनकों से ही पशुओं का प्रापण।

(ii) अनुसंधान के लिए अपेक्षित पशुओं के आयात की अनुमति नहीं।

(iii) संविदात्मक अनुसंधान पर रोक लगाना।

(iv) नैदानिक जांच कार्यकलापों सहित सभी प्रयोगों के लिए पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सी.पी.सी.एस.ई.ए.) की पूर्व अनुमति की आवश्यकता और अनुमति प्राप्त करने में लगने वाला समय।

चिकित्सा अनुसंधान और नियमों, प्रक्रियाओं में अपेक्षित संशोधनों आदि पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति की भूमिका से संबंधित सभी विषयों को सचिवों की समिति के साथ उठाया गया है।

लघु उद्योग क्षेत्र में पूंजी निवेश

***137. श्री राम टहल चौधरी :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्रतिवर्ष लघु उद्योग क्षेत्र में किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा लघु उद्योगों को कौन से प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है; और

(ङ) गत वर्ष कितने नए लघु उद्योग स्थापित किए गए?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी विकास विभाग मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) वर्ष 1999–2000, 2000–2001

तथा 2001–2002 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त में पंजीकृत एवं अपंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों, दोनों के लिए अनुमानित निवेश क्रमशः 72633 करोड़ रु., 79703 करोड़ रु. तथा 84329 करोड़ रु. था।

(ख) और (ग) लघु उद्योग क्षेत्र में अनुमानित निर्यात वर्ष 1999–2000 में 54200 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2001–2002 में 71,244 करोड़ रु. हो गया, जिससे इस अवधि के दौरान 31.44 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई।

(घ) हालांकि, लघु उद्योगों का विकास करना मुख्यतः राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों का उत्तरदायित्व है, केन्द्रीय सरकार ने एकीकृत आधारिक संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं उद्यमिता विकास आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा उनके कार्य निष्पादन में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में घरेलू एवं विश्वव्यापी दोनों स्तरों पर वृद्धि करने के लिए इस क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए प्रधान मंत्री ने 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की। नीति पैकेज में बढ़ा हुआ राजकोषीय एवं क्रेडिट समर्थन, बेहतर आधारिक सरंचना एवं विपणन सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन शामिल है।

(ङ) पिछले वर्ष अर्थात 2001–2002 में स्थापित की गई पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 1,17,337 थी।

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा शांति का आह्वान

***138. श्री वाई. वी. राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी विदेश मंत्री ने विश्व आर्थिक मंच को हाल ही में संबोधित करते हुए भारत और पाकिस्तान से शांति के लिए प्रयास करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। 26 जनवरी, 2003 को विश्व आर्थिक मंच में दावोस में एक भाषण में अमरीकी विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को शान्ति के लिए प्रयास करने चाहिए।

(ग) सरकार का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संवाद की बहाली के लिए तथा इस क्षेत्र में शान्ति की संभावनाओं के विकास के लिए पाकिस्तान द्वारा सीमा–पार आतंकवाद की स्थाई समाप्ति आवश्यक है।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

***139. श्री सुरेश पासी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु गैर–सरकारी संगठनों की सहायता लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले वित्त वर्ष के दौरान उन में से प्रत्येक को राज्य–वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में निर्धारित जनसंख्या स्थिरीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकारी प्रयासों को पूरा करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। तदनुसार, परिवार कल्याण विभाग ने एक कार्यक्रम तैयार किया जिसके अधीन पर्याप्त संसाधनों और प्रमाणित क्षमताओं वाले गैर–सरकारी संगठनों की मूल गैर–सरकारी संगठनों के रूप में पहचान की गई थी और उप–केन्द्र स्तर पर कार्य कर रहे क्षेत्रीय गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यकलापों का कार्यान्वयन करने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। परिवार कल्याण विभाग किशोरों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और नवीन कार्यकलाप करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को धन भी प्रदान करता है। इन स्कीमों के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को की गई राज्य–वार निर्मुक्तियों का ब्यौरा विवरण I, II, और III पर दिया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान मूल गैर–सरकारी संगठन

स्कीम से संबंधित दिशानिर्देशों का संशोधन किया जा रहा है। नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत मूल गैर–सरकारी संगठनों से यह भी अपेक्षित होगा कि वे परामर्श अभियानों के अतिरिक्त प्रदान की गई सेवाओं को मात्रापरक रूप से भी दर्शाएं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर–सरकारी संगठनों की सहायता के लिए 130 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

विवरण-I

मूल गैर–सरकारी संगठन स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	मूल गैर–सरकारी संगठनों की संख्या	वर्ष 1997–2003 के दौरान प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता (रुपए लाख में)						
			1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02	2002–03	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7		40.00	75.65	92.36	94.84	12.39	315.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	1				10.00			10.00
3.	असम	3		10.00	22.00	30.93	34.55	56.13	153.61
4.	बिहार	10		40.00	19.20	79.20	48.00	190.34	376.74
5.	छत्तीसगढ़	2		35.00	50.00	25.00	50.00		160.00
6.	दिल्ली	2	25.00	25.00	40.00	25.00	46.38	15.00	176.38
7.	गुजरात	4			40.00	10.00	30.76	54.47	135.23
8.	हिमाचल प्रदेश	3		10.00		48.00	16.00	22.71	96.71
9.	हरियाणा	2		25.00	25.00	4.00	24.89	29.74	108.63
10.	जम्मू और कश्मीर	3		25.00		32.05	10.00		67.05
11.	झारखण्ड	5		10.00		44.00	24.00	27.05	105.05
12.	कर्नाटक	4		39.00	50.00	37.00		94.92	220.92
13.	केरल	2		10.00	15.00	10.00	30.00	13.90	78.90
14.	मध्य प्रदेश	1	25.00	95.00	124.68	34.99	110.00	73.10	462.77
15.	महाराष्ट्र	4	25.00	70.00	65.00	69.06	45.24	40.00	314.30
16.	मणिपुर	2			24.00	34.94		79.87	138.81
17.	नागालैण्ड	1				15.00		15.01	30.01
18.	उड़ीसा	10		40.00	47.00	57.60	68.00	129.56	342.16
19.	पंजाब							15.00	15.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	राजस्थान	4		40.00	35.00		37.00	38.00	150.00
21.	सिक्किम	1				10.00	10.00		20.00
22.	तमिलनाडु	5		80.00	89.65	64.79	86.45	25.98	346.87
23.	त्रिपुरा	1		10.00	10.00	15.00	15.00		50.00
24.	उत्तर प्रदेश	8		20.00	115.00	81.65	136.00	85.97	438.62
25.	उत्तरांचल							33.97	33.97
26.	पश्चिम बंगाल	3	25.00	60.00	65.00	60.00	15.00	63.80	288.80
	कुल		100.00	684.00	912.18	890.57	932.11	1,116.91	4,635.77

विवरण-II

लिंग संबंधी मामलों हेतु सहायता की परियोजना के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को निर्मुक्त किया गया राज्य–वार धन

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	20.39		14.78	8.08
2.	बिहार	34.11		10.31	23.66
3.	चंडीगढ़	14.44			
4.	दिल्ली	39.40	8.00	17.77	1.95
5.	गुजरात	6.00	7.80	15.74	8.50
6.	केरल	10.42	15.76	1.39	8.67
7.	मणिपुर	29.16		20.44	9.06
8.	उड़ीसा		6.80		4.57
9.	पंजाब				2.97
10.	राजस्थान	3.20	18.53	14.84	8.50
11.	तमिलनाडु	13..05		20.44	9.75
12.	उत्तर प्रदेश	4.95		9.21	
13.	उत्तरांचल				
14.	पश्चिम बंगाल		9.42		9.13
	कुल	137.21	73.89	94.41	99.84

विवरण-III

नवीन स्कीम के अधीन गैर–सरकारी संगठनों को निर्मुक्त किया गया राज्य–वार धन

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम				1.15	

1	2	3	4	5	6	7
2.	चंडीगढ़	12.85	8.06	12.11		
3.	छत्तीसगढ़		27.64	14.40		22.07
4.	दिल्ली	12.11	8.16	12.56	23.71	
5.	गुजरात		134.12		112.10	
6.	हरियाणा				14.56	
7.	हिमाचल प्रदेश				2.44	
8.	केरल			24.57		
9.	महाराष्ट्र	7.00		33.32	30.00	34.75
10.	मध्य प्रदेश	5.02	10.51	9.92	8.74	
11.	उड़ीसा				27.00	13.04
12.	तमिलनाडु				9.06	
13.	पश्चिम बंगाल		14.91	26.09	7.00	55.72
	कुल	36.98	203.4	132.97	235.76	125.58

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण के उपाय

***140. श्रीमती निवेदिता माने :**
प्रो. रासासिंह रावत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में महिला–पुरुष अनुपात और मृत्युदर की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाए जाने के मामले में निराशाजनक प्रगति हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) पुरुष और महिला अनुपात, जो लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है, जनसंख्या में प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पूरे देश के लिए लिंग अनुपात 933 बैठता है। भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही नमूना पंजीयन प्रणाली के अनुसार वर्ष 2000 के लिए प्रति एक हजार आबादी पर 8.5 की आशोधित मृत्यु दर बनती है। राज्य–वार लिंग अनुपात (जनगणना 2001) और आशोधित मृत्यु दर (नमूना पंजीयन प्रणाली 2000) विवरण–I पर संलग्न है।

राज्यों में परिवार नियोजन की विधियां अपनाए जाने में एक व्यापक अंतर है। परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने के स्तर संबंधी 1998–99 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण के अनुसार सूचना विवरण–II पर संलग्न है।

परिवार नियोजन की विधियां अपनाने में धीमी प्रगति के मुख्य कारक हैं–गर्भनिरोधकों की पूरी न हुई बहुत बड़ी जरूरतों की मौजूदगी, विशेषकर असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में, जिसका कारण पर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों की उपलब्धता का अभाव आदि है। रुकावट के अन्य

कारकों में पुत्र को तरजीह देना, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण का निम्न स्तर आदि शामिल हैं। परिवार नियोजन विधियों को अपनाए जाने में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य का एक समेकित और समग्रता परक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भ निरोधन सम्मिलित हैं। गर्भ निरोधन के नए उपाय अर्थात कापर–टी 380–ए और महिलाओं के लिए आपातिक गर्भनिरोधक गोलियों का प्रयोग शुरू किया गया है।

- सरकार ने फरवरी, 2000 में एक राष्ट्रीय नीति अपनाई है जिसमें परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने में सामुदायिक सहभागिता के साथ जनसंख्या स्थरीकरण हासिल करने के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्यसूची की व्यवस्था है।

- स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य कार्मिकों और गर्भनिरोधकों संबंधी पूरी न हुई जरूरतों को पूरा करना और बुनियादी प्रजनक और बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए समेकित सेवा प्रदानगी सुलभ कराना।

- केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक शक्ति सम्पन्न कार्य दल गठित किया गया है ताकि जनसंख्या की दृष्टि से कमजोर 8 राज्यों में परिवार कल्याण सेवाओं सहित कवरेज तथा आउटरीच सेवाओं में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

- परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की सहभागिता बढ़ाने के लिए न चीरा न टांका वाली पुरुष नसबंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विवरण-I

लिंगानुपात और अशोधित मृत्यु दर

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2001 की जनगणना के अनुसार लिंगा–नुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं)	एस आर एस 2000 के अनुसार अशोधित मृत्यु दर (1000 जनसंख्या पर)
1	2	3	4
	भारत	933	8.5
I. बड़े राज्य (जनसंख्या>20 मिलियन)			
1.	आंध्र प्रदेश	978	8.2
2.	असम	932	9.6
3.	बिहार	921	8.8
4.	छत्तीसगढ़	990	9.6
5.	गुजरात	921	7.5
6.	हरियाणा	861	7.5
7.	झारखण्ड	941	9.0
8.	कर्नाटक	964	7.8
9.	केरल	1058	6.4
10.	मध्य प्रदेश	920	10.3
11.	महाराष्ट्र	922	7.5
12.	उड़ीसा	972	10.5
13.	पंजाब	874	7.4
14.	राजस्थान	922	8.5
15.	तमिलनाडु	986	7.9
16.	उत्तर प्रदेश	898	10.3
17.	पश्चिम बंगाल	934	7.0
II. छोटे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश (जनसंख्या<20 मिलियन)			
1.	अरुणाचल प्रदेश	901	6.0
2.	दिल्ली	821	5.1
3.	गोवा	960	7.4
4.	हिमाचल प्रदेश	970	7.2
5.	जम्मू और कश्मीर	900	6.2
6.	मणिपुर	978	5.6
7.	मेघालय	975	9.2

1	2	3	4
8.	मिजोरम	938	5.2
9.	नागालैण्ड	909	–
10.	सिक्किम	875	5.7
11.	त्रिपुरा	950	5.4
12.	उत्तरांचल	964	7.9
III.	**केन्द्र शासित प्रदेश**		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	846	5.1
2.	चंडीगढ़	773	3.9
3.	दादरा और नगर हवेली	811	7.8
4.	दमन और दीव	709	6.6
5.	लक्षद्वीप	945	6.0
6.	पाण्डिचेरी	1001	6.5

विवरण-II

भारत/राज्य	जन्म में अन्तर रखने के तरीके (आधुनिक)	जन्म में अंतर रखने के तरीके (परम्परागत)	स्थाई तरीके	कुल	दो बच्चों वाले दंपत्तियों द्वारा प्रतिशत बंध्यीकरण
1	2	3	4	5	6
अखिल भारत	6.8	5.4	36.1	48.2	41.5
बड़े राज्य (जनसंख्या<20 मिलियन)					
आंध्र प्रदेश	1.8	0.7	57.0	59.6	72.1
असम	10.0	16.6	16.7	43.3	14.2
बिहार	2.2	2.1	20.2	24.5	17.8
छत्तीसगढ़	3.9	2.7	38.4	45.0	31.3
गुजरात	8.1	5.7	45.3	59.0	45.2
हरियाणा	12.5	9.2	40.8	62.4	34.6
झारखण्ड	2.9	2.7	22.0	27.6	20.0
कर्नाटक	4.4	1.8	52.2	58.3	60.4
केरल	5.1	7.6	51.0	63.7	66.6
मध्य प्रदेश	4.7	1.7	37.9	44.3	31.5
महाराष्ट्र	7.6	1.1	52.2	60.9	50.0
उड़ीसा	4.7	6.5	35.6	46.8	36.1
पंजाब	23.0	12.8	30.9	66.7	21.5

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	5.8	2.2	31.3	40.3	28.7
तमिलनाडु	4.3	1.9	46.0	52.1	60.1
उत्तर प्रदेश	6.4	6.1	15.6	28.1	10.6
पश्चिम बंगाल	13.5	19.4	33.8	66.6	41.8
छोटे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश (जनसंख्या <20 मिलियन)					
अरुणाचल प्रदेश	12.2	2.7	20.7	35.4	19.4
दिल्ली	27.7	7.4	28.6	63.8	19.7
गोवा	7.7	11.7	28.2	47.5	24.9
हिमाचल प्रदेश	8.4	7.0	52.4	67.7	53.1
जम्मू और कश्मीर	11.1	7.4	30.7	49.1	20.2
मणिपुर	10.3	12.9	15.5	38.7	9.4
मेघालय	9.1	4.7	10.7	20.2	2.4
मिजोरम	11.7	0.7	45.3	57.7	24.6
नागालैण्ड	12.0	6.0	12.3	30.7	15.1
सिक्किम	16.6	12.5	24.8	53.8	31.6
त्रिपुरा	16.8	12.0	26.7	55.5	32.6
उत्तरांचल	9.2	2.8	31.1	43.1	24.7

[हिन्दी]

खाद्य तेल में मिलावट

1241. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ धोखेबाज व्यवसायी खाद्य तेल में मिलावट कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, हरियाणा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और उत्तर प्रदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अलावा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2000 के दौरान खाद्य तेल और वसा के 12899 नमूनों की जांच की गई थी जिसमें से 1413 नमूनों को मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाया गया था। (विवरण संलग्न है)

वर्ष 2001 में 10116 नमूनों की जांच की गई थी जिनमें से 933 नमूनों को मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाया गया था।

(ग) राज्य सरकारों को बार–बार सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें एवं जांच के लिए अधिक से अधिक नमूने लें तथा अपमिश्रण, निवारण नियम, 1955 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2000 एवं 2001 में जांच किए गए और अपमिश्रित पाए गए खाद्य तेल के नमूने

क्र.सं. राज्य		वर्ष 2000		वर्ष 2001	
		जांच नमूने	अपमिश्रित पाए गए नमूने	जांच नमूने	अपमिश्रित पाए गए नमूने
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह				
2.	आंध्र प्रदेश	2856	252		
3.	अरुणाचल प्रदेश	26	1	37	–
4.	असम	187	18	222	26
5.	बिहार	1748	251	1932	180
6.	चण्डीगढ़	63	12	56	14
7.	छत्तीसगढ़	235	18	216	15
8.	दादरा व नागर हवेली	–	–	5	–
9.	दमन व दीव	5	–	8	शून्य
10.	दिल्ली	235	34	358	45
11.	गोवा	38	–	44	–
12.	गुजरात				
13.	हरियाणा				
14.	हिमाचल प्रदेश	81	13	26	4
15.	जम्मू व कश्मीर	85	20		
16.	झारखण्ड	192	15	55	4
17.	कर्नाटक	149	21	168	50
18.	केरल	728	10	814	17
19.	लक्षद्वीप	–	–		
20.	मध्य प्रदेश	294	41		
21.	महाराष्ट्र	4410	509	4775	482
22.	मणिपुर	12	1	89	3
23.	मेघालय	44	–		
24.	मिजोरम	48	–	9	–
25.	नागालैण्ड	2	–	2	शून्य
26.	उड़ीसा	210	70		
27.	पांडिचेरी				
28.	पंजाब			284	28
29.	राजस्थान	689	109		
30.	सिक्किम		1	शून्य	
31.	तमिलनाडु		480	30	
32.	त्रिपुरा		43		
33.	उत्तर प्रदेश				
34.	उत्तरांचल			20	10
35.	पश्चिम बंगाल	562	18	472	25
कुल नमूने		12899	1413	10116	933
अपमिश्रण की प्रतिशतता		10.9 प्रतिशत		9.2 प्रतिशत	

गुजरात में डाकघरों का उन्नयन

1242. श्री मानसिंह पटेल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में डाकघरों के उन्नयन संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान–वार और श्रेणी–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) गुजरात में अतिरिक्त

विभागीय शाखा डाकघरों का विभागीय उप डाकघरों में उन्नयन के दो प्रस्ताव डाक विभाग में विचाराधीन हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ग	स्थान का नाम
1.	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) को विभागीय उप डाकघर (डीएसओ) में	विट्ठलगढ़ सुरेन्द्रनगर डिवीजन में दसाड़ा उप डाकघर के अंतर्गत
2.	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) को विभागीय उप डाकघर (डीएसओ) में	वेरावल राजकोट डिवीजन में राजकोट भक्तिनगर उप डाकघर के अंतर्गत

ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क

1243. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रमीण सूचना प्रौद्यागिकी नेटवर्क स्थापित करने संबंधी योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या नई परियोजना के पहले चरण में कोई समस्या उत्पन्न हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) से (ग) सूचना प्रौद्यागिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय ने सात पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के 487 ब्लॉक मुख्यालयों में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित करने की एक योजना कार्यान्वित की है ताकि इस क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए सूचना प्रौद्यागिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। यह योजना अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड त्रिपुरा और सिक्किम में कार्यान्वित की जा रही है। आज तक 483 सीआईसी स्थापित किए जा चुके हैं। विद्युत समस्या को छोड़कर कोई दूसरी बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) निकनेट, जो जिला स्तर तक जुड़ा है, के जरिए सभी सभी राज्यों और केन्द्र सरकार के विभागों को नेटवर्क बैकबोन और ई–शासन सहायता प्रदान कर रहा है।

डाक और दूरसंचार क्षेत्र में रिक्त पद

1244. **प्रो. रासासिंह रावत** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परिमंडलों में विभिन्न श्रेणियों के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो परिमण्डल–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) :

डाक विभाग

(क) और (ख) डाक क्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप विभिन्न सर्किलों में कोई पद रिक्त नहीं है। हालांकि, पदधारियों की पदोन्नति, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति और मृत्यु आदि के कारण सर्किलों में समय–समय पर रिक्तियां होती रहती हैं। रिक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से रिक्तियां भरना एक अनवरत प्रक्रिया है। पदोन्नतीय रिक्तियां पदों के खाली होने पर भरी जाती हैं। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती की रिक्तियां वर्ष में होने वाली सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों की एक–तिहाई सीमा तक भरी जा सकती हैं बशर्ते कि यह विभाग की कुल स्वीकृत कर्मचारी संख्या का 1 प्रतिशत से अधिक न हो।

दूरसंचार विभाग

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

डाक विभाग में रिक्तियां

शाखा का नाम	रिक्तियां (राजपत्रित पद)	
	ग्रुप क*	ग्रुप ख*
डाक शाखा	47	50
डाक सिविल शाखा	13	14

*ग्रुप क और ग्रुप ख (राजपत्रित) अखिल भारतीय संवर्ग हैं और इनमें राज्यवार रिक्तियां नहीं हैं।

राज्य/संघ शासित प्रदेशों के नाम	रिक्तियां (अराजपत्रित पद)		
	ग्रुप ख (अराजपत्रित)	ग्रुप ग	ग्रुप घ
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	17	1335	219
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	13	0
अरुणाचल प्रदेश	0	51	13
असम	29	287	105
बिहार	27	1179	349
छत्तीसगढ़	11	405	130
दादरा व नगर हवेली	0	2	1
दमन	0	2	1
दिल्ली	41	917	276
दीव	0	1	1
गोवा	0	54	9
गुजरात	67	1532	352
हरियाणा	8	398	85
हिमाचल प्रदेश	9	200	46
जम्मू और कश्मीर	0	167	100
झारखण्ड	4	351	46
कर्नाटक	33	1347	309
केरल	18	1327	247
मध्य प्रदेश	0	53	14
महाराष्ट्र	155	3088	987
मणिपुर	3	14	3
मेघालय	1	190	31
मिजोरम	0	16	19
नागालैंड	0	31	5
उड़ीसा	0	825	149
पंजाब	15	958	161
राजस्थान	38	682	220
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	25	816	337
त्रिपुरा	5	72	16
उत्तर प्रदेश	77	2446	789
उत्तरांचल	8	277	62
पश्चिम बंगाल	9	1641	417
सचिवालय (दिल्ली)	2	51	19

एन.टी.सी. और बी.आई.सी. का विनिवेश

1245. **श्री जय प्रकाश** : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन.टी.सी. और बी.आई.सी. का कोई खरीददार नहीं है, जैसा कि दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 के 'दैनिक जागरण' नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उल्लिखित कंपनियों का विनिवेश न करने का फैसला किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड ने निजीकरण की सम्भाव्यता का पता लगाने के बाद एन टी सी और बी आई सी की रुग्ण सहायक कंपनियों के लिए पुनर्वास योजनाओं को मंजूरी दी है। इस पुनर्वास योजना में अव्यवहार्य मिलों को बन्द करना और व्यवहार्य पाए गए मिलों का पुनरुद्धार करना शामिल है। पुनर्वास योजनाएं इस समय क्रियान्वयनाधीन हैं। सरकार ने इन कंपनियों के लिए पूंजीगत

पुनर्संरचना सहित कई महत्वपूर्ण योगदान किए हैं जिससे कि उनके निवल मूल्य को सकारात्मक बनाया जा सके। तथापि, यदि इस चरण पर भी निजी क्षेत्र में इन कंपनियों में से किसी के लिए भी कोई पुनउर्द्धार की पेशकश की जाती है तो औद्योगिक एवं पुनर्संरचना बोर्ड को आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद इस पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

महिलाओं की जीवन प्रत्याशा

1246. प्रो. ए. के. प्रेमाजम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार महिलाओं की वर्तमान जीवन प्रत्याशा संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा दर एशिया के अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो चीन, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैण्ड और फिलीपीन्स आदि देशों के संदर्भ में इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) योजना आयोग 1996 द्वारा गठित की गई जनसंख्या अनुमान संबंधी तकनीकी समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की वर्ष 2001–06 के लिए राज्यवार जीवन प्रत्याशा–दर विवरण में है।

(ख) और (ग) 'दी स्टेट आफ वर्ल्ड पापूलेशन' 2002 नामक संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि के प्रकाशन के अनुसार महिलाओं की जीवन प्रत्याशा दर को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है।

भारत	64.9
चीन	73.5
मलेशिया	75.5
फिलिपीन्स	72.0
श्रीलंका	75.9
थाईलैण्ड	73.8

(घ) देश में महिला जीवन प्रत्याशा दर बढ़ाने के लिए की जा रही प्रमुख पहलों में आधारभूत स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता, अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपाती प्रसूति परिचर्या, चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं बढ़ाना, गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन, गर्भ की चिकित्सीय समापन सुविधाएं, दाई प्रशिक्षण और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर शामिल हैं।

विवरण

महिलाओं की जीवन प्रत्याशा दर

प्रमुख राज्य/भारत	2001–2006
आंध्र प्रदेश	65.00
असम	60.87
बिहार	64.79
गुजरात	64.10
हरियाणा	69.30
कर्नाटक	66.44
केरल	75.00
मध्य प्रदेश	58.01
महाराष्ट्र	69.76
उड़ीसा	59.71
पंजाब	72.00
राजस्थान	62.80
तमिलनाडु	69.75
उत्तर प्रदेश	64.09
पश्चिम बंगाल	69.34
भारत	66.91

स्रोत : जनसंख्या अनुमान–1996 के तकनीकी दल की रिपोर्ट।

ग्रामीण क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर पार्क

1247. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने हेतु कोई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो जिलावार उन स्थानों का ब्यौरा दें जिसके लिए सरकार ने ऐसे पार्क स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में साइबर ग्रामीण

1248. श्री वाई. वी. राव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हाल ही में पहला साइबर ग्रामीण शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के सभी गांवों में इंटरनेट सेवाएं और कम्प्यूटर लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश स्थित स्वर्ण भारत न्यास ने आन्ध्र प्रदेश के नैल्लौर जिले के वेंकटाचलम ग्राम में 17 जनवरी, 2003 को पहला साइबर ग्रामीण शुरू किया। यह केन्द्र सुदूर–चिकित्सा, सुदूर–शिक्षा, बैंकिंग और बीमा, कृषि व्यापार, अंकीय प्रेक्षागृह और विडियो सम्मेलन की अद्यतन सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करेगा। इस पहल का लक्ष्य स्थानीय उद्यमिता का सृजन, रोजगार सृजन, लघु उद्योगों (एसएसआई) और अच्छी कृषि अर्थव्यवस्था आदि को विकसित करना है। साइबर ग्रामीण स्थापित करने की अनुमानित लागत 330 लाख रुपए है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। किन्तु, विभाग ने सात पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के 487 ब्लॉक मुख्यालयों में से 483 में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किए हैं। यह निकनेट के अतिरिक्त है जो नेटवर्क बैकबोन और देश के सभी जिला केन्द्रों को संचार सम्पर्क उपलब्ध कराता है। सामुदायिक सूचना केन्द्र जनता को सुदूर अधिगम कार्यक्रम, वेब ब्राउजिंग, रोजगार के अवसर, जन स्वास्थ्य जागरूकता, आपदा प्रबंध प्रणाली और सरकार से सम्पर्क बनाने (साधने) की सुविधा देंगे।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मलेशिया से सहायता

1249. श्री परसुराम माझी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया की सहायता से उड़ीसा में कुछ राज्य सड़कें बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सड़कों की अनुमति लागत क्या है;

(घ) इन सड़कों के निर्माण हेतु मलेशिया से वास्तव में कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक शुरू होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ङ) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। मलेशियाई सहायता से उड़ीसा में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यीय सड़कों के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकार जिम्मेदार होती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में स्वचालित दूरभाष केन्द्र

1250. श्री शिवाजी माने : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में स्थापित किए गए स्वचालित और आधुनिक दूरभाष केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान कैलेण्डर वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाले ऐसे प्रस्तावित केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी चालू वित्तीय वर्ष में क्षमता बढ़ाई गई थी; और

(घ) उन दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी दूरभाष कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) :

भारत संचार निगम लि. द्वारा महाराष्ट्र के संबंध में दिया गया उत्तर

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला–वार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) में महाराष्ट्र के स्थान–वार ब्यौरों से संबंधित सूचना बीएसएनएल से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारत संचार निगम लि. में एक्सचेंज स्थापित करने संबंधी योजना वित्तीय वर्ष के अनुसार बनाई जाती है। चालू वित्त वर्ष के दौरन महाराष्ट्र में 160 नए इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन है।

(ग) 31.1.2003 की स्थिति के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान विस्तारित क्षमताओं का जिला–वार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(घ) जिन एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूची का निपटारा कर दिया गया है उन एक्सचेंजों का ब्यौरा विवरण–III में दिया गया है।

महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा महाराष्ट्र (मुम्बई) के संबंध में दिया गया उत्तर

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लि. मुम्बई में स्थापित स्वचालित तथा आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा विवरण–I क में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2003 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लि. मुम्बई में प्रस्तावित आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा विवरण–II क में दिया गया है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2002–2003 से 31.1.2003 तक विस्तारित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा विवरण–III क में दिया गया है।

(घ) मुम्बई में एमटीएनएल नेटवर्क के कार्य–क्षेत्र में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	23	60	14
2.	अकोला	4	10	3
3.	वासिम	5	10	6
4.	अमरावती	11	18	8
5.	औरंगाबाद	20	28	10
6.	बीड़	21	35	12
7.	भांदरा	4	6	2
8.	गोंडिया	6	10	4
9.	बुलधना	9	21	3
10.	चन्द्रपुर	9	10	10
11.	धुले	6	11	4
12.	नन्दुरबार	3	4	1
13.	गढ़चिरौली	6	6	5
14.	जलगांव	16	32	6
15.	जालना	10	14	18
16.	थाणे	14	24	23
17.	कोल्हापुर	12	122	3
18.	लातूर	14	37	17

1	2	3	4	5
19.	नागपुर	7	16	14
20.	नान्देड़	13	25	8
21.	नासिक	13	24	6
22.	उस्मानाबाद	11	11	6
23.	परभनी	5	11	8
24.	हिंगोली	5	9	3
25.	पुणे	44	59	40
26.	रायगढ़	8	20	7
27.	रत्नागिरि	20	33	18
28.	सांगली	34	101	8
29.	सतारा	13	51	16
30.	सिन्धुदुर्ग	13	16	2
31.	सोलापुर	19	66	23
32.	वर्धा	5	10	5
33.	यवतमाल	13	27	11
	जोड़	416	937	324

विवरण-II

2002–2003 के दौरान विस्तारित एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	2002–03 के दौरान विस्तारित एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	158
2.	अकोला	18
3.	वासिम	12
4.	अमरावती	32
5.	औरंगाबाद	47
6.	बीड़	9
7.	भांदरा	7
8.	गोंडिया	16
9.	बुलधना	31
10.	चन्द्रपुर	15
11.	धुले	30
12.	नन्दुरबार	15
13.	गढ़चिरौली	1
14.	जलगांव	78
15.	जालना	21
16.	थाणे	49
17.	कोल्हापुर	85
18.	लातूर	31
19.	नागपुर	65
20.	नान्देड़	31
21.	नासिक	15
22.	उस्मानाबाद	19
23.	परभनी	19
24.	हिंगोली	8
25.	पुणे	70
26.	रायगढ़	25
27.	रत्नागिरि	17
28.	सांगली	72
29.	सतारा	47
30.	सिन्धुदुर्ग	21
31.	सोलापुर	51
32.	वर्धा	9
33.	यवतमाल	28
	जोड़	1152

विवरण-III

उन एक्सचेंजों का ब्यौरा जहां टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची का निपटान कर दिया गया है

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	उन एक्सचेंजों की संख्या जिनमें टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची का निपटान कर दिया गया है
1	2	3
1.	अहमदनगर	4
2.	अकोला	6
3.	अमरावती	27
4.	औरंगाबाद	13
5.	बीड़	3
6.	भंडारा	2
7.	बुलढाना	8
8.	चन्द्रपुर	17
9.	धुले	94
10.	गडचिरौली	14
11.	जलगांव	27
12.	जालना	0
13.	ठाणे	14
14.	कोल्हापुर	36
15.	लातूर	29
16.	नागपुर	15
17.	नान्देड़	22
18.	नासिक	61
19.	उस्मानाबाद	4
20.	परभनी	12
21.	पुणे	126
22.	रायगढ़	10
23.	रत्नागिरि	5
24.	सांगली	85
25.	सतारा	9
26.	सिंधुदुर्ग	0
27.	शोलापुर	7
28.	वर्धा	1
29.	यवतमाल	15
	जोड़	666

विवरण-I क

एमटीएनएल मुम्बई में विगत 3 वर्षों के दौरान चालू किए गए नए एक्सचेंज

क्र.सं. एक्सचेंज	पेयर यूनिट	क्षमता (हजार में) और टाइप से	तक		सकल क्षमता	एस सी आर क्षमता	डब्ल्यू आर क्षमता	डब्ल्यू एन आर क्षमता	निवल क्षमता	चालू करने की तारीख
1 2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1999-2000 के दौरान चालू किए गए एक्सचेंज										
1. खार–2		0.000	4.000	ओसीबी	4000	0	0	0	4000	29.07.99
2. टैगोर नगर आर एस यू	पीडब्ल्यू1	0.000	7.000	ओसीबी	7000	0	0	0	7000	24.08.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	मरोल–1		0.000	2.250 ओसीबी	2250	0	0	0	2250	09.09.99
4.	सीता एस्टेट आर एस यू	एमके3	0.000	5.250 ओसीबी	5500	0	0	0	5500	08.09.99
5.	घाटकोपर–1		0.000	3.000 ई–10बी	3000	0	0	0	3000	15.11.99
6.	प्रभादेवी–2		0.000	28.000 ईडब्ल्यूडी	28000	0	0	0	28000	18.12.99
7.	साकीनाका आरएलयू–2	एमआर1	0.000	1.000 ई–10बी	1000	0	0	0	1000	02.02.00
8.	समता नगर–2		0.000	3.000 ओसीबी	3000	0	0	0	3000	24.03.00
9.	आईआईटी पोवई आरएसयू	पीडब्ल्यू1	0.000	2.000 ओसीबी	2000	0	0	0	2000	28.03.00
10.	कोर डेक्ट (एमआरएल)		0.000	1.000 डब्ल्यूएलएल	1000	0	0	0	1000	30.03.00
11.	आईएल एंड एफएसआरएसयू	बीडी3	0.000	1.000 ओसीबी	1000	0	0	0	1000	31.3.00
2000-2001 के दौरान चालू किए गए एक्सचेंज										
1.	महापे आरएसयू	टीबी2	0.000	2.000 ओसीबी	2000	0	0	0	2000	01.06.00
2.	गोदरेज सोप्स आरएसयू	पीडब्ल्यू1	0.000	1.000 ओसीबी	1000	0	0	0	1000	30.06.00
3.	वॉकहार्ट आरएसयू	बीडी2	0.000	0.500 ओसीबी	500	0	0	0	500	11.07.00
4.	नेरूल–1		0.000	15.000 ओसीबी	15000	0	0	0	15000	29.09.00
5.	मजगांव–2		0.000	6.750 ओसीबी	6750	0	0	0	6750	30.09.00
6.	फाउंटेन–1		0.000	12.000 ईडब्ल्यूएसडी	12000	0	0	0	12000	30.12.00
7.	विप्रोआरएसयू	एमआर1	0.000	1.000 ओसीबी	1000	0	0	0	1000	28.02.01
8.	जोगेश्वरी–1		0.000	6.000 ईडब्ल्यूएसडी	6000	0	0	0	6000	31.03.01
9.	वरसेवा–3		0.000	6000 ईडब्ल्यूएसडी	6000	0	0	0	6000	31.03.01
10.	यूनियन पार्क आरएसयू	एमके3	0.000	ओसीबी	1000	0	0	0	1000	31.03.01
11.	काशी मिरा आरडीएलयू	बीएच1	0.000	5.000 ईडब्ल्यूएसडी	5000	0	0	0	5000	31.03.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	उत्तान आरडीएलयू	बीएच1	0.000	3.000 ईडब्ल्यूएसडी	3000	0	0	0	3000	31.03.01
13.	बीएसई आरएसयू	सीटी1	0.000	3.500 ओसीबी	3500	0	0	0	35000	31.03.01
14.	एमएमआरडीए आरएसयू	बीडी3	0.000	2.750 ओसीबी	2750	0	0	0	2750	31.03.01
2001-2002 के दौरान चालू किए गए एक्सचेंज (मुख्य और दूरवर्ती एक्सचेंज)										
1.	वागले एस्टेट–2		0.000	5.000 ईडब्ल्यूएसडी	5000	0	0	0	5000	29.09.01
2.	पनवेल–2		0.000	2.000 ईडब्ल्यूएसडी	5000	0	0	0	5000	29.09.01
3.	मरोल दरपन–1		0.000	18.000 ईडब्ल्यूएसडी	18000	0	0	0	18000	19.01.02
4.	घाटकोपर–5		0.000	6.000 ईडब्ल्यूएसडी	6000	0	0	0	6000	31.01.02
5.	कूपरेज–2		0.000	6.000 ईडब्ल्यूएसडी	6000	0	0	0	6000	27.03.02
6.	वडाला–1		0.000	4.800 5ईएसएस	4800	0	0	0	4800	28.03.02
7.	वोरली–1		0.000	6.000 ईडब्ल्यूएसडी	6000	0	0	0	6000	30.03.02
8.	बांद्रा–1		0.000	9.000 ईडब्ल्यूएसडी	9000	0	0	0	9000	31.03.02
9.	मुलुंद–1		0.000	5.000 ईडब्ल्यूएसडी	5000	0	0	0	5000	31.03.02
10.	साकी विहार–1		0.000	12.000 5ईएसएस	12000	0	0	0	12000	31.03.02
11.	दाहिसर–1		0.000	24.000 5ईएसएस	24000	0	0	0	24000	31.03.02
12.	मानखुर्द–1		0.000	5.000 ईडब्ल्यूएसडी	5000	0	0	0	5000	31.03.02
13.	एनएसई आरएसयू	बीडी3	0.000	1.000 ओसीबी	1000	0	0	0	1000	25.04.01
14.	टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसयू	सीटी1	0.000	0.750 ओसीबी	750	0	0	0	750	15.05.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेट आर एस यू	बीडी3	0.000	0.500 ओसीबी	500	0	0	0	500	30.06.01
16.	हीरानन्दानी आरडीएलयू	डब्ल्यूई2	0.000	1.800 ईडब्ल्यूएसडी	1800	0	0	0	1800	15.10.01
17.	लोकमान्य नगर आरडीएलयू	डब्ल्यूई2	0.000	7.000 ईडब्ल्यूएसडी	7000	0	0	0	7000	31.10.01
18.	जेएनपी आरडीएलयू	पीवी2	0.000	3.000 ईडब्ल्यूएसडी	3000	0	0	0	3000	31.10.01
19	सहयोग काम्पलेक्स	डब्ल्यूई2	0.000	3.000 ईडब्ल्यूएसडी	3000	0	0	0	3000	22 11.01
20.	इंकम टैक्स आरडीएलयू	वीपी4	0.000	3.584 ईडब्ल्यूएसडी	3584	0	0	0	3584	14.12.01
21.	निरलॉन आरडीएलयू	एमडी1	0.000	12.000 ईडब्ल्यूएसडी	12000	0	0	0	12000	19.01.02
22.	टाटा टेक्नोपॉलिस	एमडी1	0.000	10.000 ईडब्ल्यूएसडी	10000	0	0	0	10000	31.01.02
23.	मागाथाने आरडीएलयू	बीओ1	0.00	12.000 ईडब्ल्यूएसडी	12000	0	0	0	12000	28.02.02
24.	शिम्पोली आरडीएलयू	बीओ2	0.000	10.000 ईडब्ल्यूएसडी	10000	0	0	0	10000	28.02.02
25.	दीप प्लाजा (कुर्ला)	जीएच5	0.000	12.000 ईडब्ल्यूएसडी	12000	0	0	0	12000	28.02.02
26.	बीपीसीएल आरडीएलयू		0.000	0.500 ईडब्ल्यूएसडी	500	0	0	0	500	30.03.02
27.	ग्लोरी हाउस आरडीएलयू	वीआर1	0.000	9.000 ईडब्ल्यूएसडी	9000	0	0	0	9000	31.03.02
2002-2003 के दौरान संस्थापित एक्सचेंज (मुख्य और दूर-दराज के एक्सचेंज)										
1.	आरसीएफ सीएनई	एसआई2	0.000	0.500	500	0	0	0	500	19.04.02
2.	चेम्बूर–2		0.000	1.500 ओसीबी	1500	0	0	0	1500	31.05.02
3.	भान्डुप आरएसयू	एमयू4	0.000	3.000 ओसीबी	3000	0	0	0	3000	31.05.02
4.	बेयर सीएनई	टीसी2	0.000	0.250 ओसीबी	250	0	0	0	250	10.05.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	वकोला–1		0.000	11.500 ईडब्ल्यूएसडी	11500	0	0	0	11500	07.06.02
6.	एचएलएल सीएनई	एमजेड2	0.000	0.256 ओसीबी	256	0	0	0	256	29.06.02
7.	ग्लोबल आरएसयू	टीबी2	0.000	1.000 ओसीबी	1000	0	0	0	1000	31.08.02
8.	प्रोविडेन्ट फंड आरडी	बीडी1	0.000	6.640 ईडब्ल्यूएसडी	6640	0	0	0	6640	21.09.02
9.	कॉम सैट मैक्स आरएसयू	टीबी2	0.000	0.500 ओसीबी	500	0	0	0	500	24.09.02
10.	कॉर डेक्ट मनखुर्द		0.000	1.000 डब्ल्यूएलएल	1000	0	0	0	1000	25.09.02
11.	कॉर डेक्ट बांद्रा		0.000	1.000 डब्ल्यूएलएल	1000	0	0	0	1000	25.09.02
12.	कॉर डेक्ट चेराई		0.000	1.000 डब्ल्यूएलएल	1000	0	0	0	1000	15.08.02
13.	कॉर डेक्ट गोकुलधाम		0.000	1.000 डब्ल्यूएलएल	1000	0	0	0	1000	15.08.02
14.	रीवा खुड आरडीएलयू	डब्ल्यूई2	0.000	0.500 ईडब्ल्यूएसडी	500	0	0	0	500	27.09.02
15.	मजगांव–3		0.000	2.000 ईडब्ल्यूएसडी	2000	0	0	0	2000	30.09.02
16.	एटीसी दर्पण आरडीएलयू	एमडी1	0.000	2.000 ईडब्ल्यूएसडी	2000	0	0	0	2000	10.10.02
17.	साकीनाका आरएसयू	एमआर5	0.000	1.000 ओसीबी	1000	0	0	0	1000	19.10.02
18.	टाटा पावर सीएनई	एमके3	0.000	0.250 सीएनई	250	0	0	0	250	03.01.03
19.	कुम्बला हिल–1		0.000	20.000 ओसीबी	20000	0	0	0	20000	15.01.03

विवरण-II क

वर्ष 2003 के दौरान प्रस्तावित नए टैलीफोन एक्सचेंज

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	टाइप	सकल पूंजी
1	2	3	4
1.	कुम्बाला हिल–1	ओसीबी	20000
2.	चारकोप–1	ओसीबी	15000
	कुल योग		35000

दूरस्थ एक्सचेंज

1.	सांताक्रूज (ई) आरडीएलयू	ईडब्ल्यूएसडी	10000

1	2	3	4
	2. साकी नाका आरएसयू	ओसीबी	4000
	3. चारकोप आरडीएलयू	ईडब्ल्यूएसडी	12000
	4. चूना भट्टी आरडीएलयू	ईडब्ल्यूएसडी	5500
	5. वाशी सेक्टर 19 आरएसयू	ओसीबी	4000
	6. उड़न आरडीएलयू	ईडब्ल्यूएसडी	6000
	7. पारसिक हिल आरएसयू	ओसीबी	2000
	8. भांडुप गांव मार्ग	ईडब्ल्यूएसडी	10000
	9. गेरोडिया नगर ओसीबी	ओसीबी	8000
	10. कोपरी	ओसीबी	4000
	11. टाटा पावर सीएनई	ओसीबी	250
	उप योग		65750
	कुल योग		100750

विवरण-III क

2002–03 के दौरान विस्तरित एक्सचेंज

क्र.सं.	एक्सचेंज	मूल यूनिट	क्षमता (हजार में) से	तक	टाइप	सकल क्षमता	एससी आर क्षमता	डब्ल्यू आर क्षमता	निवल क्षमता	संस्थान की तारीख
			अप्रैल '02							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	घाटकोपर		6.000	7.000	ईडब्ल्यूएसडी	1000	0	0	1000	01.04.02
2.	उड़न सीएनई	टीबी2	1000	1.250	ओसीबी	250	0	0	250	06.04.02
3.	बेलापुर आरएसयू	टीबी2	4.000	4.250	ओसीबी	250	0	0	250	10.04.02
4.	यूनियन पार्क आरएसयू	एमके3	2.000	3.000	ओसीबी	1000	0	0	1000	20.04.02
5.	दिवा रेलवे स्टेशन	टीसी3	0.500	1.500	ओसीबी	1000	0	0	1000	25.04.02
6.	वैगल एस्टेट–2		5.000	6.000	ईडब्ल्यूएसडी	1000	0	0	1000	30.04.02
	कुल					4500	0	0	4500	
			अप्रैल '02							
1.	यूनियन पार्क आरएयू	एमके3	3.000	5.000	ओसीबी	2000	0	0	2000	25.05.02
2.	रबाले आरएसयू + सीएनयू	टीबी2	6.506	7.506	ओसीबी	1000	0	0	1000	27.0502
	कुल					3000	0	0	3000	
			जुलाई '02							
1.	बेलापुर आरएसयू	टीबी2	4.250	5.250	ओसीबी	1000	0	0	1000	06.06.02
2.	रबाले आरएसयू + सीएनई	टीबी2	7.506	8.506	ओसीबी	1000	0	0	1000	14.06.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	नेरूल–1		20.500	21.500	ओसीबी	1000	0	0	1000	27.06.02
4.	निरलौन आरडीएलयू	एमडी1	12.000	13.600	ईडब्ल्यूएसडी	1600	0	0	1600	29.06.02
	कुल					4600	0	0	4600	
	तिमाही–1 संचयी कुल					12100	0	0	12100	
			जुलाई '02							
1.	निरलौन आरडीएलयू	एमडी1	13.600	14.00	ईडब्ल्यूएसडी	400	0	0	400	17.07.02
2.	सांताक्रुज आरएसयू	केएच2	12.800	14.800	ओसीबी	2000	0	0	2000	28.07.02
	कुल					2400	0	0	2400	
			अगस्त '02							
1.	मारोल दर्पण–1		18.000	19 000	ईडब्ल्यूएसडी	1000	0	0	1000	02.08.02
2.	भांडुप आरएसयू	एमयू4	3.000	12.000	ओसीबी	9000	0	0	9000	14.08.02
3.	मारोल दर्पण–1		19.000	20.500	ईडब्ल्यूएसडी	1500	0	0	1500	17.08.02
4.	ग्लोरी हाउस आरडीएलयू	वीआर1	9.000	12.000	ईडब्ल्यूएसडी	3000	0	0	3000	17.08.02
5.	सिओन–2		32.250	34.950	ओसीबी	2700	0	0	2700	26.08.02
6.	मारोल दर्पण–1		20.500	21.000	ईडब्ल्यूएसडी	500	0	0	500	28.08.02
7.	लोकमान्य नगर आरडीएलयू	डब्ल्यूई2	7.000	8.000	ईडब्ल्यूएसडी	1000	0	0	1000	28.08.02
8.	थाणे चेराई–3		12.000	14.000	ओसीबी	2000	0	0	2000	29.08.02
9.	सिटी–1		21.500	39.500	ओसीबी	18000	0	0	18000	30.08.02
	कुल					38700	0	0	38700	
			सितम्बर '02							
1.	रबाले आरएसयू + सिमेन्स सीएनई	टीबी2	8.506	9.506	ओसीबी	1000	0	0	1000	21.09.02
2.	मारोल दर्पण–1		21.000	22.500	ईडब्ल्यूएसडी	1500	0	0	1500	21.09.02
3.	मारोल दर्पण–1		22.500	23.000	ईडब्ल्यूएसडी	500	0	0	500	27.09.02
	कुल					3000	0	0	3000	
	तिमाही–2 संचयी कुल					44100	0	0	44100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			अक्तूबर 2002							
1.	दुरभे–2 + 3 सीएनई		16.250	16.750	ओसीबी	500	0	0	500	14.10.02
2.	मीरारोड आरएसयू	केवी4	15.000	16.500	ओसीबी	1500	0	0	1500	14.10.02
3.	वाशी रेलवे स्टेशन आरएसयू	टीयू2	1.000	1.500	ओसीबी	500	0	0	500	26.10.02
	कुल					2500	0	0	2500	
			नवम्बर 2002							
1.	यूनियन पार्क आरएसयू	एमके3	5.000	12.000	ओसीबी	7000	0	0	7000	19.11.02
2.	पन्वेल–2		2.000	4.000	ईडब्ल्यूएसडी	2000	0	0	2000	26.11.02
3.	नेरूल–1		21.500	22.000	ओसीबी	500	0	0	500	27.11.02
4.	खार–2		8.000	30.000	ओसीबी	22000	0	0	22000	28.11.02
	कुल					31500	0	0	31500	
			दिसम्बर 2002							
1.	साकीनाका आरएसयू	एमआर5	1.000	2.000	ओसीबी	1000	0	0	1000	13.12.02
2.	फाउन्टेन–1		15.500	25.500	ईडब्ल्यूएसडी	10000	0	0	10000	28.12.02
	कुल					11000	0	0	11000	
	तिमाही–3 संचयी कुल					45000	0	0	45000	
			जनवरी 2003							
1.	साकीनाका आएसयू		2.000	3.000	ओसीबी	1000	0	0	1000	18.01.03
2.	सिओन–2		34.950	55.950	ओसीबी	21000	0	0	21000	24.01.03
3.	प्रोविडेन्ट फन्ड आरडीएलयू		6.640	8.000	ईडब्ल्यूएसडी	1360	0	0	1360	25.01.03
4.	साकीनाका आरएयू		3.000	4.000	ओसीबी	1000	0	0	1000	28.01.03
5.	मानखुर्द–1		5.000	22.000	ईडब्ल्यूएसडी	17000	0	0	17000	30.01.03
	कुल					41360	0	0	41360	
	तिमाही–4 संचयी कुल					41360	0	0	41360	
	संचयी कुल					142560	0	0	1ई + 05	

[अनुवाद]

गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, 2003

*1251. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 20 से 25 फरवरी के बीच कुआलालम्पुर में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस शिखर सम्मेलन में किन–किन देशों के भाग लेने की संभावना है; और

(ग) उक्त शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा किए जाने वाले विषयों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, **नहीं**। तेरहवां गुट–निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन और इसकी तैयारी बैठकें 20–25 फरवरी, 2003 तक कुआलालम्पुर में आयोजित की जा रही हैं।

(ख) गुट–निरपेक्ष आंदोलन के तेरहवें शिखर सम्मेलन में इस आंदोलन के 114 सदस्य राज्यों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों, मंत्रियों और अधिकारियों के भाग लेने की आशा है।

(ग) सम्मेलन की विषय वस्तु है "नाम की निरंतरता और पुनर्जीवन"। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक स्थिति और 21वीं सदी में गुट–निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका की समीक्षा की जाएगी।

शिशु मृत्यु दर घटाने संबंधी मिशन

*1252. **श्री अनन्त नायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में शिशु मृत्यु दर घटाने संबंधी मिशन स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हा, तो ऐसे मिशन कब और किन–किन राज्यों में स्थापित किए गए तथा केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार प्रत्येक मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मिशन द्वारा शिशु मृत्यु दर घटाने में क्या उपलब्धि हासिल की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यद्यपि शिशु मृत्यु दर घटाने संबंधी ऐसा कोई मिशन स्थापित नहीं किया गया है, फिर भी सरकार शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह सजग है। सरकार शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए देश भर में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रही है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं–(i) वैक्सीन से रोके जा सकने वाले रोगों अर्थात बाल्यावस्था में होने वाला क्षय रोग, डिप्थीरिया, कुकरखांसी, पोलियोमाइलिटिस, खसरा और टेटनस से रोगप्रतिरक्षण, (ii) तीव्र श्वसनी संक्रमणों और अतिसार के कारण डिहाइड्रेशन से होने वाली मौतों को रोकने के लिए उपचार, (iii) अनिवार्य नवजात परिचर्या, (iv) विशेष रूप से स्तनपान को बढ़ावा देना और उपयुक्त पूरक आहार विधियां, (v) विटामिन 'ए' की कमी तथा आयरन की कमी के कारण होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए कार्यक्रम।

ये कार्यकलाप प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या 137271 उपकेन्द्रों, 22975 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 2935 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 1748 प्रथम रेफरल यूनिटों के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जिला अस्पताल जनरल अस्पताल और शिक्षण अस्पताल हैं, जो माध्यमिक और तृतीयक स्तर की परिचर्या प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आउटरीच को और बेहतर करने के लिए कुछ अन्य स्कीमें भी शुरू की गई हैं : (1) प्रजनन बाल स्वास्थ्य आउटरीच स्कीमों के अंतर्गत प्रजनन बाल स्वास्थ्य शिविर लगाना और (2) गांवों में प्रशिक्षित जन्म परिचर द्वारा सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु वर में काफी कमी आई है। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2000 के अनुसार वर्ष 1991 में शिशु मृत्यु दर प्रत्येक एक हजार जीवित जन्मों पर 80 से कम होकर वर्ष 2000 में 68 हो गई है।

[हिन्दी]

बिहार में डाकघर

1253. **श्री राजो सिंह** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार

के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानवार खोले गए डाकघरों की संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कम्प्यूटरीकृत किए गए डाकघरों की संख्या क्या है;

(ग) इन डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इन डाकघरों में कम्प्यूटरीकरण के बाद कितने कर्मचारी फालतू घोषित किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) बिहार के ग्रामीण इलाकों में पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या निम्नांकित है। उनके स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

वर्ष	खोले गए डाकघरों की संख्या
1999–2000	51
2000–2001	71
2001–2002	38
2002–2003	2

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटरीकृत किए गए डाकघरों तथा चालू वित्तीय वर्ष में डाकघरों के कम्प्यूटरीकृत के लक्ष्य का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	संख्या
1999–2000	23
2000–2001	7
2001–2002	3
2002–2003 (चालू वर्ष)	4
कुल	37

(ग) डाकघरों में विभिन्न परिचालनों के कम्प्यूटरीकृत से सरप्लस हुए कर्मचारियों को अन्य जरूरतमंद क्षेत्रों में पुनर्तैनात किया गया है।

(घ) कम्प्यूटरीकरण के फलस्वरूप सरप्लस हुए कर्मचारियों का डाकघर–वार विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

योजना वर्ष 1999–2000 के दौरान खोले गए डाकघरों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	डिवीजन का नाम	डाकघर का नाम
1	2	3	4
1.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	1. राघी
2.	गोपालगंज	सीवान	2. झिकटी
			3. बरगांव
3.	सीवान	सीवान	4. निओरी
4.	मधुबनी	मधुबनी	5. मछाता
5.	नालंदा	नालंदा	6. अमांजा
			7. गोसांईं मठ
			8. बसमन बिघा
			9. पचलोवा
			10. पचावरा
6.	दरभंगा	दरभंगा	11. सादिकपुर
			12. मतुनिया
			13. महौली
			14. सिहौल
			15. महेश्वर
			16. सरहटिया
			17. बास्कटी
7.	वैशाली	वैशाली	18. सिधोपुरा
			19. भनकौल
			20. बेलकुंडा
			21. हरगहिंदपुर
			22. चकसेड

1	2	3	4
			23. चक सिंगार
			24. शेरपुर छितवाडा
			25. चक जमाल
			26. गौरा उर्फ गोविंदपुर देवी
			27. अंजली
			28. बथाहा महादत
			29. मानीपुर राय
			30. सराय धनेश
			31. करवादुग
			32. सैदपुर दुमरा
			33. चकिया
			34. मिल्की उर्फ चकवे के खिंगेरपुर
			35. जफरपट्टी
8.	पलामू	पलामू	36. जैननगर
9.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	37. बिरही
			38. गिरजा
10.	गिरीडीह	गिरीडीह	39. बेदवारा
11.	खगड़िया	बेगूसराय	40. सिसवा
			41. सहारौन
12.	समस्तीपुर	समस्तीपुर	42. रानीपट्टी
			43. बसुदेव
			44. बुजुर्ग दौर
13.	मधेपुरा	सहरसा	45. शाजकरपुर मधेली
14.	रांची	रांची	46. रुगड़ी
			47. शकुर्द
15.	जमुआ	मुंगेर	48. पाठक चक
16.	भागलपुर	भागलपुर	49. भीमदास टोला
17.	शेखपुरा	मुंगेर	50. शाहरी
18.	हजारीबाग	हजारीबाग	51. बंधारा

योजना वर्ष 2000–2001 के दौरान खोले गए डाकघरों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	डिवीजन का नाम	डाकघर का नाम
1	2	3	4
1.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	1. भौगुवार
			2. आजमगढ़
			3. कक्का
2.	बेगूसराय	बेगूसराय	4. दमदमा
3.	भागलपुर	भागलपुर	5. मोंग चक
			6. कमरी
			7. भीखमपुर
4.	बांका	भागलपुर	8. रायपुर
5.	दरभंगा	दरभंगा	9. साहटोली
			10. तरवारा
			11. सहारी
			12. कमरौली
			13. बेलही
			14. रतनपुरा
			15. सुन्सारी
			16. चैल
			17. अजीमबाद मिसरसुली
			18. महाता

1	2	3	4
			19 बिशनपुर एनडीएसओ
6.	पूर्वी चंपारन	पूर्वी चंपारन	20. नारायणपुर
7.	गया	गया	21. मैल्यू
			22. कलानपुर
8.	गोपालगंज	सीवान	23. जिरवा
			24. बेहरैला
			25 दुर्ग मटिहनिया
9.	जुमई	मुंगेर	26. तेहबा
10.	खगड़िया	बेगूसराय	27. अमनी
			28. पटेल नगर
			29. भर्रा
			30. चक प्रायत
11.	मधुबनी	मधुबनी	31. सिकस्ता
			32. ब्रह्मपुर
12.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	33. पगहिया आसिमा
			34. कुमहा
			35. पकरी बसारत
			36. मेहसी
13.	नालंदा	नालंदा	37. बाजीतपुर खैर
			38. छितैनिया
			39. अक्सरी
			40. सदरपुर
14.	नवादा	नवादा	41. पचारा
15.	पटना	पटना	42. डोम
16.	रोहतास	रोहतास	43. मसुआ

1	2	3	4
			44. पडरिया
17.	सीवान	सीवान	45. भीखमपुर
			46. सुल्तानपुर काला
			47. पकरी
18.	समस्तीपुर	समस्तीपुर	48. कोइलन
			49. अलरिया
19.	शेखपुरा	समस्तीपुर	50. कामता
			51. शेखपुरा
			52. देवला
			53. भदामनी
			54. जूनकीडीह बल्दामी
20.	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	55. गरेहिया
			56. बसतारा
21	वैशाली	वैशाली	57. रमौली उर्फ बिशनपुर
			58. टोकौसी
			59. बिशनपुर राजखान
			60. जुरनवानपुर बरारी
			61. नलतार
			62. बिशनपुर
			63. पंघसमिया
			64. कजरी बुजुर्ग
			65. मैनहा
			66. चसाहा काला
			67. चंद्रालय
			68. बसंतपुर

1	2	3	4
			69. गोविंदपुर गोखुला
			70. दिलुनापुर गाहैहन
			71. शैस्त्रपुर

योजना वर्ष 2001–2002 के दौरान खोले गए डाकघरों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	डिवीजन का नाम	डाकघर का नाम
1	2	3	4
1.	मुंगेर	भागलपुर	सिवान सिसुआ
2.	मुंगेर	मुंगेर	मसौधा
3.	नवादा	गया	छतीहार
4.	वैशाली	वैशाली	शाहपुर
5.	मुंगेर	मुंगेर	चुरू करी ससबामना
6.	नवादा	गया	कोशला
7.	जमुई	मुंगेर	खरहुआ
8.	शेखपुर	मुंगेर	सनैया
9.	भागलपुर	भागलपुर	चन्द्राभानपुर
10.	नालंदा	नालंदा	खद्दी लोदीपुर
11.	नालंदा	नालंदा	सकरौढ़ा
12.	गया	गया	सिथारा
13.	गया	गया	खरासीन
14.	रोहतास	रोहतास	सुकुल पीरा
15.	रोहतास	रोहतास	छोटी चेनरी
16.	जमुई	मुंगेर	पटौआ
17.	रोहतास	रोहतास	निशान नगर बड्डी
18.	गोपालगंज	सीवान	पैकौली बाडो
19.	गोपालगंज	सीवान	अमरपुरा टोला
20.	दरभंगा	दरभंगा	सेनीमार गुपाल
21.	मधुबनी	मधुबनी	नरेन्द्रपुर
22.	पूर्वी चंपारन	मोतीहारी	चन्द्रहिया
23.	पूर्वी चंपारन	मोतीहारी	टोला मौनी
24.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	बेलडाम
25.	दरभंगा	दरभंगा	सोनहौन
26.	सहरसा	सहरसा	रामपुर
27.	कटिहार	पूर्णिया	पानीकमला
28.	सुपौल	सहरसा	गंगापुर
29.	अररिया	पूर्णिया	राजगंज
30.	सुपौल	सहरसा	मोजहनिया
31.	मधुबनी	मधुबनी	गोहल
32.	दरभंगा	दरभंगा	रिचीघाट
33.	दरभंगा	दरभंगा	शिवनगर
34.	अररिया	पूर्णिया	फतेहपुर
35.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	सकारीवारा
36.	गोपालगंज	सीवान	रसूलपुर
37.	सारन	छपरा	फतेहपुर चैन
38.	खगड़िया	बेगूसराय	खरैते

योजना वर्ष 2002–2003 के दौरान खोले गए डाकघरों का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	डिवीजन का नाम	डाकघर का नाम
1.	खगड़िया	बेगूसराय	खरगी तेरासी
2.	बांका	भागलपुर	बनियन कुरा

विवरण-II

पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत डाकघरों एवं कम्प्यूटरीकरण के पूर्व एवं उपरांत कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत डाकघर का नाम	कम्प्यूटरी–करण से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कम्प्यूटरी–करण के बाद कार्यरत/बचे कर्म–चारियों की संख्या	कम्प्यूटरी–करण के बाद सर–प्लस हुए कर्मचारियों की संख्या
1.	दरभंगा प्रधान डाकघर	6	4	2
2.	मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर	20	16	4
3.	मोतिहारी प्रधान डाकघर	6	5	1
4.	छपरा प्रधान डाकघर	3	3	–
5.	सीतामढ़ी प्रधान डाकघर	6	4	2
6.	कटिहार प्रधान डाकघर	7	6	1
7.	बांकीपुरा प्रधान डाकघर	8	6	2
8.	पटना जीपीओ	11	7	4
9.	गया प्रधान डाकघर	15	10	5
10.	सासाराम प्रधान डाकघर	18	17	1
11.	हाजीपुर प्रधान डाकघर	11	10	1
12.	भागलपुर प्रधान डाकघर	7	6	1
13.	मुंगेर प्रधान डाकघर	7	6	1
14.	समस्तीपुर प्रधान डाकघर	5	4	1
15.	गोपालगंज प्रधान डाकघर	10	9	1

[अनुवाद]

दवाइयों पर प्रतिबंध

***1254. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है विदेशों से प्रतिबंधित एस्टेमोजोल और टेरफीनाडाईन दवाइयों का देश में तीन दवा उत्पादक/निर्माता कंपनियों–नामतः पेनेसिया बायोटेक, डा. रेड्डीस लैब और रैनबैक्सी द्वारा उत्पादन एवं विपणन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) इस मामले को इस प्रश्न में उल्लिखित संबंधित निर्माता के साथ उठाया गया था।

मैसर्स पेनेसिया बायोटेक तथा डा. रेड्डीस लैब ने सूचित किया है कि वे देश के भीतर एस्टर्मीजोल दोनों में से किसी भी औषधि का उत्पादन और विपणन नहीं करते हैं। तथापि, डा. रेड्डी लैब केवल निर्यात के लिए एस्टर्मीजोल मिश्रण का उत्पादन कर रही है।

मैसर्स रैनबैक्सी लैब लि. ने सूचित किया है कि वे देश में एस्टर्मीजोल का उत्पादन और विणपन नहीं करते हैं और उन्होंने जनवरी, 2003 से टर्फेनाडाईन का विपणन बन्द कर दिया है।

वल्लारपदम अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल

1255. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वल्लारपदम अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल को सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक आरंभ कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) से (ग) वल्लारपदम, कोचीन में अंतराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आई सी टी टी) का विकास करने का निर्णय लिया गया है। कोचीन पत्तन ने इस परियोजना के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर निविदाएं पहले ही आमंत्रित कर ली हैं। 2118 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश वाली इस परियोजना के प्रथम चरण में 1.5 मिलियन बीस फुट समकक्ष इकाई (टी ई यू) की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता का सृजन किए जाने की संभावना

है जोकि अंततः वर्ष 2025 तक 3.3 मिलियन टी ई यू हो जाएगी।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में विकास कार्य

1256. **श्री पी. आर. खूंटे** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में वर्ष 2000 से 2002 के दौरान डाक एवं तार कार्यालयों में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) वर्ष 2000 से 2002 के दौरान छत्तीसगढ़ में डाक एवं तार कार्यालयों में शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2000 से 2002 के दौरान छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा

विकास कार्य का विवरण	वर्ष 2000–2001	वर्ष 2001–2002
1	2	3
खोले गए नए डाकघर	8	13
खोले गए नए पंचायत संचार सेवा केन्द्र	56	42
लगाए गए नए लैटर बॉक्स	68	936
नए निर्मित भवन	1. कोरबा एच.पी.ओ. 2. राजनंदगांव एच.पी.ओ.	1. डाक भंडारण डिपो, रायपुर 2. राजनंदगांव एच.पी.ओ. का विस्तार
प्रदत्त नई स्पीडपोस्ट नेट सेवा	–	1
आधुनिकीकृत डाकघर	2	14
कम्प्यूटरीकृत डाकघर	17	26
तार घरों में विकास	शून्य	शून्य

विवरण-II

चालू वित्त वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में किए गए विकास कार्यों का विवरण

विकास कार्य का विवरण	चालू वित्त वर्ष (2002–2003)
खोले गए नए डाकघर	8
खोले गए नए पंचायत संचार सेवा केन्द्र	54
लगाए गए नए लैटर बॉक्स	869
नव निर्मित भवन	–
आधुनिकीकृत डाकघर	प्रस्तावित 30*
कम्प्यूटरीकृत डाकघर	प्रस्तावित 3*
मुख्य डाकघर में बदले गए उप डाकघर**	5
तारघरों में विकास	शून्य

*आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने और धन की उपलब्धता पर निर्भर।

**यह योजना 01–4–2002 से शुरू हुई।

[अनुवाद]

आरक्षित रिक्त पद

1257. **डा. जसवंतसिंह यादव** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके मंत्रालय में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन आरक्षित श्रेणियों में कितनी रिक्तियां रिक्त पड़ी हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अभिघात केन्द्रों की स्थापना

1258. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार से अभिघात केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सहायता प्राप्त करने वाले अस्पतालों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार इस सुविधा का विस्तार सम्पूर्ण देश में करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्त वर्ष 2003-04 के लिए इस उद्देश्य हेतु कितनी निधि निर्धारित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित नगरों/शहरों के राज्य अस्पतालों की आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत 'क्षमता निर्माण हेतु सहायता' स्कीम के तहत राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान 'क्षमता निर्माण हेतु सहायता' स्कीम के लिए 20.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

असम

1. वर्ष 2002-03 के दौरान नलबाड़ी जिला अस्पताल में आपाती एवं अभिघात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

अरुणाचल प्रदेश

1. वर्ष 2000-01 के दौरान पासी घाट जनरल अस्पताल अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटना और आपाती परिचर्या सेवा की स्थापना के लिए 59.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2001-02 के दौरान अस्पताल, नहारलागुन में आपाती सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 116.97 लाख रुपए।

बिहार

1. वर्ष 1999-2000 के दौरान पटना मेडिकल कालेज अस्पताल के इंदिरा गांधी केन्द्रीय आपाती एकक को आधुनिक एवं अद्यतन बनाने के लिए 53.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2000-01 के दौरान आघात केन्द्र की स्थापना के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को 150.00 लाख रुपए।
3. वर्ष 2000-01 के दौरान पटना के राजमार्ग आघात केन्द्र के मॉडल बिक्रम रेफरल केन्द्र में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।
4. वर्ष 2001-02 के दौरान मधुबनी जिले के औंसी में आघाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 62.71 लाख रुपए।

छत्तीसगढ़

1. वर्ष 2002-03 के दौरान पंडित जे.एन.एम मेडिकल कालेज, रायपुर में अभिघात यूनिट के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 109.00 लाख रुपए

गुजरात

1. वर्ष 2001-02 के दौरान जनरल अस्पताल, नांडियाड, जिला-खेड़ा में आपाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2002-03 के दौरान सिविल अस्पताल, मडगांव में आघात और दुर्घटना और आपाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

गोवा

1. वर्ष 2002-03 के दौरान होसपिसियो अस्पताल, मडगांव में आघात और दुर्घटना यूनिट के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 142.00 लाख रुपए।

हरियाणा

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान जनरल अस्पताल, करनाल में आघात केन्द्र की स्थापना हेतु 150.00 लाख रुपए।

हिमाचल प्रदेश

1. वर्ष 2002–03 के दौरान इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, शिमला और जोनल अस्पताल में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 147.00 लाख रुपए।

जम्मू एवं कश्मीर

1. वर्ष 2001–02 के दौरान श्रीनगर–लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, मारगुण्ड, कंगन पर आपाती/आघाती सेवाओं के विकास के लिए 150.00 लाख रुपए।

केरल

1. वर्ष 2001–02 के दौरान जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2002–03 के दौरान मेडिकल कालेज, कोझीकोड में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 142.00 लाख रुपए।

कर्नाटक

1. वर्ष 2002–03 के दौरान संजय गांधी दुर्घटना अस्पताल एवं अनुसंधान, बंगलौर में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 136.50 लाख रुपए।

मध्य प्रदेश

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान महाराजा यशवन्त राव अस्पताल, इन्दौर में आघात केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 97.00 लाख रुपए।

मिजोरम

1. वर्ष 2001–02 के दौरान सिविल अस्पताल, लुंगलाई में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 58.30 लाख रुपए।
2. वर्ष 2001–02 के दौरान सिविल अस्पताल, आइजोल में दुर्घटना एवं आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 74.30 लाख रुपए।

मणिपुर

1. वर्ष 2002–03 के दौरान जे.एन.अस्पताल, इम्फाल की आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 149.92 लाख रुपए।

नागालैण्ड

1. वर्ष 2002–03 के दौरान गवर्नमेंट अस्पताल, मेदजीफेमा में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 144.00 लाख रुपए।

पांडिचेरी

1. वर्ष 2000–01 के दौरान जनरल अस्पताल, माहे में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 78.00 लाख रुपए।

सिक्किम

1. एस.टी.एन.एम. अस्पताल, गंगटोक में आपातकालीन परिचर्या के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2000–01 के दौरान 70.00 लाख रुपए।

त्रिपुरा

1. वर्ष 2000–01 के दौरान त्रिपुरा सुन्दरी अस्पताल (दक्षिण जिला), उदयपुर में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 70.00 लाख रुपए।

तमिलनाडु

1. वर्ष 2001–02 के जिला मुख्यालय अस्पताल, पेरमबलुर में दुर्घटना एवं आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 105.00 लाख रुपए।

उत्तर प्रदेश

1. वर्ष 2002–03 के दौरान किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में आघात केन्द्र स्थापति करने के लिए 150. 00 लाख रुपए।

उत्तरांचल

1. वर्ष 2002–03 के दौरान इन अस्पताल, देहरादून की आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

2. वर्ष 2002–03 के दौरान गोवर्धन तिवारी बोस अस्पताल, अलमोड़ा की आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

भारत-चीन संयुक्त कार्य दल

1259. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत–चीन संयुक्त कार्य दल की हुई अनेक बैठकों का क्या परिणाम निकला है;

(ख) क्या सरकार चीन के शासन में परिवर्तन तथा भारतीय प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के मद्देनजर भारत–चीन सीमा विवाद को सुलझाने के प्रति आशावान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारत–चीन संयुक्त कार्यदल की सीमा के प्रश्न पर चौदह बैठकें हो चुकी हैं। भारत–चीन संयुक्त कार्यदल की चौदहवीं बैठक 21 नवम्बर, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित हुई।

भारत और चीन शांतिपूर्ण परामर्शों के माध्यम से सीमा के प्रश्न के निष्पक्ष उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के इच्छुक हैं। हमने 1993 में भारत–चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शाति बनाए रखने पर एक समझौते और 1996 में भारत–चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्मित करने संबंधी उपायों पर दूसरे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दो समझौते सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए संस्थागत स्वरूप प्रदान करते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्पष्टीकरण प्रक्रिया मौजूदा प्रणाली के भीतर आरंभ हो गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा में मध्य क्षेत्र के मानचित्रों का आदन–प्रदान हो चुका है। भारत–चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण पर चर्चा आरम्भ हो गई है।

संयुक्त कार्यदल की चौदहवीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की जारी प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने विश्वास को और सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि विशेषज्ञ दल की बैठक अगली बैठक बीजिंग में आयोजित की जाएगी।

दोनों पक्ष दो विदेश कार्यालयों में नीति नियोजन पर नई वार्ता पद्धति के गठन हेतु सहमत हुए। दोनों पक्ष अन्य बातों के साथ–साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों, सांस्कृतिक और जनता से संपर्क में पर्याप्त संवर्द्धन की आवश्यकता पर सहमत हुए। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। चीनी पक्ष ने कहा कि चीन–भारत के साथ अपने सबंधों को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखता है, केवल दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं।

भारत में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास की स्थापना

1260. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने बंगलौर तथा अहमदाबाद में वाणिज्य दूतावास खोले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि

1261. श्री अम्बरीश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय स्थिरीकरण निधि स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस निधि को समुचित महत्व प्रदान करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इसमें भागीदारी प्रस्तावित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की 22 जुलाई, 2000 को आयोजित पहली बैठक मे राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष गठित करने का निर्णय लिया गया। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 13 फरवरी, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या

स्थिरीकरण कोष को ''जनसंख्या स्थिरीकरण कोष'' शीर्षक के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करने और इस कोष के प्रबंधन के लिए सामान्य निकाय और शासी निकाय गठित करने का अनुमोदन किया है। यह कोष परिवार कल्याण विभाग में होगा। इस कोष का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधी कार्यकलापों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के नए राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों, कारपोरेट क्षेत्र, उद्योग, व्यापार संगठनों और व्यक्तियों आदि से संसाधन जुटाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।

(ग) से (ङ) मुख्य मंत्रियों की भागीदारी को इस कोष में शामिल करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है क्योंकि सभी मुख्यमंत्री पहले से ही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के सदस्य हैं।

'साल्ट पैन लैंड' पर मलिन बस्तियों का पुनर्वास

1262. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पत्तन न्यास सरकार के 'साल्ट पैन लैंड' पर मलिन बस्तियों पुनर्वास के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर शहरी विकास मंत्रालय के साथ चर्चा की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) से (घ) शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक मंत्रीदल, जिसमें तत्कालीन पोत परिवहन मंत्री और राज्य सरकार के अन्य मंत्री भी शामिल थे, ने तत्काल उपलब्ध साल्ट पैन लैंड के विकास की संभावना की जांच करने के लिए मुबई में कुछ साल्ट पैन लैंड की हाल में यात्रा की जिससे केन्द्र सरकार की एजेंसियों जैसे कि रेलवे, विमानपत्तन, मुंबई पत्तन न्यास आदि की भूमि पर मलिन बस्तियों के पुनर्वास में मदद मिलेगी। शहरी विकास विभाग, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा इस भूमि का विकास करने के लिए विस्तृत रूपरेखा इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए मंत्रीदल के विचारार्थ तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

आदिवासी लोगों के लिए ग्रामसैट योजना

1263. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामसैट योजना पर विशेषतः आदिवासी जिलों में व्यय की गई राशि का वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत प्रसारित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इन कार्यक्रमों में आदिवासी जनता को भी शामिल करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामसैट योजना पर आदिवासी जिलो में व्यय की गई राशि का वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में सलंग्न है।

(ख) ये कार्यक्रम फील्ड में पंचायती राज में अन्योन्यक्रिया प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, संयुक्त वन प्रबंध, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण, ग्रामीण विकास इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करने हेतु केन्द्रित हैं। प्रसारण कार्यक्रम साक्षरता, स्वास्थ्य, कृषि और विविध सामाजिक मान्यताओं/प्रथाओं पर तैयार किए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ये कार्यक्रम आदिवासियों की सीधी भागीदारी से स्थानीय भाषा में फील्ड में तैयार किए जाते हैं, ताकि स्थानीय संस्कृति को पर्याप्त रूप में प्रदर्शित किया जा सके।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

आदिवासी जिलों में ग्रामसैट कार्यक्रम पर पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि का वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

(लाख रुपए में)

राज्य	1999–2000	2000–2001	2001–2002
मध्य प्रदेश	471.19	160.00	80.00
उत्तर पूर्व	–	–	70.00
उड़ीसा	–	750.00	–
सामान्य अवरसंचना*	49.54	213.00	160.00

*नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण, जिसका प्रयोक्ताओं द्वारा सभी राज्यों में उपयोग किया जाता है।

मारुति उद्योग लिमिटेड का निजीकरण

1264. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का अपने संयुक्त उद्यम मारुति उद्योग लिमिटेड के निजीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कंपनी का उत्पादन निजीकरण के कारण प्रभावित होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) सरकार ने सभी गैर–महत्वपूर्ण उद्यमों से बाहर निकलने की अपनी नीति के अनुक्रम में, मारुति उद्योग लिमिटेड (एम यू एल) से निकलने का निर्णय लिया है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन (एस एम सी), मारुति उद्योग लिमिटेड और सरकार के बीच संपन्न संशोधित संयुक्त उद्यम करार में एम यू एल में सरकारी शेयरधारिता का विनिवेश दो चरणों में करने की व्यवस्था है। पहले चरण में, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पक्ष में, सरकार द्वारा किए गए राइट्स शेयरों के परित्याग सहित कुल राइट्स इश्यू को मंजूरी देते हुए एम एम सी के साथ 400 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू को पूरा कर लिया गया है। एस एम सी ने प्रबंधन नियंत्रण को अपने हाथ में लेने के लिए सरकार को नियंत्रण प्रीमियम के रूप में 1000 रुपए की धनराशि का भी भुगतान किया है। दूसरे चरण में संशोधित संयुक्त उद्यम करार के उपबन्धों के अनुसार, सरकार के शेष शेयर सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से दो खेपों में बेचे जाने हैं।

(ग) और (घ) सरकार, कंपनी उत्पादन पर निजीकरण की मौजूदा प्रक्रिया का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देखती है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

1265. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे, रक्षा उत्पाद, पेट्रोलियम, विद्युत, उर्वरक, सिंचाई और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को महत्वपूर्ण तथा गैर–महत्वपूर्ण निश्चित करने के मानदण्ड क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र न मानने के कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सरकार ने 16 मार्च, 1999 को यह निर्णय लिया कि निम्नलिखित उद्योगों को "महत्वपूर्ण" उद्योगो के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा

(i) हथियार और गोला–बारूद और रक्षा उपस्करों की संबद्ध मदों, प्रतिरक्षा वायुयान तथा युद्धपोत;

(ii) परमाणु ऊर्जा (नाभिकीय विद्युत के उत्पादन से संबंधित क्षेत्रों और कृषि, औषधियों और गैर–महत्वपूर्ण उद्योगों में विकिरण और आइसोटोप के अनुप्रयोग को छोड़कर);

(iii) रेल यातायात।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि भारतीय तेल निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम और गेल को तेल क्षेत्र में ध्वजपोत कंपनियां समझा जाए, जिनमें सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से नीचे कम नहीं की जाएगी। अन्य सभी अन्य गैर–महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विनिवेशित किए जा सकते हैं।

(ख) नियंत्रित मूल्य तंत्र को विखण्डित कर देने के बाद, सरकार की भूमिका मुख्य रूप से एक विनियामक की

होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन विजन 2025, भी नीति को बल प्रदान करने के रूप में खुदरा बाजार में निजी क्षेत्र की भागीदारी की स्पष्ट रूप से पहचान करती है। सरकार ने, अन्वेषण और उत्पादन, तेल शोधन और पाइप लाइनों और खुदरा कारोबार को पहले ही अविनियमित कर दिया है। अन्वेषण और उत्पादन तेल शोधन और पाइप लाइनों में निजी क्षेत्र की अब व्यापक भागीदारी है। इस प्रकार बढ़ी हुई प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम क्षेत्र और उपभोक्ताओं के लाभान्वित होने की संभावना है।

[हिन्दी]

आतंकवाद के संबंध में भारत-तजाकिस्तान का संयुक्त कार्य बल

1266. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और तजाकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य बल के गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) विदेश मंत्री श्री यशवंत सिन्हा की तजाकिस्तान यात्रा के दौरान भारत गणराज्य और तजाकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच 30.1.2003 को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्यकारी दल गठित करने से संबद्ध एक करार संपन्न किया गया है।

(ख) संयुक्त कार्यकारी दल की आवधिक बैठकें होंगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयातित कन्टेनरों का गायब हो जाना

1267. डा. चरणदास महंत : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से हानिकारक पदार्थों से भरे आयातित कंटेनरों के गायब हो जाने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को दी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन कर आयात किए गए विषाक्त तेलों, 111 बैटरियों के स्क्रैप और हानिकारक पदार्थों से भरे 133 कंटेनर भारत के पत्तनों से गायब पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय ने श्री ए. सी. वधावन, पूर्व अध्यक्ष, हिन्दुस्तान जिंक लि. की अध्यक्षता में एक जांच समिति स्थापित की थी। समिति ने जुलाई, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1995 की रिट याचिका सं. 657 माननीय उच्चतम न्यायालय में अभी लम्बित है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ खतरनाक पदार्थों से भरे आयातित कंटेनरों के गायब हो जाने के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं :

(i) जांच समिति ने पाया कि मुंबई पत्तन न्यास और आई सी डी, बंगलौर को छोड़ कर विभिन्न पत्तनों/आई सी डी/सी एफ एस में पड़े भंडार के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए हैं। प्रो. एम. जी. के. मेनन की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) की रिपोर्ट में पहले सूचित किए गए आंकड़ों में संशोधन करने के ये कारण बताए गए हैं : आई सी डी, तुगलकाबाद और कांडला पत्तन न्यास (जहां अब कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है) में मैनुअल रखरखाव के कारण पुराने रिकार्डों की अनुपलब्धता, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, न्हावा शेवा में कंटेनरों की संख्या के परिकलन में त्रुटि और संबंधित पत्तनों/आई सी डी/सी एफ एस मे प्रारंभ में इस बात की अनभिज्ञता की वस्तुतः खतरनाक अपशिष्ट क्या हैं जैसाकि कोलकाता पत्तन न्यास के मामले में स्पष्ट किया गया है।

(ii) कांडला पत्तन न्यास ने संशोधित आंकड़े यह स्पष्टीकरण देते हुए प्रस्तुत किए कि पूर्ववर्ती आंकड़े सीमाशुल्क आयुक्त, कांडला जो कि कार्गो को खतरनाक अपशिष्ट अथवा उससे भिन्न अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं,

की पुष्टि के बिना नौवहन एजेंटों द्वारा आयात सामान्य माल सूची (आई जी एम) में उल्लिखित किए गए कार्गो के सामान्य विवरण पर आधारित थे।

(iii) पत्तनों/आई सी डी/सी एफ एस पर संबंधित प्राधिकारी विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) द्वारा तय की गई निर्यात–आयात (एग्जिम) नीति के आधार पर जिंक ऐश/स्किमिंग, सीसे के स्क्रैप, अपशिष्ट तेल आदि के आयतित परेषणों की निकासी करते रहे। चेन्नै और कांडला पत्तन न्यासों ने भी संबंधित पत्तनों में भीड़–भाड़ समाप्त करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (राजस्व विभाग) द्वारा दिनांक 17.10.1997 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट तेल की निकासी की सूचना दी।

(iv) कंटेनर मालभाड़ा केन्द्र, लुधियाना के प्राधिकारियों ने व्यक्तिगत आयातकों द्वारा दायरा की गई रिट याचिकाओं के तहत हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अपशिष्ट तेल (41,425 एम टी अपशिष्ट तेल के 2,334 कंटेनर और अपशिष्ट तेल के 16,748 ड्रम) के विशाल परेषणों की निकासी की सूचना दी।

(v) कांडला पत्तन न्यास प्राधिकारियों ने एग्जिम नीति के तहत किसी प्रकार के प्रतिबंध के बिना आयात किए जाने के लिए मुक्त आई एस आर आई–ग्रेड अपशिष्ट सामग्री जैसे कि जिंक स्क्रैप (6902.929 एम टी), सीसे का स्क्रैप (45961.195 एम टी) की निकासी की सूचना दी।

(ग) और (ध) जहां तक अपशिष्ट तेल के 133 कंटेनरों के अवैध आयात का संबंध है, इन्हें न्हावा शेवा पत्तन, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में जब्त कर लिया गया। सीमाशुल्क विभाग और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जब्त किए गए कंटेनरों के आयातकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

भूकंपों की भविष्यवाणी

1268. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल के तिरूवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र के एक वैज्ञानिक ने भूकंप आने से अनेक दिन पहले उसकी भविष्यवाणी करने का तरीका विकसित करने का दावा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आविष्कार के बारे में तथ्यों का पता लगाया है;

(ग) क्या देश के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इसका प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में अन्य ब्यौरे क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परीक्षण पर प्रतिबंध

1269. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ अमरीकी और डी.बी.टी. प्रयोगशालाओं ने 1987 में एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत निजी अमरीकी प्रयोगशालाओं को भारत में उन उत्पादों के परीक्षण की अनुमति दी गई थी जिनके परीक्षण पर अमरीका में प्रतिबंध था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समझौते की समीक्षा की है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक समीक्षा किए जाने की संभावना है; और

(घ) भारत में किए गए उन परीक्षणों का ब्यौरा क्या है जिनमें अमरीका में परीक्षण पर प्रतिबंध लगा हुआ है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एफ.सी.टी.एल. के शेयर की बिक्री

1270. श्री के. मुरलीधरन : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल स्थित फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के शेयर के 51 प्रतिशत हिस्से के विनिवेश के संबंध में नए सिरे से रुचि दिखाने वाली निविदा आमंत्रित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके वित्तीय पुनर्गठन पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) में 51 प्रतिशत सरकारी इक्विटी की अनुकूल बिक्री के लिए रुचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करने वाला विज्ञापन, इसकी अन्तिम तारीख 04.12.2002 होने के साथ आरम्भ में 6/8.11.2002 को जारी किया गया था। बाद में, सरकार द्वारा नाइट्रोजन, फॉस्फेट और मिश्रित उवर्रक उद्योग के लिए प्रासंगिक कई नीतिगत पहलकदमियां किए जाने के परिणामस्वरूप फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के सम्भावित कारोबार और संचालनात्मक वातावरण में वस्तुगत परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए फैक्ट में विनिवेश के लिए नए सिरे से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करते हुए फिर से विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया था। रुचि की अभिव्यक्तियां प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 26.02.2003 तय करने के साथ विज्ञापन 4–6–2.2002 को जारी किया गया था। दोनों ही विज्ञापन इक्नोमिक टाइम्स, द बिज़नेस स्टैण्डर्ड, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, द हिन्दु, मलयाला मनोरमा और फाइनेंशियल टाइम्स (विश्व भर में) सभी संस्करणों में प्रकाशित किए गए थे।

(ग) और (घ) फैक्ट की ओर से सहायता का प्रस्ताव, सरकार द्वारा मार्च, 2002 में अनुमोदित किया गया था और इसे कंपनी द्वारा क्रियान्वित किया गया था। दी गई राहत में निम्नलिखित शामिल है :

(i) उद्योग मंडल में अपनी नई अमोनिया परियोजना के लिए फैक्ट द्वारा भारत सरकार से लिए गए ऋण पर 1998–99 से 2001–2002 तक की अवधि के लिए 226.88 करोड़ रुपए की धनराशि के बकाया ब्याज को छोड़ देना।

(ii) भारत सरकार से लिए गए 378.20 करोड़ रुपए की धनराशि के शेष ऋण 31.03.2002 तक फैक्ट द्वारा मूलधन की पुनर्अदायगी पर ऋण स्थगन।

(iii) 31.03.2002 तक ओ ई सी एफ ऋण के मूलधन और ब्याज की पिदली पुनर्अदायगी न कर पाने के कारण फैक्ट पर लगाए गए दण्डात्मक ब्याज की वसूली न करना।

[हिन्दी]

बिजनौर-नजीबाबाद-कोटद्वार-पौड़ी राजमार्ग

1271. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ से बिजनौर–नजीबाबाद–कोटद्वार–पौड़ी राजमार्ग को चौड़ा करने और पक्का करने का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को यह कार्य पूरा हुआ;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त राजमार्ग को चार लेन वाले राजमार्ग में बदलने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) मेरठ–बिजनौर–नजीबाबाद–कोटद्वार–पौड़ी सड़क एक राज्यीय राजमार्ग है। राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक की ऋण सहायता से मेरठ से नजीबाबाद खंड को चौड़ा करने और उसके सुधार का कार्य शुरू किया गया था। अप्रैल, 2002 में इस परियोजना के लिए ठेका सौंप दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद–कोटद्वार और उत्तरांचल मे कोटद्वार–पौडी खंड के सुधार के लिए केन्द्रीय सड़क निधि की अंतर्राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत क्रमशः जुलाई, 2002 और फरवरी, 2002 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इन खंडों में कार्य प्रगति पर है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हज यात्री

1272. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्री रेणूका चौधरी :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षो की तुलना में वर्ष 2003 के दौरान मक्का गए हज यात्रियों की संख्या कितनी है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) निजी टूर आपरेटरों के माध्यम से यात्रियों के संबंध में राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है। हालांकि हज समिति मुंबई के माध्यम से गए यात्रियों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

2003	–	116,078
2002	–	118,759
2001	–	118,512

(ख) निजी टूर आपरेटरों के माध्यम से यात्रियों के संबंध में राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है। हालांकि हज समिति मुंबई के माध्यम से गए यात्रियों का राज्यवार ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	2001 गए यात्रियों की संख्या	2002 गए यात्रियों की संख्या	2003 गए यात्रियों की संख्या
1	2	3	4
दमन द्वीव	23	30	27
दादरा और नगर हवेली	15	18	5
गोवा	28	26	19
गुजरात	7082	5993	4351
मध्य प्रदेश	3406	3282	2895
छत्तीसगढ़		210	287
महाराष्ट्र	10682	10583	8900
चंडीगढ़	4	10	22
दिल्ली	2649	2456	2435
हरियाणा	720	577	480
हिमाचल प्रदेश	39	25	44
जम्मू एवं कश्मीर	5746	6383	7701
पंजाब	144	180	225
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	12085	11749	12367
राजस्थान	4297	4202	3585
आन्ध्र प्रदेश	3711	4634	4841
कर्नाटक	4848	3900	3608
अंडमान निकोबार	13	31	22
लक्षद्वीप	216	156	156
पांडिचेरी	72	63	43
केरल	6221	6780	7813
तमिलनाडु	2858	2682	2743
असम	1067	1106	1102
बिहार	1771	1308	1508
झारखण्ड		692	811
मणिपुर	198	173	132
उड़ीसा	214	270	236
त्रिपुरा	9	47	16
पश्चिम बंगाल	2056	2278	1972
सरकारी कोटा/एच.सी	959	432	1449
कुल	71133	70276	69795

[हिन्दी]

कल्पना चावला के अवशेषों को देश में लाना

1273. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कोलम्बिया अंतरिक्ष शटल दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त कल्पना चावला के अवशेष भारत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यह एक व्यक्तिगत मामला है, जिस पर कल्पना चावला परिवार के निकट सदस्यों द्वारा निर्णय किया जाना है।

एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण में अनियमितताएं

1274. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ोदरा–अहमदाबाद राजमार्ग पर एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण में अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इसमें शामिल लोगों को दंडित करने हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) किस तिथि को उक्त कार्रवाई प्रारंभ की गई तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं। बड़ोदरा–अहमदाबाद राजमार्ग के निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच की गई थी और यह पाया गया कि शिकायत में उठाए गए मामलों में कोई तथ्य नहीं था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इस मामले को अब बंद कर दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर्नाटक में टेलीफोन एक्सचेंज

1275. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के रायचूर जिले में वर्तमान में कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य रहे हैं;

(ख) वर्तमान में कितने टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) क्या प्रतीक्षा सूची के निपटान हेतु और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने अथवा वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापित क्षमताओं में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) कर्नाटक के रायचूर जिले में इस समय कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 65 है और इस समय टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियो की संख्या 2538 है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने और मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की संस्थापित क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रायचूर जिले के लिए वर्तमान संस्थापित क्षमता और नियोजित वायरलेस इन–लोकल–लूप (डब्ल्यूएलएल) उपस्कर की 6750 लाइनें 2003–2004 के दौरान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर रूप से निपटाने के लिए पर्याप्त होंगी, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार

1276. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम व पद क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संगठन में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को क्या सफलता मिली है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान, दिल्ली में 29 व्यक्ति और एमटीएनएल, मुम्बई में 51 व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) उपरोक्त उपायों के फलस्वरूप भाग (क) व (ख) में बताए गए मामलों को पकड़ने और अपराधी घोषित करने में मदद मिली है। निवारक एवं दण्डात्मक उपायों से स्थिति में सुधार हुआ है।

विवरण-I

एमटीएनएल, दिल्ली में भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों का ब्यौरा

वर्ष 2001 में पता लगाए गए मामले

क्र.सं.	अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम	पदनाम	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	श्री डी.सी. मिश्रा	जेटीओ	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पकड़ा गया मामला न्यायालय में लम्बित है।
2.	श्री पूरन सिंह	आर/एम	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पकड़ा गया मामला न्यायालय में लम्बित है।
3.	श्री ओम नारायण	सी/एस	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पकड़ा गया मामला न्यायालय में लम्बित है।
4.	श्री वाई.डी. शर्मा	व.टीओए (जी)	धोखेबाजी संबंधी मामला न्यायालय में लम्बित है।
5.	श्री एस.एस. यादव	टीओ	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला न्यायालय में लम्बित है।
6.	श्री नरेन्द्र कुमार	महाप्रबंधक	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के केस के आधार पर निलम्बित।
7.	श्री शाहबाज अली	उप महाप्रबंधक	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के केस के आधार पर निलम्बित।
8.	श्री विनीत सक्सेना	उप महाप्रबंधक	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के केस के आधार पर निलम्बित।
9.	श्री एम. राव	उप महाप्रबंधक	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के केस के आधार पर निलम्बित।
10.	श्री सुरूप सिंह	एसएस (ओ)	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के केस के आधार पर निलम्बित।
11.	श्री आर.के. गुप्ता	एसडीई	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के केस के आधार पर निलम्बित।
12.	श्री राम किशन	एसडीई	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला न्यायालय में लम्बित है।
13.	श्री राजेश प्रधान	उप महाप्रबंधक	प्रशासनिक चेतावनी दी गई है।
14.	श्री एन.के. वर्मा	सहायक महाप्रबंधक	लिखित चेतावनी दी गई है।
15.	श्री अनार सिंह	टीटीए	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला न्यायालय में लम्बित है।

1	2	3	4
16.	श्री आर.बी. सिंह	टीओ	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला न्यायालय में लम्बित है।
17.	श्री एस.के. शर्मा	तकनीशियन	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला न्यायालय में लम्बित है।
18.	श्री एस. हसन	एसडीई	लिखित चेतावनी दी गई है।
19.	श्री वी.एन. शर्मा	एल/एम	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला न्यायालय में लम्बित है।
वर्ष 2002 में पता लगाए गए मामले			
1.	श्री इकबाल सिंह	एल/एम	दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ा गया मामला न्यायालय में लम्बित है।
2.	श्री मेघ सिंह	जेटीओ	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पकड़ा गया मामला न्यायालय में लम्बित है।
3.	श्री ए.के. रोहिला	टीटीए	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पकड़ा गया मामला न्यायालय में लम्बित है।
4.	श्री एस.पी. साहू	जेटीओ	लघु शास्ति लगाई गई है।
5.	श्री एच.एस. हैदर	सहा.अभि.(सिविल)	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला न्यायालय में लम्बित है।
6.	श्री नरेश पाल	एएसडब्ल्यू(सी)	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला न्यायालय में लम्बित है।
7.	श्री महाबीर प्रसाद शर्मा	एसएस	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला न्यायालय में लम्बित है।
8.	श्री कमला प्रसाद	आर/एम	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला न्यायालय में लम्बित है।
9.	श्री गामा तिवारी	एल/एम	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला न्यायालय में लम्बित है।
10.	श्री रघुबीर सिंह मीणा	क.अभियंता(सिविल)	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला न्यायालय में लम्बित है।

विवरण-II

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	श्री सतीश वाणी	वरि. टीओए (जी)	आर.सी 41(ए)/99 दिनांक 16.10.2001 में सब्सक्रिप्शन संबंधी धोखेबाजी का मामला
2.	श्री अरविन्द सेन	एओ	तथैव
3.	श्री एन. बालसुब्रमण्यम	एओ	तथैव
4.	एम.एम. रागिनी	एओ	तथैव
5.	श्री ए.के. चुटके	टीओए (जी)	तथैव
6.	श्री ए.के. राव	एसएसएस	तथैव
7.	श्री पी.पी. हथोड़े	एसएसएस	तथैव

1	2	3	4
8.	श्री ई. सयाना	एओ	आर.सी. 32(ए)/2001 दिनांक 2.1.2002 में सब्सक्रिप्शन संबंधी धोखेबाजी का मामला
9.	श्री जयरामन	एसडीई	तथैव
10.	श्री बी. राजेश्वर राव	एसडीई	तथैव
11.	श्री अरविन्द कुमार	एसडीई	तथैव
12.	श्री ए.एन. यादव	एसडीई	तथैव
13.	श्री ओम प्रकाश सिंह	एसडीई	तथैव
14.	श्री पी.एस. पवार	जेटीओ	तथैव
15.	श्री आर.एस. मिश्रा	पीएम	तथैव
16.	श्री एस.एच. राजकोटवाला	सीओ	आर.सी. 3(ए)/2002 दिनांक 30.5.02 में घूस मांगने और लेने संबंधी मामला
17.	श्री आर.जी. जाधव	वरि. टीओए (एस)	तथैव
18.	श्री एस.ए. सिंह	एसडीई	आर.सी. 20(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 21.8.02 और
			आर.सी. 30(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 16.10.02 में आर.आई. कार्यों से संबंधित अनियमितताएं
19.	श्री ए.एन. भूटानी	डीई (सेवानिवृत्त)	आर.सी. 20(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 21.8.02 और
			आर.सी. 30(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 30.10.02 में आर. आई. कार्यों से संबंधित अनियमितताएं
20.	श्री दया शंकर प्रसाद	जेटीओ	आर.सी. 20(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 21.8.02 में आर. आई. कार्यों से संबंधित अनियमितताएं
21.	श्री बी.ए. राव	उपमहानिदेशक	आर.सी. 20(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 21.8.02
			आर.सी. 32(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 21.8.02
			आर.सी. 31(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 30.9.02
			आर.सी. 33(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 30.9.02
			आर.सी. 30(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 30.10.02
			आर.सी. 38(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 30.10.02
			आर.सी. 29(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 30.10.02 में आर. आई. कार्यों से संबंधित अनियमितताएं।
22.	श्री ई.बी. लाड़	एसडीई	आर.सी. 32(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 21.8.02

1	2	3	4
			आर.सी. 31(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 30.9.02
			आर.सी. 33(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 30.9.02 में आर. आई. कार्यों से संबंधित अनियमितताएं
23.	श्री बी.के. श्रीवास्तव	डीई	आर.सी. 32(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 21.8.02
			आर.सी. 31(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 30.9.02
			आर.सी. 33(ए)/2000–एमयूएम दिनांक 30.9.02 में आर. आई. कार्यों से संबंधित अनियमितताएं
24.	एच.एस. रूकरीवाल	डीजीएम	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता
			आरसी 32(ए)/2000–मुंबई दिनांक 21.08.02
			आरसी 31(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.09.02
			आरसी 33(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.09.02
25.	एम.आई. हुसैन	एसडीई	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता
			आरसी 32(ए)/2000–मुंबई दिनांक 21.08.02
			आरसी 31(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.09.02
			आरसी 33(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.09.02
26.	डी.सी. दास	डीई (सेवानिवृत्त)	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता
			आरसी 32(ए)/2000–मुंबई दिनांक 21.08.02
			आरसी 31(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.09.02
27.	सी.एस. कारे	एसडीई	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता
			आरसी 31(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.09.02
28.	आर.एम. जोशी	एसडीई	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता
			आरसी 31(ए)/2000–मुंबई दिनांक 21.08.02
29.	जी.एस. सिंह	एसडीई	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता
			आरसी 33(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.09.02
30.	आई.आर. शुक्ला	एसडीई	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता
			आरसी 30(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.10.02

1	2	3	4
31.	एच.आर. शुक्ला	एसडीई	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता आरसी 30(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.10.02 आरसी 29(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.10.02
32.	बी. रामकृष्ण	डीई	–वही–
33.	वी.एस. द्विवेदी	जेटीओ	–वही–
34.	ए.पी. सिंह	एसडीई	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता आरसी 30(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.10.02
35.	पी.एस. रेतीवाड	सीनियर एओ	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता आरसी 30(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.10.02 आरसी 38(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.10.02 आरसी 29(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.10.02
36.	ए.के. टक्कर	डीजीएम	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता आरसी 30(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.10.02
37.	एस.डी. पांडे	एसडीई	–वही–
38.	जे.पी. बाघेल	एसडीई	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता आरसी 38(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.10.02
39.	सुरेन्द्र सिंह	एसडीई	–वही–
40.	आर.के. श्रीवास्तव	एसडीई	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता आरसी 29(ए)/2000–मुंबई दिनांक 30.10.02
41.	एम.एम. खान	एसडीई	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता आरसी 46(ए)/2000–मुंबई दिनांक 29.11.02
42.	जी.जी. सरीन	एसडीई	निम्नलिखित से संबंधित आर.आई. कार्य में अनियमितता आरसी 46(ए)/2000–मुंबई दिनांक 29.11.02
43.	बी.पी. बोरकर	डीई	–वही–
44.	के.डी. चौधरी	डीई	–वही–
45.	एस.एन. चौधरी	एसडीई	–वही–

1	2	3	4
46.	आर.सी. यादव	एसडीई	आरसी 46(ए)/2000–मुंबई दिनांक 29.11.02
47.	डी.एस. शेख	एसडीई	–वही–
48.	ए.एन. देशपांडे	एसडीई	–वही–
49.	के.आर. मिश्रा	एलएम	अवैध परितोषण मामला
			आरसी 10(ए)/2000–मुंबई दिनांक 08.10.02
50.	रोड्रि	ए.ओ.	अवैध परितोषण मामला
			आरसी 36(ए)/2000–मुंबई दिनांक 29.11.02
51.	श्रीमती जे. जे. कोरीगांवकर	सीनियर टीओए (पी)	घाटा
			आरसी 1(ए)/2001–मुंबई दिनांक 14.02.02

विवरण-III

(i) भ्रष्टाचार की जांच–पड़ताल एक नियमित कार्य है। एमटीएनएल में भारत सरकार की नीति के अनुसार भ्रष्टाचार की रोकथाम और जांच–पड़ताल के लिए सुदृढ़ तंत्र पहले ही मौजूद है। औचक जांच, निगरानी, प्रशिक्षण और सतर्कता जागरूकता संबंधी सेमिनार का आयोजन नियमित आधार पर किया जा रहा है।

(ii) भ्रष्टाचार की रोकथाम व पता लगाने के लिए जब कभी आवश्यक हो सीबीआई/सीवीसी की सहायता ली जाती है। एमटीएनएल दिल्ली और मुम्बई व अन्य महानगरों में केवल दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए समर्पित सीबीआई प्रकोष्ठों का सृजन किया गया है।

(iii) दिल्ली और मुम्बई दोनों में राजस्व चोरी को रोकने और कदाचारों का पता लगाने के लिए धोखाधड़ी प्रबंधन नियंत्रण केन्द्र (फ्रॉड मैनेजमेंट कंट्रोल सेन्टर) चालू किए जा रहे हैं। सभी एक्सचेंजों में अधिक कारगर ढंग से निम्नतम स्तर पर मानीटरिंग की जा रही है ताकि राजस्व चोरी के मामलों को रोका जा सके।

(iv) संदिग्ध अधिकारियों, जिनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह था, के संबंध में सीबीआई परामर्श करके सहमत सूचियां तैयार की गई हैं और ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के आचरण की नियमित निगरानी और मानीटरिंग की जा रही है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का विनिवेश

1277. श्री वाई. जी. महाजन :
योगी आदित्यनाथ :
श्री सुबोध राय :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश की सूची से इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को दोनों विमान सेवाओं के निजीकरण के संबंध में भ्रम दूर करने के लिए कैबिनेट के लिए एक प्रारूप तैयार करने को कहा गया है;

(ग) क्या और अधिक विमानों को खरीदने के उद्देश्य से इंडियन और एयर इंडिया को और अधिक लाने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) दोनों एयर लाइनों का

प्रस्तावित विनिवेश इस समय अन्तर्मंत्रालयों की समीक्षा के अध्यधीन है। बोलीदाताओं द्वारा अपने नाम वापस ले लेने और 11 सितम्बर के आतंकवादी हमले के बाद विमानन क्षेत्र की हताश परिस्थितियों के कारण दोनों एयर लाइनों के विनिवेश के संबंध में सरकार के निर्णयों की समीक्षा करना आवश्यक हो गया है।

(ग) और (घ) यह, ऊपर (क) में उल्लिखित अन्तर्मंत्रालयों की समीक्षा के परिणाम पर निर्भर करेगा।

अलीगढ़ मण्डल में दूरसंचार केन्द्र

1278. श्री किशन लाल दिलेर : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मंडल के तहत सनसनी, जरैरा, माहो और हस्थान दूरसंचार केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव और इन केन्द्रों के केबल ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने की योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) अलीगढ़ मंडल में सनसनी, जरैरा और माहो नामक कोई एक्सचेंज नहीं है, जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है। तथापि, अलीगढ़ मंडल में कार्यरत एक्सचेंजों के नाम ससनी, जलाली, मनमाहा और हसयान हैं। इनकी क्षमता, प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता	प्रस्तावित विस्तार
1.	ससनी	1 के आरएलयू	विस्तार 1के से 2के
2.	जलाली	1 के सी–डॉट	अपेक्षित नहीं
3.	मनमाहा	256 सी–डॉट	अपेक्षित नहीं
4.	हसयान	256 सी–डॉट x 2 (के = हजार)	अपेक्षित नहीं

(ख) ससनी स्थित एक्सचेंज के विस्तार तथा आवश्यक होने पर केबल बिछाने पर केबल बिछाने का कार्य संसाधन उपलब्ध होने पर वर्ष 2003–04 के दौरान किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

हॉटमिक्स प्लांट से सड़कों का निर्माण

1279. श्री रामजी मांझी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान, सहायता अथवा ऋण से बिहार में हॉटमिक्स प्लांट से निर्माण किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानदंडों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) बिहार और दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सो में सिर्फ हॉटमिक्स प्लांट से सड़कों का निर्माण किए जाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) विश्व बैंक से वित्तपोषित परियोजनाओं की शर्तों के अनुसार, सड़कों के निर्माण में नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना है। बिहार में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित सड़कों के निर्माण में हॉटमिक्स प्लांट का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क निर्माण में हॉट मिक्स प्लांट का उपयोग अनिवार्य है।

[हिन्दी]

क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

1280. श्री रामपाल सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों से बाढ़ और वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत हेतु सहायता प्रदान करने के निवेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 2002–03 के दौरान/बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए मांगी गई और आवंटित धनराशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	मांग	आवंटन*
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	650.00	400.00
2	अरुणाचल प्रदेश	18.75	
3	असम	1641..80	650.00
4	बिहार	5259.00	1300.00
5	छत्तीसगढ़	500.00	500.00
6	गोवा	109.98	100.00
7	गुजरात	800.57	100.00
8	हिमाचल प्रदेश	1300.00	300.00
9	जम्मू और कश्मीर	28.40	
10.	झारखंड	519.45	100.00
11	कर्नाटक	1050.00	500.00
12	केरल	1600.00	500.00
13.	मध्य प्रदेश	500.00	500.00
14	महाराष्ट्र	823.13	500.00
15	मणिपुर	578..95	200.00
16.	मेघालय	444.75	200.00
17	मिजोरम	525.14	200.00
18	नागालैंड	180.10	100.00
19	उड़ीसा	4401.63	1000.00
20	तमिलनाडु	320.00	200.00
21	उत्तरांचल	492.00	100.00
22	उत्तर प्रदेश	2620.00	800.00
23	पश्चिम बंगाल	1500.00	600.00
	जोड़	25863.65	8850.00

*धनराशि का आवंटन धनराशि की समग्र उपलब्धता, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षति के आकलन के आधार पर तथा क्षति की अस्थाई मरम्मत के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

रेडियो-निदान जांच हेतु शुल्क

1281. श्री राम प्रसाद सिंह :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने रेडियो–निदान जांच (रेडियो डाइगनॉस्टिक टेस्ट) हेतु शुल्क वृद्धि की है जिससे गरीब लोग इस संस्थान में इलाज करने से वंचित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान और राजधानी स्थित केन्द्रीय सरकार के अन्य अस्पतालों में इस शुल्क में कितनी–कितनी वृद्धि की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस संस्थान को अपने शुल्क मे की गई वृद्धि को वापस लेने हेतु को निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। उपभोज्यों की लागत में वृद्धि तथा रोगियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण कुछ रेडियो–नैदानिक जांचों के प्रभार बढ़ा दिए गए हैं और ये प्रभार अन्य केन्द्रीय सरकार के अस्पतालो से तुलनीय नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को नेशनल इलनेस एसोसिएशन कोष से राशि

1282. **श्री के. पी. सिंह देव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को नेशनल इलनेस एसोसिएशन कोष से गरीब रोगियों की सहायता हेतु राशि मिलती है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितनी राशि मिली; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष–वार कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि से प्राप्त सहायता और उसके उपयोग का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	प्राप्त धनराशि रुपए	उपयोग की गई धनराशि रुपए
2000–01	33,32,200	37,42,917
2001–02	1,86,55,000	1,66,45,461
2002–03	59,50,000	77,91,565

अस्पतालों का सर्वेक्षण

1283. **श्री एन. एन. कृष्णदास :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा महाविद्यालय चलाने हेतु एम.सी.आई. की अनुमति लेने से संबंधित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में रोगी भर्ती करने की दर उनकी क्षमता से कहीं कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या एम.सी.आई. ने इन अस्पतालों का आवधिक सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित रिपोर्टों सहित गत तीन वर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) मेडिकल कालेज खोलने हेतु अनुमति देने की व्यापक प्रक्रिया, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा प्रकाशित "मेडिकल कालेज विनियम, 1999" में दी गई है।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता मानदण्ड संबंधी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियम, 1999 के अनुसार अन्तःरोगी बिस्तरों की औसतन क्षमता न्यूनतम 80 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। चिकित्सा शिक्षा का स्तर बनाए रखने हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, सीटों को मान्यता देने/बढ़ाने नए मेडिकल कालेज खोलने/दाखिला अनुमति का नवीकरण करने आदि के लिए मेडिकल कालेजों का निरीक्षण करती है। निरीक्षण के दौरान, अस्पताल में नैदानिक सामग्री (उपकरणों) की उपलब्धता का मूल्यांकल और अन्तःरोगी दाखिले संबंधी चिकित्सा रिकार्डों की जांच की जाती है तथा इस विषय में सन्तुष्ट हो जाने पर कि औसतन 80 प्रतिशत बिस्तर की क्षमता उपलब्ध है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद मेडिकल कालेजों और मान्यता देने/खोलने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करती है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार, प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षणार्थ उपलब्ध सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों और उनके सम्बद्ध अस्पतालों का प्रत्येक पांच वर्ष बाद निरीक्षण किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा 38 मेडिकल कालेजो का निरीक्षण किया गया है। इन कालेजों की राज्यवार सूची विवरण में दी गई है। निरीक्षण रिपोर्टें कई सौ पृष्ठों में हैं तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/सरकार के पास उपलब्ध हैं।

विवरण

असम

1. गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी।

गुजरात

2. प्रमुखस्वामी मेडिकल कालेज, करमसाड़।

केरल

3. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कोट्टायम।

कर्नाटक

4. बीएलडीईए मेडिकल कालेज, बीजापुर।

5. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनिपाल।

6. मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर।

7. श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, तुमकुर।

8. बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर।

9. अल–अमीन मेडिकल कालेज, बीजापुर।

मध्य प्रदेश

10. एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, इन्दौर।

महाराष्ट्र

11. डी.वाई. पाटिल मेडिकल कालेज, नवी मुम्बई।

12. डी.वाई. पाटिल मेडिकल कालेज, कोल्हापुर।

13. ग्रांट मेडिकल कालेज, मुम्बई।

14. जे.एन. मेडिकल कालेज, स्वांगी, वर्धा।

15. आर्म्ड फोरसेज मेडिकल कालेज, पुणे।

16. बाहुसाहेब गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, धुले।

17. इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज, नागपुर।

18. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नान्देड़।

19. सेठ जी.एस. मेडिकल कालेज, मुम्बई।

20. डा. वी.एम. मेडिकल कालेज, सोलापुर।

21. एल.टी.एम. मेडिकल कालेज, मुम्बई।

22. एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, नवी मुम्बई।

23. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, मिराज।

24. टी.एन. मेडिकल कालेज, मुम्बई।

25. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, औरंगाबाद।

26. पी.डी. मेडिकल कालेज, अमरावती।

27. एस.आर.टी.आर. मेडिकल कालेज, अम्बाजोगई।

28. बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे।

29. रूरल मेडिकल कालेज, लोनी।

30. भारतीय विद्यापीठ, पुणे।

तमिलनाडु

31. स्टैंले मेडिकल कालेज, चेन्नई।

32. चेन्नई मेडिकल कालेज, चेन्नई।

33. किलपौक मेडिकल कालेज, किलपौक।

34. चेंगलपट्टु मेडिकल कालेज, चेंगलपट्टु।

35. मदुरई मेडिकल कालेज, मदुरई

36. तिरुनेलवेली मेडिकल कालेज, तिरुनेलवेली।

37. पी.एस.जी. मेडिकल कालेज, कोयम्बटूर।

38. तंजावुर मेडिकल कालेज, तंजावुर।

मजदूरी/वेतन का भुगतान न करना

1284. श्री महबूब जाहेदी : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड ने गत तीन माह से अपने श्रमिकों और कर्मचारियों की उनकी मजदूरी/वेतन का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी मजदूरी/वेतन में से की गई वैधानिक कटौतियों को समुचित रूप से जमा नहीं कराया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सेवानिवृत्त श्रमिकों और कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) और (ख) गंभीर वित्तीय संकट के कारण कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड अपने कर्मचारियों तथा कामगारों को देय तिथि तक वेतन तथा मजदूरी नहीं दे सका भुगतान करने में लगभग 2 से 3 माह का विलम्ब हुआ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गम्भीर वित्तीय संकट के कारण सेवानिवृत्त हुए कामगारों को पेंशन के भुगतान में देय तिथि से लगभग 2 से 3 माह का विलम्ब हुआ है।

(च) कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड, जो एक सांविधिक तथा स्वायत्त निकाय है, जिसमें सरकार गोदी कामगारों के नियोक्ताओं तथा गोदी कामगारों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने अनावश्यक व्यय कम करने तथा अपनी आय बढ़ानें के लिए क्रियाकलापों में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने तथा पेंशनरों के बकाया देय का भुगतान करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग का बोर्ड का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा में सी.जी.एच.एस. अस्पताल खोलना

1285. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य में कोई सी.जी.एच.एस. अस्पताल खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

बकरों में पोलियो प्रतिरोधी जीवाणु मिलना

1286. श्री महबूब जाहेदी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राष्ट्रीय सचारी रोग संस्थान के वैज्ञानिकों को बकरों में 'पोलियो' के 'प्रतिरोधी' जीवाणु' मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुम्बई में एन्ट्रोवायरसिस रिसर्च सेन्टर में तदनुसार हुए विश्लेषण से यह पता लगा है कि स्ट्रेन के परिवर्तित रूप जिसे वर्तमान में वैक्सीन स्ट्रेन के रूप में प्रयोग लाया जा रहा है के विपरीत परिणाम निकले हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे सरकार को पोलियो उन्मूलन की रणनीति की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सरकार को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा बकरों में पोलियो जैसे एन्टीबॉडीज का पता लगाए जाने की जानकारी है न कि किसी पोलियो एन्टीबॉडीज की।

(ग) आन्त्र विषाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई ने मानव के मल नमूनों का परीक्षण किया था और इनके निष्कर्षों में पोलियो वायरस के वैक्सीन स्ट्रेन की मौजूदगी की नहीं।

(घ) इस विषय पर विशेषज्ञों से परामर्श किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से यह सलाह दी है कि वर्तमान पोलियो उन्मूलन कार्यनीति की समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जनसंख्या स्थिरीकरण कोष

1287. श्री भेरूलाल मीणा :
डा. चरण दास महंत :
श्री राजो सिंह :
श्री जय प्रकाश :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जुलाई, 2000 में 100 करोड रुपए के राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की स्थापना की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का 50 करोड़ रुपए अभी तक सार्वजनकि खातों में स्थानान्तरित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) जी, हां। 22 जुलाई,

2000 को हुई राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि स्थापित करने का निर्णय लिया गया था।

योजना आयोग ने संशोधित अनुमान 2000–01 में 50 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2001–02 में शेष 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। व्यय वित्त समिति ने राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि को पूंजी (सीड मनी) के रूप में 100 करोड़ रुपए का अंशदान जारी करने का अनुमोदन किया था।

आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति ने 13.2.2003 को हुई बैठक में "जनसंख्या स्थिरता कोष" शीर्षक के अन्तर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि के पंजीकरण और इस कोष के प्रबंधन के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में सामान्य निकाय और शासी बोर्ड के गठन का अनुमोदन किया गया। परिवार कल्याण विभाग में इस कोष को अवस्थित (लोकेट) करने का भी निर्णय लिया गया ।

[अनुवाद]

अंधता और कुष्ठ रोग का उन्मूलन

1288. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र को अंधता और कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता या अनुदान उपलब्ध कराया गया;

(ख) चालू वर्ष के दौरान अभी तक इस कार्य हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) शेष राशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सहायता या अनुदान के उपयोग हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र को जारी किए गए धन का ब्यौरा इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम का नाम	राज्य सरकार को नगद अनुदान/सहायता	सोसाइटियों को सहायतानुदान	सामग्रीगत सहायता	योग
रा.दृ.नि.कार्य.	165.00	191.50	182.01	538.51
रा.कु.उन्मू.कार्य.	10.00	200.97	27.12	238.09

(ग) धन, आवश्यकतानुसार और जारी करने के लिए दी गई शर्तों को पूरा करने पर जारी किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राज्य को सहायता के विद्यमान पैटर्न के अनुसार राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए धन के समुपयोजन हेतु दिशानिर्देश भेजे जाते हैं।

छोटे शहरों/करबों में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

1289. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे शहरों और कस्बों को सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों में परिवर्तित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों की स्थापना पर अनुमानित व्यय कितना होगा और किन–किन कस्बों को सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों में परिवर्तित किया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में सी.जी.एच.एस. औषधालय

1290. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में वर्तमान में सी.जी.एच.एस. औषधालयों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में सिद्ध, आयुर्वेद और यूनानी सी.जी.एच.एव. औषधालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) तमिलनाडु में चेन्नई ही एक मात्र ऐसा शहर है जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय चल रहे हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई के अधीन औषधालयों की सूची संलग्न विवरण में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) एक सिद्ध एकक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, के.के. नगर, चेन्नई से और एक आयुर्वेदिक एकक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, गिन्डी, चेन्नई से सम्बद्ध है।

इस समय तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के और सिद्ध/आयुर्वेद/यूनानी औषधालय/एकक खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

तमिलनाडु में पतों सहित केन्द्रीय सरकार सहायता स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की सूची

1. अडयार औषधालय, के.लो.नि. विभाग क्वार्टर्स, इन्द्रानगर, चेन्नई–20
2. गिन्डी औषधालय, ब्लाक सं. 6 बी सी जी क्वार्टर्स, गिन्डी, चेन्नई–32
3. के.के. नगर औषधालय, के.लो.नि.वि. क्वार्टर्स के.के. नगर, चेन्नई–32
4. मीनाम्बक्कम औषधालय, डी जी ओ ए कम्पलैक्स मीनाम्बक्कम, चेन्नई
5. आर.ए. पुरम औषधालय, 6 कामराज सलाय, चेन्नई–28
6. गोपालपुरम औषधालय, 1. फर्स्ट स्ट्रीट, गोपालपुरम, चेन्नई–86
7. ट्रिप्लीकेन औषधालय, 54, अकबर स्ट्रीट, ट्रिप्लीकेन, चेन्नई–5
8. नुंगाम्बक्कम औषधालय, ब्लाक 'बी एंड सी', शास्त्री भवन, चेन्नई–6
9. अन्नानगर औषधालय, सेन्ट्रल रेवन्ऊ क्वार्टर्स रंगानाथन गार्डन, अन्नानगर, चेन्नई–13
10. रोयापुरम औषधालय, 108 व 109, मन्नारसामी कोयल स्ट्रीट, रोयपुरम, चेन्नई–13
11. पेराम्बूर औषधालय, 28, पेराम्बूर हाई रोड, चेन्नई–12
12. वेप्री औषधालय, 143 पेराम्बूर बेरेक्स रोड वेपेरी चेन्नई–7
13. जार्ज टाउन औषधालय, 64 थाथामुथिअप्पन स्ट्रीट, जी. टाउन, चेन्नई–1
14. नन्दाम्बक्कम औषधालय, ब्लाक सी 16 से 19 डी ए डी रेजीडेन्शल, कम्पलेक्स नन्दाम्बक्कम, चेन्नई–600 089
15. सिद्ध एकक, के.स.स्वा.यो. औषधालय, केलोनिवि क्वार्टर्स के.के. नगर चेन्नई–78
16. आयुर्वेद एकक, के.स.स्वा.यो. औषधालय गिन्डी, ब्लाक नं. 6 बी सी जी क्वार्टर्स गिन्डी, चेन्नई–32

छोटे स्तर पर आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करने वालों के समक्ष कठिनाइयां

1291. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अव्यवहार्य प्रावधानों को औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा सख्ती से लागू किए जाने के कारण छोटे स्तर पर आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करने वालों के समक्ष कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा छोटे स्तर पर आयुर्वेदिक दवाओं

का उत्पादन करने वालों की समस्याओं को हल करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जी.एम.पी.) के अधीन विहित अपेक्षाएं सख्त नहीं हैं। लघु विनिर्माताओं की वास्तविक समस्याओं और गुणवत्तायुक्त औषधियों की आवश्यकताओं को विधिवत रूप से ध्यान में रखा गया। लघु विनिर्माताओं द्वारा अच्छी विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसरण में मदद करने की 2 वर्षों की बफर अवधि भी उपलब्ध कराई गई थी।

लघु एककों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना भी अनुमोदित कर दी गई है ताकि अच्छी विनिर्माण प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए सुविधाएं उन्नत करके अंतरंग परीक्षण सुविधाएं सृजित की जा सकें।

पारंपरिक खेलों को मान्यता देना

1292. श्री जे. एस. बराड़ :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से पारंपरिक भारतीय खेलों को एशियाई और ओलंपिक खेलों में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कुछ खेलों को एशियाई खेलों में सम्मिलित कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई और इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। कबड्डी को छोड़कर, जिसे एशियाई खेलों में मान्यता प्राप्त हुई है किसी अन्य भारतीय परंपरागत खेल को एशियाई और ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) एशियाई खेलों में खेल विधाओं को शामिल कराने में, भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ और भारतीय ओलंपिक संघ का विषय है। भारतीय ओलंपिक संघ ने सूचना दी है कि इस समय एशियाई और ओलंपिक खोलों में बहुत ज्यादा खेल विधाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इन खेलों में खेल प्रतियोगिताओं की संख्या कम करने के प्रश्न पर चर्चा कर रही है।

(घ) परंपरागत खेलों के संवर्धन के लिए कोई विशेष धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान कबड्डी, आत्या-पात्या, खो-खो और रस्साकशी के मान्यता प्राप्त परिसंघों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपें आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगताओं में भाग लेने के लिए 89.68 लाख रु. की राशि मंजूर की गई है। हाल ही में बुसान में सम्पन्न हुए, एशियाई खेलों में भारत ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है।

रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन सेवा

1293. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यात्रियों को रेलवे के समय आदि के बारे में पूछ-ताछ करने की सुविधा देने हेतु विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर स्थापित टेलीफोन अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का स्थिति सुधारने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टेलीफोन केबलों की चोरी

1294. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर

झारखंड में टेलीफोन केबल चोरी की कितनी घटनाएं घटी हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसी घटनाएं घटी हैं और इन चोरियों के कारण कितनी हानि हुई; और

(ग) सरकार द्वारा केबल चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सम विकास योजना

1295. श्री बीर सिंह महतो :
श्रीमती मिनाती सेन :
श्री विकास चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना की निगरानी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस योजना के कार्य निष्पादन से संतुष्ट है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) चालू वर्ष में शुरू की गई राष्ट्रीय सम विकास योजना के तीन घटक हैं (i) पिछड़े जिले पहल; (ii) बिहार के लिए विशेष योजना; (iii) उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुट (केबीके) जिलों के लिए विशेष योजना।

पिछड़े जिले पहल के अंतर्गत, प्रायोगिक आधार पर 25 जिलों की पहचान की गई है, जहां चालू वर्ष में उन स्कीमों के लिए सहायता दी जाएगी, जो राष्ट्रीय सम विकास योजना के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करते हों जिससे कि कम कृषि उत्पादकता, बेरोजगारी की समस्याओं का निराकरण तथा वास्तविक और सामाजिक अवसंरचना में व्याप्त नाजुक अंतराल को भरा जा सके। राज्य सरकारों से प्रत्येक जिले के लिए जिला योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया था। ये योजनाएं प्राप्त हो चुकी हैं तथा योजना आयोग में इनकी जांच की जा रही है और राष्ट्रीय सम विकास योजना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के अनुसार निधियां जारी करने के लिए सिफारिश कर दी गई है।

बिहार के लिए विशेष योजना के अंतर्गत, नवीनतम डिलीवरी प्रणालियों का प्रयोग करते हुए निधिकरण के लिए विद्युत सिंचाई, सड़क, बागवानी, जलसंभर विकास, वानिकीकरण इत्यादि जैसे ध्यान देने योग्य क्षेत्रकों में व्याप्त अवरोधों को दूर किया जा सके और राज्य के भावी विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना प्रदान की जा सके।

उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना का उद्देश्य पहचान किए गए नाजुक क्षेत्रों में भरसक प्रयासों के माध्यम से इन जिलों में व्याप्त गरीबी में सुधार करना है जिससे अलाभ प्राप्त समूहों को सहायता तथा सूखा प्रूफिंग, जीवन यापन सहायता, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

(ग) से (च) राष्ट्रीय सम विकास योजना की मानीटरिंग हेतु इन-बिल्ट मेकेनिज्म है। तथापि, चूंकि पिछड़े जिले पहल के अंतर्गत जिला योजनाओं और बिहार के लिए विशेष योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का अनुमोदन चालू वर्ष में हाल ही में हुआ है, अतः इस स्तर पर मॉनीटरिंग का प्रश्न नहीं उठता। उड़ीसा के केबीके जिलों की योजना की मॉनीटरिंग एक सतत प्रक्रिया है। योजना की पिछली मानीटरिंग वर्ष 2001-02 में सचिवों की समिति द्वारा की गई थी तथा समीक्षा एवं की गई कारर्वाई की रिपोर्ट बजट सत्र 2002 में संसद के दोनों सदनों में रख दी गई थी।

[अनुवाद]

लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री

1296. डा. बी. बी. रमैया : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का कार्पोरेट जगत लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के "नवरत्नों" की रणनीतिक बिक्री का विरोध कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो फिक्की के अध्यक्ष ने लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पेशेवर प्रबंधन द्वारा चलाए जाने वाले स्वायत्त निगमों में बदलने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इन उपक्रमों की परिसम्पत्तियों का मूल्य वैज्ञानिक विधि से मूल्यांकित नहीं किया जा सकता या उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ के अध्यक्ष ने सुझाव दिए हैं कि :

- सरकार को, इंग्लैंड के निजीकरण कार्यक्रम के मॉडल की चेष्टा करनी चाहिए जिसमें ब्रिटेन के अधिकतर बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पेशकश, अलग-अलग अनुकूल स्वामिलयों को करने के बजाए जन-साधारण को की गई थी।

- विनिवेश आरम्भिक सार्वजनिक पेशकश का रास्ता अपनाने (आई पी ओ) के माध्यम से किया जाना चाहिए और सरकार, शेयरों को न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में और कुछ शेयर कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखने के साथ इसके एक बड़े हिस्से को घरेलू बाजार में रखने की बात सोच सकती है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड द्वारा सुप्रबंधित कंपनियां हो सकती हैं जो व्यावसायिक तौर पर प्रबंधित वाणिज्यिक हस्तियों के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ होना चाहिए।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का वास्तविक मूल्य निलामियों में अथवा मर्जेन्ट बैंकरों द्वारा मूल्य निर्धारण करने से निकल कर नहीं आता है।

(ग) राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विनिवेश संबंधी नीति एक अरसे से विकसित हुई है। किसी अन्य देश के उदाहरण का अनुकरण करना, जैसा कि सुझाव दिया गया है, वांछनीय नहीं है क्योंकि उद्देश्य की परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं। अनुभव यह बताता है कि अनुकूल बिक्री के मामले में, बिक्री प्राप्तियां अधिकाधिक हुई हैं क्योंकि निजी निवेशक, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तान्तरण के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है। यदि सरकार अपने अधिकांश शेयरों की बिक्री सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से करती है तो वहां हमेशा यह सम्भावना बनी रहेगी कि निजी निवेशक, नियंत्रण प्रीमियम का भुगतान किए बिना "धीरे-धीरे अधिग्रहण" अथवा जनसाधारण से छोटे हिस्सों में शेयरों की खरीद करने के माध्यम से कम्पनी को सस्ते में अधिगृहीत कर सकता है। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, यहां तक कि घरेजू स्टॉक एक्सचेंज नें भी सूचीबद्ध नहीं हैं और सार्वजनिक पेशकश से पूर्व सूचीकरण के लिए उनको तैयार होने की स्थिति में लाने के लिए यथेष्ठ प्रयास और पर्याप्त समय लगाने की आवश्यकता होगी। शेयरों की सार्वजनिक पेशकश पर निर्भर करने वाली विनिवेश नीति को स्वदेशी पूंजी बाजार, संघनन के आकार, गम्भीरता तथा स्तर के परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के साथ भी देखा जाना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक ऐसी लचीली विनिवेश नीति अपनाई है जिसमें घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में शेयरों की अनुकूल बिक्री और सार्वजनिक पेशकश, दोनों का ही अनुकरण किया जाता है, जैसा कि मामला-दर-मामला आधार पर उपयुक्त होता है।

(घ) और (ङ) सर्वोत्तम बाजार प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मूल्य निर्धारण के लिए चार पद्धतियों अर्थात डिस्काउण्टेड कैश फ्लो पद्धति, तुलन-पत्र पद्धति, सौदा बहुविध पद्धति और परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारण पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये मूल्य निर्धारण पद्धतियां अन्तर्राट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। इन चार पृथक-पृथक मूल्य निर्धारण पद्धतियों का उपयोग करते हुए, प्राप्त परिणामों के आधार पर आरक्षित मूल्य तय किया जाता है। तथापि वास्तविक बिक्री मूल्य, प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से तय किया जाता है, जो उस समय उजागर होने वाले बाजार द्वारा तय मूल्य निर्धारण को मान लेता है।

ए.आई.आई.एम.एस. को धनराशि का आवंटन

1297. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए.आई.आई.एम.एस. को कितनी केन्द्रीय राशि आवंटित की गई और तत्संबंधी वार्षिक व्यय कितना है;

(ख) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को अपना घाटा पूरा करने के लिए राजस्व जुटाने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ए.आई. आई.एम.एस. के लिए अपना वार्षिक आवंटन बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्लान और नान–प्लान, दोनों के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान निधियों का आवंटन इस प्रकार किया गया है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आवंटन		व्यय	
	प्लान	नान–प्लान	प्लान	नान–प्लान
2001–2002	95.00	155.00	104.10	192.31
2002–2003	105.00	123.50	64.15*	186.68*
2003–2004 (बजट अनुमान)	105.00	167.18	–	–

*जनवरी 2003 तक

(ख) से (ङ) भारत सरकार से इस बारे में संस्थान को कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि संस्थान से नान–प्लान व्यय के एक भाग को अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा करने की आशा की जाती है। निधियों का आवंटन अनुमोदित प्लान स्कीमों के लिए और निधियों की उपलब्धता पर किया जाता है। संस्थान के वार्षिक आवंटन में वृद्धि करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विशेष प्रयोजन वाहन परियोजना

1298. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी) के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं की परियोजना–वार प्रगति क्या है;

(ख) एन.एच.डी.पी. के अंतर्गत निकटवर्ती राष्ट्रीय राजमार्गों से कितने पत्तनों को जोड़ा गया है; और

(ग) एन.एच.डी.पी. के अंतर्गत आने वाली सभी परियोजनाओं की समयबद्ध शुरूआत सुनिश्चित करने हेतु क्या नवीन कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 10 महापत्तनों को नजदीकतम राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। तथापि, इन परियोजनाओं पर अलग से और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कार्रवाई नहीं की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) निर्माण कार्यों के ठेकों में कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए बोनस और विलंब के लिए दंड का प्रावधान है।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं पर कड़ी निगरानी।

(iii) भूमि अधिग्रहण, वृक्षों की कटाई और सुविधाओं के स्थानांतरण जैसे निर्माण पूर्व कार्य शीघ्र पूरे करना।

(iv) शीघ्र निर्णय लेना।

(v) ठेकेदारों के लिए शीघ्र भुगतान, और

(vi) मंत्री के स्तर पर परामर्शों, निर्माताओं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से नियमित संपर्क।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत विशेष प्रयोजन तंत्र के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं की प्रगति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग	लंबाई (कि.मी.)	31.1.2003 तक प्रगति
1.	जलपुर बाइपास चरण–II	8	34	20.01 प्रतिशत
2.	अहमदाबाद–बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग चरण–I	8	34	पूरा हो गया है
3.	अहमदाबाद–वड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग चरण–II	8	50	34.10 प्रतिशत

उपर्युक्त के अलावा, विशेष प्रयोजन तंत्र विधि के माध्यम से निम्नलिखित पत्तन संपर्क परियोजनाएं शुरू की गई हैं :

मुरगांव, जवाहर लाल नेहरू पत्तन, हल्दिया, विशाखापट्टणम, चेन्नै और इन्नौर, कोचीन, तूतीकोरिन, पारादीप और नव मंगलूर। इन परियेजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

(i) कुल लंबाई — 307 कि.मी.

(ii) कार्यान्वयन के अधीन — 113 कि.मी.

(iii) सौंपे जाने के लिए — 194 कि.मी.

(iv) पूरा करने की नियत तारीख — दिसंबर, 2005

मधुमेह रोगी

1299. श्री डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में कितने मधुमेह रोगी हैं;

(ख) एक महीने के दौरान मधुमेह रोगी द्वारा ली जाने वाली दवाओं की वर्तमान लागत कितनी है;

(ग) क्या मधुमेह के लिए दवाओं पर लगने वाले कर को घटाने हेतु किसी पक्ष से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस देश में प्रति लाख जनसंख्या पर इस रोग की प्रतिशतता कितनी है; और

(च) इस रोग के बारे में जागरूकता का प्रसार करने हेतु तथा कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) भारत में मधुमेह के रोगियों का राष्ट्रव्यापी आंकड़ा नहीं रखा जा रहा है। तथापि, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए अवसरगत सर्वेक्षण पर आधारित एक अस्थाई अनुमान के अनुसार देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या वर्ष 2000 में लगभग 25 मिलियन थी और खासकर देश के शहरी क्षेत्रों में मधुमेह की व्याप्तता में बढ़ोतरी हुई है और महामारी के प्रमाण मिले हैं।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 1999 में किए गए मधुमेह के अध्ययन की लागत के आधार पर औषध उपचार की प्रतिमाह लागत के निम्नलिखित अनुमान लगाए गए थे :

मधुमेह के सभी रोगी	188 रुपए
(टाइप I मधुमेह रोगी)	
(इन्सुलिन पर निर्भर)	317 रुपए
टाइप II मधुमेह रोगी	162 रुपए
(इन्सुलिन पर निर्भर नहीं)	

(ग) और (घ) इस मंत्रालय में दवाइयों पर करों में

कमी करने के बारे में अनुरोध समय–समय पर प्राप्त हो रहे हैं।

(ङ) यह अनुमान है कि प्रत्येक एक लाख की आबादी में से 2500 लोग मधुमेह रोगी हैं जोकि 2.50 प्रतिशत है। बड़े शहरों अर्थात चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई और दिल्ली में किए गए अध्ययन के अनुसार 20–39 वर्ष के आयु वर्ग में मधुमेह की व्याप्तता 4.6 प्रतिशत है जो कि 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में मधुमेह की व्याप्तता 23.80 प्रतिशत से काफी कम है।

(च) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने मधुमेह के बारे में जन स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी संदेशों का प्रचार प्रसार के वास्ते सशक्त इलैक्ट्रानिक मीडिया के उपयोग सहित कार्यनीतियां/कार्यक्रम तैयार किए हैं। इस संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने में 'स्वास्थ्य मेले' भी अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद पौष्टिक आहार और शारीरिक कार्यकलाप उपायों के बारे में सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप और जन जागरूकता पर अभियान भी चलाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर पुल

1300. श्री रामानन्द सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बी.ओ.टी. के माध्यम से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–7 पर मेहर रेल उपरि पुल के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भार संबंधी मानदंड

1301. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धारित भार मानदंड का अनुपालन करने हेतु कोई नीति बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कानून में किए गए परिवर्तनों के बावजूद अधिक लदाई, सड़क सुरक्षा, वाहन से होने वाले प्रदूषण, कर ढांचे का राष्ट्रीय परमिट, बस बॉडी डिजाइन का मानकीकरण से संबंधित मूल मुद्दों का समाधान होना अभी बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के परिवहन वाहनों के लिए भार मानक निर्धारित किए गए हैं। भार सीमा संबंधी प्रावधानों का प्रवर्तन पूर्णतः संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ग) और (घ) परिवहन विकास परिषद की 16.1.2003 को आयोजित 30वीं बैठक में सभी राज्य अधिक भार लदान से संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से प्रवर्तन पर सहमत थे। इस बैठक में मोटर वाहन कराधान को युक्तिसंगत बनाने पर भी विचार–विमर्श किया गया था। तथापि, राजस्व घाटे के आधार पर कुछ राज्य करों को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में नहीं थे।

इस बैठक के दौरान बस बॉडी डिजाइन की मानक आधार पद्धति के आधार पर बस बॉडी निर्माण कार्य के विनियमन की आवश्यकता पर भी राज्यों में सहमति थी। राष्ट्रीय परमिटों के संबंध में राष्ट्रीय परमिट जारी करने के लिए होलोग्राम युक्त सुरक्षा मुद्रित वॉटर मार्क पेपर के प्रयोग के प्रवर्त्तन और राष्ट्रीय परमिट के लिए आवेदक द्वारा बैंक ड्राफ्ट हेतु ऐसे ही पेपर पर मुद्रित अलग रसीद के प्रावधान पर भी राज्य सहमत थे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए हाइड्रो कार्बन उत्सर्जन माप की शुरूआत तथा सन 2000 के बाद नई पीढ़ी के वाहनों के संबंध में कड़े उत्सर्जन मानकों पर भी सहमति थी।

सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी तीनों पहलुओं अर्थात, शिक्षा, प्रवर्त्तन और इंजीनियरी पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33004/96

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 600] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 1996/आश्विन 26, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1996

का.आ. 728 (अ)—केन्द्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, जल–भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं. का.आ. 479(अ) का अधिक्रमण करते हुए एतदद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न किस्म के परिवहन वाहनों (मोटर कैबों को छोड़कर) के संबंध में टायरों के आकार, स्वरूप और संख्या तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 95 के अनुसार टायरों द्वारा वाहन किए जाने के लिए अनुज्ञेय अधिकतम भार को ध्यान में रखतेहुए ऐसे वाहनों का अधिकतम सकल वाहन भार और प्रत्येक धुरी का अधिकतम सुरक्षित धुरी भार इस प्रकार होगा :

(i) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के अनुपालन के लिए जांच एजेंसियों द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रत्येक मेक और मॉडल के लिए क्रमशः सकल वहन भार और धुरी भार की वाहन निर्माता रेटिंग, अथवा

(ii) संबद्ध श्रेणी के लिए निम्नलिखित अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक वाहन का क्रमशः अधिकतम सकल वाहन भार और अधिकतम सुरक्षित धुरी भार, अथवा

(iii) टायर (टायरों) द्वारा वहन किए जाने के लिए अनुज्ञेय अधिकतम भार जैसा कि संबंधित मेक एवं मॉडल की धुरी पर लगे टायरों के आकार और संख्या के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 95 विनिर्दिष्ट है, इनमें से जो भी कम हो :

परंतु ऐसे सभी परिवहन वाहनों और बहुधुरीय वाहनों के संबंध में अधिकतम सकल वाहन भार सम्पूर्ण अधिकतम सुरक्षित धुरी भार के योग से अधिक नहीं होगा और वह उक्त अनुसूची में दिए गए अधिकतम सकल वाहन भार पर प्रतिबंध, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगा :

अनुसूची

क्र.सं.	परिवहन वाहन की श्रेणी	अधिकतम स.वा.भा. टन	अधिकतम सुरक्षित धुरी भार
1	2	3	4
I. दृढ़ वाहन			
(i)	**दो धुरी**	9.00	
	अगली धुरी पर एक टायर		अगली धुरी पर 3 टन
	पिछली धुरी पर दो टायर		पिछली धुरी पर 6 टन

1	2	3	4
(ii)	दो धुरी	12.0	
	प्रत्येक धुरी पर दो टायर		अगली धुरी पर 6 टन पिछली धुरी पर 6 टन
(iii)	दो धुरी	16.2	
	अगली धुरी पर एक टायर		अगली धुरी पर 3 टन
	पिछली धुरी पर-दो टायर		पिछली धुरी पर 10.2 टन
(iv)	तीन धुरी	25.0	
	अगली धुरी पर दो टायर और		अगली धुरी पर 6 टन
	पिछली टेंडम धुरी पर आठ टायर		पिछली टेंडम धुरी पर 19 टन
II. आधे जुड़े वाहन			
(i)	दोहरी धुरी वाली ट्रैक्टर	26.4	
	इकहरी धुरी वाली ट्रैक्टर		
	ट्रैक्टर :		
	अगली धुरी पर 2 टायर		अगली धुरी पर 6 टन
	पिछली धुरी पर 4 टायर		पिछली धुरी पर 10.2 टन
	ट्रेलर :		
	इकहरी धुरी पर 4 टायर		इकहरी ट्रेलर धुरी पर 10.2 टन
(ii)	दो धुरियों वाली ट्रैक्टर	35.2	
	टेंडम धुरी ट्रेलर		
	ट्रैक्टर :		
	अगली धुरी पर 2 टायर		अगली धुरी पर 6 टन
	पिछली धुरी पर 4 टायर		पिछली धुरी पर 10.2 टन
	ट्रेलर :		
	टेंडम धुरी पर आठ टायर		टेंडम धुरी पर 19 टन
(iii)	दो धुरियों वाला ट्रैक्टर	40.2	
	तीन धुरियों वाला ट्रेलर		
	ट्रैक्टर		
	अगली धुरी पर 2 टायर		अगली धुरी पर 6 टन
	पिछली धुरी पर 4 टायर		पिछली धुरी पर 10.2 टन
	ट्रेलर :		
	3 धुरियों पर 12 टायर		3 धुरियों पर 24 टन
(iv)	तीन धुरियों वाला ट्रैक्टर	35.2	
	इकहरी धुरी वाला ट्रेलर		
	ट्रैक्टर :		
	अगली धुरी पर दो टायर		अगली धुरी पर 6 टन
	टेंडम धुरी पर आठ टायर		पिछली धुरी पर 19 टन
	ट्रेलर :		
	इकहरी धुरी पर आठ टायर		इकहरी धुरी पर 10.2 टन
(v)	तीन धुरियों वाला ट्रैक्टर	44.0	
	टेंडम धुरी ट्रेलर		

1	2	3	4
	ट्रैक्टर :		
	अगली धुरी पर दो टायर		अगली धुरी पर 6 टन
	टेंडम धुरी पर आठ टायर		पिछली टेंडम धुरी पर 19 टन
	ट्रेलर :		
	टेंडम धुरी पर 8 टायर		टेंडम धुरी पर 19 टन
III. ट्रक-ट्रेलर जोड़			
(i)	दो धुरियों वाला ट्रक	36.6	
	दो धुरियों वाला ट्रेलर		
	ट्रक :		
	अगली धुरी पर दो टायर		अगली धुरी पर 6 टन
	पिछली धुरी पर 4 टायर		पिछली धुरी पर 10.2 टन
	ट्रेलर :		
	अगली धुरी पर 4 टायर		अगली धुरी पर 10.2 टन
	पिछली धुरी पर 4 टायर		पिछली धुरी पर 10.2 टन
(ii)	तीन धुरियों वाला ट्रक	45.4	
	दो धुरियों वाला ट्रेलर	(44.0 टन तक सीमित)	
	ट्रक :		
	अगली धुरी पर 2 टायर		अगली धुरी पर 6 टन
	पिछली टेंडम धुरी पर 8 टायर		पिछली टेंडम धुरी पर 19 टन
	ट्रेलर :		
	अगली धुरी पर 4 टायर		अगली धुरी पर 10.2 टन
	पिछली धुरी पर 4 टायर		पिछली धुरी पर 10.2 टन
(iii)	दो धुरियों वाला ट्रक	45.4	
	तीन धुरियों वाला ट्रेलर	(44.0 टन तक सीमित)	
	ट्रक :		
	अगली धुरी पर 2 टायर		अगली धुरी पर 6 टन
	पिछली धुरी पर 4 टायर		पिछली धुरी पर 10.2 टन
	ट्रेलर :		
	अगली धुरी पर 4 टायर		अगली धुरी पर 10.2 टन
	पिछली टेंडम धुरी पर 8 टायर		पिछली टेंडम धुरी पर 19.0 टन
(iv)	तीन धुरियों वाला ट्रक	54.2	
	तीन धुरियों वाला ट्रेलर	(44.0 टन तक सीमित)	
	ट्रक :		
	अगली धुरी पर 2 टायर		अगली धुरी पर 6 टन
	पिछली टेंडम धुरी पर 8 टायर		पिछली टेंडम धुरी पर 19 टन
	ट्रेलर :		
	अगली धुरी पर 4 टायर		अगली धुरी पर 10.2 टन
	पिछली टेंडम धुरी पर 8 टायर		पिछली टेंडम धुरी पर 19.0 टन

[फा.सं. आरटी–11021/11/95–एमवीएल]

के. आर. भाटी, संयुक्त सचिव

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 356] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2000/ज्येष्ठ 5, 1922

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क परिहन एवं राजमार्ग विभाग)

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2000

का.आ. 517 (अ)—केन्द्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, जल–भूतल परिवहन मंत्राल" (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं.का.आ. 728(अ) दिनांक 18 अक्तूबर, 1996 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के शीर्षक " II आधे जुड़े वाहन" के अंतर्गत, (V) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :

1	2	3	4
(vi)	तीन धुरी ट्रेक्टर	49.0	
	तीन धुरी ट्रेलर		
	ट्रेक्टर :		
	अगली धुरी पर दो टायर		अगली धुरी पर 6 टन
	टेंडम धुरी पर आठ टायर		पिछली टेंडम धुरी पर 19 टन
	ट्रेलर :		
	तीन धुरियों पर बारह टायर		तीन धुरियों पर 24 टन

[फा.सं. आरटी–11042/3/2000–एमवीएल]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

बी.एस.एन.एल. द्वारा आई.एस.डी. का परिचालन

1302. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बी.एस.एन.एल ने आई.एस. डी. का परिचालन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वी.एस.एन.एल. ने इस मामले पर बी.एस.एन.एल. के साथ किसी समझौते की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं। भारत संचार निगम लि. को अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा नेटवर्क स्थापित, संस्थापित, प्रचालित और अनुरक्षित करने तथा आईएलडी सेवा उपलब्ध कराने के लिए 29.1.03 को लाइसेंस दिया गया है। भारत संचार निगम लि. को आईएसडी सेवा अभी शुरू करनी है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

खसरे का उन्मूलन

1303. **श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आदिवासी समुदाय, जरावास लोगों की आधी आबादी खसरे में पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इन आदिवासियों को कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में खसरे के प्रकोप की समस्या बहुत गंभीर नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में 1999–2001 के दौरान खसरे के रोगियों की सूचित घटनाएं इस प्रकार हैं :

वर्ष	रोगियों की संख्या
1999	60
2000	182
2001	010

(ग) महामारी प्रवण संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यक्रम, अर्थात राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम को 1997 से राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जोकि कार्यक्रम की मानीटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह कार्यक्रम अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के पोर्ट ब्लेयर सहित देश के 101 जिलों में चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम का उद्देश्य रोग के फैलने के बारे में शुरू में ही चेतावनी देना तथा इस बारे में तेजी से आवश्यक कार्रवाई करना है।

कोचीन को अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्कता से जोड़ना

1304. **श्री रमेश चेन्नितला : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 34 एम.बी.पी.एस. लाइनों का उपयोग कर दिल्ली, मुम्बई और अन्य महत्वपूर्ण महामगरों में अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्कता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोचीन के लिए भी ऐसी किसी सम्पर्कता पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोचीन सहित दिल्ली, मुम्बई और अन्य मैट्रो शहरों में अन्तर्राष्ट्रीय संपर्कता 45 एमबीपीएस लाइनों का प्रयोग करके, समुद्री केबल प्रणाली के जरिए प्रदान की जा रही है।

अभिघात केन्द्र

1305. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को बंगलौर–मंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर हासन में अभिघात केन्द्र स्थापित करने के संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित नगरों/शहरों के राज्य अस्पतालों में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और उन्हें सुदृढ़ करने संबंधी प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत श्री जया चामराजेन्द्र हास्पिटल, हसन में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के वास्ते एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की जांच की गई है और कर्नाटक सरकार से कुछ और सूचना मांगी गई है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत

1306. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत यातायात के अनुकूल नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) उपलब्ध संसाधनों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और पत्तन संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 13,500 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने का कार्य शुरू किया गया है। धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन सड़क गुणता सुधार के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों की शेष लंबाई के अनुरक्षण का कार्य शुरू किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीपीटी और डब्ल्यूएलएल

1307. श्री के. ए. सांगतम : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002 के अंत तक सभी गांवों को कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की सरकार की नीति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में में विशेषकर नागालैंड में डब्ल्यूएलएल प्रणाली सहित वी.पी.टी. लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र में डब्ल्यूएलएल आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संस्थापित करने के लिए एसएसीएफए (फ्रीक्वेंसी संबंधी स्थाई सलाहकार समिति) की मंजूरी सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा नहीं दी गई थी, इसलिए प्राप्त किए गए कुछ उपकरणों का कहीं अन्यत्र उपयोग किया गया था। अब नए उपकरण प्राप्त किए जा रहे हैं।

(ग) दिसम्बर, 2003 तक नागालैंड राज्य सहित तकनीकी रूप से व्यवहार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के शेष सभी गांवों में डब्ल्यूएलएल आधारित दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

खेलों का विकास

1308. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए विभिन्न खेलों को भारी आदान उपलब्ध कराए गए थे;

(ख) यदि हां, तो गत ओलंपिक खेलों से उपलब्ध कराई गई धनराशि का खेल–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक खेल में प्राप्त की गई उप–लब्धियों से संतुष्ट है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक खेल की उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आगामी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं हेतु कोई सुधारात्मक कार्य योजना और तैयारियां शुरू की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले ओलंपिक खेलों से (गत तीन वर्षों में) किए गए कुल खर्च के खेल–वार संलग्न विवरण–। पर दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय खिलाड़ियों/टीमों द्वारा राष्ट्रमंडल (1958 से) और एशियाई खेलों (1951 से) में हासिल की गई उपलब्धियां संलग्न विवरण–II पर दी गई हैं।

(ङ) और (च) यह एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, आगामी राष्ट्रीय/अतंर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तैयारी करने के वास्ते, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भूतपर्व अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षण पद्धति विशेषज्ञों के परामर्श से एक दीर्घावधिक विकास योजना (एल.टी.डी.पी.) को अंतिम रूप दे रहा है।

विवरण-I

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान खेल–वार खर्च ब्यौरे

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2000–2001 कुल	2001–2002 कुल	2002–2003 (24.2.03 तक) कुल
1	2	3	4	5
1.	भारतीय एयरो क्लब	0	0	0
2.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ	630233	1220211	1355582
3.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	6386777	5277322	10556426
4.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ	0	1832000	2795514
5.	अखिल भारतीय कराटे–डो परिसंघ	0	0	0
6.	अखिल भारतीय बहिरंग खेल परिषद	769729	635166	871899
7.	भारतीय अम्येचोर एथलेटिक्स परिसंघ	0	7961000	9069998
8.	भारतीय अम्येचोर बेसबाल परिसंघ	825000	1080768	650000
9.	भारतीय अम्येचोर हैण्डबाल परिसंघ	6093637	337500	1475000
10.	भारतीय अम्येचोर कबड्डी परिसंघ	0	1286000	1037015
11.	भारतीय तीरंदाजी संघ	0	1967000	2156274
12.	भारतीय आत्या–पात्या परिसंघ	1059600	1192000	1100000
13.	भारतीय बैडमिंटन संघ	0	9496000	9727575

1	2	3	4	5
14.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	675000	1017100	1250000
15.	भारतीय बास्केट बाल परिसंघ	2098428	2762478	2807963
16.	भारतीय बिलियर्ड्स व स्नूकर परिसंघ	0	1423000	2017245
17.	भारतीय ब्रीज परिसंघ	0	0	0
18.	भारतीय साइकिल पोलो परिसंघ	344655	813778	994713
19.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ	870428	2107919	2340253
20.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ	0	1156000	6145634
21.	भारतीय मोटर खेल क्लब का परिसंघ	0	0	0
22.	भारतीय फेंसिंग परिसंघ	766037	314793	2831680
23.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ	2112286	6704411	7646326
24.	भारतीय अम्येचोर मुक्केबाजी परिसंघ	0	7198000	8321971
25.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	0	0	50000
26.	भारतीय गोल्फ यूनियन	0	0	2713716
27.	भारतीय गोल्फ यूनियन	0	1003000	0
28.	भारतीय हॉकी परिसंघ	0	17088000	5334819
29.	भारतीय कयाकिंग व केनोइंग परिसंघ	1167772	701030	2086136
30.	भारतीय ओलंपिक संघ	8253992	177050	44395362
31.	भारतीय पोलो संघ	106717	113186	176913
32.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ	600000	675000	1100000
33.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	0	2705000	2818713
34.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ	0	10419000	4177147
35.	भारतीय जूडो परिसंघ	2632334	5725366	2384011
36.	भारतीय खो–खो परिसंघ	950000	840000	1450000
37.	भारतीय कोर्फबाल परिसंघ	0	600000	1134539
38.	भारतीय लॉन टेनिस संघ	1875874	3843898	5405780

1	2	3	4	5
39.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	0	0	17398052
40.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	0	19117000	
41.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	650000	1125000	1200000
42.	भारतीय रोइंग परिसंघ	6390736	5216284	3312641
43.	भारतीय स्कूल खेल परिसंघ	627280	2022809	1484869
44.	भारतीय सेपक टाकरा परिसंघ	0	1176000	450000
45.	भारतीय शूटिंगबाल परिसंघ	0	1950000	0
46.	भारतीय साफ्टबाल परिसंघ	625000	825000	150000
47.	भारतीय स्क्वैश रैकिट परिसंघ	1358160	3500789	9646888
48.	भारतीय तैराकी परिसंघ	3151945	3525660	4302717
49.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ	6372784	5954016	6791925
50.	भारतीय ताईक्वांडो परिसंघ	0	0	826583
51.	भारतीय टेनिस कोईट परिसंघ	525000	1165200	900000
52.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ	150000	600000	1150000
53.	भारतीय थ्रो बाल परिसंघ	600000	175000	0
54.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ	450000	1200000	1150000
55.	भारतीय वालीबाल परिसंघ	2461336	3703156	4455489
56.	भारतीय महिला क्रिकेट संघ	0	38000	300000
57.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	0	10167000	7792112
58.	भारतीय याटिंग परिसंघ	6676106	8279739	9001038
59.	भारतीय वुशू संघ	0		750000
60.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ.	0		212000
	कुल	68256846	172241629	219252508

विवरण-11

भारत द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों में जीते गए पदकों के ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा

खेल विधा	1958			1966			1970			1974			1978			1982			1990			1994			1998			2002			कुल		
	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी
एथलेटिक्स	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1																	1	1	1	2	3
मुक्केबाजी	0	0	1				0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	3	8
बैडमिंटन				0	0	1							1	0	1	1	0	0							0	2	2	0	0	1	2	2	5
कुश्ती	1	1	0	3	2	2	5	3	1	4	4	3	3	2	4	4	2					0	2	3				3	3	–	23	22	11
भारोत्तोलन				0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	3	0	11	4	3	3	7	1	3	5	5	11	9	7	29	31	18
निशानेबाजी																0	1	1	1	1	3	3	2	2	4	2	1	14	7	3	22	13	10
जूडो																			0	0	2							0	1	1	0	1	3
टेबल टेनिस																												0	0	3	0	0	3
हाकी (महिला)																												1	0	0	1	0	0
कुल	2	1	1	3	4	3	5	3	4	4	6	4	5	4	4	5	8	4	12	5	9	6	11	7	7	10	8	30	22	17	79	74	61
वर्ष–वार योग	4			10			12			14			13			17			26			24			25			69			214		

भारतीय टीमों ने 1962 और 1986 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था।

जी = स्वर्ण, एस = रजत तथा बी = कांस्य पदक

भारत द्वारा एशियाई खेलों में जीते गए पदकों के ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा

खेल विधा	1951			1954			1958			1962			1966			1970			1974			1978		
	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी
तीरंदाजी																								
एथलेटिक्स	10	12	12	5	3	6	5	2	2	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	7	4	8	7	3
बैडमिन्टन																			0	0	1			
बास्केटबाल																								
बिलियर्ड्स																								
मुक्केबाजी							0	1	1	1	0	2	1	1	0	1	1	0	0	3	2	0	1	2
साईक्लिंग	0	1	2																					
घुड़सवारी																								
फुटबाल	1	0	0							1	0	0				0	0	1						
गोल्फ																								
हाकी							0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
जूडो																								
कबड्डी																								
कयाकिंग व कैनोइंग																								
रोइंग																								
निशानेबाजी										0	0	1							0	1	0	1	0	0
तैराकी	4	2	5	0	0	1										0	1	0						
ताईक्वांडो																								
टेनिस													0	0	1							0	0	1
बालीबाल							0	0	1	0	1	0												
भारोत्तोलन	2	2	2																					
कुश्ती				0	1	1				3	6	3	0	1	5	1	1	3	0	0	4	2	0	1
याटिंग																0	0	1				0	1	0
कुल	17	17	21	5	4	8	5	4	4	10	13	10	7	3	11	6	9	10	4	12	11	11	10	7
वर्ष–वार योग	55			17			13			33			21			25			27			28		

नोट : जी = स्वर्ण, एस = रजत तथा बी = कांस्य पदक।

भारत द्वारा एशियाई खेलों में जीते गए पदकों के ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा—जारी

खेल विधा	1982			1988			1990			1994			1998			2002			कुल		
	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी
तीरंदाजी																					
एथलेटिक्स	4	9	8	4	2	3	0	4	2	0	1	2	2	6	7	7	8	4	63	73	67
बैडमिन्टन	0	0	5	0	0	1													0	0	7
बास्केटबाल																					
बिलियर्ड्स													2	1	1	1	1	1	3	2	2
मुक्केबाजी	1	2	3	0	4	5	0	0	1	0	0	4	1	0	1				5	13	21
साईक्लिंग																			0	1	2
घुड़सवारी	3	1	1	0	0	2							0	0	1	0	0	1	3	1	5
फुटबाल																			2	0	1
गोल्फ	2	1	0													1	0	0	3	1	0
हाकी	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	3	10	2
जूडो				0	0	4				0	0	1							0	0	5,
कबड्डी							1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0
कयाकिंग व कैनोइंग																					
रोइंग										0	0	1							0	0	1
निशानेबाजी	0	2	1	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	2	1	0	2	0	2	8	7
तैराकी	0	0	1	0	1	0													4	4	7
ताईक्वांडो																0	0	1	0	0	1
टेनिस	0	1	0				0	0	1	2	0	1	0	0	4	1	1	2	3	2	10
बालीबाल				0	0	1													0	1	2
भारोत्तोलन	0	0	2	0	0	1	0	2	2	0	1	3	0	1	0				2	6	10
कुश्ती	1	1	2	1	0	2	0	1	1							0	0	1	8	6	23
याटिंग	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2				0	1	2	1	4	8
कुल	13	19	25	5	9	23	1	8	14	4	3	14	7	11	17	11	12	13	106	132	192
वर्ष—वार योग		57			37			23			23			35			35			430	

नोट : जी = स्वर्ण, एस = रजत तथा बी = कांस्य पदक।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से ऋण

1309. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की सड़क नेटवर्क परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को कितने चरणों में पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) यह ऋण राज्यीय सड़कों के 973 कि.मी. में उन्नयन और 2574 कि.मी. में बड़े पैमाने पर अनुरक्षण के लिए है। इसके अतिरिक्त, इस ऋण राशि का उपयोग सामाजिक और पर्यावरण उपायों, उत्तर प्रदेश सरकार के संस्थागत विकास, सड़क सुरक्षा के लिए प्रायोगिक परियोजना के लिए किया जाएगा।

(ग) यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जानी है। चरण–I में राज्यीय राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के 374 कि.मी. में उन्नयन और बड़े पैमाने पर सुदृढ़ीकरण और 808 कि.मी. में बड़े पैमाने पर अनुरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि शेष लंबाई में ये कार्य चरण–II में किए जाएंगे। चरण–II में चार बाइपासों और पांच बड़े पुलों का भी प्रावधान है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में चिकित्सा महाविद्यालय

1310. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में कर्नाटक सरकार द्वारा स्थानवार कितने चिकित्सा महाविद्यालय चलाए जा रहे हैं;

(ख) वर्तमान में कर्नाटक के प्रत्येक महाविद्यालय में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालयवार कितनी सीटें हैं;

(ग) क्या इन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में एमसीआई के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त शिक्षक और अन्य आधारभूत संरचनाओं की सुविधाएं हैं;

(घ) प्रत्येक महाविद्यालय में प्रतिवर्ष प्रत्येक छात्र पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार ने इन महाविद्यालयों में परास्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या पहले कम कर दी थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार को इन महाविद्यालयों में सीटों की संख्या कम करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) राज्य सरकार द्वारा चार मेडिकल कालेज चलाए जा रहे हैं जिनमें बंगलौर, मैसूर, हुबली और बेलारी में एक–एक हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कालेजों और अन्य संस्थाओं में एमबीबीएस पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की वर्तमान प्रवेश क्षमता इस प्रकार है :

क्र.सं.	मेडिकल कालेज का नाम	वर्तमान प्रवेश क्षमता	
		एमबीबीएस	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
1.	बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर	150	151
2.	मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर	100	151
3.	कर्नाटक इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हुबली	100	103
4.	विजयनगर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल कालेज, बेलारी	100	55

(ग) उपर्युक्त सभी मेडिकल कालेज/संस्थाएं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद उन्हें मान्यता प्रदान करने से पहले वहां उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की पुष्टि करती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद एमबीबीएस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध

सुविधाओं का पता लगाने के लिए समय–समय पर निरीक्षण करती है।

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा 1998 में किए गए अध्ययन के अनुसार सरकारी मेडिकल कालेजों में प्रति छात्र चिकित्सा शिक्षा पर 1994–95 से 1996–97 की अवधि के दौरान स्नातक स्तर पर औसत खर्च प्रतिवर्ष लगभग 3.15 लाख रुपए था। वर्ष 1994 की पहले की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर छात्र की चिकित्सा शिक्षा पर खर्च 71000/– रुपए से 1.46 लाख रुपए था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम

1311. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
योगी आदित्यनाथ :
श्री वाई. जी. महाजन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तपेदिक रोगियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए कोई धनराशि स्वीकृत/निर्गत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 1955–58 में फेफड़ों के क्षयरोग से पीड़ित रोगियों की व्याप्तता दर का पता लगाने के लिए पहला राष्ट्र–व्यापी सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण छह जोनों में किया गया ओर नमूने के तौर पर, 150 गांवों, 6 शहरों 30 कस्बों में रहने वाले 5 वर्ष की तथा इससे अधिक आयु के लगभग 3 लाख व्यक्तियों की जांच की गई। क्षयरोग के लिए उत्तरदायी कीटाणुओं की उपस्थिति की जांच करने के लिए थूक जांच करने के पश्चात उनका छाती का मास मिलिएचर एक्स–रे करवाया गया। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह पता चला कि प्रति हजार लोगों में से लगभग चार व्यक्ति फेफड़ों के संक्रामक क्षयरोग से पीड़ित थे। क्षयरोग से पीड़ित लोगों का विभिन्न जोनों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, भी यह ही अनुपात पाया गया। राज्य विशिष्ट कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

हर वर्ष जिन लोगों को नया क्षयरोग संक्रमण होता है, उनकी प्रतिशतता का पता लगाने के लिए 2000–02 में एक राष्ट्र–व्यापी क्षयरोग सर्वेक्षण किया गया है।

इसके परिणामों से पता चला है कि विभिन्न जोनों में लगभग 1.5 से 2 प्रतिशत तक लोगों को हर वर्ष नया क्षयरोग संक्रमण हो जाता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौराम राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किए गए धन का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी किए गए धन का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

राज्य	1999–00	2000–01	2001–02
1	2	3	4
अंडमान निकोबार	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	23.59	405.61	175.5
अरुणाचल प्रदेश	0.00	45.97	62.28
असम	14.37	8.09	35.05
बिहार	32.92	17.98	88.75
चंडीगढ़	0.00	18.05	8.39
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	36.22
दिल्ली	194.04	111.06	100.00

1	2	3	4
गोवा	0.00	0.00	7.82
गुजरात	205.91	270.93	285.67
हरियाणा	86.78	14.05	56.84
हिमाचल प्रदेश	53.07	233.29	113.5
जम्मू व कश्मीर	0.00	54.37	25.3
झारखंड	22.90	5.10	54.65
कर्नाटक	33.80	173.68	234.78
केरल	74.49	83.02	324
मध्य प्रदेश	43.38	89.30	202.6
महाराष्ट्र	189.72	765.97	919.51
मणिपुर	13.10	125.85	81.9
मेघालय	0.00	0.00	7.82
मिजोरम	0.00	0.00	9.6
नागालैंड	0.00	49.99	90.39
उड़ीसा	0.50	0.00	245
पांडिचेरी	0.50	0.00	2.4
पंजाब	0.00	38.74	145.34
राजस्थान	370.79	627.64	478.47
सिक्किम	0.00	46.61	28.94
तमिलनाडु	324.44	617.24	324.77
त्रिपुरा	0.00	0.00	12.47
उत्तर प्रदेश	211.03	156.37	393.89
उत्तरांचल	0.00	0.00	15.42
पश्चिम बंगाल	480.24	330.78	428.41
योग	2375.57	4289.69	4995.68

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौता

1312. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को छोटे आकार के उपग्रहों के संयुक्त उत्पादन और विपणन संबंधी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से समझौते के लिए प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) उक्त समझौते से इसरो को होने वाले संभावित लाभ का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां। कुछ अंतर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष उद्योगों ने एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन, जोकि छोटे/मध्यम उपग्रहों के संयुक्त रूप में उत्पादन और विपणन के लिए अन्तरिक्ष विभाग की विपणन इकाई है, के साथ संबंध कायम करने में अभिरूचि दिखाई है।

(ख) और (ग) इसरो द्वारा विकसित की गई क्षमताओं का अंतरराष्ट्रीय रूप में विपणन करने हेतु संभावनाओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त संबंध कायम करने के लिए एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन अमेरिका की लाकहीड मार्टिन और बोइंग अन्तरिक्ष प्रणालियों तथा फ्रांस की अल्काटेल अन्तरिक्ष उद्योगों जैसे अग्रणी अन्तरिक्ष उद्योगों के साथ संपर्क बनाए हुए है।

(घ) अग्रणी अंतरराष्ट्रीय अन्तरिक्ष विनिर्माण उद्योगों के साथ संबंध में कायम करने से भारत में विकसित उपग्रहों के लिए अत्यन्त प्रतिस्पर्धी विश्व बाजार में प्रवेश करने के अवसर और सहयोग प्राप्त होंगे। इससे अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इसरो द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमोचन सेवाओं और मिशन सहायता सेवाओं के अवसरों का भी विस्तार होगा।

पंचायत स्तर पर डाकघर

1313. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के ग्रामीण इलाकों में आम लोगों को हो रही असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वहां पंचायत स्तर पर नए डाकघरों को खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में खोले जाने वाले नए प्रस्तावित डाकघरों की जिलावार सूची क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, हां। नए डाकघर योजना स्कीम के अंतर्गत खोले जाते हैं बशर्ते कि निर्धारित मानदंड पूरे होते हों तथा अपेक्षित संसाधन उपलब्ध रहें।

(ख) वर्ष 2002–2003 के दौरान बिहार में खोले जाने वाले नए डाकघरों के जिलावार लक्ष्य का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

विवरण

उन जिलों के नाम जहां वर्ष 2002–2003 के दौरान नए डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है

क्र.सं.	जिले	डाकघर
1.	भोजपुर	1
2.	रोहतास	1
3.	नालंदा	1
4.	नवादा	1
5.	औरंगाबाद	1
6.	मुंगेर	1
7.	भागलपुर	1
8.	मुजफ्फरपुर	2
9.	सारन	2
10.	सीतामढ़ी	2
11.	दरभंगा	1
12.	बेगूसराय	1
	कुल	15

[अनुवाद]

सेल का विनिवेश

1314. श्री टीएच. चाओबा सिंह : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का विनिवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कंपनी का मूल्य आंकने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इस मामले में सीवीसी और उनके मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मक्का में हज यात्रियों की मौत

1315. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मक्का की यात्रा करने वाले कुछ भारतीय हज यात्रियों की मौत हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितने हज यात्रियों की मौत हुई है, कितने घायल हुए हैं और उनके नाम, पते और अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके निकट संबंधियों को कोई राहत, सुविधाएं और मुआवजा दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 2003 में हज की यात्रा पर गए कुल 1,16,078 भारतीय तीर्थयात्रियों में से अब तक 119 तीर्थयात्री मक्का और मदीना में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इसमें वे चार तीर्थयात्री भी शामिल हैं जो 11 फरवरी, 2003 को 'मीना' में मची भगदड़ में मारे गए थे। 21 फरवरी, 2003 तक मृत हुए सभी भारतीय तीर्थयात्रियों के नाम, पते आदि का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विवरण

क्र.सं.	नाम	केस नं.	पता	पास पोर्ट नं.	उम्र	लिंग	मृत्यु तिथि	एम.नं.	मृत्यु का कारण	मृत्यु का स्थान	राज्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मरियम बेन देउवा	जीजे 586/2	तोकारिया टीए–पालनपुर बदरपुरा, ताकारवाडा, जिला बनासकांठा, गुजरात	18177	66	स्त्री	1/11/2003	30	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मक्का	गुजरात
2.	मकबूल हसन	एमएच 2534/1	कमरा नं. 41, द्वितीय तल, नशेमन, एसएचजी सोसाइटी, सुरती मोहल्ला, वसील खान मार्ग, मुम्बई	11970	60	पुरुष	1/14/2003	49	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	महाराष्ट्र
3.	फातिमा बी	अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट	इस्लामपुर, सांगली जिला, महाराष्ट्र	ई–3327471	70	स्त्री	1/14/2003	13	एक्यूट मायोकार्डियल इनफेक्शन	मक्का	महाराष्ट्र
4.	चित्तायगदन हसैनर		चित्तायगदन हाउस, ओदियनचोला, इदक्करा पोस्ट, मल्लापुरम जिला, केरल	ई–0112421	73	पुरुष	1/17/2003	16	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	केरल
5.	साबिया बेगम मथाना मीरा	अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट	41/1, बाईपास रोड, पेत्तल, तिरुवरूर जिला, तमिलनाडु	ई–2939893	49	स्त्री	1/19/2003	37	रेस्पिरेटरी फेल्योर	मक्का	तमिलनाडु
6.	अबू बकर शाहुल हामिद मारियाकर		संख्या 3, पहली गली, एलआईजी कालोनी, न्यूरवसेमनपेट, मद्रास–8	ए–1908878	71	पुरुष	1/20/2003	26	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	तमिलनाडु
7.	अब्दुल मोहतेशिम	यूपी 2174–2	छतरी कम्पाउंड, रसालगंज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश	71638	82	पुरुष	1/21/2003	30	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	यूपी
8.	हलीमा बाई अब्दुल्ला	जीजे–714–2	ढल रोड मस्जिद के पीछे, जूनागढ़, पिन–362001	18632	48	स्त्री	1/23/2003	49	पल्मोनरी कोक्लियो, न्यूमोनिया, ब्रोन्काइल अस्थमा	मदीना	गुजरात
9.	पाकरान	केएल 1927/10	पलक्कांडियील, पोस्ट पोइलुर, तुमक्कुम	41473	68	पुरुष	1/23/2003		कार्डियाक अरेस्ट तथा रेस्पिरेटरी फेल्योर	जेएचटी जेद्दा	केरल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	दीन मोहम्मद	यूपी 2368–3	319 एफ, शाहाब नगर, कल्यानपुर, कानपुर, यूपी	72311	36	पुरुष	1/24/2003	26	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	यूपी
11.	सोहराब अली	बीआर–356–9	मिया बाजार, पूर्णिया सिटी, पूर्णिया	43656	70	पुरुष	1/24/2003	47	टीए पॉलाट्राउमा, (हेमरेजिक शॉक)	मक्का	बिहार
12.	अली मोहम्मद भट	जेके–261–6	सोनावार बाग, श्रीनगर	57851	75	पुरुष	1/26/2003	31	एक्यूट कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट	मक्का	जम्मू एवं कश्मीर
13.	शेख चांद	एमएच–4156–2	सदर बाजार, छोटी मस्जिद के पास, नागपुर, महाराष्ट्र–57851	14134	78	पुरुष	1/26/2003	14	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	महाराष्ट्र
14.	हलीमा	जेके–728–6	विलास वातागुण्ड, जिला 14134 पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर 60197	60197	57	स्त्री	1/26/2003	31	रोम्बोसाइटोपेनिय तथा डाइबिटीज मेलि	मक्का	जम्मू एवं कश्मीर
15.	अली हुसेन चिकानी	जीजे–334–2	अली मंजिल, मोदीबाड गेट, पिन 17241–361001, जामनगर	17241	66	पुरुष	1/26/2003	2	कार्डियो रेस्पिरेटरी फल्योर	मक्का	गुजरात
16.	अब्दुल वाहिद	जीएन–298–9	17, ईस्ट स्टेट, मंगलम पेठ कुड्डालूर, तमिलनाडु	32069	78	पुरुष	1/26/2003	8	एक्यूट कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मक्का	तमिलनाडु
17.	मोइदीन कुट्टी	केएल–667–9	गांव अरिकुलम, पोस्ट–अरिकुलम, जिला कोझीकोड, केरल	36800	78	पुरुष	1/26/2003	25	रेस्पिरेटरी फेल्योर	मक्का	केरल
18.	अबू बकर कुट्टी		हासनकाठ पुलिक्कल, पीओ–निरमारतूर, तिरूर (वाया) मल्लापुरम, केरल	बी–3221847	72	पुरुष	1/26/2003	16	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	केरल
19.	मोहम्मद इसाक	अन्तर्राष्ट्रीय	चिरायन कीगलूह, त्रिवेन्द्रम, केरल	ई–3093235	67	पुरुष	1/26/2003	62	एक्यूट मायोकार्डियल इनफेक्शन	मदीना	केरल
20.	जाहिद अली	यूपी–3813/3	21 अहमद नगर, दूधपुर सिविल लाइन्स, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	76193	65	पुरुष	1/27/2003	14	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	यूपी
21.	फजल अहमद	यूपी–722–3	88/68, चमनगंजी, पेशकार रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश	66948	75	पुरुष	1/27/2003	22	एक्यूट मायोकार्डियल इनफेक्शन	मक्का	यूपी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	जुबैदा खातून	बीआर–134–5	गांव–बाढ़ चाकण्ड, गया, बिहार	42905	65	स्त्री	1/27/2003	56	कार्डियो–पल्मोनरी फेल्योर	मक्का	बिहार
23.	मोहम्मद नाकी	यूपी–1776–10	निहारगढ़, जगदीश पुर गावं, जिला सुल्तानपुर, पिन–227809 उत्तर प्रदेश	70345	62	पुरुष	1/28/2003	39	कार्डियो–पल्मोनरी फेल्योर	मदीना	यूपी
24.	अब्दुल गनी मीर	जेके-–717–9	अचगोजा केलर, जिला पुनवामा जम्मू एवं कश्मीर	60128	62	पुरुष	1/29/2003	31	इन्ट्रा सेरेब्रल हेमरेज (सीवीए)	मक्का	जम्मू एवं कश्मीर
25.	पुलाकुलियाला मोहम्मद	अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट	लुलक्कुजाइल हाउस, पीओ–वेलिला मानलीड वाया मल्लापुरम, केरल	ए– 780363	44	पुरुष	1/29/2003	5	हैड इंजरी सड़क यातायात दुर्घटना के कारण	मदीना	केरल
26.	मुल्ला वीतिल इम्बिच अहमद हाजी		वेलतादाठ हाउस, नल्लालम बाजार, पीओ–नल्लालम, जिला–कोझीकोड	ई-- 403521	88	पुरुष	1/29/2003	5	हैड इंजरी–मौके पर ही मौत–सड़क यातायात दुर्घटना के कारण	मदीना	केरल
27.	नूर मोहम्मद	आरजे–959–2	642, बिसातियों का मोहल्ला, रामगंज मस्जिद के पास, जयपुर, राजस्थान	79901	66	पुरुष	1/30/2003	47	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	राजस्थान
28.	अब्दुल अजीज कोची	जेके–1215–7	रानीपुरा जिला–अनन्तनाग, जम्मू एवं कश्मीर	63043	70	पुरुष	1/27/2003	30	हैड इंजरी–सड़क यातायात दुर्घटना के कारण	मक्का	जम्मू एवं कश्मीर
29.	अमीना	अन्तर्राष्ट्रीय	रोज महल, पोइलीकावू, एइक्कुलम, जिला कोझाकोड–673306, केरल	ई– 2894423	72	स्त्री	1/31/2003	22	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मदीना	केरल
30.	केदार मीराल	टीएन–647–8	5–77, मेन रोड, पेतलपुदुर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	33339	69	स्त्री	1/31/2003	31	एक्यूट मायोकार्डियल इनफैक्शन	मक्का	तमिलनाडु
31.	जैनबा अजीज पुथुवेलाइल	अन्तर्राष्ट्रीय	पुथुविले हाउस, पोनकुन्नम, चिरक्कदम, पोस्ट कोट्टायम जिला, केरल	वी– 112254	55	स्त्री	1/31/2003	22	कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट	मदीना	केरल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	वालियादी मोहम्मद	अन्तर्राष्ट्रीय	वालियादी आउस, कालिंगो काप्पू, मन्नोजाक्कड कॉटेज, पीओ पलक्काड़ जिला केरल	ई–3819750	67	पुरुष	1/31/2003	22	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मदीना	केरल
33.	इमामी	यूपी–130–3	124, टांडा, नया गांव, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश	65010	53	पुरुष	2/1/2003	47	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	उत्तर प्रदेश
34.	मोहम्मद सुमान सोफी	जेके–364–8	आरामपुरा, कमरवाड़ी, श्रीनगर	58322	63	पुरुष	2/1/2003	30	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	जम्मू एवं कश्मीर
35.	थुट्टोमूचिक्कल मरियम्मा	अन्तर्राष्ट्रीय	23–279ए, ताट्टिमुदिक्कल हाउस, कान्यम पीओ, पलक्काड़ जिला, केरल	ई–2656791	55	स्त्री	2/1/2003	14	कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट	मदीना	महाराष्ट्र
36.	अब्दुल सत्तार शेख अहमद		मुगलई बाजार, परातवाड़ा, अमरावती, महाराष्ट्र	ई–3281556	73	पुरुष	2/1/2003	23	कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट	मदीना	महाराष्ट्र
37.	मोहम्मद आरिफ	यूपी–1814–1	पीओ सांपला खाटिया, गांव–तिथिकी, देवबन्द, जिला–सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	70489	65	पुरुष	2/2/2003	22	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मक्का	उत्तर प्रदेश
38.	शौकत अली	अन्तर्राष्ट्रीय	मोहल्ला–लाओमानपुरा, कीरतपुर, जिला–बिजनौर, उत्तर प्रदेश	ई–0017745	73	पुरुष	2/3/2003	61	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	उत्तर प्रदेश
39.	हलीमा बी	एपी–92–3	हाउस नं. 17–2–1137/3, रीन बाजार, याकूतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	26353	67	स्त्री	2/3/2003	25	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	आन्ध्र प्रदेश
40.	अब्दुस्सत्तार खान	यूपी–1748–1	मोहल्ला सुभाव टोली, जमानिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	70227	73	पुरुष	2/3/2003	14	कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट	जेद्दा	उत्तर प्रदेश
41.	गुलाम मोहम्मद अब्दुल हमीद	अंतर्राष्ट्रीय	223, सलाई स्ट्रीट, अजीमपेटा–पीओ पानासम–टीके, तंजौर, तमिलनाडु	ई–1306467	61	पुरुष	2/4/2003	37	एक्यूट मायोकार्डियल इनफेक्शन	मक्का	तमिलनाडु
42.	शकूर अहमद	अन्तर्राष्ट्रीय	मोहल्ला आजाद नगर, मंडी समिति रोड, जिला–सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	ई–1125718	74	पुरुष	2/4/2003	49	रेस्पिरेटरी फेल्योर	मक्का	उत्तर प्रदेश
43.	कयामुद्दीन	1403/10	गांव–पारस काड़ा जिला–कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश	69148	70	पुरुष	2/4/2003	62	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	नसीरूद्दीन	अन्तर्राष्ट्रीय	मोहल्ला तेहाई, मवाना कलां, मेरठ, उत्तर प्रदेश	ई–2878116	71	पुरुष	2/5/2003	23	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	उत्तर प्रदेश
45.	गुलामुद्दीन बिजली	जेके–946–7	सईद करीम साहिब, बारामुला, जम्मू एवं कश्मीर	61528	64	पुरुष	2/5/2003	57	कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट	मक्का	जम्मू एवं कश्मीर
46.	मायन	केएल–582–6	बशीरघर कादीरूर, कन्नूर जिला केरल	36446	60	पुरुष	2/5/2003	58	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	केरल
47.	शमशाद अहमद शेख	एमएच–2306–8	666, ट्रांजिट केम्प, चाल नं. 15, कमरा नं. 002, बीजे मार्ग, मुम्बई, महाराष्ट्र	11380	60	पुरुष	2/5/2003	13	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मदीना	महाराष्ट्र
48.	शीरीन शेख	एमएच–630–4	पेश इमाम चाल, कमरा नं. 1, एलबीजी मार्ग, अशोक मिल के सामने, मुम्बई	5763	25	स्त्री	2/6/2003	15	एक्यूट रीनल फेल्योर	मक्का	महाराष्ट्र
49.	इदरीसा खातून	अन्तर्राष्ट्रीय	मकान संख्या 104–8, बागपत गेट मकसूद अली चौक, मेरठ, उत्तर प्रदेश	ई–1755796	64	स्त्री	2/6/2003	25	सडिन कार्डियो अरेस्ट	मदीना	उत्तर प्रदेश
50.	कमालुद्दीन	एमएच–499–6	गुरूवारपेठ, महगल आकीज के पास, मिरज, सांगली, महाराष्ट्र	5334	58	पुरुष	2/7/2003	22	कार्डियो रोस्पिरेटरी अरेस्ट	मक्का	महाराष्ट्र
51.	सुगराबी बशीर इनामदार	अन्तर्राष्ट्रीय	अन्तरिक्ष हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, सी–1/104, पिम्परी, पूना	ई–3839819	53	स्त्री	2/8/2003	23	एक्यूट मायोकार्डियल इनफेक्शन	मक्का	महाराष्ट्र
52.	मोहम्मद रमजानी अहमद	अन्तर्राष्ट्रीय	हाउस नं. 30, गली नं. 17, अहमद नगर, कांचल पूल, लाखीपुरा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश	ए–3883876	49	पुरुष	2/8/2003	23	कार्डियो पल्मोनरी फेल्योर अरेस्ट	मक्का	उत्तर प्रदेश
53.	शेख मोहम्मद सिद्दीक	अन्तर्राष्ट्रीय	मार्फत गुलाब नबी, टीगरा कालोनी, पोस्ट–सोनपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश	ई–3472077	71	पुरुष	2/8/2003	62	कार्डियो अरेस्ट	मक्का	मध्य प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.	मोहम्मद अब्दुल खालिक	अन्तर्राष्ट्रीय	बानूग्राम, नीलम बाजार, करीमगंज, असम	ई–3770200	65	पुरुष	2/8/2003	62	कार्डियो अरेस्ट	मक्का	असम
55.	हसन भाई सल्लूभाई मजिक	अन्तर्राष्ट्रीय	ननीम लेकवास, खपकीमा, कलोल, गांधी नगर, गुजरात	ई–4068132	75	पुरुष	2/8/2003	39	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मक्का	गुजरात
56.	अलवी वत्तापराम्बिल	अन्तर्राष्ट्रीय	वत्ता पराम्बिल हाउस, जैन मंदिर रोड, पीओ–वारदीर, वायनाड जिला, 6731121, केरल	ई–2967978	63	पुरुष	2/8/2003	37	अचानक हृदयाघात	मक्का	केरल
57.	नसीबन	आरजे–610–9	मोहल्ला कस्साबां, सुभाष रोड, बीकानेर, राजस्थान	55448	90	स्त्री	2/8/2003	57	सेप्टिक शाक	मक्का	राजस्थान
58.	मोहम्मद अली मारेकर	अन्तर्राष्ट्रीय	प्लाट संख्या 29, फ्रेंच टीचर स्ट्रीट, कराइकल पांडिचेरी	ए–5317881	63	पुरुष	2/8/2003	37	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मक्का	पांडिचेरी
59.	अबू बकर	केएल–427–4	पुलियानियील हाउस, जिला–पलक्काड, केरल	35830	61	पुरुष	2/10/2003	50	कार्डियाक अरेस्ट	मुनानेंट	केरल
60.	अहमद पाशा मोहम्मद	एपी–1229–2	हाउस नं. 23–1–593, मुगलपुरा, बीबी बाजार, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	29861	49	पुरुष	2/10/2003	50	कार्डियाक अरेस्ट	अलवादी अस्पताल मुना	आन्ध्र प्रदेश
61.	साल्तान अहमद	एमएच–4046–3	भाजी मंडी, केम्पटी, जिला–नागपुर, महाराष्ट्र	13716	54	पुरुष	2/10/2003	14	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	जनरल अस्पताल, मुना	महाराष्ट्र
62.	चांद बी	एपी–460–5	हाउस नं. 5–5–274/70/1, पटेल नगर, नामपल्ली हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	27429	45	स्त्री	2/11/2003	47	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मुना केम्प पेडेस्ट्रियन रोड	आन्ध्र प्रदेश
63.	सरवर फातिमा	एपी–640–5	हाउस नं. 5–5–274/70/1, पटेल नगर, नामपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	27428	47	स्त्री	2/11/2003	47	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मक्तब, मुना पेडेस्ट्रियन	आन्ध्र प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.	खालिद मोहम्मद फारूख अन्सारी	अन्तर्राष्ट्रीय	281, हजर कुली, मालेगांव, महाराष्ट्र	ई–319161	52	स्त्री	2/8/2003	25	कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर	मक्तब सं. 26 के पास मुना पेडे–स्ट्रियन रोड	महाराष्ट्र
65.	मोहम्मद फारूक	यूपी–907–5	डी–28/77, पांडेय हवेली, बंगाली टोला, जिला–वाराणसी, उत्तर प्रदेश	67485	66	पुरुष	2/8/2003	58	मासिव मायोकार्डियल इनफेक्शन	अल जेसर अस्पताल मीना	उत्तर प्रदेश
66.	मुन्नी बेगम	यूपी–3133–9	गांव मस्तालीपुर, ठाकुरवाड़ा, रघु वाला, जिला मुराबदाबाद	74574	65	स्त्री	2/8/2003	62	कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट	मक्का	उत्तर प्रदेश
67.	अब्दुल लतीफ	यूपी–1153–10	मोहल्ला मदीना मस्जिद, कोटकेदार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश	68288	65	पुरुष	2/8/2003	14	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मीना पेडेस्ट्रियन रोड	उत्तर प्रदेश
68.	मुनव्वर अली	यूपी–335–2	512/519, निशातगंज, दूसरी गली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	65660	74	पुरुष	2/10/2003	23	कार्डियाक अरेस्ट	मीना केम्प मक्तब नं. 23	उत्तर प्रदेश
69.	रहमान अली	एएस–14–2	साउथ सरनाई, वाहाटी–781007, जिला कामरूप, असम	44034	66	पुरुष	2/10/2003	50	कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट	मक्तब नं. 50 मीना	असम
70.	मोहम्मद नूरूल होदा	बीआर–564–2	चिमनापुर, लालगंज, वैशाली, पिन–844121, बिहार	46192	65	पुरुष	2/10/2003	31	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	बिहार
71.	बुखारी ईसामुद्दीन	अन्तर्राष्ट्रीय	सबशिव नगर, बेलगांव–590001, कर्नाटक	बी–5350735	70	पुरुष	2/11/2003	16	कार्डियो पल्मोनरी फेल्योर	मक्का	कर्नाटक
72.	मोइद्दीन वदाक्के कुन्नोठ	अन्तर्राष्ट्रीय	अमीना विला, पीओ कडालूर, वाया कोईलांडी, जिला–कोझीकोड, केरल	ई–0617910	73	पुरुष	2/11/2003	13	कार्डियो अरेस्ट	मक्तब नं. 13, मीना	केरल
73.	सकीना बाई मोहम्मद सैद	केए–525–4	8/3, रतनसिंह रोड, फ्रेजर आउन, बंगलौर	23915	65	स्त्री	2/12/2003	25	कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर	मीना टेंट नं. 108/बी–ए	कर्नाटक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	बातक्कनेजी पराम्बिल	अन्तर्राष्ट्रीय	हाउस नं. एपी IX/442, पीओ अरूर, अलिप्पुजा, केरल	ए–3914348	71	पुरुष	2/12/2003	13	कार्डियो अरेस्ट	मक्का	केरल
75.	नहूर मीरा लाबा	केएल–641–6	मानकोड चिता, कोल्लम, केरल	36714	70	पुरुष	2/12/2003	62	कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट	मक्का	केरल
76.	खलीलुर रहमान	एएस–46–2	सांतिपुर मस्जिद मेन रोड, भारालुमुख, जिला–कामरूप, गुवाहाटी, असम	44166	71	पुरुष	2/13/2003	50	कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट	मीना	असम
77.	अब्दुल लतीफ	जीक्यूयूपी–248–3	12/1825–26, सराय हिशामुद्दीन, लाखीगेट, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	78251	70	पुरुष	2/12/2003	15	एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन	जमारत	उत्तर प्रदेश
78.	पिड्ढदा हुसैन	यूपी–433–7	मोहल्ला भले भाई खां, सराय तारिन, मोरदाबाद, उत्तर प्रदेश	65959	64	पुरुष	2/13/2003	16	कार्डियाक अरेस्ट	मीना	उत्तर प्रदेश
79.	मजलिन्निसा	एमएच–808	वापी ट्रांसपोर्ट नगर, कुरला, गार्डन, एलबीएस मार्ग, कुरला पश्चिम मुम्बई	6361	55	स्त्री	2/11/2003	22	कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर	मीना	महाराष्ट्र
80.	आवरान तायत्तुचीरा	अन्तर्राष्ट्रीय	ओतुक्कुंगई, जिला कोझीकोड, केरल	ई–2659411	62	पुरुष	2/13/2003	37	हृदयाघात	मीना	केरल
81.	एतेशाम अली अन्सारी	यूपी–3353–2	संख्या 16 लताउशे रोड, अमीनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	75042	59	पुरुष	2/13/2003	23	कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर	मीना	उत्तर प्रदेश
82.	अब्दुल हसन	टीएन–747–1	357, सी एल रोड, खादरपेट, वनिया–मबादी, वेल्लूर, तमिलनाडु	33626	68	पुरुष	2/13/2003	8	कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर	मक्का	तमिलनाडु
83.	अनवरी	यूपी–854–2	नोनियाडीळ, फूलपुर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	67343	55	स्त्री	2/14/2003	23	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	उत्तर प्रदेश
84.	अब्दुल्ला कुट्टी	केएल–1283–2	तलानचेरी हाउस, मल्लापुरम, केरल	39320	68	पुरुष	2/14/2003	50	कार्डियो रेस्पिरेटरी	मक्का	केरल
85.	खदीजा किजाक्केतिल	अन्तर्राष्ट्रीय	वालमपुर जिला–मल्लापुरम, केरल	ए–6295521	80	स्त्री	2/14/2003	25	कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर	मक्का	उत्तर प्रदेश
86.	मोहम्मद बशी	यूपी–2471-6	574, पुरानी सब्जी मंडी, जिला–फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	72664	77	पुरुष	2/14/2003	31	कार्डियो रोस्पिरेटरी फेल्योर	मक्का	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.	पातुन्नी अब्दुल कादिर	अन्तर्राष्ट्रीय	कोबानकुडी आउस, पी ओ पवूर, वाया मंजेश्वर, जिला–कासारगोड, केरल	ई– 3797313	70	पुरुष	2/12/2003	10	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	केरल
88.	कुन्जी मोयती	अन्तर्राष्ट्रीय	थेवल कुन्नूमोल, मेनजानयम रोड, पेरामिएरा, जिला–कोझीकोड, केरल	बी– 3872979	68	पुरुष	2/14/2003		कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मदीना	केरल
89.	मजीद बुन्दो	अन्तर्राष्ट्रीय	गांव नागल राजपूत पीओ लखनावती, थाना गंगोह, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	ई– 2879722	70	पुरुष	2/13/2003		पोस्ट क्रान्लोटॉमी एपीड्यूरल हेमेटुमा	मक्का	उत्तर प्रदेश
90.	मोहम्मद अब्दुल अजीज	1187–3	हाउस नं. 5–1–156, शान्ति नगर वार्ड संख्या 23, खम्माम	29739	70	पुरुष	2/11/2003	21	कार्डियाक अरेस्ट	अल हीरा अस्पताल	आन्ध्र प्रदेश
91.	कुनामहिन कुट्टी	अन्तर्राष्ट्रीय	चेखरान कोड, पीओ–चेम्मांदी, जिला कासारगोड, केरल	बी– 0488743	75	पुरुष	2/15/2003	13	अचानक हृदयाघात	मक्का	केरल
92.	शकीला बेगम	अन्तर्राष्ट्रीय	संख्या 8/1, आठवां, क्रास, कोम्पैया ब्लाक, मुबारक मोहल्ला, जेसी नगर बंगलौर	ए– 4886416	65	स्त्री	2/15/2003	56	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मक्का	कर्नाटक
93.	महताब खान	यूपी–2743-7	सतपेड़ा नसीरबाद, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश	73459	70	पुरुष	2/16/2003	21	रेस्पिरेटरी फेल्योर	मक्का	उत्तर प्रदेश
94.	मुल्लनमदायन अयूब	अन्तर्राष्ट्रीय	मुल्लनमदायन हाउस, अपहिल पीओ, मल्लापुरम, केरल	ई– 2296817	70	पुरुष	2/16/2003	62	डाइबेटिक केटोआसइडोसिस	जेद्दा	केरल
95.	जान मोहम्मद	यूपी–3688–1	जालेपुर, हथियागढ़, गोंडा उत्तर प्रदेश	75890	65	पुरुष	2/17/2003	31	कार्डियो रेस्पिरेटरी	मक्का	उत्तर प्रदेश
96.	सईद अली कासिम	एपी–436–6	हाउस नं. 16-628 हेप्पी नूक, मुशेराबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	27366	62	पुरुष	2/17/2003	50	कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट	मक्का	आन्ध्र प्रदेश
97.	अमीना	एमएच–1827–7	हाउस नं. 733, खुशामदपुरा, मालेगांव, नारिक	9951	54	पुरुष	2/17/2003	22	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	महाराष्ट्र
98.	उमर अहमद करानी	अन्तर्राष्ट्रीय	मंगलेश्वर रोड, मोटा सलाया, मांडवी, कच्छ	ई– 1820978	66	पुरुष	2/17/2003	39	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	गुजरात

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.	अब्दुल खालिद	यूपी–2429–1	आजाद नगर, कानपुर रोड, चिल्लावां, मनीशनगर, लखनऊ	72534	75	पुरुष	2/12/2003	23	हेमीप्लेजिया (राइट)	मक्का	उत्तर प्रदेश
100.	अब्दुल्ला	केएल–1476-10	सीपी IV, 156, नई मारमूला, विद्यानगर, जिला–कासारगोड–671123, केरल	39989	59	पुरुष	2/17/2003	58	मासिव मायोकार्डियल इनफेक्शन	मक्का	केरल
101.	शेख रसीद मोहम्मद उमर	अन्तर्राष्ट्रीय	अम्मा मंजिल, आउस नं. 226 भारस्कर कालोनी लालटकी, अहमद नगर–414001	ई–3460423	69	स्त्री	2/17/2003	13	कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर	मक्का	महाराष्ट्र
102.	खदीजा अंगीलत	अन्तर्राष्ट्रीय	अंगिलत हाउस, पी ओ कुन्हीमंगलम, कन्नूर, 670309, केरल	ई–2659130	75	स्त्री	2/17/2003	22	रेस्पिरेटरी फेल्योर	मक्का	केरल
103.	अमीररूद्दीन	अन्तर्राष्ट्रीय	संख्या 9814, पहला मेन रोड, पांचवां क्रास, आकैतपुरम, बंगलौर–560021	बी–2749088	68	पुरुष	2/18/2003	12	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	कर्नाटक
104.	मोहम्मद सोफी शेख	अन्तर्राष्ट्रीय	शेख हुसैन, गांव देवुख जिला–रायचूर, मैसूर, कर्नाटक	पी–589898	70	पुरुष	2/18/2003	26	मायोकार्डियल इनफेक्शन	मक्का	कर्नाटक
105.	हादीसुन्निसा	एमएच–2309–3	181, कासम हाजी वली चाल, कमरा नं 5 अहमद उमर स्ट्रीट, मुम्बई–400008	11392	60	स्त्री	2/18/2003	13	एक्यूट कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर	मक्का	महाराष्ट्र
106.	रिन्दानी आदम हसन	अन्तर्राष्ट्रीय	89191, दाबा भाई मैंशन, आरिफ उस्मान, बाजार बिल्डिंग, चौथा तल, कमरा नं. 22, मुम्बई	ई–1025533	16	पुरुष	2/14/2003	16	कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर	मक्का	महाराष्ट्र
107.	कासम	एमएच–4086–5	गाविलपुरा, रोड नं. 1, कारंजलाद, जिला वाशिम, महाराष्ट्र	13866	68	पुरुष	2/18/2003	47	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	महाराष्ट्र
108.	कतीब रऊफ अब्दुल सुभान	अन्तर्राष्ट्रीय	संख्या 19, बेंकट रामन हवलदार स्ट्रीट, कस्बा, वेल्लूर, तमिलनाडु	ए–6939705	64	पुरुष	2/19/2003	26	कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट	मक्का	तमिलनाडु

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.	गुलाम रसूल अहंगर	जेके–1058–6	रैंगपथ, काजियाबाद, डांगीवाचा, 193303, जिला कुपवाड़ा, जम्मू एवं कश्मीर	62208	70	पुरुष	2/28/2003	30	पॉलाट्राउमा रोड ट्रेफिक एक्सीडेंट	मक्का	जम्मू एवं कश्मीर
110.	अब्दुल हमीद हसन	अन्तर्राष्ट्रीय	हाउस नं. 9–5–449, खुदवाई नगर, नांदेड़, महाराष्ट्र	ई–3280100	79	पुरुष	2/19/2003	23	रेस्पिरेटरी फेल्योर	मक्का	महाराष्ट्र
111.	जमालुल्लाह बाशा शाइक	एपी–1390–4	हाउस नं. 22–6–129, मचलीकामन, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	30309	66	पुरुष	2/19/2003	50	कार्डियो रोस्पिरेटरी अरेस्ट	जेद्दा	आन्ध्र प्रदेश
112.	मोहम्मद इस्माइल	यूपी–2352–8	गांव छालवा, भींगा जिला–श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश	72268	66	पुरुष	2/19/2003	39	कार्डियो रेस्परेटरी अरेस्ट	मक्का	उत्तर प्रदेश
113.	अम्माद	केएल–296–6	वलील अहमद अदुकात, पीओ कुत्तलाडी, कालीकट, कोंझीकोड	35242	65	पुरुष	2/20/2003	25	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	केरल
114.	सईद अजीम	एमएच–1006–6	गांव एवं पी ओ सतोना, तालुका–पारस्तुर जालना, पिन–431502	7105	70	पुरुष	2/12/2003	13		मीना केम्प	महाराष्ट्र
115.	इस्माइल हसनाजी चाकी	अन्तर्राष्ट्रीय	वोहरावाड पीओ बोधां ताल मांडवी जिला–सूरत-394140, गुजरात	ई–4071057	61	पुरुष	2/20/2003	5	कार्डियाक अरेस्ट	मक्का	गुजरात
116.	अकबर अली सरदार	डब्ल्यूबी–188–8	झींका, भासला, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल	47368	63	पुरुष	2/20/2003	32	ब्रोन्को न्यूमोनिया	मक्का	पश्चिम बंगाल
117.	मोहम्मद इलियास	डीएल–420–2	बी–19, अरूना नगर, मजनूं का टीला, सिविल लाइन, दिल्ली	50266	52	पुरुष	2/21/2003	30	कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट	मक्का	दिल्ली
118.	मुल्लमदायन अयूब	अन्तर्राष्ट्रीय	मुल्लमनमदायन हाउस, अपहिल पीओ, मल्लापुरम, केरल	ई–2296817	70	पुरुष	2/16/2003	62	डाइबेटिक केटोआसाइडोसिस	जेद्दा	केरल
119.	कुंजुम्मा	केएल–367–6	ताजातेरी हाउस	35568	77	स्त्री	2/15/2003	50	कार्डियाक अरेस्ट	जेद्दा	केरल

भागलपुर दूरभाष केन्द्र का कार्यकरण

1316. श्री सुबोध राय : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दूरभाष केन्द्रों का, विशेषकर भागलपुर, बिहार के दूरभाष केन्द्र का उनकी क्षमता के अनुकूल अधिकतम उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त दूरभाष केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) नए कनेक्शनों के लिए दूरभाष केन्द्रों में कितने आवेदन लंबित पड़े हुए हैं; और

(घ) इन सभी लंबित आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता का उपयोग तत्काल मांग, संस्थापना के बाद मांग में वृद्धि, टेलीफोन एक्सचेंजों के मानक आकार आदि जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है। परिणामस्वरूप, एक्सचेंज क्षमता के उचित उपयोग के लिए सामान्य प्रत्याशा ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष के भीतर 70 प्रतिशत क्षमता उपयोग एवं शहरी क्षेत्रों में एक वर्ष के भीतर लगभग 85 प्रतिशत उपयोग की है। आमतौर पर इन मानदण्डों का अनुपालन भागलपुर के अनेक एक्सचेंजों सहित देश भर में किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त सामान्य प्रत्याशा को पूरा नहीं करने वाले ग्रामीण और शहरी एक्सचेंजों की सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) भागलपुर गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) के टेलीफोन एक्सचेंजों में नए कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदनों की संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(घ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को मार्च, 2004 तक प्रगामी रूप से कनैक्शन दे दिए जाने की संभावना है।

विवरण-I

85 प्रतिशत से कम क्षमता का उपयोग करने वाले शहरी एक्सचेंजों की सूची (भागलपुर एसएसए)

क्र.सं.	एक्सचेंज	एसडीसीए	उपस्कर की किस्म	31.1.03 की स्थिति			% उपयोग
				क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें	प्रतीक्षा सूची	
1.	अमरपुर	अमरपुर	एमबीएम 2के	2000	933	21	46.65
2.	बंका	बंका	1.4 के + 1 के एसबीएम	2400	1794	17	74.75
3.	मिरजनहाट	भागलपुर	ओसीबी आरएसयू	2000	1280	80	64
4.	नाथ नगर	भागलपुर	आरएलयू	3000	2013	8	67.1
5.	सुल्तानगंज	भागलपुर	आरएलयू	2000	1128	22	56.4
6.	तिलकामांझी	भागलपुर	ओसीबी आरएसयू	2000	1235	45	61.75
7.	कहलगांव	कहलगांव	एमएएक्स एक्सएल + एसबीएम	4800	2772	32	57.75
8.	सारल	भागलपुर	आरएसयू 2के	2000	55	16	2.8

70 प्रतिशत के कम क्षमता उपयोग करने वाले ग्रामीण एक्सचेंजों की सूची (भागलपुर एसएसए)

क्र.सं.	एक्सचेंज	एसडीसीए	उपस्कर की किस्म	31.1.03 की स्थिति			% उपयोग
				क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें	प्रतीक्षा सूची	
1.	भरको	अमरपुर	सी–256 पीएक्स2	338	200	14	59.5
2.	शुभगंज	अमरपुर	1के एसबीएम	1000	642	28	64.2
3.	विजयहाट	अमरपुर	सी–256 एक्स2	336	229	13	68.2
4.	कालाजोर	बांका	सी–256पी	152	60	17	39.5
5.	अकबर नगर	भागलपुर	1के एसबीएम	1000	604	43	60.4
6.	फतेहपुर	भागलपुर	सी–256पी	152	102	76	67.1
7.	कोंडदा	भागलपुर	सी–256पी	152	96	28	63.2
8.	पुरैनी	भागलपुर	1के एसबीएम	1000	563	15	56.3
9.	शहजादपुर	भागलपुर	आरएलयू	1000	481	30	48.1
10.	गौरी पुर	कहलगांव	सी–256पी	152	101	33	66.4
11.	घोघा	कहलगांव	एसबीएम 1के	1000	485	53	48.5
12.	मदारगंज	कहजगांव	सी–256पी	184	91	48	49.5
13.	मथुरापुर	कहलगांव	सीआरएसयू	500	328	85	65.6
14.	सनोखर	कहलगांव	सी–256 एक्स2	336	193	47	57.4
15.	जैपुर	कटोरिया	सी–256पी	152	77	17	50.7
16.	कटोरिया	कटोरिया	1के एसबीएम	1000	459	19	45.9
17.	साहबगंज	कटोरिया	सी–256पी	152	61	30	40.1
18.	सल्दपुर	नौगछिया	एसबीएम 1के	1000	627	146	62.7
19.	झंडापुर	नौगछिया	एसबीएम 1के	1000	674	250	67.4

विवरण-II

30.1.03 को भागलपुर एसएसए में टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची की स्थिति

क्र.सं.	एक्सचेंज	31.01.2003 को स्थिति
1	2	3
1.	अमरपुर	21
2.	भरको	14
3.	धोरिया	25
4.	फल्लीदुमार	20
5.	हरचंडी	18
6.	खेसर	58

1	2	3
7.	कुल्हाड़िया	9
8.	कुमारपुर	20
9.	लोगेन	11
10.	मकदुमा	22
11.	राजौन	27
12.	सादपुर	12
13.	शंभुगंज	28
14.	विजयहाट	13
15.	बांका	17
16.	बाराहाट	13
17.	बौंसी	20
18.	कालाजोर	17
19.	पंजवाड़ा	15
20.	भागलपुर	230
21.	दरियापुर	21
22.	अकबरनगर	43
23.	फतेहपुर	76
24.	जमसी	43
25.	कजरैली	11
26.	खीरीबांध	39
27.	कड़ोंदा	28
28.	मिरजनहाट	60
29.	नाथनगर	8
30.	पिठना	39
31.	पुरैनी	15
32.	रघुचक	33
33.	सबोर	19
34.	शाहजादपुर	30
35.	सजोर	21
36.	शादकुंड	38
37.	सुल्तानगंज	22
38.	तिलकामांझी	45
39.	सरई	16
40.	बोरोहिया	79
41.	दीघी	25
42.	गौरीपुर	33
43.	घोघा	53
44.	इशीपुर	13
45.	कहलगंज	32
46.	मदारगंज	48
47.	मथुरापुर	85
48.	पिरपेंटी	77
49.	सनहौला	21
50.	सनोखर	47
51.	चंदन	28
52.	जैपुर	17
53.	कटोरिया	19
54.	साहबगंज	30
55.	सुईया	31
56.	नौगछिया	79
57.	सैदपुर	146
58.	झंडापुर	250
59.	नारायणपुर	276

1	2	3
60.	खरीक बाजार	101
61.	गौरीपुर	58
62.	रांगरा	117

दूरसंचार क्षेत्र के लिए यूनिवर्सल कोष

1317. **प्रो. रासासिंह रावत** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी और सरकारी क्षेत्र की दूर–संचार कंपनियों के योगदान से कोई यूनिवर्सल कोष बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार इस कोष का उपयोग किस तरह करने का है;

(घ) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र की बीएसएनएल नामक कंपनी से भी लाइसेंस शुल्क मिला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार देश भर में शहरी और ग्रामीण इलाकों में बीएसएनएल द्वारा दी जा रही सेवा को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी को कोई रियायत देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के योगदान से यूनिवर्सल सेवा कोष बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। यूनिवर्सल सेवा लेवी का प्रतिशत समायोजित सकल राजस्व का पांच प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा यूनिवर्सल सेवा कोष के उपयोग संबंधी दिशा–निर्देशों का प्रचार भी किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। वित्त वर्ष 2002–2003 के लिए 21.02.2003 तक 1725 करोड़ रुपए की लाइसेंस शुल्क की राशि (यूनिवर्सल सेवा लेवी सहित) प्राप्त हुई है।

(च) और (छ) जी, नहीं। सरकार का यूनिवर्सल सेवा समर्थन नीति के कार्यान्वयन के रूप में बीएसएनएल को कोई रियायत देने का प्रस्ताव नहीं है।

एड्स नियंत्रण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

1318. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में राज्यवार कुल कितने गैर–सरकारी संगठन काम कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उनमें से प्रत्येक को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उनके कार्यों की निगरानी किस तरह की जाती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) सूची संलग्न विवरण–I पर दी गई है।

(ख) एच आई वी/एड्स रोकथाम और नियंत्रण के लिए गैर–सरकारी संगठनों को धन देने की प्रक्रिया को अप्रैल, 2001 से विकेन्द्रीकृत करके उसे संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण समितियों के माध्यम से कर दिया गया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन गैर–सरकारी संगठनों को सीधे केवल निम्न व्याप्तता वाले राज्यों में सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों के लिए अनुदान मंजूर करता है। इस समय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन केवल पांच सामुदायिक परिचर्या केन्द्रो को धन दे रहा है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक स्वीकृत की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–II संलग्न है।

(ग) कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत मानीटरिंग एवं मूल्यांकन प्रणाली तैयार की गई है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा एक कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली और एक कार्यक्रम वित्त प्रबंधन प्रणाली तैयार की गई है। इन प्रणालियों और प्रक्रियाओं से नियमित अंतरालों पर मूल्यांकित विविध पैरामीटरों के सबंध में राज्य एड्स नियंत्रण समितियों द्वारा गैर–सरकारी संगठनों से नियमित फीड बैक सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त, राज्य एड्स नियंत्रण समितियों के अधिकारियों और गैर–सरकारी संगठन सलाहकार द्वारा नियमित दौरे किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, गैर–सरकारी संगठनों को अपनी कार्यकलापों की विस्तृत रिपोर्ट और व्यय के अंकेक्षित विवरण

प्रस्तुत करने होते हैं। धन प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के खातों की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समय–समय पर लेखासंविक्षा भी की जाती है।

विवरण-I

एचआईवी/एड्स रोकथाम और नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठन 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	गैर–सरकारी संगठनों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	4
2.	अहमदाबाद	21
3.	आंध्र प्रदेश	91
4.	अरूणाचल प्रदेश	3
5.	असम	25
6.	बिहार	14
7.	चंडीगढ़	14
8.	चेन्नई	27
9.	दादरा और नागर हवेली	1
10.	दिल्ली	14
11.	गोवा	12
12.	गुजरात (डीएफआईडी)	100
13.	हरियाणा	8
14.	हिमाचल प्रदेश	10
15.	जम्मू व कश्मीर	1
16.	कर्नाटक	30
17.	केरल	46
18.	मध्य प्रदेश	23
19.	महाराष्ट्र	25
20.	मुम्बई (एमसी)	33
21.	मणिपुर	35
22.	मेघालय	3
23.	मिजोरम	25
24.	नागालैंड	23
25.	उड़ीसा	21
26.	पांडिचेरी	2
27.	पंजाब	20
28.	राजस्थान	20
29.	सिक्किम	7
30.	तमिलनाडु	113
31.	त्रिपुरा	19
32.	उत्तर प्रदेश	37
33.	पश्चिम बंगाल	49
34.	उत्तरांचल	1
	योग	877

विवरण-II

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा सीधे गैर–सरकारी संगठनों को 1999–2000 में स्वीकृत निधियां

क्र.सं.	संगठन का नाम और पता	कार्य का क्षेत्र	कुल रिलीज की गई राशि (रु.)
1	2	3	4
1.	प्रयास, दिल्ली	दिल्ली में आवारा बच्चों में स्वास्थ्य/एसटीडी/एचआईवी/एड्स के लिए इंटरवेंशन प्रोजेक्ट	7,07,044.00

1	2	3	4
	2. दृष्टिकोण, नई दिल्ली	महिलाओं और उनके यौन साथियों में एचआईवी/एड्स/एसटीडी सहित प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना	9,47,500.00
	3. टार्च, नई दिल्ली	नाको टेलीफोन परामर्श	4,95,100.00
	4. सहारा, दिल्ली	सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र की स्थापना	11,88,500
	5. सलाम वालक ट्रस्ट, मई विल्ली	मॉडल एच आई वी कॉसलिंग सेंटर	6,36,000
	6. सुलभ इंटरनेशनल, नई दिल्ली		51,000
कर्नाटक			
	7. फ्रीडम फाउंडेशन, बंगलौर	सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र की स्थापना	11,88,500
	8. स्नेहदान, बंगलौर	सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र की स्थापना	9,74,370
मणिपुर			
	9. शालोम, मणिपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र की स्थापना	11,89,240
	10. लेपरोसी पेशेंट्स वेलफेयर सोसायटी, इम्फाल	सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र की स्थापना	11,89,240
महाराष्ट्र			
	11. बेल-एयर हास्पिटल पंचमानी, महाराष्ट्र	सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र की स्थापना	26,01,900
बिहार			
	12. ओ एस ई आई डी, पटना	टेलीफोन परामर्श	4,13,036

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा जिन परियोजनाओं को निधियां सीधे प्रदान की गई, स्थिति रिपोर्ट-2000-2001

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन/संगठन का नाम	परियोजना	कुल जारी राशि
1	2	3	4
दिल्ली			
1.	दृष्टिकोण	मॉडल रिप्रोडेक्टिव हेल्थ सेन्टर	5,31,000/-
2.	नाज फाउंडेशन	माडल एचआईवी/एड्स काउंसलिंग सेन्टर सफदरजंग अस्पताल	3,18,000/-
3.	टार्च	टेली-काउंसलिंग सेन्टर	7,90,600/-

1	2	3	4
4.	एनआईसीडी–टार्च	वालंटरी ब्लड टेस्टिंग सेन्टर	5,24,000/–
5.	सहारा, दिल्ली	कम्युनिटी केयर एंड स्पोर्ट प्रोजेक्ट	7,59,500/–
6.	प्रयास, नई दिल्ली	दिल्ली में आवारा बच्चों में स्वास्थ्य/यौन संचारित रोग/एच आई वी/एड्स हेतु कार्यकलाप परियोजना	25,75,099/–
कर्नाटक			
7.	फ्रिडम फाउंडेशन, बंगलौर	कम्युनिटी केयर एंड स्पोर्ट प्रोजेक्ट	15,19,000/–
8.	स्नेहसदन	कम्युनिटी केयर एंड स्पोर्ट प्रोजेक्ट	6,63,520/–
9.	फ्रिडम फाउंडेशन, बेल्लारी, कर्नाटक	कम्युनिटी केयर एंड स्पोर्ट प्रोजेक्ट	11,89,240/–
मणिपुर			
10.	सलेम	कम्युनिटी केयर एंड स्पोर्ट प्रोजेक्ट	7,58,760/–
11.	लेपरोसी पेशेंट वेलफेयर सोसायटी, इम्फाल, मणिपुर	कम्युनिटी केयर एंड स्पोर्ट प्रोजेक्ट	7,59,500/–
असम			
12.	आईएलए ट्रस्ट	कम्युनिटी केयर एंड स्पोर्ट प्रोजेक्ट	11,89,240/–
महाराष्ट्र			
13.	बेल एयर हास्पिटल, महाराष्ट्र	कम्युनिटी केयर एंड स्पोर्ट प्रोजेक्ट	14,21,900/–
आंध्र प्रदेश			
14.	फ्रिडम फाउंडेशन, हैदराबाद	कम्युनिटी केयर एंड स्पोर्ट प्रोजेक्ट	11,89,240/–
बिहार			
15.	ओएसईआरडी, पटना	टेलीफोनिक काउंसलिंग	3,50,000

वर्ष 2002–03 में (31 जनवरी, 2003 तक) नाको द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को सीधे ही जारी निधियां

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन का नाम	परियोजना	कुल जारी राशि
1	2	3	4
दिल्ली			
1.	सहारा, नई दिल्ली	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	15,19,000/- रु.
2.	चेलसी, नई दिल्ली	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	13,41,820/- रु.
3.	एक्शन इंडिया, नई दिल्ली	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	11,89,240/- रु.

1	2	3	4
केरल			
4.	मर कुन्डुकुलम मेमोरियल रिसर्च रिहेविलिटेशन कम्प्लेक्स, त्रिचूर	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	14,62,000/- रु.
पांडिचेरी			
5.	एसएफडीआरटी	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	6,00,314/- रु.

वर्ष 2001–02 में नाको द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को सीधे ही जारी निधियां

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन का नाम	परियोजना	कुल जारी राशि
दिल्ली			
1.	सहारा, नई दिल्ली	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	15,19,000/- रु.
2.	चेलसी, नई दिल्ली	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	18,23,740/- रु.
केरल			
3.	मर कुन्डुकुलम मेमोरियल रिसर्च रिहेविलिटेशन कम्प्लेक्स, त्रिचूर	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	7,85,000/- रु.
	पांडिचेरी		
5.	एसएफडीआरटी, पांडिचेरी	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	11,89,240/- रु.

चिकित्सालयों का उन्नयन

1319. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के चिकित्सालयों के उन्नयन हेतु राज्य को और धन आवंटित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता से इस राज्य में दिनांक 1–7–2000 से साढ़े पांच वर्ष की अवधि वाली एक राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना द्वितीयक स्तरीय सुविधाओं के उन्नयन एवम् आधुनिकीकरण हेतु कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 484 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) औषधालय खोला जाना

1320. **श्री शिवाजी माने : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव महाराष्ट्र के सभी जिलों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस) औषधालयों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां–कहां खोले जाएंगे;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी अस्पतालों से आपातकाल के दौरान केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) लाभार्थियों द्वारा उपचार कराने वाले व्यक्तियों के संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई, नागपुर और पुणे शहर में सी.जी.एच.एस. औषधालय पहले से ही संचालित किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र राज्य में और अधिक सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सी.जी.एच.एस. लाभार्थी, (सेवारत एवं पेंशनभोगी दोनों) सेवारत कर्मचारियों के मामले में संबंधित कार्यालय/विभाग की पूर्व अनुमति और पेंशनभोगी लाभार्थियों के मामले में सी.जी.एच.एस. औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पूर्व अनुमति से, उपचार के बारे में सी.जी.एच.एस./सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ/औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर सी.जी.एच.एस. के कार्यक्षेत्र में आने वाले विभिन्न शहरों में सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में सामान्य/विशेषीकृत उपचार और नैदानिक प्रक्रिया की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

तथापि, आपातकाल, में सी.जी.एच.एस. लाभार्थी सरकार से बिना कोई पूर्व अनुमति लिए किसी भी मान्यता प्राप्त/गैर-मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में उपचार करवा सकते हैं।

[अनुवाद]

डाकघरों में नई वित्तीय सेवाएं

1321. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001 में तत्काल धनान्तरण जैसी नई गैर वित्तीय-सेवाओं की श्रृंखला आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस समय कितने डाकघरों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और ऐसी सेवाओं में राज्यवार कितनी वृद्धि/कमी आई; और

(ङ) ऐसी सेवाओं को आरंभ किए जाने के पश्चात भारतीय डाकघरों द्वारा कुल कितनी आय प्राप्त की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2001 में सरकार ने डाकघरों के माधयम से अंतर्राष्ट्रीय धनान्तरण सेवा, म्यूच्युअल फंडों और बाण्डों का वितरण और इलैक्ट्रॉनिक धन अंतरण जैसी नई वित्तीय सेवाओं की श्रृंखला शुरू की है।

(ग) डाकघर की इन नई वित्तीय सेवाओं का लोगों ने उत्साहपूर्वक उपयोग शुरू किया है।

(घ) देश भर के डाकघरों में उपलब्ध इन सेवाओं ने सभी राज्यों में वृद्धि दिखाई है। इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाले डाकघरों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) इन योजनाओं की शुरूआत होने के बाद से डाकघरों ने 3 करोड़ रु. से ज्यादा का राजस्व अर्जित किया है।

विवरण

राज्य	डाकघरों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	375
अरुणाचल प्रदेश	03
असम	24
बिहार	13
छत्तीसगढ़	20
दिल्ली	158
गोवा	125
गुजरात	347
हरियाणा	56
हिमाचल प्रदेश	43
जम्मू व कश्मीर	18

1	2
झारखण्ड	24
कर्नाटक	348
केरल	399
मध्य प्रदेश	147
महाराष्ट्र	481
मणिपुर	02
मेघालय	04
मिजोरम	03
नागालैंड	03
उड़ीसा	21
पंजाब	85
राजस्थान	172
सिक्किम	02
तमिलनाडु	534
त्रिपुरा	05
उत्तर प्रदेश	540
उत्तरांचल	25
पश्चिमी बंगाल	255
कुल	4232

मादा भ्रूण हत्या संबंधी कार्यशाला

1322. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टर फॉर एडवाइजरी एण्ड रिसर्च द्वारा भारत में मादा भ्रूण हत्या संबंधी भयावह रिकार्ड पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और हाल ही में संशोधित प्रसव–पूर्व लिंग परीक्षण तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को और कठोरतापूर्वक लागू करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित है;

(ग) क्या केन्द्र ने सभी राज्य सरकारों को इस अधिनियम को कठोरतापूर्वक लागू करने से संबंधित तिमाही रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या बच्चे के लिंग–निर्धारण परीक्षण के खतरे को समाप्त करने में इस अधिनियम के प्रावधानों से किस प्रकार और कितनी सहायता मिली?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन तथा दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1994 के अधीन नियुक्त किए गए उपयुक्त प्राधिकारियों को कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित समस्याओं तथा अधिनियम के कानूनी पहलुओं की जानकारी देने और उपर्युक्त प्राधिकारियों तथा सेवा प्रदायकों, कानून लागू करने वाली एजेन्सियों तथा आम जनता के बीच सम्प्रेषण प्रारंभ करने हेतु बंगलौर, चण्डीगढ़, अहमदाबाद, पुणे, नागपुर तथा हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यशालाएं की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा परामर्श तथा अनुसंधान करने के लिए नई दिल्ली में 30 तथा 31 जनवरी, 2003 को एक दो–दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें प्रमुख अखबारों के पत्रकारों तथा जन प्रचार माध्यमों के अन्य लोगों, गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन/चिकित्सा संघों आदि ने भाग लिया। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को कन्या–शिशु की स्थिति, भारत के विभिन्न राज्यों में निर्णायक लिंग–अनुपात के प्रभाव, कन्या भ्रूण हत्या आदि के प्रचलन पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु इस कानून को लागू करने की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई।

(ग) जी, हां। उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे अन्य बातों के साथ–साथ जन–जागरूकता पैदा करने हेतु की गई कार्रवाई; रिकार्डों की छानबीन तथा उन्हें जब्त करने सहित क्लीनिकों का सर्वेक्षण; अधिनियम के उपबन्धो का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, आदि की जानकारी देते हुए इस अधिनियम को लागू करने में हुई प्रगति पर तिमाही रिपोर्टें भेजें।

(घ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अब तक इस अधिनियम के विभिनन उपबन्धों का

उल्लंघन करने के कारण 360 मामले कोर्ट/पुलिस में दर्ज किए गए हैं तथा 230 मशीनों को जब्त तथा सील किया गया है।

चिकित्सा महाविद्यालयों का आधुनिकीकरण

1323. **श्री अनन्त नायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव चिकित्सा महाविद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए चुनिंदा सरकारी मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रायोगिक योजना' के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अधिकतम 1.50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्रों द्वारा खराब कार्यकरण

1324. **डा. बलिराम** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में ठेकमा और लालगंज के अंतर्गत आने वाले दूरभाष केन्द्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दूरभाष केन्द्रों की स्थिति सुधारने और उपभोक्ताओं, विशेषकर आजमगढ़ जिले में ठेकमा और लालगंज दूरभाष केन्द्रों के उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में ठेकमा और लालगंज स्थित टेलीफोन एक्सचेंज ठीक ढंग से काम कर रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक्सचेंजों को अच्छी चालू हालत में रखने तथा उपभोक्ताओं की अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा उपलब्ध कराने के लिए बीएसएनएल मुख्यालय द्वारा समय-समय पर अनुरक्षण कार्यक्रम जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

कोझीकोड में दूरसंचार केन्द्र

1325. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और गैर-प्राथमिक अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालय, कोझीकोड स्थित दूरसंचार परामर्श केन्द्र से जोड़ने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) केरल सरकार ने मालाबार क्षेत्र में टेलीमैडिसीन शुरू करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें टेली रेफरल केन्द्र के रूप में मेडिकल कालेज, अस्पताल, कोझीकोड होगा। राज्य सरकार के अनुसार, इस परियोजना की लागत 58.00 लाख रुपए होगी जिसमें 5.00 लाख रुपए प्रति वर्ष का आवर्ती व्यय शामिल है।

अधिक किराया वसूली

1326. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से अधिक किराया वसूल कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं। दूरसंचार विभाग देश में दूरसंचार सेवाओं का अब सेवा प्रदाता नहीं रहा। मुम्बई (महानगर), जहां महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल)

दूरसंचार सेवा प्रदान करता है, को छोड़कर महाराष्ट्र में भारत संचार निगम लि. सरकारी क्षेत्र की एक इकाई के रूप में अब दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत संचार निगम लि. मुम्बई के उपभोक्ताओं को छोड़कर, महाराष्ट्र सर्किल के उपभोक्ताओं से ट्राई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर देश के उपभोक्ताओं पर लागू टैरिफ के अनुसार ही किराया वसूलता है। मुम्बई के मामले में एमटीएनएल के क्षेत्राधिकार के भीतर कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

शांति वार्ता में भारत की भूमिका

1327. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने अपने और माओवादियों के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता के भारत को मध्यस्थता निभाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शांति वार्ता आरंभ करने के लिए सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वार्ता कब तक आरंभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) सरकार को नेपाल की शाही सरकार के प्रतिनिधियों और माओवादियों के बीच जारी वार्ताओं की जानकारी है। तथापि, प्रस्तावित शांति वार्ताओं के कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

एच.आई.वी./एड्स रोगियों के लिए विधेयक

1328. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एड्स से पीड़ित रोगियों के प्रति कुछ अस्पतालों के उदासीनतापूर्ण व्यवहार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त रोगियों का उपचार करने से मना करने वाले चिकित्सकों को दंडित करने के लिए कानून बनाने का है;

(ग) क्या दिल्ली में एच.आई.वी. से ग्रस्त लगभग 30,000 लोग हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने एच.आई.वी./एड्स रोगियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के नैतिक दिशानिर्देशों के अनुरूप एक ऐसे कानून का प्रारूप तैयार किया है; और

(ङ) ऐसा कानून कब तक संसद में लाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां। तथापि सरकार ने चिकित्सा तथा परा–चिकित्साकर्मियों के लिए समर्थन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे कि एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों के साथ भेदभाव न किया जाए, उन्हें कलंकित अथवा सेवाओं से वंचित न किया जाए।

(ख) जी, नहीं। दिनांक 6.4.2002 को विधिवत अधि–सूचित तथा प्रकाशित भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा नीति–शास्त्र) विनियम, 2002 में यह स्पष्टतया बतलाया गया है कि कोई भी चिकित्सक किसी रोगी को उपचार देने से स्वेच्छापूर्वक इंकार नहीं करेगा। भारतीय चिकित्सा परिषद उन चिकित्सकों को दंड दे सकती जो इन विनियमों का उल्लंघन करते हैं।

(ग) वर्ष 2001 में दिल्ली में एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 29,002 होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार

1329. **श्री अबुल हसनत खां :**
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों में योजना आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या वहां की राज्य सरकारों द्वारा प्राक्कलित संख्या से कम है;

(ख) यदि हां, तो तुलनात्मक आंकड़ों सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुमानों में अंतर के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) योजना आयोग द्वारा प्राक्कलित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की वंख्या तथा राज्य सरकारों द्वारा पहचान की गई गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या के तुलनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। योजना आयोग उन वर्षों के लिए गरीबी का अनुमान लगाता है जिनके लिए वृहद सर्वेक्षणों से प्राप्त घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी एनएसएस आंकड़ा उपलब्ध होता है तथा ऐसा नवीनतम आंकड़ा वर्ष 1999–2000 (55वें दौर) के लिए उपलब्ध है। राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का अनुमान पंचवर्षीय योजना के शुरू में लगाती हैं। राज्य सरकारों द्वारा किए गए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के अनुमान वर्ष 1997 के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, योजना आयोग व्यक्तिगत आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है जबकि राज्य सरकारों का अनुमान घरेलू आधार पर तैयार होता है।

(ख) वर्ष 1999–2000 के लिए योजना आयोग द्वारा यथा प्राक्कलित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के राज्यवार अनुमान तथा वर्ष 1997 के लिए राज्य सरकारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की पहचान किए गए परिवारों के प्रतिशत विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों/व्यक्तियों का राज्यवार प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सरकार के अनुमान* 1997 (परिवार)	योजना आयोग के अनुमान 1999–2000 (व्यक्ति)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	39.91	11.05
2.	अरुणाचाल प्रदेश	78.39	40.04
3.	असम	60.00	40.04
4.	बिहार	49.64	44.30
5.	गोवा	17.01	1.35
6.	गुजरात	35.45	13.17
7.	हरियाणा	24.25	8.27
8.	हिमाचल प्रदेश	27.59	7.94
9.	जम्मू और कश्मीर	57.92	3.97
10.	कर्नाटक	33.99	17.38
11.	केरल	36.56	9.38
12.	मध्य प्रदेश	43.87	37.06
13.	महाराष्ट्र	35.07	23.72
14.	मणिपुर	67.54	40.04
15.	मेघालय	55.48	40.04
16.	मिजोरम	67.07	40.04
17.	नागालैंड	60.39	40.04
18.	उड़ीसा	65.47	48.01
19.	पंजाब	27.90	6.35
20.	राजस्थान	30.99	13.74
21.	सिक्किम	–	40.04
22.	तमिलनाडु	29.16	20.55
23.	त्रिपुरा	66.81	40.04
24.	उत्तर प्रदेश	36.91	31.22
25.	पश्चिम बंगाल	44.40	31.85
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21.25	20.55
27.	चंडीगढ़	–	5.75

1	2	3	4
28.	दादरा और नगर हवेली	65.67	17.57
29.	दमन और दीव	3.68	1.35
30.	दिल्ली	--	0.40
31.	लक्षद्वीप	10.26	9.38
32.	पांडिचेरी	47.37	20.55
	अखिल भारत	41.05	27.09

*स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों का विनिवेश

1330. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के कुछ उर्वरक संयंत्रों के निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के 51 प्रतिशत शेयरों के बेचने का निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी संस्था ने उपरोक्त बिक्री के लिए राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस मूल्यांकन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(च) किस संस्था ने यह मूल्यांकन किया और यह मूल्यांकन कब किया; और

(छ) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में विनिवेश के पश्चात सेवारत कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या प्रबंध किया गया है?

दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) उर्वरक क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के वे उपक्रम, जो विनिवेश आयोग द्वारा विनिवेश के लिए अभिज्ञात किए गए हैं, इस प्रकार हैं :

(i) पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड (पी पी एल);

(ii) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एन एफ एल);

(iii) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट);

(iv) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम एफ एल); और

(v) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आर सी एफ)।

(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, साधारण मामलों में गैर-महत्वपूर्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा इसके निचले स्तर तक नीचे लाने की सरकार की घोषित नीति के अनुसार आरंभ किया जा रहा है। गैर-महत्वपूर्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे हैं जो हथियार और गोला-बारूद और रक्षा उपस्करों के संबद्ध मदों, प्रतिरक्षा वायुयान तथा युद्धपोत, परमाणु ऊर्जा (नाभिकीय विद्युत के उत्पादन के संबंधित क्षेत्रों और कृषि, औषधियों और गैर-महत्वपूर्ण उद्योगों में विकिरण और आइसोटोप के अनुप्रयोग को छोड़कर) और रेल यातायात में कार्यरत नहीं हैं। यह नीति लाभ अर्जित करने वाले तथा घाटे में चलने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू होती है। विनिवेश आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने ऊपर उल्लिखित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है क्योंकि वे गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्यरत हैं। पी पी एल में विनिवेश 2001-02 के दौरान पूरा कर लिया गया है। एन एफ एल और फैक्ट के संबंध में विनिवेश प्रक्रिया प्रगति पर है; एम एफ एल के संबंध में प्रक्रिया आरम्भिक चरण में है और आर सी एफ के लिए प्रक्रिया अभी आरम्भ की जानी है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र का नाम	भारत सरकार की इक्विटी	विनिवेश संरचना
1	2	3	4
1.	पी पी एल	(विनवेश से पूर्व) 100 प्रतिशत	अनुकूल बिक्री-74 प्रतिशत (पहले ही विनिवेशित)

1	2	3	4
2.	एन एफ एल	97.64 प्रतिशत	अनुकूल बिक्री—51 प्रतिशत
			कर्मचारियों को रियायती दर पर पेशकश—2 प्रतिशत
3.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	97.38 प्रतिशत	अनुकूल बिक्री—51 प्रतिशत
			कर्मचारियों को रियायती दर पर पेशकश—2 प्रतिशत
4.	एम एफ एल	59.50 प्रतिशत	अनुकूल बिक्री के माध्यम से सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक नीचे लाना
5.	आर सी एफ लि.	92.50 प्रतिशत	(प्रस्तावित)
			अनुकूल बिक्री—51 प्रतिशत
			कर्मचारियों को रियायती दर पर पेशकश—2 प्रतिशत

(ग) जी. हां।

(घ) से (च) एन एफ एल के कारोबार का मूल्य निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। यह प्रक्रिया सौदे के सलाहकारों अर्थात मैसर्स राबो इण्डिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपयुक्त समय पर आरंभ की जाएगी और वित्तीय बोलियां प्राप्त करने के समय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। किसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में विनिवेश के प्रयोजन के लिए चालू कंपनी के कारोबार का मूल्य निर्धारण सांकेतिक मानक अथवा आरक्षित मूल्य तय करने के उद्देश्य से मूल्य निर्धारण के आकड़ों के दायरे तक पहुंचने के लिए 4 निर्धारित मूल्य निर्धारण पद्धतियों अर्थात डिस्काउण्टेड कैश फ्लो पद्धति, तुलन–पत्र पद्धति, सौदा बहुविध पद्धति और परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसरण में किया जाता है। परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारण, सरकार द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र मूल्य निर्धारक द्वारा किया जाता है। सौदे के सलाहकार, अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार डिस्काउण्टेड कैश फ्लो और परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारण पद्धति के अधीन निकाले गए मूल्य में और सुधार करने के साथ कारोबार के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ करते हैं।

(छ) सम्भावित अनुकूल साझीदार के साथ निष्पादित किए जाने वाले शेयर धारक करार को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। कर्मचारियों के हित को पर्याप्त रूप से संरक्षण प्रदान करने के लिए करार में उपयुक्त किए जाएंगे।

[अनुवाद]

साहा परमाणु भौतिकी संस्थान (एस.आई.एन.पी.) कोलकाता के वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक खोज

1331. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, कोलकाता के वैज्ञानिकों ने हीलियम का 99.995 प्रतिशत तक संकेन्द्रण प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खोज से देश के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस खोज से भारत में क्रायो–टेक्नोलोजी को बढ़ावा मिलने वाला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) जी, हां। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान (एस.आई. एन.पी.) के वैज्ञानिकों ने 1.4 परिमाण की प्रतिशत वाले हीलियम से युक्त गर्म चश्मे की गैस में से 99.995 परिमाण प्रतिशत की शुद्धता वाली हीलियम गैस हासिल की है। इससे देश में

क्रायो-प्रौद्योगिकी विकसित करने में सहायता मिलेगी। तथापि, गर्म चश्मों से हीलियम युक्त अपरिष्कृत गैसों के उपलब्ध स्रोत सीमित हैं और ये राष्ट्रीय मांग को पूरा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे

1332. **कुंवर अखिलेश सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के नेत्र केन्द्र में कोई छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस छापे में कितने चिकित्सक, नर्सें और प्रयोगशाला अधिकारी दोषी पाए गए; और

(घ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) दिनांक 10.12.2002 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के एक टीम ने डा. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी प्रयोगशाला का दौरा किया और परिसर की छानबीन की और फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी प्रयोगशाला में तैनात स्टाफ से पूछताछ की। सी.बी.आई. से रिपोर्ट प्राप्त होने और उसमें की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष (चीफ), डा. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र ने भी इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या

1333. **श्री ए. नरेन्द्र :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कार्य कर रहे सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश बूथ खराब पड़े रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्वार विशेषकर मुंबई में कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ बंद हो गए और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के कब तक पुनः खोले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 12,97,188 सार्वजनिक टेलीफोन बूथ कार्यरत हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अधिकांश सार्वजनिक टेलीफोन बूथ ठीक तरह से काम कर रहे हैं। जैसे ही दोष संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में 69,667 और मुम्बई में 5,211 सार्वजनिक टेलीफोन बूथ बन्द कर दिए गए थे। ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है। इन बूथों को उपभोक्ता के अनुरोध पर, बिलों का भुगतान न करने और फ्रैंचाइजियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के कारण बंद कर दिया गया था।

(ङ) बिलों का भुगतान न करने पर बंद किए गए सार्वजनिक टेलीफोन बूथों को बकाया राशि के भुगतान और फ्रैंचाइजियों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुनः खोला जा सकता है। जो सार्वजनिक टेलीफोन बूथ दुरुपयोग के कारण बंद कर दिए गए हैं, संबंध फ्रैंचाइजियों से उनके संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद प्रत्येक मामले में गुण-दोषों के आधार पर उनकी बहाली पर विचार किया जा सकता है।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल/जिले का नाम	31-12-2002 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या	पिछले तीन वर्षों के दौरान बन्द किए गए सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या
1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार	653	18

1	2	3	4
2.	आंध्र प्रदेश	122852	17957
3.	असम	13408	251
4.	बिहार	38217	4726
5.	झारखंड	10513	258
6.	गुजरात	80598	4750
7.	हरियाणा	24093	1146
8.	हिमाचल प्रदेश	7635	139
9.	जम्मू और कश्मीर	11362	23
10.	कर्नाटक	87977	3525
11.	केरल	55911	1540
12.	महाराष्ट्र	144384	6781
13.	मध्य प्रदेश	40085	2838
14.	छत्तीसगढ़	5501	1391
15.	पूर्वोत्तर–I	3126	234
16.	पूर्वोत्तर–II	3602	292
17.	उड़ीसा	21174	838
18.	पंजाब	39548	2941
19.	राजस्थान	46816	2649
20.	तमिलनाडु	91212	4552
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	64736	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	41700	985
23.	उत्तरांचल	8227	87
24.	पश्चिम बंगाल	23464	359
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	49618	2969
26.	चेन्नई टेलीफोन्स	65404	102
27.	एमटीएनएल, दिल्ली*	69244	3105
28.	एमटीएनएल, मुम्बई*	126128	5211
	योग	1297188	69667

*एमटीएनएल, दिल्ली और मुम्बई के सामने उल्लिखित कार्यरत सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आंकड़े 31.1.2003 की स्थिति के अनुसार हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

1334. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 58,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का अलग–अलग वित्तपोषण करने के लिए इस चालू वित्त वर्ष के दौरान बाजार से 4500 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए की राशि जुटाई है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त परियोजना का अलग–अलग वित्तपोषण करने के लिए पेट्रोल तथा डीजल पर उपकर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कुल कितनी धनराशि उगाही गई;

(ग) क्या सरकार पेट्रोल तथा डीजल पर उपकर बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए वित्त वर्ष 2002–2003 (जनवरी, 2003 तक) के दौरान बाजार से 5275 करोड़ रुपए (आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के तहत पूंजी लाभ कर छूट बांड जारी करके) जुटाए हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए वित्त वर्ष 2002–2003 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उपकर से 2000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के द्वितीय चरण के वित्तपोषण के लिए पेट्रोल और डीजल पर 30 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है।

रात्रि के समय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

1335. श्री नरेश पुगलिया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की बढ़ रही संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के बारे में दिन और रात के अलग-अलग आंकड़े संकलित नहीं करता है।

(ग) सभी सड़कों पर दुर्घटनाओं की कमी के लिए राजमार्ग डिजाइन के अलावा किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(1) भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(2) दृश्य-श्रव्य-पत्र-पत्रिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में प्रचार अभियान।

(3) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता।

(4) चालकों के प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के उपयोग को प्रोत्साहन।

(5) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(6) स्कूली बच्चों में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।

(7) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानकों को कठोर बनाना।

(8) सड़कों को चौड़ा करना/सुधारना आदि।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

1336. श्री महेश्वर सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में इस रोग पर काबू पाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार को इसके उन्मूलन में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर, 2002 के अंत तक देश में दर्ज कुष्ठ रोगियों की संख्या 3.41 लाख है।

(ख) जी, नहीं। जहां तक कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या का संबंध है, वस्तुतः इसमें गिरावट का रुझान रहा है।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए यह लागू नहीं होता।

(घ) देश में इस रोग को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य वर्ष 2004-05 तक राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन अर्थात प्रति 10,000 की जनसंख्या पर एक से कम रोगी की व्याप्तता का लक्ष्य हासिल करना है।

इस कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) विकेन्द्रीकरण एवं संस्थागत विकास, जिसके अन्तर्गत देश के 27 प्रमुख राज्यों में राज्य कुष्ठ सोसाइटियां तथा सभी जिलों में जिला कुष्ठ सोसाइटियां बनाई गई हैं।

(ii) कुष्ठ सेवाओं का समाकलन सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या के साथ करना।

(iii) वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान देश भर में रोगियों की पहचान करने के लिए आशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान के दो दौर।

(iv) कुष्ठ रोगियों की शीघ्र पहचान तथा देश में सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों तथा अस्पतालों के जरिए सभी रोगियों को मुफ्त बहुऔषध थिरेपी देना।

(v) क्रमशः कठिन/दुर्गम/अल्पसेवित ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कुष्ठ उन्मूलन हेतु विशेष कार्य परियोजनाएं तथा कुष्ठ उन्मूलन अभियान।

(vi) त्वरित जन–जागरूकता अभियान।

(vii) अशक्तता निवारण तथा परिचर्या के क्षेत्र में स्वास्थ्य–कर्मियों का प्रशिक्षण।

(viii) कुष्ठ के क्षेत्र में सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों का प्रशिक्षण।

(ङ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कुष्ठ की व्याप्तता को 1981 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 57.6 रोगी से कम कर मार्च, 2002 तक प्रति 10,000 जनसंख्या पर सिर्फ 4.2 रोगी करने में सफल रहा है। 12 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है जबकि 6 और राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं। 1983 में बहुऔषध थिरेपी शुरू किए जाने के बाद भारत ने मार्च, 2002 तक 10.08 मिलियन कुष्ठ रोगियों को रोगमुक्त किया है। देश में कुष्ठ की स्थिति में और अधिक गिरावट हुई है और दिसम्बर 2002 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कुष्ठ की व्याप्तता दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर सिर्फ 3.2 रोगी है।

[अनुवाद]

रोगों हेतु सहायता/अनुदान

1337. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में एड्स, अंधता और कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु कर्नाटक को उपलब्ध कराई गई सहायता/अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) धनराशि के कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) आवंटित की गई रकमों और उनके समुपयोग को देखते हुए इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया।

विवरण

रोगों के लिए सहायता/अनुदान

(लाख रुपये में)

वर्ष	एड्स		दृष्टिहीनता		कुष्ठ	
	जारी की गई निधियां	सूचित किया गया उपयोग	जारी की गई निधियां	सूचित किया गया उपयोग	जारी की गई निधियां	सूचित किया गया उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1999–2000	801.67	555.03	352.20	227.51	247.98	172.99
2000–2001	398.65	533.57	290.20	330.84	302.75	300.73
2001–2002	893.15	783.35	309.20	348.98	196.05	286.74
कुल	2093.47	1871.95	951.60	907.33	746.78	760.46

1	2	3	4	5	6	7
2002–2003	700.00 (आज तक)	489.95 (दिसम्बर, 02 तक)	217.45 (आज तक)	108.12 (दिसम्बर, 02 तक)	113.36 (आज तक)	66.93 (दिसम्बर, 02 तक)

संचार उद्योग की संभावनाएं

1338. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुनियादी टेलीफोन और मोबाइल फोन के शुल्क और किराए के संबंध में निजी दूरसंचार कंपनियों हेतु कोई नियम और विनियम निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संचार उद्योग की संभावनाओं और निजी दूरसंचार कंपनियों के गुण–दोषों का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) ट्राई (टीआरएआई) (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने तथा सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना की गई है ताकि दूरसंचार क्षेत्र और तत्संबंधी अथवा प्रासंगिक मामलों का संवर्धन और सुचारु विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा ट्राई अपनी शक्तियों के इस्तेमाल में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए एक जैसी दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी के लिए अलग–अलग दरों सहित दूरसंचार सेवाओं के लिए दरें निर्धारित करता है। ट्राई अधिनियम के अनुसार, सरकार ट्राई से नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश की आवश्यकता और समय के संबंध में सिफारिशें मांगती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर बाई-पास

1339. श्री सुनील खां : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बांकुरा से मेजिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर कुछ कमजोर पुलिया और पुल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गोबिन्दधाम और अमरकानन के बीच किसी पुल का निर्माण किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी समय–सीमा क्या है;

(घ) क्या गंगाजल घाटी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर किसी बाई–पास का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो गंगाजल घाटी बाजार क्षेत्र में किस तरीके से सड़क को चौड़ा किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 सन् 1999 में घोषित नया राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमजोर पुल और पुलिया हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुधारों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए साध्यता अध्ययन को स्वीकृति प्रदान की गई है। संसाधनों की उपलब्धता, यातायात की आवश्यकता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर तथा साध्यता रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर पुलों जिनमें गोबिंदधाम और अमरकानन के बीच पड़ने वाले पुल भी शामिल है, की मरम्मत और निर्माण पर विचार किया जाएगा।

(ग) समय सीमा के बारे में बता पाना अभी संभव नही है।

(घ) और (ङ) इस समय रा.रा. 60 पर गंगाजल घाटी क्षेत्र में किसी बाई–पास के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है। इस समय चल रहे साध्यता अध्ययन के परिणाम के आधार पर गंगाजल घाटी बाजार क्षेत्र में सड़क को चौड़ा करने की विधि को अंतिम रूप दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवा

1340. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ निजी आपरेटर सरकारी मोबइल सेवा शुरू करने के मामले में कानूनी बाधाएं खड़ी कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार का इस समस्या को किस तरीके से हल करने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के लिए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, एक प्रचालक को एक वर्ष के भीतर मैट्रो शहर सेवा क्षेत्रों का 90 प्रतिशत भाग, अन्य दूरसंचार सर्किलों में एक वर्ष के भीतर जिला मुख्यालयों का 10 प्रतिशत भाग और तीन वर्षों के भीतर जिला मुख्यालयों का 50 प्रतिशत भाग कवर करना अपेक्षित होता है। लाइसेंस--धारक को जिला मुख्यालयों के बदले किसी जिले के अन्य किसी शहर को कवर करने की भी अनुमति भी है। कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/शहरों का विकल्प और 50 प्रतिशत से अधिक जिला मुख्यालयों/शहरों का आगे विस्तार करने का विकल्प लाइसेंस धारकों के पास होगा जो उनके कारोबार संबंधी निर्णय पर निर्भर करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा प्रदान करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। तथापि, सरकारी प्रचालक अर्थात, भारत संचार निगम लि. जिसे दिल्ली और मुंबई के मैट्रो सेवा क्षेत्रों के सिवाए पूरे देश में यह सुविधा प्रदान करने का सीएमटीएस लाइसेंस दिया गया है, उसने राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर करने की परिकल्पना की है जिसके अन्तर्गत उन मार्गों के साथ संलग्न ग्रामीण क्षेत्रों को भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ग) इस समय सरकारी प्रचालकों द्वारा सीएमटीएस शुरू करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

1341. डा. अशोक पटेल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम फैसला लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) इस समय धनराशि के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर प्रतिबंध है। तथापि, सरकार प्रतिबंध हटा लिए जाने के पश्चात यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमित लंबाई के कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार कर सकती है।

मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय को अलीगढ़ स्थानांतरित किया जाना

1342. श्री किशनलाल दिलेर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुख्य महाप्रबंधक, टेलीफोन विभाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यालय को अलीगढ़ स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यालय कब तक स्थानांतरित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) मुख्य महाप्रबंधक, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल के कार्यालय को मेरठ स्थानांतरित करने के संबंध में पहले ही निर्णय ले लिया गया है।

हरियाणा और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस राजमार्ग

1343. श्री रामपाल सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हरियाणा और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस राजमार्ग के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) एक पश्चिमी बाह्य एक्सप्रेस मार्ग जिसका एक हिस्सा हरियाणा से गुजरना था, के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के विचाराधीन था। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 06.12.2001 के अंतरिम आदेश द्वारा केवल उन माल वाहनों को छोड़कर जिनका गंतव्य स्थल दिल्ली है, सभी माल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15.7.2002 के अपने आदेश में यह व्यवस्था दी है कि ऐसे किसी मार्ग अथवा बाई–पास का निर्माण नहीं किया जा सकता जो दिल्ली से गुजरते हुए विभिन्न राजमार्गों को जोड़े और यदि किसी कॉरीडोर का प्रस्ताव किया जाता है तो वह दिल्ली से बाहर हो। माननीय उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण पश्चिमी बाह्य एक्सप्रेस मार्ग का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। इसी दौरान हरियाणा में एक एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार के अनुरोध को स्वी.कार्य नहीं पाया गया है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71 और 71ए के साथ विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क और राज्यीय सड़कों को बाई–पास के तौर पर सेवाओं के लिए उपयुक्त पाया गया है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग विकास कोष

1344. डा. वी. सरोजा : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने लघु उद्योग विकास कोष की स्थापना करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दो वर्ष पहले घोषित पैकेज के बावजूद लघु उद्योगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जानकारी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनकी सुरक्षा हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, विपणन एवं आधारिक संरचना सुविधाएं बनाने तथा रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए सहायता देने के लिए 5000 करोड रु. के आरंभिक संग्रह से लघु उद्योग विकास कोष की स्थापना करने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) लघु उद्योगों को वैश्वीकरण, डब्ल्यू.टी.ओ. तथा मात्रात्मक प्रतिबन्धों को हटाए जाने आदि के कारण क्रेडिट की अपर्याप्त उपलब्धता एवं उच्च लागत, अपर्याप्त आधारिक संरचना, विपणन मार्ग अवरोधों, अप्रचलित प्रौद्योगिकी तथा बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि, लघु उद्योगों का विकास करना मुख्यतः राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों का उत्तरदायित्व है, केन्द्रीय सरकार ने उनके निष्पादन में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। लघु उद्योग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को घरेलू एवं विश्वव्यापी, दोनों स्तरों पर बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा अगस्त, 2000 में घोषित व्यापक नीति पैकेज के अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए अन्य उपायों में प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, कुछ हाई–टैक निर्यातोन्मुखी उद्योगों के लिए लघु उद्योग निवेश सीमा को बढ़ाना, क्लॅस्टर अप्रोच के माध्यम से आधारिक संरचना विकास, क्रेडिट की समय पर उपलब्धता, आधुनिक प्रबन्ध पद्धतियों को अपनाना, इलैक्ट्रॉनिक आधारिक संरचना एवं अन्य आई.टी. एप्लीकेशन्ज का प्रयोग करना शामिल है।

एच.ओ.सी.एल. का विनिवेश

1345. श्री राम प्रसाद सिंह :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.टी.सी. कर्मचारी भविष्य निधि के 4.5 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में अवरुद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो एच.ओ.सी.एल. के प्रस्तावित विनिवेश से पहले डी.टी.सी. कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज सहित वापसी हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का डी.टी.सी. कर्मचारियों को किस तरह मुआवजा देने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां। एच.ओ.सी.एल. में डी.टी.

सी. कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	निवेशित राशि	परिपक्व राशि की पुन–र्अदायगी की देय तारीख
1.	1,00,00,000/– रुपए	14.12.2002
2.	2,00,00,000/– रुपए	29.06.2002
3.	1,50,00,000/– रुपए	31.07.2004

(ख) और (ग) मार्च, 2002 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान एच.ओ.सी.एल., कोई नकदी अधिशेष नहीं जुटाता रहा है। इस कारण, दीर्घकालिक ब्याज की पूरी–पूरी आपूर्ति नहीं की जा सकी है। सरकार ने, एच.ओ.सी.एल. में 32.61 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश अनुकूल बिक्री के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। सरकार ने एच.ओ.सी.एल. के लिए एक वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज को भी मंजूरी दी है। पुनर्संरचना का प्रस्ताव, केवल तभी प्रभावी होगा जब किसी अनुकूल साझीदार को प्रबंधन नियंत्रण के हस्तान्तरण के साथ, एच.ओ.सी.एल. का विनिवेश कर दिया जाए। विनिवेश और वित्तीय पुनर्संरचना से कंपनी की वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह में सुधार होने की संभावना है।

ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय संबंध

1346. श्री के. पी. सिंह देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ब्रिटेन के साथ बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने हेतु प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चालू कैलेंडर वर्ष में इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्विपक्षीय संबंध पहले से ही गहन और विविधतापूर्ण हैं। नियमित द्विपक्षीय यात्राओं का आदान–प्रदान हुआ है जिनमें सर्वोच्च स्तर की राजनैतिक यात्राएं भी शामिल हैं। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने तथा घनिष्ठ रक्षा संबंध बनाने के लिए सहयोग जारी है।

(ख) और (ग) 6 जनवरी, 2002 को दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों द्वारा संपन्न की गई नई दिल्ली घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार इन संबंधों को और सुदृढ़ करने के प्रति वचनबद्ध है। इस घोषणा में आतंकवाद का मुकाबला, शांति और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग गहन बनाने की रूपरेखा बनाई गई है। यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। आतंकवाद से संबद्ध संयुक्त कार्यकारी दल के जरिए आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग किया जा रहा है। आर्थिक और वाणिज्यिक संपर्क बढ़ रहे हैं। सहयोगी उपक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त नेटवर्किंग निधि की स्थापना के जरिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिला है जबकि शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान भी जारी हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्ति

1347. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों हेतु कतिपय आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन विभागों और उपक्रमों में सेवारत कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है और नई भर्ती भी की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष में अब तक उक्त अवधि के दौरान विभिन्न विभागों और उपक्रमों में की गई नई नियुक्तियों का वर्ष–वार और श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती और प्रोन्नति में निर्धारित मानदंड अपनाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और

अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन

1348. श्री महेश्वर सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता के वितरण के संबंध में गाडगिल फार्मूले में बदलाव लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि संग्रहण में अच्छा कार्य कर रहे राज्यों और राजस्व के प्रबंध को इन परिवर्तनों से कोई नुकसान नहीं हो?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथ: परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) राज्य योजनाओं को सामान्य केन्द्रीय सहायता आवंटन संबंधी वर्तमान गाडगिल–मुखर्जी फार्मूले में संशोधन करने हेतु योजना आयोग को विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में राज्यों के विचारों में व्यापक भिन्नता है। सामान्य तौर पर, प्रगतिशील राज्यों ने निष्पादन पर उच्च महत्व (वेटेज) देने की मांग की है, जबकि कम प्रगतिशील राज्यों ने पिछड़ेपन पर उच्च महत्व (वेटेज) देने की मांग की है। इस मुद्दे पर पूर्ण योजना आयोग की दिनांक 27 एवं 29 जून, 2001 को हुई बैठक में विचार किया गया था। चूंकि, फार्मूले में संशोधन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) का अनुमोदन अपेक्षित है, अतः यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों के बीच मतभेद और इस मुद्दे की संवदेनशीलता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि एनडीसी द्वारा विकल्पों पर विचार करने से पूर्व इस पर और अधिक चर्चा किए जाने तथा आम सहमति बनाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

1349. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में उड़ीसा से गैर–सरकारी संगठनों की ओर से इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उन प्रस्तावों में से किन–किन गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों पर अभी तक विचार किया गया है और स्वीकार किया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं :

क्र.सं.	योजना का नाम	गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा से गैर–सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1.	राष्ट्रीय एकीकरण का सवंर्धन	201
2.	युवा संबंधी गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	376
3.	खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान	01

(ग) निम्नलिखित गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को ऊपर उल्लिखित में से आज की तारीख तक अनुमोदित किया गया है :

(1) राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन

क्र.सं.	संगठन का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	मां कामेश्वरी क्लब,	पुरी
2.	सामुदायिक पर्यावरण एवं शिक्षा विकास हेतु जन ग्रामीण संगठन	मयूरभंज
3.	आंचलिक ग्राम्य उन्नयन परिषद	केन्द्रपाड़ा
4.	दिग्दर्शन	धेनकनाल

1	2	3
5.	उत्कल ग्रामीण जनजातीय हेतु सामाजिक अनुसंधान का राष्ट्रीय संस्थान	धेनकनाल
6.	डेवलपमेंट इनीशियेटम	झारसुगुदा
7.	प्रगति स्वैच्छिक संगठन	पुरी
8.	एकीकृत मानव विकास हेतु समिति	अंगुल
9.	आर. के. मिशन	कालाहांडी
10.	राम कृष्ण आश्रम	कालाहांडी
11.	राम कृष्ण आश्रम	अंगुल
12.	आर. के. मिशन	भुवनेश्वर
13.	आंदोलन के विकास हेतु अखिल उड़ीसा अुसंधान संस्थान	अंगुल
14.	राष्ट्रीय युवा एकीकृत केन्द्र	पुरी
15.	थानापल्ली मिल्लिट युवक संघ	खुर्दा
16.	सार्वभौमिक ग्रामीण तकनीकी कार्यान्वयन हेतु समिति	कटक
17.	मानव सेवा सदन	धेनकनाल
18.	श्री श्री जादी महल युवा क्लब	बालासोर
19.	उत्कल युवा सांस्कृतिक संघ	कटक
20.	श्री राम कृष्ण सेवा आश्रम	खुर्द
21.	भारत ज्योति	कटक
22.	राष्ट्रीय महिला संस्थान	धेनकनाल
23.	महिला विकास समिति	कटक
24.	जन कल्याण सेवा संस्था	केन्द्रपाड़ा
25.	कल्याण	जगतसिंहपुर

(2) युवा संबंधी गतिविधियों और प्रशिक्षण

क्र.सं.	संगठन का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	उत्कल विकास केन्द्र	मयूरभंज
2.	जगन्नाथ जेम्स संघ	कटक
3.	समाज कल्याण संगठन एवं अनुसंधान समूह	भुवनेश्वर
4.	रोविन क्लब	धेनकनाल
5.	एरिया एलाइड सोसायटी	गंजम
6.	मां कामेश्वरी क्लब	पुरी
7.	गोविन्द प्रधान समिति संसद	गंजम
8.	रत्नाकर ग्रामीण एवं शहरी विकास संस्थान	धेनकनाल
9.	किसान क्लब	कटक
10.	वासुदेव पाथागार	कटक
11.	समाज कल्याण हेतु प्राकृतिक संस्थान	जाजपुर
12.	भुवनेश्वर गांधी पीठ सामाजिक संगठन	भुवनेश्वर
13.	ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय संस्थान	धेनकनाल
14.	क्षेत्रीय विकास केन्द्र	पुरी
15.	भारत ज्योति	कटक
16.	स्वैच्छिक कार्रवाई हेतु सामाजिक संगठन	धेनकनाल
17.	उदय भानु क्लब	धेनकनाल
18.	पल्ली विकास समिति	धेनकनाल
19.	गांधी संस्थान	अंगुल
20.	ग्रामीण विकास एवं कार्रवाई हेतु श्रेष्ठ संस्थान	धेनकनाल
21.	उपकार	गंजम
22.	जेनामणि युवा क्लब	कटक
23.	ग्रामीण सुधार हेतु स्वैच्छिक संगठन	क्योंझर

1	2	3
24.	ग्रामीण संवृद्धि हेतु अनुसंधान अकादमी	सोनपुर
25.	ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सेवा	कटक
26.	आदिवासी हरिजन एकीकृत जन समाज एजेंसी	कन्धमहल
27.	वर्ल्ड	धेनकनाल
28.	नव ज्योति युवक संघ	खुर्दा
29.	जीवन विकास	खुर्दा
30.	शपथ	खुर्दा
31.	समन्वित ग्राम उन्नयन समिति	कन्धमाल
32.	शिशुराजा क्लब	धेनकनाल
33.	आशा	धेनकनाल
34.	स्वराज भारती	धेनकनाल
35.	विश्व चेतना	धेनकनाल
36.	ग्रामीण समुदाय हेतु सामाजिक कार्रवाई	सम्भलपुर
37.	सुभद्र महिलाओं का कल्याण विकास	खुर्दा
38.	उदयनाथ पथगारा	कोरापुट
39.	उमा महेश क्लब	खुर्दा
40.	उत्कालिया अहिंसा मंच	कटक
41.	गांधी युवक संघ	मयूरभंज
42.	शहीद युवा संघ	खुर्दा
43.	भैरवी क्लब	खुर्दा
44.	नारायणी महिला मंडल	खुर्दा
45.	जन सेवा हेतु राष्ट्रीय संगठन	कटक
46.	विकास कार्य प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु वसुधा संस्थान	भुवनेश्वर
47.	न्यू लाइट	खुर्दा

1	2	3
48.	आदर्श शिशु मंदिर	पुरी
49.	बोस वैज्ञानिक तकनीकी सामाजिक–सांस्कृतिक संगठन	पुरी
50.	युवा गतिविधि (प्रिया) हेतु परपैअचूल पुनर्निर्माण संस्थान	भुवनेश्वर
51.	रुपायन समिति	कटक
52.	ग्रामीण निर्धन विकास संगठन	केन्द्रपाड़ा
53.	नागेश्वरी फाउंडेशन	खुर्दा
54.	चाचाखाय युवक संघ	जगतसिंहपुर
55.	जिला हरिजन आदिवासी विकास संगठन	धेनकनाल
56.	जन विकास	पुरी
57.	मदर टेरेसा सेवा प्रतिष्ठान	खुर्दा
58.	मानव विकास केन्द्र	भुवनेश्वर
59.	मुक्ति	धेनकनाल
60.	वर्षा (जन कार्रवाई प्रकोष्ठ)	खुर्दा
61.	एकीकृत विकास हेतु स्वैच्छिक संगठन	गंजम
62.	जन कल्याण क्लब	जगतसिंहपुर
63.	बाल जागृति संघ	भुवनेश्वर
64.	जन विकास परिषद	गंजम
65.	महिला युवा एवं बच्चो हेतु समिति	खुर्दा
66.	सौपुत्रा	कटक
67.	संसाधन विकास केन्द्र	नौपाडा
68.	अग्रगामी	रायागाड़ा
69.	थानापल्ली मिल्लिटा युवक संघ	खुर्दा

(3) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान

...शून्य...

बंगलादेशी नेताओं की रिहाई

1350. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री वी. वेत्रिसेलवन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया और कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आवामी लीग के नेताओं को उन्हें सौंपने की मांग की;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलादेश के मंत्री ने केन्द्र सरकार की अवहेलना की और राज्य सरकार के साथ प्रत्यक्ष रूप से इस मामले को उठाया;

(ग) क्या बंगलादेश के मंत्री के इस रवैये ने सरकार को नाराज किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

1351. श्री के. मुरलीधरन : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनका गत तीन वर्षों के दौरान विनिवेश किया गया;

(ख) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का विनिवेश किया जाएगा; और

(ग) वर्ष 2003–04 के दौरान सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों का विनिवेश किया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ऐसे 45 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिनमें विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है और विनिवेश प्रगति पर है। विनिवेश एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो अनेक बाजार संबंधी उन बाहरी कारकों पर निर्भर है जो विलम्ब का कारण बन सकते हैं। अतः इस बात की ठीक–ठीक पहचान करना सम्भव नहीं है कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम किस विशेष वर्ष में विनिवेशित किया जाएगा।

विवरण

1999–2000 से 2002–2003 के दौरान विनिवेश से प्राप्त अर्थागम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	जुटाई गई धनराशि (रुपए करोड़ में)
1	2
1999-2000 के दौरान विनिवेश से जुटाया गया अर्थागम	
1. मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि.–अनूकूल बिक्री	105.45
2. बाल्को वित्तीय पुनर्सरचना	244.42
योग	349.87
2000-2001 के दौरान विनिवेश से जुटाया गया अर्थागम	
1. भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. (बाल्को)	551.50
2. बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रो–केमिकल्स लि. (बीआरपीएल)	148.80
3. मद्रास रिफाइनरीज लि. (चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पो. लि.)	509.33
4. कोच्चि रिफाइनरीज लि. (केआरएल)	659.10
कुल	1868.73
2001-2002 के दौरान विनिवेश से जुटाया गया अर्थागम	
1. एचटीएल लिमिटेड	55.00
2. सीएमसी लिमिटेड	152.00
3. भारत पर्यटन विकास निगम	
(i) अशोक बंगलौर	39.41@
(ii) बोधगया अशोक	1.81
(iii) हसन अशोक	2.27

1	2
(iv) मदुरै अशोक	4.97
(v) टीबीएबीआर, मामल्लापुरम	6.13
(vi) आगरा अशोक	3.61
(vii) लक्ष्मी विलास पैलेस, उदयपुर	6.77
(viii) कुतुब होटल, नई दिल्ली	34.46
(ix) लोधी होटल, नई दिल्ली	71.93
उप–योग	171.36
4. भारत होटल निगम	
(i) जुहू, मुम्बई	153.00
(ii) राजगीर	6.51
उप–योग	159.51*
5. आईबीपी लिमिटेड	1,15.68
6. विदेश संचार निगम लिमिटेड	3,689.00**
7. भारत राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	40.00#
8. मिनरल एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पो. लिमिटेड	60.00#
9. पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड	151.70
कुल	5,632.25

2002-2003 के दौरान विनिवेश से जुटाया गया अर्थागम

1. हिन्दुस्तान जिंक लि.	445.00
2. मारुति उद्योग निगम लि.	1000.00
3. इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि. (आईपीसीएल)	1491.00
4. होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया (एचसीएल)	
(i) संतूर होटल एयरपोर्ट, मुम्बई	83.00
5. आईटीडीसी होटल	
(i) एयरपोर्ट अशोक, कोवलम	40.39
(ii) मनाली	3.65

1	2
(iii) खजुराहो	2.19
(iv) वाराणसी	8.38
(v) औरंगाबाद	16.50
(vi) कनिष्का	92.37
(vii) इन्द्रप्रस्थ	43.39
(viii) चंडीगढ़ परियोजना	17.27
(ix) रणजीत	29.28
(x) एयरपोर्ट कोलकाता	19.39
6. मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि.–(शेष भाग)	44.07
7. हिन्दुस्तान जिंक लि. (कर्मचारियों के पक्ष में शेयरों का विनिवेश	6.18
कुल	3,342.06

*अर्थागम एयर इण्डिया को जाना है।

**इसमें 755 करोड़ रुपए का लाभांश और विशेष अन्तरिम लाभांश और 1495 करोड़ रुपए का लाभांश कर शामिल है।

#नकदी रिजर्व का अन्तरण।

@न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक भुगतान (एमजीएपी), प्रतिभूति जमा और कारोबार अन्तरण प्रतिफल आदि सहित।

गैर सरकारी कैंसर अस्पतालों को अनुदान

1352. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गैर–सरकारी क्षेत्र के विभिन्न कैंसर अस्पतालों को एक मुश्त अनुदान प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम और शर्तें क्या हैं, और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ये अस्पताल उनके लिए निर्धारित नियम और शर्तों का उल्लंघन नहीं करें?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कैंसर

नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन गैर–सराकारी संगठनों को कोबाल्ट थिरेपी यूनिट की स्थापना करने हेतु 1.00 करोड़ रुपए का एक बारगी सहायता अनुदान दिया जाता है। यह सहायता अनुदान उन धर्मार्थ संगठनों/न्यासों को जारी किया जाता है जिन्होंने विगत में कम से कम 2 वर्षों के लिए कैंसर से संबद्ध कार्यकलाप चलाए हों। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में विकिरण चिकित्सा विकास कार्यक्रम संबंधी स्थाई समिति द्वारा राज्य सरकारों के विशिष्ट सिफारिशों वाले आवेदनों पर विचार किया जाता है। सहायता अनुदान जारी करते समय संबंधित राज्य सरकारों से अनुदानग्राही संस्थाओं के कार्यकरण की मानीटरिंग और मूल्यांकन करने का अनुरोध किया जाता है। अनुदानग्राही संस्थाओं से भी अपेक्षित है कि वे अपनी प्रबंधन समिति में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधी को शामिल करें।

विनिवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य

1353. श्री वाई. वी. राव :
श्री परसुराम माझी :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में विनिवेश हेतु कितना वित्तीय और राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) वास्तविकत देयता क्या रही है;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक विनिवेश के बीच भारी अंतर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त अंतर को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात 2003–04 के दौरान कितनी कंपनियां विनिवेश की प्रक्रिया को पूरी कर लेगी; और

(च) अन्य कंपनियों के संबंध में प्रक्रिया को पूरी नहीं करने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में लक्ष्य और विनिवेश के माध्यम से जुटाई गई धनराशि इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	प्रस्तावित धनराशि	जुटाई गई राशि
1999–2000	10,000	1,829
2000–2001	10,000	1,869
2001–2002	12,000	5,632#
2002–2003	12,000	3,303.81#

#लाभांश, विशेष लाभांश, लाभांश कर, अधिशेष नकदी रिजर्व से हस्तांतरण और पट्टा किराया आदि सहित।

(ग) जी, हां।

(घ) विनिवेश का क्रियान्वयन बाजार परिस्थितियों, उद्योग–वार व्यापार चक्र में उतार–चढ़ाव, संभावित बोलीदाताओं की अभिरुचि और मूल्य बोली की पर्याप्तता सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा सरकार अपनी इक्विटी धारिता की बिक्री जल्दबाजी में नहीं करती है। जहां भूमि तथा भवनों का मूल्य अधिक महत्व रखता है ऐरो मामलों में अक्सर विलम्ब हो जाता है क्योंकि सम्पत्ति के अधिकार अस्पष्ट होते हैं और इन सम्पत्ति अधिकारों को विधिक रूप से स्थापित में समय लग जाता है, हालांकि प्राप्य मूल्य को अधिकतम करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक लक्ष्यों को पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाया है।

सरकार ने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। विलम्ब से बचने के लिए विनिवेश प्रक्रियाओं को निरन्तर संशोधित और मानकीकृत किया जाता है। अन्तर्मंत्रालय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया तैयार की गई है। सम्भाव्य रूप से विनिवेश योग्य मामलों पर बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है और ऐसे मामलों में विनिवेश पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) और (च) विनिवेश एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो अनेक बाजार संबंधी उन बाहरी कारकों पर निर्भर है जो विलम्ब का कारण बन सकते हैं। अतः इस बात की ठीक–ठीक पहचान करना संभव नहीं है कि कौन–सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम किस विशेष वर्ष में विनिवेशित किया जाएगा। इस समय 45 मामले ऐसे हैं जिनमें विनिवेश का निर्णय लिया गया है और जिनमें विनिवेश प्रगति पर है।

लघु उद्योग पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव

1354. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में लघु उद्योग पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से घरेलू लघु इकाइयों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) औद्योगिक (विकास एवं विनिमय), अधिनियम, 1951 के अनुसार कोई भी गैर–लघु उद्योग (नान–एस.एस.आई.), जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं, उस समय तक लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मद का विनिर्माण नहीं कर सकते हैं, जब तक वे अपने उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत निर्यात करने का वचन नहीं दे देते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने घरेलू एवं विश्वयापी, दोनों स्तरों पर लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए इन्हें सुदृढ़ करने के लिए कई उपायों को लागू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ क्रेडिट तक सरल पहुंच, विपणन समर्थन, सुधरी हुई आधारिक संचरचना तथा प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए समर्थन शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान

1355. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राज्य से पुनः प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूड़ी) : (क) से (घ) राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए सभी प्रस्ताव आंध्र प्रदेश तथा संबंधित राज्य सरकारों को समीक्षा हेतु लौटा दिए गए थे क्योंकि ये प्रस्ताव नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंडों पर आधारित होने चाहिए थे।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक महाविद्यालय

1356. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य–वार कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं;

(ख) देश में ऐसे महाविद्यालयों को खोलने हेतु केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकारों के राज्य–वार कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) आयुर्वेदिक कॉलेजों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) किसी भी राज्य सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आयुर्वेदिक कॉलेजो की राज्य–वार सूची

क्र.सं.	राज्य	कॉलेज
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	04
2.	असम	01
3.	बिहार	11
4.	छत्तीसगढ़	01
5.	चंडीगढ़	01

1	2	3
6.	दिल्ली	01
7.	गोवा	01
8.	गुजरात	10
9.	हरियाणा	06
10.	हिमाचल प्रदेश	01
11.	जम्मू और कश्मीर	01
12.	झारखण्ड	01
13.	कर्नाटक	46
14.	केरल	10
15.	मध्य प्रदेश	14
16.	महाराष्ट्र	59
17.	उड़ीसा	06
18.	पंजाब	11
19.	राजस्थान	04
20.	तमिलनाडु	06
21.	उत्तर प्रदेश	12
22.	उत्तरांचल	03
23.	पश्चिम बंगाल	03
	योग	213

[अनुवाद]

'दाई किट' का विकास

1357. डा. बी. बी. रमैया :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अकिरणीय 'दाई किट' का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय गैर-सरकारी संगठनों के अनुसार उक्त किट से नवजात मृत्यु दरों में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में 'दाई किट' के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग के संघटक यूनिट विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड ने "निर्जर्मीकृत दाई किटें" विकसित की हैं। इन किटों को उत्तरी राज्यों में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। देश के दक्षिणी राज्यों में ऐसी किटों के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए गए हैं।

(ग) और (घ) मैसर्स त्रिभुवनदास फाउंडेशन, आनन्द, गुजरात, जोकि एक गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन है, ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी किटों के लाभों को स्वीकार किया है क्योंकि इन किटों की सहायता से प्रसूति संबंधी प्रक्रिया और भी अधिक स्वास्थ्यकर ढंग से कराई जा सकती है। उन्होंने अब इन किटों को तैयार कराने और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें वितरित कराने का कार्य हाथ में लिया है। इसी तरह, मैसर्स अन्नपूर्णा महिला मंडल, जोकि महाराष्ट्र राज्य का एक गैर-सरकारी संगठन है, ने भी इस दिशा में कार्रवाई शुरू की है। यह विभाग पिछले पांच वर्षों से इन किटों को वितरण से पूर्व विकिरण द्वारा निर्जर्मीकृत करने के कार्य में सहायता प्रदान करता आ रहा है। इस अवधि के दौरान विनिर्माताओं द्वारा लगभग दो मिलियन किटें निर्जर्मीकरण के लिए लाई गई हैं ताकि उन्हें आगे वितरित करने के लिए सरकार को सप्लाई किया जा सके।

रक्त दान

1358. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी प्रणाली स्थापित करने का है जिसमें रक्त दान कर रहे लोगों में यदि एच आई वी पाजिटिव पाया जाता है तो उसे पहले सूचित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य रक्ताधान परिषदों के प्रबंधन में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा अप्रैल, 2002 में उपनाई गई राष्ट्रीय रक्त नीति में परिकल्पना की गई है कि ऐसे रक्तदाताओं को उनकी एच. आई.वी. स्थिति, जो अपने परिणाम जानना चाहते हैं बताई जानी चाहिए जिसके लिए उन्हें संबद्ध स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण केन्द्रों में अपनी एच.आई.वी. की स्थिति की पुष्टि हेतु भेजा जाए तथा रक्तदान से पूर्व तथा बाद में उन्हें परामर्श दिया जाए।

राज्य रक्ताधान परिषदों द्वारा एक चरण–वार तरीके से रक्त बैंकों और स्वैच्छिक परामर्श व जांच केन्द्रों के बीच विशेष संबंधों की पहचान की जा रही है और उन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय रक्त नीति को संचालनात्मक बनाने की कार्य–योजना को संबंधित राज्यों में कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी, राज्य रक्ताधान परिषदों की है।

राज्य रक्ताधान परिषद सरकारी, रक्ताधान सेवाओं, क्लीनिकल डाक्टरों, रेड क्रास, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और दाता संगठनों से सदस्य लेकर सांविधिक निकाय बनने के लिए अलग पहचान विकसित करेंगी।

राज्य में स्वास्थ्य सेवा निदेशक राज्य रक्ताधान परिषद के सक्रिय सदस्य होंगे। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशकों के पास उपलब्ध संसाधनों और अवसंरचना राज्य रक्ताधान परिषदों के कार्यकरण में तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं, दोनों को दूर करेंगे।

राज्य रक्ताधान परिषदें, सभी पणधारियों की सक्रिय सहभागिता के साथ अपने–अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रक्ताधान सेवाओं को एकीकृत और समन्वयक प्रबन्धन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के समग्र कार्यक्षेत्र के भीतर अपनी स्वयं की राज्य विशेष कार्य योजनाएं विकसित करेंगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में विदेशी निवेश

1359. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने यह ध्यान दिलाया है कि सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तरदायिता और गुणवत्ता पर जोर देना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या कई अनिवासी भारतीयों एवं भारतीय मूल के लोगों ने अस्पताल क्षेत्र में 51 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी की अनुमति प्रदान करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेश संवर्धन–बोर्ड द्वारा इसका अनुमोदन करने पर इसे 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले की अद्यतन स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अस्पताल सेक्टर में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश को स्वतः आने की अनुमति पहले से है।

[हिन्दी]

बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विश्व बैंक की सहायता

1360. श्री राजो सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव को **विश्व बैंक** के पास भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) हमें बिहार सरकार से अब तक कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नई भर्ती में कमी

1361. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई भर्ती में कमी लाकर संचालन लागत में कमी करने का कोई प्रस्ताव भारत संचार निगम लिमिटेड के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्य बल में कमी लाने हेतु प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अथवा अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संचालन लागत में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं, जैसे प्रौद्योगिकीय उन्नयन, परिवर्तनशील प्रचालनात्मक जरूरतों सहित स्टाफिंग पैटर्न की पुनरीक्षा, सवर्ग-पुनर्गठन के माध्यम से कार्यकुशलता बढ़ाना आदि।

युवा विकास केन्द्र

1362. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में युवा विकास केन्द्रों को गठित करने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्यवार ऐसे कितने केन्द्रों का गठन किया गया है; और

(ग) उक्त केन्द्रों के गठन पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक, 1513 युवा विकास केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) 1513 युवा विकास केन्द्रों की स्थापना पर प्रति युवा विकास केन्द्र 30,000/- रु. की दर से एकबारगी अनुदान के रूप में 4,53,90,000/- रु. की राशि खर्च की गई है।

विवरण

युवा विकास केन्द्रों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थापित किए गए युवा विकास केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	–
2.	आंध्र प्रदेश	91
3.	अरुणाचल प्रदेश	–
4.	असम	205
5.	बिहार	32
6.	चंडीगढ़	–
7.	दिल्ली	1
8.	दमन और दीव	–
9.	दादरा व नागर हवेली	–
10.	गोवा	–
11.	गुजरात	18
12.	हरियाणा	39
13.	हिमाचल प्रदेश	45
14.	जम्मू व कश्मीर	11
15.	कर्नाटक	84
16.	केरल	161
17.	लक्षद्वीप	–
18.	मध्य प्रदेश	79

1	2	3
19.	महाराष्ट्र	158
20.	मणिपुर	76
21.	मेघालय	7
22.	मिजोरम	–
23.	नागालैंड	5
24.	उड़ीसा	91
25.	पंजाब	5
26.	पांडिचेरी	11
27.	राजस्थान	29
28.	सिक्किम	2
29.	तमिलनाडु	118
30.	त्रिपुरा	13
31.	उत्तर प्रदेश	86
32.	पश्चिम बंगाल	146
	कुल	1513

जापानी अध्ययन संस्थान की स्थापना

1363. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय सॉफ्टवेयर डिजाइनरों को जापानी भाषा सिखाने हेतु एक जापानी अध्ययन संस्थान स्थापित करने हेतु कर्नाटक सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने और अन्य सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त संस्थान को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार को सुझाया कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को जापान के लिए दीर्घकालिक निर्यात गंतव्य का लक्ष्य बनाने में काफी समय लगेगा। अतः बंगलौर में जापानी अध्ययन संस्थान स्थापित करने में जापान की सहायता ली जा सकती है और राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। किन्तु, बंगलौर में जापानी अध्ययन संस्थान स्थापित करने के लिए किसी प्रकार की सहायता देने के संबंध में जापान सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

शिशु मृत्युदर नियंत्रण कार्यक्रम

1364. **श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'यूनीसेफ' के सहायोग से देश में शिशु मृत्युदर की रोकथाम हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त कार्यक्रम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों और यूनीसेफ द्वारा देश के 51 जिलों में सीमावर्ती जिला क्लस्टर कार्यनीति कार्यान्वित की जा रही है। यह कार्यक्रम नवजात शिशु मृत्यु दर की समस्या पर ध्यान देने के लिए एक प्रमुख पहल है। सीमावर्ती जिला क्लस्टर कार्यनीति वर्ष 2000 में शुरू की गई थी और इसमें निम्नलिखित कार्यनीतियों का, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रजनन बाल स्वास्थ्य नीतियों के अनुरूप पूर्वानुमान लगाया गया है, जो इस प्रकार है :

- परिचर्या के उप केन्द्र स्तर को मजबूत बनाना;
- परिवार और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानकर्ता पद्धतियों में सुधार;

- परिचर्या के एक अनिवार्य पैकेज का कार्यान्वयन (नवजात शिशु टेटनस, खसरे के नियंत्रण और पोलियो के उन्मूलन, प्रसव पूर्व परिचर्या, आपातिक प्रसूति परिचर्या, नवजात शिशु एवं शैशव काल की बीमारी के एकीकृत उपचार के उद्देश्य से नेमी प्रतिरक्षण में वृद्धि करना)।
- राज्य स्तर पर नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास और कौशल के उन्नयन में सहायता करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में नीतियां बनाने के लिए सहायता।

(ग) इस परियोजना को देश के 16 विभिन्न राज्यों में 51 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इन जिलों को राज्य सरकारों से परामर्श करके चुना गया था। इन जिलों और राज्यों की एक सूची संलग्न विवरण में है। वर्तमान 2003-2007 की कार्ययोजना में यूनिसेफ को कोई भौगोलिक विस्तार होने का पूर्वानुमान नहीं है।

विवरण

बीडीसीएस जिले

राज्य	जिला
1	2
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, चित्तूर
झारखंड	पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, रांची, सराईकेला
गुजरात	डांग्स, वलसाड
हरियाणा	रिवाड़ी, गुड़गांव
हिमाचल प्रदेश	चम्बा, कांगड़ा
जम्मू और कश्मीर	उधमपुर, कठुआ
कर्नाटक	बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर
मध्य प्रदेश	मोरेना, शिवपुरी, गुना, टिकमगढ़, श्योपुर
महाराष्ट्र	नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद
उड़ीसा	मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर
पंजाब	होशियारपुर, गुरदासपुर, रोपड़
राजस्थान	धौलपुर, झालवाड़, बारण
तमिलनाडु	तिरुवैल्लौर, वैल्लौर
उत्तर प्रदेश	ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, झांसी
पश्चिम बंगाल	पुरुलिया, बांकुरा, पूर्व मिदानपुर, पश्चिमी मिदनापुर
केरल (आदिवासी जनसंख्या)	मल्लापुरम और इड्डुक्की

[हिन्दी]

मानव शरीर में स्वस्थ्य जीन का अंतर्वेश

1365. **श्रीमती निवेदिता माने :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने मानव शरीर कोशिकाओं में रुग्ण जीन के स्थान पर स्वस्थ जीन का अंतर्वेश करने की तकनीक सफलतापूर्वक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त तकनीक के क्या लाभ हैं;

(ग) क्या इस तकनीक का परीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) खराब काम कर रहे जीन्स के बदले स्वस्थ जीन्स प्रविष्ट कराने को जीन-थिरेपी कहते हैं। यह थिरेपी अभी आरंभिक अवस्था में है और मूलतया प्रयोगात्मक है जिसमें अधिकतर मानविक नैदानिक परीक्षण केवल अनुसंधान की अवस्था में ही है। इस थिरेपी को चिकित्सीय स्थितियों में उपचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नवीकरण

1366. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पी.एम.सी.एच.) का नवीकरण करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) बिहार सरकार द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत एक प्रस्ताव, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पटना मेडिकल कालेज के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता शामिल है, योजना आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा गया। मंत्रालय की टिप्पणियां योजना आयोग को भेजी जा रही हैं।

पुराने दूरभाष उपकरणों का बदला जाना

1367. **डा. बलिराम** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच वर्ष या इससे पुराने दूरभाष उपकरणों के बदलने हेतु महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली एवं मुम्बई को दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 दिसंबर, 2002 से 13.2.2003 तक प्रत्येक क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के अंतर्गत कार्यरत मंडलीय एवं उप-मडलीय अभियंताओं को केन्द्रीय भंडार से टेलीफोन एक्सचेंज वार जारी किए गए विभिन्न प्रकार के दूरभाष उपकरणों की संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त दूरभाष उपकरणों में से नए कनेक्शन हेतु जारी किए गए दूरभाष उपकरणों की संख्या कितनी है और खराब पड़े दूरभाष उपकरणों को बदलने हेतु जारी किए गए दूरभाष उपकरणों की संख्या कितनी है; और

(घ) उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के आधार पर नए दूरभाष उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) हालांकि सरकार द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं, तथापि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने पांच साल से अधिक पुराने टेलीफोनों को उत्तरोत्तर रूप से बदलने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में एमटीएनएल आठ साल से अधिक पुराने उपकरण बदल रहा है।

(ख) एमटीएनएल, दिल्ली और एमटीएनएल, मुम्बई द्वारा जारी किए गए टेलीफोनों की संख्या का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिया है।

(ग) नए कनेक्शनों और बदलाव हेतु जारी किए गए टेलीफोन उपकरणों का ब्यौरा विवरण III में दिया गया है।

(घ) उपभोक्ता से शिकायत के मामले में यदि टेलीफोन उपकरण को खराब पाया जाता है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो उपकरण की अवधि को न देखते हुए उसे बदल लिया जाता है।

विवरण-I

क्षेत्र	एक्सेंज का नाम	प्राप्त टेलीफोन उपकरणों की संख्या
1	2	3
मध्य	किदवई भवन	1250
	जनपथ	500
	राजपथ	486
	सेना भवन	28
	जोरबाग	800
	सीजीओ	--
पूर्व	दिल्ली गेट	876
	तीस हजारी	1100
	ईदगाह	2700
उत्तर-I	शक्ति नगर (पूर्व-I)	1185
	शक्ति नगर (पूर्व-II)	2065
	शक्ति नगर (केन्द्रीय)	1630
	शक्ति नगर (पश्चिम)	770
	केशव पुरम	1015
उत्तर-II	सेक्टर-3 रोहिणी	1300
	सेक्टर-6 रोहिणी	600
	सेक्टर-9 रोहिणी	–

1	2	3
	सरस्वती विहार	200
	बादली	750
	नरेला	275
दक्षिण–I	चाणक्यपुरी	1400
	भीकाजी कामा प्लेस	700
	हौज खास	–
दक्षिण–II	नेहरू प्लेस–I	700
	नेहरू प्लेस–II	1500
	नेहरू प्लेस–III	900
	नेहरू प्लेस–IV	800
	नेहरू प्लेस–V	900
	ओखला–I और II	2800
	तुगलकाबाद	1700
	सरिता विहार	2500
	तेहखंड	600
टी.वाई.	लक्ष्मी नगर–I	1600
	लक्ष्मी नगर–II	1800
	लक्ष्मी नगर–III	2500
	कडकड़डूमा	900
	शाहदरा–I	789
	शाहदरा–II	400
	मयूर विहार–I और 1ए	840
	मयूर विहार–II और III	700
	यमुना विहार I और II	2600
पश्चिम–I	जनकपुरी	1250
	द्वारका	1750
	पंखारोड	1050
	नजफगढ़	1200
पश्चिम–II	राजौरी गार्डन–I	1175
	राजौरी गार्डन–II	–
	राजौरी गार्डन–III	295
	हरि नगर	308
	पश्चिम विहार	3571
	नांगलोई–I	440
	नांगलोई–II	–
पश्चिम–III	करोल बाग पूर्वी डिवीजन	1150
	करोल बाग पश्चिम डिवीजन	1250
	दिल्ली कैंट	950
	शादीपुर	400
जोड़		58948

विवरण-II

नए कनेक्शनों के लिए प्रदान किए गए उपकरणों का क्षेत्रीय महाप्रबंधक–वार ब्यौरा

क्षेत्र	उपकरणों की संख्या
दक्षिण	3000
मध्य	1500
उत्तर	7200
पूर्व–I	4900
पूर्व–II	7165
पश्चिम–I	5600
पश्चिम–II	2500
पश्चिम–III	7000
नवी मुंबई	4350
जोड़	43215

प्रतिस्थापन हेतु प्रदान किए गए उपकरणों का क्षेत्रीय महाप्रबंधक—वार ब्यौरा

क्षेत्र	उपकरणों की संख्या
दक्षिण	442
मध्य	383
उत्तर	2520
पश्चिम—I	940
पश्चिम—II	520
पश्चिम—III	0
पूर्व—I	136
पूर्व—II	441
नवी मुंबई	2956
जोड़	8338

क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार डीई और एसडीई को टेलीफोन आवंटित करने लिए प्राधिकृत किया गया है।

विवरण-III

(ग) एमटीएनएल, मुंबई में नए कनेक्शनों के लिए 43215 टेलीफोन सेट उपयोग किए गए थे और खराब उपकरणों को बदलने के लिए 8338 टेलीफोन सेट उपयोग किए गए थे।

एमटीएनएल, दिल्ली में इस अवधि के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 27,358 उपकरण उपयोग किए गए हैं और खराब उपकरणों को बदलने के लिए 7031 उपकरण उपयोग किए गए हैं।

[अनुवाद]

पल्स दर में कमी

1368. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 मिनट की विद्यमान पल्स दर को घटा कर 2 मिनट करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 3 मिनट के पुराने पल्स दर को पुनः लागू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने दिनांक 24.1.2003 को अपने दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) 1999 में 24वें संशोधन के तहत नए टैरिफ की घोषणा की है जिसमें लैण्ड—लाइनों के मामले में मौजूदा पल्स दर 3 मिनट से घटाकर 2 मिनट कर दी गई है। यह दर 1—4—2003 से लागू होगी।

(ग) और (घ) वर्ष 2000 में यथा—संशोधित ट्राई अधिनियम 1997 के अनुसार दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारण करने का अधिकार ट्राई को सौंपा गया है। ट्राई ही इस अधिकार का प्रयोग करने वाला अब एकमात्र प्राधिकरण है। तथापि, सेवा प्रदाताओं (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित) को ट्राई द्वारा निर्धारित अधिकतम/न्यूनतम सीमा के भीतर अपना निजी पैकेज निर्धारित करने की छूट प्राप्त है।

आंध्र प्रदेश एवं उत्तरांचल में दूरभाष कनेक्शन

1369. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश एवं उत्तरांचल के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दूरभाष कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटाए जाने की संभावना है;

(ग) इन राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) राज्यों के सभी क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में मूल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इन राज्यों में संचार के क्षेत्र में भारत संचार

निगम लिमिटेड के साथ–साथ निजी कंपनियों को भी अनुमति प्रदान की गई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या आंध्र प्रदेश एवं उत्तरांचल के सभी एक्सचेंजों को नवीन तकनीक से जोड़ा गया है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 31.01.2003 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची दर्ज आवेदकों की संख्या निम्नानुसार हैं :

राज्य	शहरी	ग्रामीण	जोड़	प्रतीक्षा सूची का निपटान किए जाने की संभावित तारीख
आंध्र प्रदेश	9474	77863	87610	30.09.2003
उत्तरांचल	3714	4809	8523	30.09.2003

प्रतीक्षा सूची निपटाए जाने की संभावित तारीख समय पर संसाधन उपलब्ध होने की शर्त की अध्यधीन है।

(ग) और (घ) सभी महत्वपूर्ण स्थान पहले से ही आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जुड़े हुए हैं। 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में 34215 आरकेएम (रूट किलोमीटर) ओएफसी और उत्तरांचल में 1131 आरकेएम ओएफसी बिछा दी गई। वर्ष 2002–2003 के लिए आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल के लिए ओएफसी का लक्ष्य क्रमशः 3000 आरकेएम और 1100 आरकेएम है और 31.01.2003 तक की उपलब्धि क्रमशः 2278 आरकेएम और 542 आरकेएम की रही है।

(ङ) और (च) जी, हां। इंटरनेट सेवाएं पहले से ही विश्वसनीय माध्यम वाले सभी एक्सचेंजों से डायल–अप आधार पर उपलब्ध हैं। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार किसी प्रचालक द्वारा महानगर सेवा क्षेत्रों के 90 प्रतिशत भाग को एक वर्ष के भीतर और अन्य दूरसंचार सर्किलों में 10 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को एक वर्ष के भीतर और 50 प्रतिशत जिला मुख्यलयों को तीन वर्ष के भीतर कवर करना अपेक्षित होता है। लाइसेंसधारक को जिला मुख्यालय के बदले में जिले के किसी अन्य शहर को कवर करने की अनुमति भी दी गई है कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालय/शहरों का चयन करने और बाद में 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों/शहरों से आगे विस्तार करने का अधिकार लाइसेंसधारक का होगा जो उसके कारोबार के निर्णय पर निर्भर करेगा। ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों को कवर करने जैसी कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। तथापि, सरकारी प्रचालक, भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर करने की परिकल्पना की है जिससे संयोगवश इन मार्गों में पड़ने वाले ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों को भी सेवा के सीमित कवरेज का लाभ मिल जाएगा।

(छ) और (ज) जी, हां। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश पश्चिम दूरसंचार सर्किल के सेवा क्षेत्रों को सीएमटीएस (सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा) प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड सहित निम्नलिखित प्राइवेट कंपनियों को भी लाइसेंस दिए गए हैं। उत्तरांचल उत्तर–प्रदेश पश्चिम दूरसंचार सर्किल के सेवा क्षेत्र का एक भाग है।

आंध्र प्रदेश	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड
	भारती मोबाइल लिमिटेड
	हचिसन एस्सार साउथ लिमिटेड
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	एस्कोटेल मोबाइल कम्युनिकेशंस लिमिटेड
	भारती सेल्यूलर लिमिटेड

आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में कार्यरत प्राइवेट बुनियादी सेवा प्रदाता निम्नानुसार हैं :

आंध्र प्रदेश	टाटा टेलीसर्विस लिमिटेड
	रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड
उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड

(झ) और (ञ) आंध्र प्रदेश में सभी एक्सचेंजों में और उत्तरांचल में 412 में से 380 एक्सचेंजों में विश्वसनीय माध्यम प्रदान कर दिया गया है। शेष 32 एक्सचेंजों को 31.03.2003 तक विश्वसनीय माध्यम प्रदान किए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

दूरभाष सलाहकार समिति की सदस्यता

1370. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा दूरभाष सलाहकार समिति की सदस्यता हेतु की गई सिफारिशों पर गौर किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत छह माह के दौरान दूरभाष सलाहकार समिति की सदस्यता के संबंध में संसद सदस्यों के कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त पत्रों के आधार पर दूरभाष सलाहकार समिति की सदस्यता कितने लोगों को दी गई है;

(ङ) क्या दूरभाष सलाहकार समिति के सदस्य जनहित में सरकार को सुझाव एवं सहायता देने के बजाय उनको दी जा रही सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान दूरभाष सलाहकार समिति की सदस्यता के संबंध में माननीय संसद सदस्यों से नौ सौ तेईस (923) पत्र प्राप्त हुए।

(घ) उक्त अवधि के दौरान माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के आधार पर पांच हजार एक सौ चौवन (5154) व्यक्तियों को दूरभाष सलाहकार समिति की सदस्यता दी गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त भाग (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के माध्यम से धन

1371. श्री नरेश पुगलिया :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष माध्यम के बजाय आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध कराने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा धन को अन्यत्र लगाने के मामले ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां। प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया को 13 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपना लिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया के विपरीत भुगतान की प्रतिपूर्ति प्रणाली के अनुसार कुछ राज्य सरकारों द्वारा 'साख पत्र' देरी से जारी करने के मामले सामने आए हैं। इस कारण कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान करने में विलंब हुआ है और कार्यों की निष्पादन प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप निधियों को अभ्यर्पित करना पड़ा है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है। अन्य राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रणाली को अपनाने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निःशुल्क मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं

1372. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नेत्रहीन तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को पर्याप्त सुरक्षा सावधानियों सहित निःशुल्क मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गैर-सरकारी दूरसंचार कंपनियों के आने के पश्चात संचार क्षेत्र समस्याओं तथा प्रमुख मुद्दों का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूरसंचार सेवा क्षेत्र को दूरसंचार सेवा के संबंध में निजी प्रचालकों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। निजी प्रचालकों की संख्या पर प्रतिबंध केवल वहीं लगाया गया है जहां आवृत्ति स्पेक्ट्रम संबंधी बाधा है जैसे कि सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रचालकों की संख्या सीमित रखी गई है। अतः बहुत सी निजी कंपनियों को विभिन्न सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। ये कंपनियां अपनी समस्याएं/मामले रखती हैं जो एक सतत प्रक्रिया है और इन्हें समय-समय पर निपटाया जाता है।

[हिन्दी]

स्कूलों में खेलकूद

1373. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **युवक कार्यक्रम** और **खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा स्कूलों में खेलकूद गतिविधियां आयोजित करने हेतु राज्यों को धन आवंटित करने के लिए क्या नियम और मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सहित अन्य राज्यों द्वारा आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए आवंटित धन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) स्कूलों में खेलकूद के संवर्धन की योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उनसे व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंजूर की जाती है। जिला और राज्य स्तरों पर अन्तर-स्कूल खेल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सहायता का स्तर क्रमशः 50,000/- रु. प्रति जिला और 2.00 लाख रु. प्रति राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से उन्हें पहले ऐसी किसी भी प्रकार की दी गई सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा उन्हें, ऐसी सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले, प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए जिला और राज्य स्तरीय समितियां गठित करनी होती हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निम्नलिखित अनुदान दिए गए थे :

(लाख रु. में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
मिजोरम	शून्य	6.0	4.50
हरियाणा	शून्य	9.50	11.50
त्रिपुरा	4.00	4.00	शून्य
हिमाचल प्रदेश	8.00	8.00	शून्य
असम	13.50	13.50	13.50
पंजाब	शून्य	10.50	शून्य
महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	19.50
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	10.00
नागालैंड	शून्य	शून्य	6.00
गुजरात	17.50	शून्य	13.50
दमन व दीव	3.00	शून्य	शून्य
सिक्किम	4.00	शून्य	शून्य
गोवा	3.00	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश	43.50	शून्य	शून्य
जम्मू व कश्मीर	9.00	शून्य	शून्य
केरल	9.00	शून्य	शून्य

1	2	3	4
लक्षद्वीप	2.00	शून्य	शून्य
मणिपुर	6.50	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	16.50	शून्य	शून्य

आज की तारीख तक, चालू वित्तीय वर्ष (2002–2003) के दौरान, महाराष्ट्र के अलावा, किसी अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है क्योंकि अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी प्रस्ताव उनसे प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि राजस्थान सरकार से अंतर–स्कूल खेल टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आज की तारीख तक, इस राज्य को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

एम.सी.आई. अधिनियम में संशोधन

1374. श्री राम प्रसाद सिंह :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य चिकित्सा परिषदों के जनवरी, 2003 में नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में मेडिकल काउंसिल एक्ट में संशोधन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन संशोधनों की मांग की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। जनवरी, 2003 में नई दिल्ली में हुए राज्य चिकित्सा परिषदों के राष्ट्रीय सम्मेलन ने सिफारिश की है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को निरस्त किया जाए और सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में प्रतिपादित केन्द्र–राज्य संबंधों को देखते हुए सभी राज्य चिकित्सा परिषदों के साथ परामर्श करके दुबारा बनाया जाए।

(ग) सरकार का भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 को निरस्त करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जब कभी यह आवश्यक होता है, इस अधिनियम के उपबंधों की समीक्षा की जाती है और सभी संबंधितों के साथ परामर्श करके संशोधन किए जाते हैं।

अंतर कनेक्शन सुविधाएं

1375. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार संचालकों को लिमिटेड मोबिलिटी प्रदान करने वाले अंतर कनेक्शन सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए मोबाइल सेवा संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो मोबाइल फोन कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार सेल्यूलर, मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने ट्राई को अपने कारण बताओ नोटिस के लिए स्पष्टीकरण दे दिए थे। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और बुनियादी टेलीफोन सेवा नेटवर्कों के बीच इंटरकनेक्शन संपर्क पहले ही सामान्य हो चुके थे।

(ग) सरकार ने भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है।

[हिन्दी]

आरक्षित रिक्तियां/पद

1376. श्री रामदास आठवले : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कतिपय पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को गत तीन वर्षों के दौरान पदोन्नत किया गया है और नई भर्तियां भी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अभी तक विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में नई नियुक्तियां करने के संबंध में वर्ष–वार और श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती और पदोन्नति में निर्धारित नियमों का अनुपालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन कोई विभाग अथवा उपक्रम नहीं है। इस मंत्रालय के संबंध में समूह ख, ग तथा घ से संबंधित रिक्तियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भरी जाती हैं जो इन श्रेणियों के बारे में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है, जबकि समूह क के पद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रकार मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई रिक्ति, किसी भी श्रेणी में खाली नहीं है। तथापि, अनुसूचित जनजाति से संबंधित युवा अधिकारी का (समूह ख) एक पद राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) में खाली पड़ा हुआ है जो मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है।

(ग) एन.एस.एस. में कार्यरत कर्मचारी पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नत किए गए हैं तथा नई भर्ती भी की गई हैं।

(घ) 1997 में संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए इस मांगपत्र के प्रत्युत्तर में, संघ लोक सेवा आयोग से चयनित होने के बाद एन.एस.एस. में सात युवा अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिनका ब्यौरा निम्मनानुसार है :

श्रेणी	पद	नियुक्ति का वर्ष
समूह ख राजपत्रित	5	2000
समूह ख राजपत्रित	2	2001

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घरेलू उपचार किट

1377. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 15 बीमारियों के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की दवाइयों से युक्त घरेलू उपचार किट की आपूर्ति हेतु एक प्रायोगिक योजना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना किन राज्यों में लागू की जा रही है;

(ग) क्या गैर–सरकारी संगठनों को कार्यान्वयन हेतु अपने क्षेत्रों का चयन करना है; और

(घ) यदि हां, तो देश में ऐसी किटों के वितरण हेतु विभिन्न स्थानों का चयन करने की प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) प्रायोगिक योजना को 21 राज्यों के प्रत्येक जिले की 100 पंचायतों में कार्यान्वित किया जाएगा। विवरण संलग्न है।

(ग) इसे राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) राज्यों को संबंधित चिकित्सा पद्धतियों नामतः आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए चयनित किया गया है। जिलों का चयन मुख्यतः राज्य सरकारों की सलाह पर किया गया है।

विवरण

राज्यों के नाम नीचे दिए अनुसार हैं :

क्र.सं.	राज्य
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार

1	2
5.	छत्तीसगढ़
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	झारखंड
10.	कर्नाटक
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	मणिपुर
14.	मेघालय
15.	उड़ीसा
16.	पंजाब
17.	राजस्थान
18.	तमिलनाडु
19.	उत्तर प्रदेश
20.	उत्तरांचल
21.	पश्चिम बंगाल

कृत्रिम अंग हेतु स्वीकृति

1378. **श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंग प्रदान करने हेतु विभिन्न विकलांग सरकारी कर्मचारियों से सी.जी.एच.एस./ मंत्रालयों को वर्ष–वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) सी.जी.एच.एस./मंत्रालयों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने में सामान्यतः कितना समय लिया गया;

(ग) इनमें से कितने मामलों में उक्त अवधि के दौरान संबंधित विभागों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक समान नीति बनाने का है और ऐसे सभी आवेदनों को निर्दिष्ट अवधि में निपटाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) :

(क) 2000–2001 शून्य

2001–2002 शून्य

2002–2003 5

(ख) यह मामला–दर–मामला भिन्न–भिन्न है।

(ग) तीन।

(घ) और (ङ) चूंकि अनुमति संबंधित विशिष्टता से विशेषज्ञों के समूह की सिफारिशों पर मामला–दर–मामला के आधार पर प्रदान की जाती हैं जो कृत्रिम अंग के प्रकार पर निर्भर करती है, इसलिए, इस प्रयोजन के लिए कोई एकरूप दिशा–निर्देश जारी करने आवश्यकता नहीं है। तथापि, आवेदनों को शीघ्र निपटाने हेतु सभी प्रयास किए जाते हैं।

टेलीफोन सलाहकार समितियों की समीक्षा

1379. **श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या टेलीफोन सलाहकार समितियां बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में निजी कंपनियों के आने से अनावश्यक हो गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य म. (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां। टेलीफोन सलाहकार समितियो का इस ढंग से पुनर्गठन किया गया है ताकि भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) द्वारा प्रदान की गई टेलीफोन सेवाओं को उभरती हुई प्रतिस्पर्द्धा के परिप्रेक्ष्य में अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि

से शिकायत निवारण प्रणाली के साथ जन प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाया जा सके।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टेलीफोन कनेक्शन

1380. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव वरिष्ठ नागरिकों को तत्काल टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु उनके लिए अलग प्रतीक्षा सूची तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रजिस्ट्रेशन के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों को टेलीफोन प्रदान करने हेतु कोई समय-सीमा तय की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में निजी संचालकों तथा भारती, टाटा, एस्सार और रिलायंस को वरिष्ठ नगारिकों को ऐसे ही लाभ प्रदान करने हेतु निर्देश दिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई पृथक प्रतीक्षा सूची रखने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वे गैर-ओवाईटी-विशेष श्रेणी, जो एक प्राथमिकता श्रेणी है, के अंतर्गत एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए अपनी मांग को दर्ज कराने के लिए पात्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) निजी आपरेटरों को इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए टैरिफ आदेशों, सेवा-गुणवत्ता विनियमों और अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होता है।

[अनुवाद]

मधुमेह के विरुद्ध अभियान

1381. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :**
श्री वाई. वी. राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व में सबसे अधिक मधुमेह के रोगी भारत में हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में कितने लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं;

(ग) मधुमेह के रोगियों की संख्या कम करने हेतु स्वास्थ्य जागरूकता, खान-पान की आदतों के संबंध में एक मधुमेह रोगी अभियान चलाने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने अन्य विकसित राष्ट्रों के साथ परामर्श किया है जहां आधुनिक शोध मधुमेह को रोकने के लिए अथवा इसे नियंत्रित करने हेतु नए चिकित्सीय अवसर प्रदान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अनुसार, देश में वर्ष 2000 में मधुमेह के रोगियों की अनुमानित संख्या 25 मिलियन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रक्षेपणों के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में मधुमेह के 57 मिलियन रोगी होंगे जो विश्व में सबसे ज्यादा होंगे।

(ग) ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के सभी स्तरों पर और शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में मधुमेह का उपचार किया जाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्यों में वर्ष 1999-2000 में "जैव-रसायन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और गुणवत्ता आश्वासन" पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम को अब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के साथ मिला दिया गया है जिसने मधुमेह के नियंत्रण के लिए एक

संशोधित व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए विशेषज्ञ दल का गठन किया है। मधुमेह के बारे में जन स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य संदेशों के प्रचार–प्रसार के लिए शक्तिशाली इलेक्ट्रोनिक मीडिया के उपयोग सहित केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो में भी कार्यनीतियां/कार्यक्रम हैं।

(घ) और (ङ) मधुमेह के क्षेत्र में भारत में और अन्य देशों में किए जा रहे अनुसंधान और अन्य देशों में कार्यान्वित किए जा रहे नियंत्रण कार्यक्रमों की भी ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर मधुमेह के नियंत्रण की संशोधित कार्य योजना बनाई जा रही है।

नाभिकीय क्षेत्र में भारत-रूस समझौता

1382. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसियों ने 15 जनवरी, 2003 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु सुरक्षा विनियमों के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु उसका सुरक्षा विनियम पर कितना प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या यह 20 नवम्बर, 1988 को दोनों देशों के बीच हुए समझौते तथा 21 जून, 1998 को अंतर–सरकारी समझौते की अनुवर्ती कार्यवाही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और रूस के संघीय नाभिकीय विकिरण सुरक्षा प्राधिकरण ने, शांतिमय प्रयोजनों के लिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने हेतु सुरक्षा विनियमों के क्षेत्र में सहकार करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ये नियामक एजेंन्सियां, परमाणु विद्युत संयंत्र में विशेष रूप से रूसी परिसंघ के सहकार से कुडनकुलम में स्थापित किए जा रहे परमाणु विद्युत संयंत्र के संदर्भ में, काम करने वाले कार्मिकों और आम जनता की सुरक्षा एवं पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु स्वयं को अभ्यस्त बनाने और अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के बारे में सूचना का आदान–प्रदान करने पर सहमत हो गई हैं।

(ग) दोनों नियामक एजेन्सियों के बीच सुरक्षा से संबद्ध कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूचना का आदान–प्रदान करने से दोनों संगठनों को लाभ पहुंचेगा तथा इससे सुरक्षा में और अधिक वृद्धि होगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत में परमाणु विद्युत संयंत्र के निर्माण में सहकार करने के लिए भारत गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के बीच किया गया दिनांक 20 नवम्बर, 1988 का करार और उसी करार का दिनांक 21 जून, 1998 का अनुपूरक कुडनकुलम में एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में था। इन दोनों नियामक एजेन्सियों के बीच किया गया करार इसी परमाणु संयंत्र से संबंधित है और इसमें कुडनकुलम स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसमें वृद्धि करने के लिए उसके डिजाइन, निर्माण और परिचालन संबंधी सुरक्षा के मामले में सूचना और अनुभव का आदान–प्रदान करने के विशेष महत्व को स्वीकार किया गया है।

[हिन्दी]

मोबाइल फोन संचालित करने हेतु लाइसेंस

1383. प्रो. रासासिंह रावत : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मोबाइल फोन संचालित करने हेतु आज तक बीएसएनएल तथा एमटीएनएल सहित किन कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं और इस संबंध में शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सेवाओं के विस्तार का कंपनी–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की ग्राहकों के हितों की रक्षा और टैरिफ दरों के विनियमन हेतु क्या कार्य–योजना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जिन कंपनियों के पास इस समय सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के लिए लाइसेंस हैं, उनके सेवा क्षेत्रों सहित कंपनियों की सूची विवरण–I में दी गई है। सीएमटीएस के लिए लाइसेंस की मुख्य शर्तें विवरण–II मे दी गई हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सीएमटीएस उपभोक्ताओं

के संदर्भ में सीएमटीएस के विस्तार संबंधी कंपनी–वार तथा सेवा क्षेत्र–वार ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम के अनुसार, ट्राई को दूरसंचार के लिए टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। ट्राई का यह कार्य भी है कि वह सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण करे और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करे तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण भी करे ताकि दूरसंचार सेवा के संदर्भ में उपभोक्ताओं के हित की रक्षा की जा सके।

विवरण-I

सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के प्रचालकों, सेवा क्षेत्रों के नाम तथा उनके उपभोक्ताओं के आंकड़े

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र (मैट्रो सिटी/दूरसंचार सर्किल)	प्रचालक का नाम	1.1.2000 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं की सं.	1.1.2003 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं की सं.
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	भारती सेल्यूलर लि.	1,53,498	8,34,269
		स्टर्लिंग सेल्यूलर लि.	1,26,054	5,80,328
		महानगर टेलीफोन निगम लि.	–	1,29,809
		आईडीईए सेल्यूलर लि.	–	1,28,306
2.	मुम्बई	बीपीएल मोबाइल कॉम्यूनिकेशन लि.	1,55,373	5,73,877
		हत्चिसन मैक्स टेलीकॉम लि.	1,43,373	6,15,836
		महानगर टेलीफोन निगम लि.	–	1,10,279
		भारती सेल्यूलर लि.	–	2,12,304
3.	कोलकाता	भारती मोबाइटेल लि.	33,126	1,88,237
		ऊषा मार्टिन टेलीकॉम निगम लि.	34,904	2,47,327
		भारत संचार निगम लि.	–	14,997
		रिलायबल इंटरनेट सर्विसेज लि.	–	–
4.	चेन्नई	आरपीजी सेल्यूलर सर्विसेज लि.	24,041	1,66,305
		भारती मौबाइनेट लि.	22,963	2,00,728
		हत्चिसन एस्सार साऊथ लि.	–	51,832
		भारत संचार निगम लि.	–	–
5.	आंध्र प्रदेश	आईडीईए सेल्यूलर लि.	54,738	3,08,210
		भारती मोबाइल लि.	43,622	3,05,879

1	2	3	4	5
		हच्चिसन एस्सार साऊथ लि.	–	53,489
		भारत संचार निगम लि.	–	72,675
6.	असम	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.	5,590	40,728
		भारत संचार निगम लि.	–	–
7.	बिहार	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.	17,419	1,64,075
		भारत संचार निगम लि.	–	24,987
8.	गुजरात	फेसिल लि.	79,752	4,20,255
		आईडीईए सेल्यूलर लि.	27,776	2,40,211
		भारती सेल्यूलर लि.	–	62,926
		भारत संचार निगम लि.	–	75,350
9.	हरियाणा	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन लि.	20,172	96,498
		ऐयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	–	16,580
		भारती सेल्यूलर लि.	–	45,664
		भारत संचार निगम लि.	–	36,632
10.	हिमाचल प्रदेश	भारती टेलीनेट लि.	4,288	25,730
		रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.	473	8,096
		भारत संचार निगम लि.	–	11,046
		एस्कोर्ट टेलीकम्यूनिकेशन लि.	–	–
11.	कर्नाटक	स्पाइस कम्यूनिकेशन लि.	68,900	1,99,391
		भारती मोबाइल लि.	41,229	3,29,219
		हच्चिसन एस्सार साऊथ लि.	–	55,195
		भारत संचार निगम लि.	–	65,779
12.	केरल	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि.	39,552	1,47,969
		एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन लि.	41,229	2,44,032
		भारती सेल्यूलर लि.	–	66,379
		भारत संचार निगम लि.	–	73,084

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि.	57,260	1,98,045
		आईडीईए सेल्यूलर लि.	45,107	3,96,503
		भारती सेल्यूलर लि.	–	1,05,209
		भारत संचार निगम लि.	–	1,27,980
14.	मध्य प्रदेश	बीटीए सेलकॉम लि.	12,031	1,31,113
		रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.	18,136	1,46,772
		भारती सेल्यूलर लि.	–	28,282
		भारत संचार निगम लि.	–	28,018
15.	पूर्वोत्तर	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.	803	7,443
		भारत संचार निगम लि.	–	–
		हैक्साकॉम इंडिया लि.	–	–
16.	उड़ीसा	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.	8,403	62,992
		भारत संचार निगम लि.	–	15,353
17.	पंजाब	स्पाइस कम्यूनिकेशन लि.	79,672	4,36,255
		भारती मोबाइल लि.	–	2,31,724
		भारत संचार निगम लि.	–	58,780
		एस्कोर्ट टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	–	–
18.	राजस्थान	ऐयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	–	29,766
		हैक्साकॉम इंडिया लि.	15,462	1,11,556
		भारत संचार निगम लि.	–	38,322
		एस्कोर्ट टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	–	–
19.	तमिलनाडु	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि.	42,292	1,59,422
		ऐयरसेल लि.	28,861	2,29,214
		भारती सेल्यूलर लि.	–	75,048
		भारत संचार निगम लि.	–	35,333
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	48,897	2,27,980

1	2	3	4	5
		भारती सेल्यूलर लि.	–	62,960
		भारत संचार निगम लि.	–	31,916
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	ऐयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	21,643	1,09,988
		भारत संचार निगम लि.	–	61,305
		एस्कोर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	–	–
22.	अंडमान और निकोबार	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.	4,674	70,511
	तथा पश्चिम बंगाल	भारत संचार निगम लि.	–	18,137
23.	जम्मू और कश्मीर	भारत संचार निगम लि.	–	–

विवरण-II

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए लाइसेंस की मुख्य शर्तें

(1) लाइसेंसधारक भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए।

(2) लाइसेंस गैर–विशिष्ट आधार पर 20 वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसे किसी भी समय दस वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

(3) लाइसेंस शुल्क मैट्रो सेवा क्षेत्रों और श्रेणी "क" सर्किलों के लिए "समायोजित सकल राजस्व" (एजीआर) का 12 प्रतिशत, श्रेणी "ख" सर्किलों के लिए एजीआर का 10 प्रतिशत और श्रेणी "ग" सर्किलों के लिए एजीआर का 8 प्रतिशत होगा जिसमें स्पैक्ट्रम प्रभार शामिल नहीं है।

(4) इसके अलावा, सेल्यूलर लाइसेंसधारक राजस्व शेयर आधार पर स्पैक्ट्रम प्रभार अदा करेगा।

(5) न्यूनतम रॉल आउट दायित्व : दूरसचांर सर्किलों में पहले वर्ष में जिला मुख्यालयों का कम से कम 10 प्रतिशत भाग कवर किया जाएगा और लाइसेंस की प्रभावी तारीख के तीन वर्षों के भीतर जिला–मुख्यालयों का कम से कम 50 प्रतिशत भाग कवर किया जाएगा।

(6) लाइसेंसधारक सरकार को यथा–समय विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करते हुए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा ताकि जासूसी, विद्रोही गतिविधि, तोड़फोड़ अथवा अन्य किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से निपटा जा सके।

(7) लाइसेंसधारक लाइसेंस प्रदाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की मांग पर उसे स्विचिंग केन्द्रों, पारेषण केन्द्रों, रूटर्स आदि में तकनीकी संवीक्षा करने और निरीक्षण करने के लिए पूर्ण अभिगम्यता सुविधा प्रदान करेगा और यह निरीक्षण विजुअल अथवा प्रचालनात्मक भी हो सकता है।

(8) लाइसेंसधारक इस बारे में समय–समय पर जारी ट्राई के टैरिफ आदेशों/विनियमनों/निर्देशों के अनुसार सेवा के लिए टैरिफ प्रभारित करेंगे।

(9) लाइसेंसधारक को अपने प्रचालन क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार की मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी जिनमें वाइस और नान–वाइस संदेश, डाटा सेवाएं और सार्वजनिक कॉल घर (पीसीओ) शामिल हैं। इन सेवाओं में वे किसी भी किस्म के नेटवर्क–उपस्कर (लेकिन प्रौद्योगिकी अनिवार्यतः डिजिटल हो) का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें ऐसे सर्किट और/अथवा पैकेट स्विच शामिल हों जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)/दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) के मानकों के अनुरूप हों।

[अनुवाद]

हार्डवेयर उद्योग का संवर्धन करना

1384. श्री अनंत नायक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हार्डवेयर उद्योग की व्यापक संभावनाओं का पूरी तरह दोहन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसको बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, हां।

(ख) हार्डवेयर के संवर्धन के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

इलैक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5 प्रतिशत शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई–वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वतः मार्ग के अन्तर्गत है।

3. इलैक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थाई समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती है।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर वृद्धिमान मूल्य ह्रास मानदंडों में बढ़ोतरी की गई। इनका मूल्यहास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90 प्रतिशत तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कम्प्यूटर पर 60 प्रतिशत की दर से मूल्यहास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002–03 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत, फ्लॉपी डिस्क पर 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, अर्द्धचालकों के विर्निर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से 0 प्रतिशत, इलैक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों लगभग (20 उप मदों) पर 25–35 प्रतिशत से 15 प्रतिशत, इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स,

सांचों, डाइयों, पर 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत और इलैक्ट्रॉनिकी संघटक पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25–35 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

- कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक–पुर्जों पर 0 प्रतिशत की दर से जारी है। इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5 प्रतिशत दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की मदों पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत, दूरसंचार के पुर्जों पर 5 प्रतिशत, सेल्यूलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक–पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0 प्रतिशत की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001–02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16 प्रतिशत की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16 प्रतिशत की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

12. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

13. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

14. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहे उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

15. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/ जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/ सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आइएसओ 9000 (शृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में "निर्यात गृह" का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं :

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100 प्रतिशत धारिता।
- सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

16. धारा 80–Iए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अन्तर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

17. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002–03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15 प्रतिशत की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003–04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

18. भारत में उद्योगों को पुनःस्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुनःस्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

19. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125 प्रतिशत की भारित कटौती उपलब्ध है।

20. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में

कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यवसायी' (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

21. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियां तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

22. इंटरनेट के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

विनिवेश नीति

1385. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पी एच डी चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री के मध्यावधि विनिवेश नीति का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है;

(घ) क्या प्रतियोगिता के बदले धोखाधड़ी और न्यून मूल्यांकन की शिकायतें बढ़ रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) "विनिवेश संबंधी गोल मेज के लिए "आगे के कार्य" नामक एक पृष्ठभूमि संबंधी दस्तावेज में, वाणिज्य एवं उद्योग के पी एच डी मण्डल ने सुझाव दिए हैं कि :

- 3–5 वर्षों में एक मध्यकालिक विनिवेश नीति विकसित की जानी चाहिए।
- परमाणु ऊर्जा और कुछ प्रतिरक्षा संबंधी उद्योगों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उद्यमों में निजी शेयरधारता लाई जानी चाहिए।
- उपभोक्ता सामान पैदा करने तथा सेवाओं में लगे अथवा कुछ छोटे–मोटे सामान के उत्पादन में लगे सार्वजनिक उद्यमों को बेच देना चाहिए।
- घाटे में चलने वाले/रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के लिए व्यावसायिक पुनर्सरचना, वित्तीय और कार्मिक पुनर्सरचना की आवश्यकता होगी।
- बैंकिंग, बीमा और विमानन क्षेत्र में सरकारी इक्विटी 26 प्रतिशत तक नीचे लाई जानी चाहिए।
- सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी की बिक्री रियायती दरों पर आम जन–साधारण को की जानी चाहिए।
- विद्युत, दूर–संचार, तेल और गैस, परिवहन और वित्तीय सेवाओं में उपयोगिता के बढ़े सार्वजनिक क्षेत्र, रियायती मूल्यों पर सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से बेच दिए जाने चाहिए। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश अनुकूल बिक्री के माध्यम से किया जा सकता है।
- सार्वजनिक बचत में अड़चनों को दूर करने के लिए शेयरों की वापस खरीद के लिए सार्वजनिक पेशकश अधिमान्य है।
- धनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को खरीदने के लिए कहने के दृष्टांत केवल उन मामलों में अपनाए जाने चाहिए जहां इसमें सहयोग बढ़ता हो और सार्वजनिक क्षेत्र और अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनते हों।
- जहां एकाधिकार की स्थिति का निर्माण होने का भय हो, जहां कार्य–कुशलता को सुधारने में इससे मदद मिलती हो, कम्पनी को (अलग–अलग) पुनर्संगठित किया जाए। तब इसकी पेशकश और अधिक क्रेताओं/निवेशकों को की जा सकती है।
- वाद–विवादों से बचने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्य निर्धारण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाना चाहिए।

- अनुचित और प्रतिबंधित कारोबार पद्धतियों और अन्तरण मूल्य निर्धारण जैसे मुद्दों को शामिल करने के लिए एक उपयुक्त प्रतिस्पर्द्धात्मक नीति का होना आवश्यक है। प्रतिस्पर्द्धात्मक नीति में विलयन और अधिग्रहण को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(ग) विनिवेश नीति और क्रियाविधियों की, अनुभव और भागीदारों तथा विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय के प्रकाश में आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाती है और उसमें संशोधन किया जाता है वाणिज्य के पी एच डी मण्डल के दस्तावेज में उठाई गई हित–चिन्ताओं का समाधान सरकार द्वारा पहले ही कर लिया गया है। मध्यकालिक विनिवेश नीति स्थिर है और मध्यकालिक लक्ष्य भी परिभाषित हैं। सरकार ने उन गैर–महत्वपूर्ण उद्योगों का वर्गीकरण पहले ही कर लिया है जिनका विनिवेश किया जा सकता है। बिक्री से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की यथावश्यक पुनर्संरचना की जाती है। किसी विशेष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में बनाए रखे जाने वाली इक्विटी का स्तर, उस विशेष उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा के स्तर और विनियमन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। सरकार, अनुकूल बिक्री अथवा दोनों के मिश्रण का विकल्प अपनाती है, जैसा कि मामला–दर–मामला आधार पर उपयुक्त होता है। सरकार द्वारा अनुमोदित विशेष मामलों को छोड़कर विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भागीदारी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। सरकार, कर्मचारियों को हित संरक्षण प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है और इस आशय के उपबन्ध अनुकूल बिक्री के समय सम्पन्न सौदा दस्तावेजों में शामिल किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेजों में संस्थानों की स्थापना

1386. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार द्वारा राज्य में मेडिकल कालेजों में हृदय रोग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण संस्थानों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन–किन मेडिकल कालेजों में उक्त संस्थानों का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) यद्यपि बिहार सरकार से राज्य में मेडिकल कालेजों में हृदय रोग, कैंसर, गुर्दा प्रतिरोपण, संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी बिहार सरकार से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की एक ब्रांच के रूप में नेफ्रोलोजी और कार्डियोलाजी के लिए एक अति विशिष्टता अस्पताल खोलने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

एमटीएनएल, बीएसएनएल और वीएसएनएल के पंजीकृत संघ

1387. **डा. बलिराम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमटीएनएल, बीएसएनएल और वीएसएनएल में पंजीकृत संघों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तीन निगमों में गत वर्ष के चुनाव में प्रत्येक संघ ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए और प्रत्येक विभाग, निगम द्वारा प्रत्येक संघ को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ग) क्या किसी निगम ने इन संघों द्वारा प्राप्त मत के आधार पर "प्रोटेक्टिव वर्कमैन" की कोई सूची जारी की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार 15 प्रतिशत से कम मत प्राप्त करने वाले सघों का पंजीकरण रद्द करने और उनको दी जा रही सुविधाएं समाप्त करने का है;

(च) यदि हां, तो इसे कब तक, क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान संघों के कार्यालयों और मुख्यालयों पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा कितनी

धनराशि व्यय की गई और इस संबंध में सरकार द्वारा मितव्ययिता हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) बीएसएनएल में पंजीकृत संघों (यूनियनों) का ब्यौरा विवरण–I में और एमटीएनएल में पंजीकृत संघों का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है। जहां तक वीएसएनएल में पंजीकृत संघों का संबंध है यह उल्लेख किया जाता है कि वीएसएनएल के विनिवेश के परिणामस्वरूप इसका प्रबन्धन नीतिपरक भागीदार को हस्तानांतरित कर दिया गया है।

(ख) पिछले चुनाव में बीएसएनएल और एमटीएनएल के संघों द्वारा प्राप्त मदों का प्रतिशत क्रमशः विवरण–I तथा II में दिया गया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के संघों को प्रदान की गई मजदूर संघ की सुविधाओं का ब्यौरा क्रमशः विवरण–III और IV में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) बीएसएनएल के मामले में, औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमावली, 1957 के नियम 61 में विहित उपबन्धों के अनुसार, उन कामगारों (वर्कमैन) की सूची अभी प्राप्त होनी है, जिन्हें संघों ने "संरक्षित कामगारों" के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया है। एमटीएनएल के मामले में मान्यता प्राप्त संघों ने "संरक्षित कामगारों" की सूची नहीं भेजी है और इसलिए एमटीएनएल मुम्बई यूनिट से क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का परामर्श मांगा गया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के परामर्श के आधार पर ही एमटीएनएल द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल/एमटीएनएल के पास इन संघों का पंजीकरण रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। जिन संघों को 15 प्रतिशत से कम मत प्राप्त हुए हैं उन्हें बीएसएनएल और एमटीएनएल में मजूदर संघ संबंधी कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) एमटीएनएल मुम्बई में संघों के कार्यचालन पर 4.11 लाख रूपए और एमटीएनएल दिल्ली में लगभग 7.89 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। खर्च को न्यूनतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

बीएसएनएल के पंजीकृत संघों की सूची तथा 25.9.2002 को हुए चुनाव में उनके द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत

क्र.सं.	संघ का नाम	प्राप्त मतों का प्रतिशत
1.	ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास टेलीकॉम एम्प्लाईज संगठन	0.40
2.	बहुजन ट्रेड यूनियन ऑफ बी.एस.एन.एल.	0.79
3.	बी.एस.एन.एल. एम्प्लाईज यूनियन	29.99
4.	बी.एस.एन.एल. मजदूर संघ	10.52
5.	बी.एस.एन.एल. नेशनल टेलीकम्यूनिकेशन्स स्टाफ यूनियन	1.53
6.	बी.एस.एन.एल. वर्कर्स राष्ट्रीय यूनियन	0.63
7.	नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लाईज, बी.एस.एन.एल.	35.25
8.	नेशनल यूनियन ऑफ बी.एस.एन.एल. वर्कर्स (एफ.एन.टी.ओ.)	13.48
9.	टेलीकॅम्यूनिकेशन्स् एम्प्लाईज प्रोग्रेसिव यूनियन	0.08

विवरण-II

एम.टी.एन.एल. के पंजीकृत संघों की सूची तथा उनके द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत

एम.टी.एन.एल., दिल्ली

क्र.सं.	संघ का नाम	प्राप्त मतों का प्रतिशत
1	2	3
1.	महानगर टेलीफोन निगम लि. स्टाफ यूनियन क्लास III तथा IV	31.76
2.	एम.टी.एन.एल. मजदूर संघ	23.23
3.	एम.टी.एन.एल. स्टाफ वेलफेयर यूनियन	23.25
4.	एम.टी.एन.एल. वर्कर्स यूनियन	–

1	2	3
5.	महानगर टेलीफोन निगम एम्प्लाईज यूनियन, दिल्ली	18.25
6.	टेलीकॉम टेक्नीकल स्टाफ एसोसिएशन (I)	0.02
7.	भारतीय महानगर टेलीफोन निगम कर्मचारी संघ	–
8.	एम.टी.एन.एल. कामगार यूनियन	–
9.	एम.टी.एन.एल. ऑपरेटिव स्टाफ यूनियन (ग्रुप सी एण्ड डी)	1.24
10.	नेशनल यूनियन ऑफ महानगर टेलीफोन निगम एम्प्लाईज, नई दिल्ली	–
11.	बहुजन ट्रेड यूनियन ऑफ एम.टी.एन.एल.	0.9
12.	एम.टी.एन.एल. कर्मचारी यूनियन	0.79
13.	इंडियन टेलीकॉम ग्रुप सी एण्ड डी एम्पलाईज एसोसिएशन	–

एमटीएनएल, मुम्बई

क्र.सं.	संघ का नाम	प्राप्त मतों का प्रतिशत
1	2	3
1.	नेशनल फेडरेशन ऑफ, टेलीकॉम रिपब्लिक एम्प्लाईज	–
2.	भारतीय महानगर टेलीफोन निगम एम्प्लाईज यूनियन	–
3.	महानगर टेलीफोन निगम रिपब्लिकन एम्प्लाईज यूनियन	–
4.	महानगर टेलीफोन निगम कर्मचारी फ्रंट	37.83
5.	एम.टी.एन.एल. पर्सनल स्टाफ एसोसिएशन	–
6.	महानगर टेलीफोन निगम कामगार संघ	58.96
7.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड वर्कर्स यूनियन	–
8.	एम.टी.एन.एल. स्टाफ यूनियन क्लास III एण्ड IV	2.55
9.	टेलीकॉम टेक्नीकल एम्प्लाईज यूनियन	–

विवरण-III

बी.एस.एन.एल. में यूनियन को प्रदान की गई ट्रेड यूनियन सुविधाएं

गुप्त मतदान और अनुशासन की संहिता के बारे में हुई सहमति के अंतर्गत दिनांक 25.09.2002 को हुए चुनावों में राष्ट्रीय दूरसंचार कर्मचारी फेडेरशन, बीएसएनएल को 4.10.2002 से दो वर्षों की अवधि के लिए बीएसएनएल में अखिल भारतीय/सर्किल/एसएसए स्तर पर प्रतिनिधि यूनियन के रूप में मान्यता दी गई है। यूनियन को निम्नलिखित ट्रेड यूनियन सुविधाएं दी गई हैं:

(1) नोटिस बोर्ड

(2) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार टेलीफोन सुविधाएं

(3) मौजूदा नियमों के अनुसार स्थानांतरण से उन्मुक्ति

(4) प्रबंधन के साथ औपचारिक बैठकें,

(5) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा

(6) कार्यालय स्थान

2. इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन को नौ सर्किलों में और इन सर्किलों में पड़ने वाले एसएसए में, जहां इसे 50 प्रतिशत से अधिक मत मिले हों, निम्नांकित ट्रेड यूनियन सुविधाएं प्रदान की गई हैं :

(1) नोटिस बोर्ड

(2) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार टेलीफोन सुविधाएं

(3) प्रबंधन के साथ औपचारिक बैठकें,

(4) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा

3. ये सुविधाएं बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन को एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में प्रदान की गई हैं और ये लंबित रिट याचिका में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यथा पारित

आगे के ओदशों के अध्यधीन और बीएसएनएल के अधिकारों और दावों के बारे में पूर्वाग्रह रहित हैं।

4. अन्य यूनियनों को कोई ट्रेड यूनियन सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं।

विवरण-IV

एमटीएनएल में यूनियनों को दी गई ट्रेड यूनियन सुविधाएं

दिल्ली इकाई

I. एमटीएनएल कर्मचारी यूनियन (बहुमत प्राप्त यूनियन) को दी गई सुविधाएं :

1. कार्यालय स्थान और फैक्स मशीन, कम्प्यूटर फोटो कॉपियर आदि जैसी अन्य सुविधाएं।
2. करार के अनुसार यूनियन कोटे से एक सौ आवासीय सर्विस टेलीफोन कनेक्शन।
3. महासचिव के लिए वाहन
4. मोबाइल फोन

II. आवश्यकता के आधार पर पंजीकृत यूनियनों के पदाधिकारियों को कुछ मोबाइल कनेक्शन दिए गए हैं।

मुम्बई इकाई

I. महानगर टेलीफोन निगम कामगार संघ (बहुमत प्राप्त यूनियन) को प्रदत्त सुविधाएं :

1. पर्सनल कम्प्यूटर, जीरोक्स मशीन, फैक्स मशीन सहित कार्यालय स्थान।
2. एसटीडी सुविधा युक्त चार सर्विस टेलीफोन कनेक्शन।
3. संयुक्त वार्ता परिषद के पांच सदस्यों को मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन।
4. महासचिव के लिए वाहन।

[अनुवाद]

पिछड़े क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण

1388. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री शिवाजी माने :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े क्षेत्रों के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्षमता विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कठिनाइयां हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) से (ग) खेल राज्य सूची का विषय है तथा यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने राज्य में खेल कूद का संवर्धन करें। तथापि, राज्यों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के जरिए देश में खेलों के संवर्धन के लिए कार्य कर रही है।

विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) योजना में, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों, खासकर देश के पहाड़ी, तटवर्ती तथा जनजातीय क्षेत्रों से, के जन्मजात प्रतिभावान बच्चों का पता लगाने व उनका विकास करने पर विचार किया गया है। वर्तमान में, देश में 17 एस.ए.जी. केन्द्र कार्य कर रहे है जहां देश के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के 1251 बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता हासिल कर सकें।

इस योजना ने पिछड़े क्षेत्रों से पता लगाए गए कई उत्कृष्ट खिलाड़ियों को तैयार किया है। इनमें लिंबा.राम, श्याम लाल, लालरेमसंगा, लालरेमलियाना (तीरंदाज), मेरीस्टेला तिर्की, विमला कुजुर, हेलन सॉय (हाकी खिलाड़ी), जोराम थांगा, डिंको सिंह (मुक्केबाज) आदि शामिल हैं, जिन्होंने देश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं।

बंगलादेश में छुपे हुए भारत के अलगाववादी

1389. श्री नरेश पुगलिया :
श्री भास्करराव पाटील :
श्री रघुनाथ झा :
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने वर्तमान में बंगलादेश में रह रहे जातीय अलगाववादियों की एक सूची सौंपी है, जैसा कि 29 जनवरी, 2003 के दी टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने बंगलादेश से इन अलगाववादियों के प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो बंगलादेश सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मामले को विभिन्न स्तरों पर बार–बार बंगलादेश की सरकार और अभी–अभी हाल ही में बंगलादेश के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान उठाया है। उन्होंने बंगलादेश सरकार के आश्वासन दोहराए हैं कि वह भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी।

[हिन्दी]

अनु.जा./अनु.ज.जा. के रिक्त पद

1390. श्री रामदास आठवले : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न वर्गों के अंतर्गत अनु.जा. और अनु.ज.जा. के कुछ पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है और नई नियुक्तियां की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक विभिन्न वर्गों में वर्ष–वार और श्रेणी–वार कितनी नियुक्तियां की गई हैं;

(ङ) क्या अनु.जा. और अनु.ज.जा. के अभ्यर्थियों की भर्ती और पदोन्नति में विहित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अमरीका के साथ समझौता ज्ञापन

1391. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री दिन्शा पटेल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु अमरीका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौता ज्ञापन से देश के विशेषकर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों को कितना लाभ होगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

संचार क्षेत्र में निजी और सरकारी कंपनियां

1392. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के संचार क्षेत्र में कौन–कौन सी निजी और सरकारी कंपनियां कार्यरत हैं और वे किन–किन क्षेत्रों में कार्यरत हैं;

(ख) उक्त निजी और सरकारी कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता सुनिश्चित करने हेतु और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु उन्हें विनियमित और नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) बुनियादी टेलीफोन सेवाओं की दर बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) बुनियादी, सेल्यूलर, अंतर्राष्ट्रीय

लम्बी दूरी और राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाओं में कार्यरत तथा उनके कार्यक्षेत्र सहित निजी और सरकारी कंपनियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) से (घ) ट्राई (संशोधन), अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने तथा सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना की गई है ताकि दूरसंचार क्षेत्र और तत्संबंधी अथवा प्रासंगिक मामलों का संवर्धन और सुचारु विकास सुनिश्चित किया जा सके। ट्राई ने बुनियादी टेलीफोन सेवा की दरें निर्धारित की हैं ताकि बाजार के बुनियादी सेवा खंड की संपोषणीयता बनाए रखते हुए टैरिफ को लागतपरक बनाया जा सके तथा नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।

विवरण

बुनियादी टेलीफोन सेवा के लाइसेंसधारकों का सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	लाइसेंसधारक का नाम
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
2.	आंध्र प्रदेश	मैं. टाटा टेलीसर्विसेज लि.
		मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
3.	असम	शून्य
4.	बिहार	मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
5.	दिल्ली	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
		मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.
6.	गुजरात	मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
		मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.
7.	हरियाणा	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
8.	हिमाचल प्रदेश	मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य
10.	कर्नाटक	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
		मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.
11.	केरल	मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
12.	मध्य प्रदेश	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
13.	महाराष्ट्र	मै. ह्यूजेज टेली.कॉम लि.
		मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
14.	पूर्वोत्तर	शून्य
15.	उड़ीसा	मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
16.	पंजाब	मै एचएफसीएल इन्फोटेल लि.
		मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
17.	राजस्थान	मै. श्याम टेलीलिंक लि.
		मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
18.	तमिलनाडु	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
		मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.
19.	उत्तर प्रदेश (प.)	मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
20.	उत्तर प्रदेश (पू.)	मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.
21.	पश्चिम बंगाल	मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.

मैसर्स भारत संचार निगम लि. सभी सेवा क्षेत्रों के लिए बुनियादी सेवा लाइसेंसधारक है सिवाय मुम्बई और दिल्ली के, जहां मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बुनियादी सेवा लाइसेंसधारक हैं। दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।

सेवा क्षेत्र–वार सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा में लाइसेंसधारक

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र (महानगर/ दूरसंचार सर्किल)	लाइसेंसधारक का नाम
1	2	3
1.	दिल्ली	भारती सेल्यूलर लि.
		स्टर्लिंग सेल्यूलर लि.
		महानगर टेलीफोन निगम लि.
		आइडिया सेल्यूलर लि.
2.	मुम्बई	बीपीएल मोबाइल कॉम्यूनिकेशन लि.
		हचिसन मैक्स टेलीकॉम लि.
		महानगर टेलीफोन निगम लि.
		भारती सेल्यूलर
3.	कोलकाता	भारती मोबीटेल लि.
		ऊषा मार्टिन टेलीकॉम लि.
		भारत संचार निगम लि.
		रिलायबल इंटरनेट सर्विसेज लि.
4.	चेन्नई	आरपीजी सेल्यूलर सर्विसेज लि.
		भारती मौबीनेट लि.
		भारत संचार निगम लि.
		हचिसन एस्सार साऊथ लि.
5.	आंध्र प्रदेश	आइडिया सेल्यूलर लि.
		भारती मोबाइल लि.
		भारत संचार निगम लि.
		हचिसन एस्सार साऊथ लि.
6.	असम	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.
		भारत संचार निगम लि.
7.	बिहार	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.
		भारत संचार निगम लि.
8.	गुजरात	फेसिल लि.
		आइडिया सेल्यूलर लि.
		भारत संचार निगम लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
9.	हरियाणा	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन (प्रा.) लि.
		ऐयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.
		भारत संचार निगम लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
10.	हिमाचल प्रदेश	भारती टेलीनेट लि.
		रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.
		भारत संचार निगम लि.
		एस्कोर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.
11.	जम्मू और कश्मीर	भारत संचार निगम लि.
12.	कर्नाटक	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.
		भारती मोबाइल्स लि.
		भारत संचार निगम लि.
		हचिसन एस्सार साऊथ लि.
13.	केरल	बीपीएल सेल्यूलर लि.
		एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.
		भारत संचार निगम लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
14.	महाराष्ट्र	बीपीएल सेल्यूलर लि.
		आइडिया सेल्यूलर लि.
		भारत संचार निगम लि.
		भारती सेल्यूलर लि.

1	2	3
15.	मध्य प्रदेश	आरपीजी सेलकॉम लि.
		रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.
		भारत संचार निगम लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
16.	पूर्वोत्तर	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.
		हक्साकॉम इंडिया लि.
		भारत संचार निगम लि.
17.	उड़ीसा	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.
		भारत संचार निगम लि.
18.	पंजाब	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.
		भारती मोबाइल लि.
		भारत संचार निगम लि.
		एस्कोर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.
19.	राजस्थान	ऐयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.
		हक्साकॉम इंडिया लि.
		भारत संचार निगम लि.
		एस्कोर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.
20.	तमिलनाडु	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि.
		ऐयरसेल लि.
		भारत संचार निगम लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	ऐस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.
		भारत संचार निगम लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.
		कोशिका टेलीकॉम प्रा. लि.
		भारत संचार निगम लि.
		एस्कोर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.
23.	अंडमान एवं निकोबार सहित पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.
		भारत संचार निगम लि.

अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा (आईएलडीएस) के लाइसेंसधारक

क्र.सं.	लाइसेंसधारक का नाम
1.	मै. रिलायंस इंफोकॉम लि.
2.	मै. भारती टेलीसोनिक लि.
3.	मै. डाटा एक्सेस (इंडिया) लि.
4.	मै. भारत संचार निगम लि.

मै. विदेश संचार निगम लि. अब एक निजी कंपनी, भी आईएलडीएस प्रदान करने के लिए एक लाइसेंस धारक है।

राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा (एनएलडीएस) के लाइसेंसधारक

क्र.सं.	लाइसेंसधारक का नाम
1.	मै. भारती टेलीसोनिक लि.
2.	मै. रिलायंस इंफोकॉम लि.
3.	मै. विदेश संचार निगम लि.

मै. भारत संधार निगम लि. एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंसधारक है।

बिहार में टेलीफोन की पुरानी केबलों का बदला जाना

1393. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के सभी बड़े शहरों में टेलीफोन की पुरानी केबलों को आप्टिकल फाइबर केबलों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं। बिहार के प्रमुख शहरों के स्थानीय नेटवर्क में पुराने टेलीफोन केबलों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के रिक्त पद

1394. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के कतिपय आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रोन्नति दी गई है और उनकी नई भर्ती भी की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अब तक की गई नई भर्तियों का वर्ष–वार और श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की भर्ती और प्रोन्नति में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सहित) में रिक्त पड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों के श्रेणी–वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

पद की श्रेणी	आरक्षित पदों की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह 'क'	शून्य	शून्य
समूह 'ख'	02	02
समूह 'ग'	02	06
समूह 'घ'	शून्य	शून्य

(ग) जी, हां।

(घ) योजना आयोग (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सहित) द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अब तक की गई नई भर्तियों के वर्ष–वार और श्रेणी–वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

पद की श्रेणी	2000				2001				2002				2003 (अब तक)			
	एससी	एसटी	ओबीसी	सा.	एससी	एसटी	ओबीसी	सा.	एससी	एसटी	ओबीसी	सा.	एससी	एसटी	ओबीसी	सा.
समूह 'क'	–	–	–	03	–	–	–	05	–	–	–	02	01	–	–	–
समूह 'ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग'	01	01	06	12	–	–	03	02	01	–	–	–	–	–	02	–
समूह 'घ'	–	–	–	–	12	–	–	–	06	01	–	–	–	–	–	–

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एच.डी.आई. का कार्य निष्पादन

1395. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने 1991 में अपनी 19वें रेंक को वर्ष 2001 में एच.डी.आई. ने अपने कार्य निष्पादन में सुधार कर 7वां कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के बावजूद राज्य सरकार अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में समर्थ नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारत्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 1991 में कर्नाटक 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के अर्थ में 19वें स्थान पर है। तथापि, 2001 में की गई रैंकिंग में कर्नाटक 15 प्रमुख राज्यों के बीच 7वें स्थान पर है। 1991 में भी कर्नाटक 15 प्रमुख राज्यों के बीच 7वें स्थान पर है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1994-95 और 2000-01 के बीच कर्नाटक ने 7 प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर प्राप्त की है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने एक ऐसे समर्थकारी वातावरण का सृजन किया है जिसमें तीव्र आर्थिक विकास की संभावना है। इसने वास्तव में राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित किया है और नए रोजगार अवसरों का सृजन किया है जिन्होंने संयुक्त रूप से राज्य घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि में योगदान दिया है।

राज्यों के विकास के लिए विशेष योजना

1396. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सामाजिक और आर्थिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार को सुनिश्चित करने हेतु एक राज्य विशेष विकास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने हेतु कुछ प्रसिद्ध संस्थाओं का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी विशेष योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) राज्य विशिष्ट विकास योजनाओं की तैयारी का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। तथापि, इस प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए, योजना आयोग ने विश्वसनीय अनुसंधान आधारित दस्तावेजों को प्रकाशित करने के उद्देश्य से बीस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु राज्य विकास रिपोर्ट (एसडीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है जिससे राज्यों के आर्थिक विकास को तीव्र करने संबंधी कार्यनीति बनाने में राज्य सरकारों को सहायता मिलेगी। जिन राज्यों के लिए एसडीआर तैयार की जा रही है अथवा पूरी कर ली गई है उनके नाम विवरण-I में दिखाए गए हैं।

(ग) और (घ) राज्य विकास रिपोर्टें (एसडीआर) तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त संस्थाओं का चयन किया जाता है। एसडीआर तैयार करने के लिए चयनित संस्थानों की सूची विवरण-II पर दी गई है।

(ङ) राज्य विकास रिपोर्ट के निष्कर्षों के पूर्ण होने पर, राज्य सरकारों द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं की तैयारी के समय उन्हें ध्यान में रखने की आशा की जाती है।

विवरण-I

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिनके लिए राज्य विकास रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं/ पूरी कर ली गई हैं

क्र.सं.	राज्य	अभियुक्तियां
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	तैयार की जा रही है।

1	2	3
2.	असम	पूरी कर ली गई और जारी कर दी गई।
3.	बिहार	तैयार की जा रही है।
4.	छत्तीसगढ़	तैयार की जा रही है।
5.	हिमाचल प्रदेश	तैयार की जा रही है।
6.	जम्मू एवं कश्मीर	तैयार की जा रही है।
7.	झारखण्ड	तैयार की जा रही है।
8.	कर्नाटक	तैयार की जा रही है।
9.	लक्षद्वीप	तैयार की जा रही है।
10.	मणिपुर	तैयार की जा रही है।
11.	मध्य प्रदेश	तैयार की जा रही है।
12.	महाराष्ट्र	तैयार की जा रही है।
13.	उड़ीसा	तैयार की जा रही है।
14.	पंजाब	तैयार की जा रही है।
15.	राजस्थान	तैयार की जा रही है।
16.	तमिलनाडु	तैयार की जा रही है।
17.	त्रिपुरा	तैयार की जा रही है।
18.	उत्तर प्रदेश	तैयार की जा रही है।
19.	उत्तरांचल	तैयार की जा रही है।
20.	पश्चिम बंगाल	तैयार की जा रही है।

विवरण-II

राज्य विकास रिपोर्ट की तैयारी हेतु चयनित संस्थानों के नाम

क्र.सं.	संस्था का नाम
1	2
1.	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई
2.	पूर्वोत्तर अध्ययन एवं नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
3.	मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली
4.	सन्टेक परामर्शदाता, नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
6.	ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़
7.	सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
8.	जेवियर श्रम अनुसंधान संस्थान, जमशेदपुर
9.	संकेत सूचना एवं अनुसंधान एजेंसी, भोपाल
10.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई
11.	जमनालाल बजाज प्रबंधन विज्ञान संस्थान, मुम्बई
12.	गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे
13.	नबक्रुष्ण चौधरी विकास अध्ययन केन्द्र, भुवनेश्वर
14.	ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द, चडीगढ़
15.	सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान (एसपीआरआई), जयपुर
16.	मद्रास अर्थशास्त्र स्कूल, चेन्नई
17.	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता
18.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
19.	सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कोलकाता
20.	अर्थशास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय
21.	अर्थशास्त्र विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय
22.	राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली
23.	हस्तशिल्प कार्पोरेशन परिषद्, नई दिल्ली
24.	जल एवं विद्युत परामर्शी सेवा, नई दिल्ली
25.	भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी प्रा. लि. केन्द्र
26.	गुनिंदर गिल एवं एसोसिएट्स, नई दिल्ली
27.	धान फाउंडेशन, मदुरै

1	2
28.	राष्ट्रीय पर्यावरणात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर
29.	औद्योगिक विकास वित्त निगम

[हिन्दी]

सुचारु परिवहन प्रणाली हेतु विधान

1397. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजमार्गों पर सुचारु परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अतिक्रमण हटाने और अत्यधिक यातायात को रोकने हेतु निकाय बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के वित्तीय प्रभाव क्या हैं और क्या राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार दोनों योजना के व्यय में भागीदार होंगी;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा व्यय की भागीदारी का अनुपात क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार विवादों के निपटान हेतु न्यायाधीकरण बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) "राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002" अधिनियमित कर दिया गया है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत भूमि, मार्गाधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यातायात पर नियंत्रण रखने और उन पर अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए भी व्यवस्था है।

(ख) और (ग) जी, हां। इस अधिनियम में राजमार्ग प्रशासन गठित करने की व्यवस्था है जिसमें केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के एक अथवा एक से अधिक अधिकारी होंगे जो पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेंगे जिसमें अतिक्रमण का हटाया जाना और यातायात का नियंत्रण सम्मिलित है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्रतिवर्ष 58.11 करोड़ रु. का अनावर्ती व्यय और 26.21 करोड़ रु. का आवर्ती व्यय किए जाने का अनुमान है। इस मद पर राज्य सरकारों द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

(च) और (छ) जी, हां। राजमार्ग प्रशासन द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण स्थापित किए जाएंगे जिनमें एक-एक व्यक्ति होगा जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा और सभी न्यायालयों की अधिकारिता (संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से निरुद्ध हो जाएगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में पीसीओज का आवंटन

1398. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने पीसीओज आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने पीसीओज के आवंटन हेतु कोई नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीसीओज के आवंटन में बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और निशक्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वर्षों के दौरान 30,547 पीसीओ आवंटित किए गए थे।

(ख) से (ङ) मौजूदा नीति के अनुसार, सभी पात्र आवेदकों को, तकनीकी व्यवहार्यता होने पर, उनके पंजीकरण के अनुसार "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर पीसीओ आवंटित किए जाते हैं। प्रतीक्षा सूची होने की स्थिति में, एसटीडी/आईएसडी

पीसीओ के आवंटन में युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है। बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता देना जरूरी नहीं समझा गया क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में पीसीओ मांग पर उपलब्ध हैं।

पेट्रोल/डीजल पर उपकर

1399. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल और डीजल पर लगे उपकर से होने वाली धन उगाही देश में, विशेषकर तमिलनाडु में, सड़क विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम के अनुसार, पेट्रोल और डीजल पर लगे उपकर से सृजित राशि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों, ग्रामीण सड़कों के विकास और सड़क उपरि पुल/रेलवे क्रासिंग पर सुरक्षा के प्रयोजन हेतु किया जाता है। गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए राज्यीय सड़कों हेतु 200.68 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

बंगलादेश के विदेश मंत्री की यात्रा

1400. श्री के. येरननायडू :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के विदेश मंत्री ने हाल में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलादेश की सरकार ने उनकी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल से अपनी पश्चिमी सीमा पर बंगलादेशियों को वापस भेजे जाने के विरुद्ध विरोध दर्ज किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बंगलादेश के विदेश मंत्री की हाल की भारत की यात्रा के दौरान परस्पर हित-चिंता के सभी मसलों पर व्यापक चर्चा संपन्न हुई थी। बंगलादेश में भारतीय विद्रोही समूहों की उपस्थिति पर तथा बंगलादेश में आई एस आई की गतिविधियों पर विदेश मंत्री ने बंगलादेश की सरकार के इस आश्वासन को दोहराया कि वह अपने प्रदेश के उपयोग की भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं देगा। भारत में बंगलादेश से अवैध अप्रवासन के मसले पर, दोनों पक्ष अवैध अप्रवासन नियंत्रण और रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सहमत हुए।

[हिन्दी]

चालू परियोजनाएं

1401. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई चालू परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सेक्टर-वार और मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) समय बढ़ने से इन परियोजनाओं की लागत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(घ) वर्ष 2002 के दौरान मंत्रालय-वार कितनी परियोजनाओं को पूरा किया गया?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा

प्रबोधित की जा रही 20 करोड़ रुपए एवं अधिक लागत वाली 543 परियोजनाओं में से 161 परियोजनाओं की कुल प्रत्याशित लागत अद्यतन अनुमोदित लागत की तुलना में 18.4 प्रतिशत बढ़ गई है।

(घ) वर्ष 2002 के दौरान 79 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया था। चालू की गई परियोजनाओं का मंत्रालय–वार और क्षेत्र–वार ब्यौरा निम्न प्रकार है : नागर विमानन (3), कोयला (5), उर्वरक (2), इस्पात (2), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (12), विद्युत (5), रेलवे (34), जहाजरानी और पत्तन (7), सड़क परिवहन और राजमार्ग (7), दूरसंचार (1) और शहरी विकास (1)।

विवरण

अपने अद्यतन अनुसूची की तुलना में परियोजनाओं में समय वृद्धि/लागत वृद्धि

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल परि. की सं.	समय वृद्धि वाली परियोजनाएं				
			सं.	विलम्ब का स्तर (माह)	अद्यतन अनुमोदित लागत	प्रत्यशित लागत	वृद्धि का प्रतिशत
1.	परमाणु ऊर्जा	8	4	6– 81	6605.1	6944.1	5.1
2.	नागर विमानन	8	3	9– 34	146.5	146.5	0.0
3.	कोयला	60	17	3– 108	2676.9	2577.0*	–3.7
4.	उर्वरक	1	1	17– 17	509.4	509.4	0.0
5.	सू. एवं. प्र.	4	4	36– 57	215.8	215.8	0.0
6.	खानें	3	1	20– 20	2062.0	2062.0	0.0
7.	इस्पात	8	4	6– 48	636.6	655.1	2.9
8.	पेट्रोलियम	36	14	1– 15	13935.6	14218.7	2.0
9.	विद्युत	43	13	1– 53	19723.1	24147.5	22.4
10.	स्वा. एवं परि. क.	3	0	0– 0	0.0	0.0	0.0
11.	रेलवे	176	49	8– 156	11576.0	14815.6	28.0
12.	भूतल परिवहन	179	44	1– 144	3635.7	3736.1	2.8
13.	दूरसंचार	6	1	12– 12	27.9	27.9	0.0
14.	शहरी विकास	8	6	6– 69	5120.0	9087.5	77.5
	कुल	543	161		66870.5	79143.1	18.4

*समापन लागत में कमी का कारण, कोयला क्षेत्र की 3 परियोजनाओं का क्षमता में कमी के कारण समय से पूर्व बंद होना तथा अधिक परियोजनाओं की लागत में अधोमुखी संशोधन है।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. का विलय

1402. श्री अधीर चौधरी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के विलय की समीक्षा करने पर विचार करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल. का भी विनिवेश किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल के बीच प्रचालन कार्यों में सहक्रिया को अधिकतम स्तर तक पहुंचाने और सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) के लिए इनके महत्व को बढ़ाने के लिए इनका विलय किए जाने सहित सर्वाधिक श्रेष्ठ व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए आंतरिक अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन कार्य खोज–परक स्वरूप का है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) विनिवेश आयोग को एम.टी.एन.एल. के बारे में सूचना प्रस्तुत की गई है। एम.टी.एन.एल. के विनिवेश के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और कोई लक्ष्य तिथि भी नहीं निर्धारित की गई है।

नए शुल्क

1403. श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने बुनियादी टेलीफोन, डब्ल्यू.एल.एल. और सेल फोन उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु नए शुल्क की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपभोक्ताओं, विशेषकर ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार वाले ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर इस शुल्क सिफारिश का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार ने ट्राई द्वारा निर्धारित नई दरों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) 1999 के 24वें संशोधन के जरिए लैंड–लाइनों, डब्ल्यूएलएल और सेल फोनों के संबंध में 24 जनवरी, 2003 को नए प्रशुल्क घोषित किए हैं जो 01.04.2003 से प्रभावी होंगे।

(ख) लैंड लाइनों, डब्ल्यूएलएल (सीमित मोबिलिटी) और सेल्यूलर सेवा के लिए प्रशुल्क की प्रमुख मदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(ग) ट्राई द्वारा हाल में की गई प्रशुल्क की सिफारिशों से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव का अभी पता नहीं चला है क्योंकि प्रशुल्क 01.04.2003 से प्रभावी होना है।

(घ) और (ङ) 2000 में यथा संशोधित ट्राई अधिनियम 1997 के अनुसार दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क निर्धारण का अधिकार ट्राई को दिया गया है जो अब इस अधिकार का प्रयोग करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। तथापि, सेवा प्रदाता (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित) ट्राई द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम/न्यूनतम प्रशुल्कों के भीतर अपना प्रशुल्क पैकेज तैयार कर सकते हैं।

विवरण

I. स्थिर लाइनें

क. ग्रामीण मासिक किराया (रुपए में)

स्थानीय एक्सचेंज की क्षमता (लाइनों की संख्या)	ट्राई द्वारा प्रस्तावित	
	वरिष्ठ नागरिक	अन्य
999 तक	70	70
1000–29,999	120	120
30,000–99,999	180	200
1 लाख और अधिक	250	280

ख. शहरी मासिक किराया (रुपए में)

स्थानीय एक्सचेंज की क्षमता (लाइनों की संख्या)	ट्राई द्वारा प्रस्तावित	
	वरिष्ठ नागरिक	आवासीय उपभोक्ता
29,999 तक	120	120
30,000–99,999	180	200
1 लाख और अधिक	250	280

ग. निःशुल्क कॉलों की संख्या (प्रतिमाह)

	ट्राई द्वारा प्रस्तावित
ग्रामीण	50
शहरी	30

घ. कॉल प्रभार (रु. में, प्रति मीटर्ड कॉल)

ट्राई द्वारा प्रस्तावित	
ग्रामीण	शहरी
0–50 निःशुल्क	0–30 निःशुल्क
51–300.80 की दर से	31–300 1.00 की दर से
>300 1.20 की दर से	>300 1.20 की दर से

ङ. पल्स दर (सेकेंड में)

ट्राई द्वारा प्रस्तावित	
बुनियादी सेवा नेटवर्क में कॉल	120
सेल्यूलर (मेट्रो क्षेत्र)	90
सेल्यूलर (सर्किल क्षेत्र) में कॉल	60

II. डब्ल्यूएलएल (सीमित मोबिलिटी)

मद	ट्राई द्वारा प्रस्तावित
मासिक किराया	200 रु. प्रतिमाह
निःशुल्क कालें	शून्य
काल प्रभार	फॉरबियरेंस, बशर्ते कि आवक कालों के लिए कोई प्रभार न हो

III. सेल्यूलर

जावक कालों के लिए किराया और एयर टाइम हेतु फारबियरेंस, बशर्ते कि प्रत्येक सेवा प्रदाता "सेवा प्रदाता के संदर्भ प्रशुल्क पैकेज" के रूप में मासिक किराए और 30 सेकेंडों की पल्स अवधि सहित प्रति मिनट के और एयरटाइम प्रभार का उल्लेख करेगा।

आवक कालों के लिए कोई एयरटाइम प्रभार नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22 की स्थिति

1404. **डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि धल्ली से रामपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–22 की स्थिति अत्यंत जीर्ण–शीर्ण है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 धल्ली से रामपुर का खंड यातायात योग्य स्थिति में है। इसका सर्वेक्षण और अनुरक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(घ) धल्ली से रामपुर के बीच खंड में, 31 कि.मी. लंबाई को चौड़ा करने, 10 कि.मी. में सड़क गुणता में सुधार करने और 77 कि.मी. में आवधिक नवीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

1405. **डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने चालू वर्ष में भारतीय अर्थव्यस्था के संदर्भ में मात्र 4.4 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि–दर का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए अनुमानों के अनुसार 2001–2002 में 5.6 प्रतिशत के अनुमान के विपरीत है;

(ग) यदि हां, तो अनुमानों में भिन्नता के क्या कारण है; और

(घ) सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 7 से 8 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने हेतु किस कदम पर विचार किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) 2001–2002 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 5.6 प्रतिशत और 2002–2003 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 4.4 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि–दर के बीच विरोध का कोई प्रश्न नहीं है।

(ग) 2001–2002 के त्वरित अनुमाना में 5.6 प्रतिशत से 2002–2003 के अग्रिम अनुमानों में 4.4 प्रतिशत तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में मन्द गति मुख्यतः सूखा स्थिति के प्रभाव के कारण है।

(घ) वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए पहचाने गए महत्वपूर्ण मापदण्डों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) पूंजी परिसम्पत्तियों की क्षमता में सुधार करना।

(ii) औद्योगिक और अवसंरचनात्मक निवेशों की परिपक्वता में विलंब को कम करना।

(iii) आंशिक रूप से पूरी की गई या जारी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर देना, और नई परियोजनाओं को शुरू करने से पहले विद्यमान पूंजी परिसम्पत्तियों का उन्नयन करना।

(iv) परिसम्पत्तियों के त्वरित स्थानान्तरण को सुविधाजनक बनाने के लिए विधिक एवं प्रक्रियात्मक परिवर्तन जिनमें रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम को निरस्त करना, दिवालिया कानूनों को आरंभ करना एवं न्यायिक प्रक्रिया का त्वरण शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53

1406. श्री टीएच. चाओबा सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 2003 की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–53 की स्थिति और प्रगति क्या है;

(ख) 1 फरवरी, 2003 की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–53 के विकास पर कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–53 पर कार्य पूरा करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) फिलहाल, रा.रा.–53 की कुल 288 कि.मी. लंबाई में से, 135 कि.मी. दोहरी लेन वाला है और शेष भाग की दोहरी लेन का कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर है।

(ख) रा.रा.–53 पर हुआ व्यय 65.42 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) रा.रा.–53 के दोहरी लेन का कार्य दिसम्बर, 2006 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स का विनिवेश

1407. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री पी. सी. थामस :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स का विनिवेश किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व में किए गए विनिवेश संबंधी प्रयास खरीददार की कमी के कारण सफल नहीं हो पाया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार घाटे को कम करने हेतु संभावित खरीददार को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की मंशा रखती है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस कंपनी हेतु 300 करोड़ रुपए या इससे कम की राशि नियत की गई है;

(छ) यदि हां, तो उक्त राशि को कब तक दिए जाने की संभावना है;

(ज) क्या इस धनराशि को प्रोत्साहन के रूप में संभावित खरीददार को प्रदान करने की कोई योजना है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एच.ओ.सी.एल.) में 32.61 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश अनुकूल बिक्री के माध्यम से करने का निर्णय लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) से (झ) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति के कारण, सरकार ने एचओसीएल के लिए वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज को मंजूरी दी है जो केवल एचओसीएल के विनिवेशित हो जाने की दशा में ही प्रभावी होगा और इसमें अनुकूल साझीदार को प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण होगा। इस वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज का आशय एचओसीएल के लाभार्जन में सुधार लाना है। सहायता की ठीक–ठीक प्रमात्रा का संकेत विनिवेश के अन्तिम चरण पर पहुंच जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

राजस्थान हेतु केन्द्रीय सड़क कोष

1408. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केंद्रीय सड़क कोष (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत सितम्बर, 2002 तक राजस्थान हेतु 208.90 करोड़ रु. की लागत के 142 कार्यों को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने उक्त धनराशि में से केवल 95.78 करोड़ रु. ही खर्च किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) प्राप्त हुए नए प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

कोलम्बिया अंतरिक्ष शटल में विस्फोट

1409. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री जी. जे. जाविया :
श्री पी.सी. थामस :
श्रीमती रीना चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नासा की कोलम्बिया अंतरिक्ष शटल में विस्फोट किन परिस्थितियों के कारण हुआ;

(ख) क्या मामले की जांच की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) अमरीकी सरकार द्वारा विस्तृत जांच के बाद ही कोलंबिया अन्तरिक्ष शटल में विस्फोट के सही कारण का पता चल पाएगा। इसके बारे में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने में कितना समय लगेगा यह ज्ञात नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

1410. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त संबंधी स्थाई संसदीय समिति की राय में जिन उपक्रमों में विनिवेश किया गया है वहां का नया प्रबंधन ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जिनके कारण "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना" बाध्यकारी सेवानिवृत्ति योजना बनती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों की दुर्दशा पर उक्त समिति ने गहरी चिंता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। समिति ने सरकार को आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाने और विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की शिकायतों का समुचित समाधान निकालने के लिए एक नीति तैयार करने की सिफारिश की थी ताकि उनके हित और कल्याण की रक्षा हो सके।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करते समय सम्पन्न सौदा करारों में कर्मचारियों का हित-संरक्षण करने के लिए उपयुक्त उपबन्ध शामिल किए जाते हैं। सौदा करारों के इन उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन होने की दशा में सरकार के पास उपयुक्त उपचारी उपाय उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास योजनाओं के लिए यूनीसेफ सहायता

1411. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बच्चों की एच.आई.वी./एड्स से रक्षा करने और जच्चा-बच्चा मृत्युदर को कम करने के लिए यून्सिफ के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यूनिसेफ द्वारा वर्ष 1999 से 2002 के लिए भारत-यूनीसेफ सहयोग के लिए 300 मिलीयन डॉलर आवंटित किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो इसके अंतर्गत कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन कार्यक्रमों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने बच्चों का एच.आई.वी./एड्स से बचाव करने और देश में नवजात एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक करार किया है। 2003-2007 की अवधि के लिए भारत सरकार-यूनिसेफ मास्टर कार्य योजना को 13 जनवरी, 2003 को महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रमों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, बाल विकास एवं पोषण, परामर्श, कठिन परिस्थितियों और अपंगता में बच्चों के लिए कार्यक्रम और बालश्रम का उन्मूलन करने के क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा। एच.आई.वी./एड्स से बच्चों के बचाव और एकीकृत बाल विकास सेवाओं हेतु सहायता को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। यूनिसेफ द्वारा मास्टर कार्य योजना को कार्यान्वित करने हेतु 2003-07 की अवधि के लिए 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की रकम आवंटित की गई है।

(ङ) से (छ) जी, हां। भारत सरकार ने यूनिसेफ की 1999-2002 की मास्टर कार्य योजना पर 3 मई, 1999 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार-यूनिसेफ सहयोग कार्यक्रम (1999-2002) के लिए कुल आवंटन 300 मिलियन अमरीकी डालर था। कार्यक्रम ने प्राथमिक शिक्षा, प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पोषण, बच्चों का पर्यावरण (स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जल आपूर्ति), बच्चों की सुरक्षा (कठिन परिस्थितियों में बच्चे, अपंगताओं वाले बच्चे और बालश्रम), ग्रामीण कन्वर्जेंट सामुदायिक कार्रवाई, शहरी कन्वर्जेंट सामुदायिक कार्रवाई और परामर्श के क्षेत्र में परियोजनाएं कार्यान्वित कीं। 1999-2002 के भारत सरकार-यूनीसेफ के सहयोग कार्यक्रम का केन्द्र-बिन्दु दूर-दराज के क्षेत्रों, उपेक्षित जिलों और राज्यों में रह रहे बच्चे तथा कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चे थे।

नई औषधियों को स्वीकृति

1412. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नई औषधियों का रोगियों पर पर्याप्त परीक्षण किए बिना ही उन्हें स्वीकृति प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नई औषधियों के विपणन के पश्चात उनकी प्रतिक्रिया की सतत निगरानी के लिए कोई व्यापक प्रणाली विकसित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची "वाई" में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नई औषधें अनुमोदित की जाती हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार किसी नई औषध, जो अन्य देशों में पहले ही अनुमोदित/विपणित की जा रही हो, उसे इस देश में विपणन हेतु अनुमोदन दिए जाने से पहले, देश के 3–4 केन्द्रों में इलाज करा रहे कम से कम 100 रोगियों पर सामान्यतया, नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं। भारत में खोजी गई किसी नई औषधि के लिए विभिन्न चरणों अर्थात–I, II तथा III में नैदानिक जांच की जाती है।

कैंसर, एड्स आदि के उपचार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग प्रारंभ की गई कुछ महत्वपूर्ण औषधें तेजी से जांची जाती हैं और सामान्यतया स्थानीय नैदानिक परीक्षणों पर जोर नहीं दिया जाता है। वैसे, फर्मों द्वारा, अनुमोदित प्रोटोकॉल के अनुसार विपणन–पश्चात निगरानी रखा जाना अपेक्षित है।

(ख) से (घ) दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 900(ई) द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों में किए गए एक संशोधन के जरिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि एक बड़े जनसंख्या आधार पर होने वाले संभावित बुरे प्रभाव पर पर्याप्त ब्यौरा इक्ट्ठा करने हेतु देश में विपणन के लिए अनुमत्य नई औषधों के लिए विपणन पश्चात निगरानी अध्ययन किए जाएं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-203

1413. श्री परसुराम माझी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पुरी से सतपुड़ा, वाया ब्रह्मगिरि, उड़ीसा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–203 के विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य वर्ष 2003, 2004 तक प्रारंभ हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग–203, पुरी से सतपुड़ा वाया ब्रह्मगिरि तक का विस्तार किए जाने का एक प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ है। इसे नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंडों के आधार पर समीक्षा हेतु जून, 2002 में लौटा दिया गया था। इस समय धनराशि के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर प्रतिबंध है। तथापि, प्रतिबंध हटा लिए जाने के पश्चात यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमित लंबाई के कुछ राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने पर विचार कर सकती है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में टेलीफोनों की संख्या

1414. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध टेलीफोनों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सघनता 1999 के 0.4 से बढ़ाकर 2010 तक 4 प्रतिशत करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) पिछले पांच वर्षों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का राज्यवार टेली–घनत्व संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। नई दूरसंचार नीति, 1999 में 2010 तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण टेली–घनत्व 4 तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है जो 1999 में 0.4 था और यह लक्ष्य निजी प्रचालकों की भागीदारी तथा समुचित संसाधनों की उपलब्धता से प्राप्त होने की आशा है।

विवरण

गत पांच वर्षों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का राज्य–वार टेलीघनत्व

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.3.1998 के अनुसार टेलीघनत्व			31.3.1999 के अनुसार टेलीघनत्व			31.3.2000 के अनुसार टेलीघनत्व			31.3.2001 के अनुसार टेलीघनत्व			31.3.2002 के अनुसार टेलीघनत्व		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़	शहरी	ग्रामीण	जोड़	शहरी	ग्रामीण	जोड़	शहरी	ग्रामीण	जोड़	शहरी	ग्रामीण	जोड़
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4.93	1.22	2.44	8.11	2.85	4.57	11.65	4.71	6.98	13.10	6.18	8.44	13.57	6.97	9.13
2.	आंध्र प्रदेश	4.86	0.48	1.67	6.66	0.60	2.24	9.05	0.98	3.17	11.16	1.47	4.10	13.24	1.83	4.92
3.	असम	4.11	0.14	0.65	5.31	0.18	0.84	6.99	0.20	1.06	8.70	0.25	1.33	10.46	0.39	1.68
4.	बिहार	4.09	0.10	0.51	5.11	0.13	0.65	6.12	0.17	0.80	8.63	0?7	1.15	7.25	0.38	1.10
5.	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	5.14	0.28	1.26
6.	दिल्ली	11.92	0	11.92	17.09	10	17.09	18.55	0	18.55	18.55	0.00	18.55	15.25	0.00	15.25
7.	गुजरात	5.98	0.82	2.74	7.32	0.91	3.30	9.22	1.09	4.12	11.44	1.48	5.19	13.67	2.09	6.41
8.	हरियाणा	6.25	0.55	2.20	7.49	0.69	2.66	8.76	0.95	3.21	10.59	1.40	4.07	12.63	2.00	5.08
9.	हिमाचल प्रदेश	15.31	1.86	3.18	17.72	2.38	3.88	21.93	3.00	4.85	26.06	3.76	5.94	29.99	5.05	7.49
10.	जम्मू व कश्मीर	3.17	0.19	0.93	4.18	0.09	1.11	4.96	0.10	1.31	6.54	0.13	1.72	8.05	0.23	2.18
11.	झारखंड	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	5.25	0.30	1.40
12.	कर्नाटक	5.84	0.82	2.53	6.93	1.01	3.02	8.61	1.28	3.77	10.33	1.79	4.69	12.29	2.13	5.58
13.	केरल	7.47	2.29	3.64	8.99	2.97	4.53	11.08	3.90	5.77	15.14	5.05	7.67	17.58	6.59	9.45
14.	मध्य प्रदेश	4.11	0.43	1.41	4.95	0.48	1.67	20.26	0.52	5.78	7.77	0.48	2.43	9.68	0.50	2.95

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ
15.	महाराष्ट्र	8.35	0.66	3.93	9.42	0.75	4.44	5.50	0.96	2.89	13.03	1.33	6.30	15.00	1.87	7.45
16.	पूर्वोत्तर	6.98	0.44	1.91	8.88	0.60	2.46	11.04	0.82	3.12	13.57	1.04	3.86	15.08	1.47	4.53
17.	उड़ीसा	3.92	0.22	0.77	4.94	0.27	0.97	5.95	0.36	1.20	7.24	0.49	1.50	8.51	0.72	1.88
18.	पंजाब	9.12	0.78	3.78	10.73	1.27	4.67	12.15	1.91	5.59	14.15	2.70	6.82	18.24	4.10	9.18
19.	राजस्थान	4.66	0.44	1.43	5.82	0.47	1.72	6.71	0.60	2.03	7.96	0.81	2.48	9.26	1.15	3.05
20.	तमिलनाडु	5.83	0.51	3.77	7.53	0.51	4.70	9.88	0.51	5.90	12.82	0.49	7.64	11.65	0.46	5.24
21.	उत्तरांचल	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	10.99	1.13	3.65
22.	उत्तर प्रदेश	3.68	0.15	0.88	4.82	0.16	1.13	11.05	0.29	2.02	13.24	0.48	2.52	14.09	0.55	2.72
23.	पश्चिम बंगाल	4.29	0.21	1.16	5.28	0.28	1.44	6.61	0.34	1.80	8.23	0.51	2.29	9.58	0.75	2.76
	जोड़	5.47	0.43	1.82	7.29	0.51	2.37	8.44	0.66	2.90	10.37	0.90	3.64	12.03	1.21	4.22

1. ये राज्य वर्ष 2002 में गठित हुए थे।
2. उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।
3. महाराष्ट्र में गोवा राज्य शामिल है।
4. पश्चिम बंगाल में सिक्किम राज्य शामिल है।
5. गुजरात में संघ शासित प्रदेश, (i) दादरा और नगर हवेली और (ii) दमन और दीव शामिल हैं।
6. केरल में संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप शामिल है।
7. पंजाब में संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल है।
8. तमिलनाडु में संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी शामिल है।

अस्पतालों में सेल्समैन/एजेंटों के प्रवेश की जांच

1415. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 28 नवम्बर, 2002 के "दि हिन्दू" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव अस्पताल के कर्मचारियों की मिलीभगत से कदाचारों में लिप्त हैं जिससे सरकारी अस्पतालों में काफी व्यवधान होता है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसे कदाचारों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) अस्पतालों के दोषी डाक्टरों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इम्प्लाइन्ट कंपनियों के सेल्समैन को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित सरकारी अस्पतालों के रोगियों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सेल्समैन को ऑपरेशन के लिए अपेक्षित विधि आकारों के उपकरणों/इम्प्लान्टों को आपरेशन थिएटर में जमा करने को कहा जाता है। सेल्समैन वार्ड में भर्ती रोगियों से बातचीत नहीं करते हैं। सफदरजंग अस्पताल में, सर्जरी के दौरान इम्प्लान्ट की आवश्यकता वाले रोगियों को, उनके मामला विशेष हेतु उपयुक्तता के अनुसार तथा रोगियों के वित्तीय संसाधनों के अनुसार, विभिन्न विकल्प दिए जाते हैं। रोगियों को इम्प्लान्टों की सूची के साथ-साथ वितरकों के पते भी दिए जाते हैं।

बोलीदाताओं की अनुपलब्धता

1416. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विनिवेश के लिए चुने गए कतिपय उद्यमों को बोलीदाताओं की उपलब्धता के कारण बेचा नहीं जा सका और इसके परिणामस्वरूप उन्हें संबंधित विभागों को सौंप दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे उद्यमों का पुनर्गठन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विनिवेश मंत्रालय के सघन प्रयासों के, बोलीदाता को आकर्षित करने में विफल हो जाने के बाद 8 मामले संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को लौटा दिए गए थे।

प्राग टूल्स लि., भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि., भारत चमड़ा निगम लि., राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि. और आर बी एल लि. के मामले, विनिवेश मंत्रालय द्वारा बन्द करने सहित, उपयुक्त कार्रवाई के लिए, भारी उद्योग विभाग को लौटा दिए गए थे। भारत पम्पस एण्ड कमप्रैसर्स लि. के मामले में मंत्रिमंडल ने "सिद्धान्त रूप से" वित्तीय पुनर्संरचना की मंजूरी दे दी थी, जो सफल संयुक्त उद्यम की संरचना पर आश्रित था। स्कूटर्स इण्डिया लि. (एस आई एल) को भारी उद्योग विभाग को यह सूचित करते हुए लौटा दिया गया था कि यह मामला, ऑटोमोबाइल बाजार में सुधार हो जाने के बाद ही विनिवेश के लिए उठाया जाएगा। मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइडस लि. (एच आई एल) को, उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए रसायन और उर्वरक विभाग को लौटा दिया गया था। पूंजीगत परिसम्पत्ति की मरम्मत और रख-रखाव के वित्त-पोषण के लिए कंपनी की इक्विटी को सुदृढ़ किया जा रहा है।

ऑप्टिकल फाइबर केबल

1417. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्नाटक के बीदर जिले के लिए कम से कम 2000 कि.मी. लंबे ऑप्टिकल फाइबर केबल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त जिले में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) बीदर जिले में एक्सचेंजों की कुल संख्या 79 है और ये सभी डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं। इन सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय माध्यम कनेक्टिविटी है जिनमें से 73 को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। इसलिए बीदर जिले में 2000 कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आक्यूपेशनल हैल्थ

1418 : **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आक्यूपेशनल हैल्थ के क्षेत्रीय के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 2002–2003 के लिए इस संस्था का बजट कितना है;

(ङ) क्या सरकार वर्ष 2003–2004 में इन क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियों में वृद्धि करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद के कोलकाता और बंगलौर में दो क्षेत्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

(घ) राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान का 2002–2003 का बजट इस प्रकार है :

प्लान	नॉन प्लान
551.01 लाख	344.65 लाख

(ङ) और (च) दो क्षेत्रीय केन्द्र अपने–अपने क्षेत्रों में अनेक व्यावसायिक पर्यावरणिक स्वास्थ्य समस्याओं से संबद्ध अनुसंधान कार्यकलापों में सक्रियता से लगे हुए हैं।

बंगलौर का स्काई वे ब्रिज

1419. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में दूसरा सबसे बड़ा स्काई वे ब्रिज का माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शीघ्र उद्घाटन किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस ब्रिज के निर्माण पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस ब्रिज के निर्माण में केन्द्र का कितना अंशदान है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां। 13 फरवरी, 2003 को कृष्णराजपुरम, बंगलौर में राष्ट्रीय राजमार्ग–4 पर एक केबल आधारित आर ओ बी का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री ने किया है।

(ख) इस पुल की कुल स्वीकृत लागत 4196 लाख रु. है। तथापि, रेल प्राधिकारियों ने हाल ही में सूचना दी है कि इस पुल को पूरा करने में 5260 लाख रु. की लागत आएगी। संशोधित लागत प्राक्कलन को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।

(ग) 41.96 लाख रु. की स्वीकृत लागत प्राक्कलन के लिए केन्द्र सरकार का योगदान इस प्रकार है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3723.12 लाख रु.
रेल मंत्रालय	236.44 लाख रु.
जोड़	3959.56 लाख रु.

भारतीयों के आवागमन की निगरानी

1420. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में भारतीयों के आवागमन की एफ बी आई द्वारा सूक्ष्म निगरानी रखी जा रही है जैसा कि 24 जनवरी, 2003 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले की सत्यता या अन्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय मूल के अमरीकी नागरिकों से स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पूछताछ की गई है। यह भी पता चला है कि इनमें से एक व्यक्ति ने अमरीकी राजनीतिक माध्यमों से इस मामले को उठाया है। सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के साथ सही और सोहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना सरकार की स्पष्ट नीति है।

[हिन्दी]

कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

1421. श्री शिवाजी माने :
श्री रामटहल चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम असफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा या परिणाम क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) जी, नहीं। तृतीयक स्तर पर कैंसर का प्राथमिक निवारण तथा उपचार मुहैया करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया तथा 1984–85 में इसे संशोधित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है। उन्होंने हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य बल की स्थापना

1422. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण प्रौद्योगिकी में समन्वय और क्षेत्रों के प्रसार हेतु कार्य बल गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए कोई निधि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं जहां सरकार ग्रामीण प्रौद्योगिकी को लागू करने पर विचार कर रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने अपनी विकास कार्यनीति में ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास और प्रचार को उच्च प्राथमिकता दी है। प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रचार के लिए कुछ एजेंसियों का गठन किया गया है, जिन्हें ग्रामीण उद्योगों द्वारा अपनाया जा सकता है। यद्यपि, इस क्षेत्र में बहुत से संगठन सक्रिय हैं, फिर भी यह महसूस किया गया है कि ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास मूल्यांकन और विस्तार के मुद्दे पर समग्र रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार ने इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया है। कार्यबल की संरचना और इसके विचारार्थ विषय तैयार किए जा रहे हैं।

बिल का ऑन-लाइन भुगतान

1423. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन ऑन लाइन बैंकिंग का प्रयोग करके अपने बिलों का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं ने अपने टेलीफोन कनेक्शन मनमाने तरीके से कटे हुए पाए जैसाकि दिनांक 28 नवम्बर, 2002 के "दि हिन्दु" समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) ऑन लाइन बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग करके टेलीफोन बिल का भुगतान करने में मुख्य बाधा क्या है; और

(घ) टेलीफोन बिलों का ऑन लाइन भुगतान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) दिनांक 28 नवम्बर, 2002 को "दि हिन्दु" में प्रकाशित चंडीगढ़ के एक समाचार के अनुसार उपभोक्ताओं (जिनके टेलीफोन नम्बर रिपोर्ट में इंगित नहीं हैं) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक की ऑन लाइन बैंकिंग सुविधा के माध्यम से भुगतान किया गया। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड की संबंधित इकाई ने स्पष्ट किया है कि ऐसे ऑन लाइन भुगतान के लिए उक्त बैंक के साथ उसका कोई समझौता नहीं है, और इसलिए यदि किसी अनधिकृत तरीके से बिल का भुगतान किया जाता है तो भुगतान न करने के कारण किसी टेलीफोन कटने के लिए इसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(ग) ऑन लाइन बैंकिंग सुविधा का उपयोग कर टेलीफोन बिलों का भुगतान करने में कोई मौलिक अड़चन नहीं है, बशर्ते कि इसे स्थानीय टेलीफोन प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया हो।

(घ) उपरोक्त (क) से (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, बीएसएनएल के पंजाब दूरसंचार सर्किल की चंडीगढ़ इकाई ने अपने टेलीफोन बिलों के ऑन लाइन भुगतान के लिए बैंक ऑफ पंजाब और एचडीएफसी बैंक के साथ हाल ही में समझौते किए हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

1424. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार राष्ट्रीय सेवा योजना लागू करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार जारी की गई/प्रयुक्त और अप्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) कुछ राज्यों में निधियों का उपयोग न होने के कारण क्या हैं;

(ङ) ऐसी निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) विश्वविद्यालयों द्वारा संस्थानों और संबद्ध कालेजों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यह +2 स्तरीय स्कूलों में, राज्य स्कूल परिषदों/बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को कवर किया गया है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

2000–2001	2001–2002	2002–2003
3056 लाख	3285 लाख	3144 लाख

(ग) उक्त अवधि के दौरान, जारी की गई/प्रयुक्त और अप्रयुक्त धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) एन.एस.एस. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना है तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित सिक्किम और हिमाचल प्रदेश तथा योजना आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में व्यय को वहन करने का पैटर्न 3 : 1 के अनुपात में तथा अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मामले में, 7 : 5 के अनुपात में है। जम्मू और कश्मीर तथा विधान सभा विहीन संघ शासित क्षेत्रों के मामले में, सम्पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

केन्द्रीय हिस्से की प्रथम किश्त पूर्व वर्ष की अंतिम तिमाही में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की जाती है। राज्य सरकार से 30 मई तक विश्वविद्यालयों/कालेजों को अपना समतुल्य हिस्सा जारी करने की अपेक्षा की जाती है। चूंकि कुछ राज्य संसाधनों की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं, अतः वे अपना हिस्सा समय पर जारी करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसकी वजह से वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राशि रह जाती है।

उच्च स्तर के अप्रयुक्त बकाया का एक अन्य कारण अनेक वर्षों से निधियों का संचयन है।

(ङ) और (च) मंत्रालय इस मामले को राज्यों के साथ उठाता आ रहा है तथा केन्द्रीय अनुदान के हिस्से इस प्रकार आनुपातिक रूप से कम करने का निर्णय लिया है ताकि अप्रयुक्त बकाया समायोजित हो जाए तथा धनराशि जारी न होने की वजह से एन.एन.एस. की गतिविधियां भी प्रभावित न हों।

विवरण

तीन वर्षों के दौरान जारी/उपयोग की गई और न खर्च हुई बकाया निधियां (राज्य-वार)

क्र.सं. राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2000-2001		2001-2002		2002-2003	
	जारी की गई धनराशि	न खर्च हुआ बकाया (31.3..01 तक)	जारी की गई धनराशि	न खर्च हुआ बकाया (31.3.02 तक)	बकाया निधियां (5.2.03 तक)	न खर्च हुआ बकाया (31.3.03 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	2,35,08,333	98,322	2,34,10,011	शून्य	1,88,77,500	–
2. असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	–
3. अरुणाचल प्रदेश	3,90,000	शून्य	1,83,750	91,875	7,40,775	–
4. बिहार	शून्य	1,48,18,514	19,54,385	1,71,88,982	शून्य	–
5. झारखंड	शून्य	शून्य	54,25,000	99,00,825	44,75,625	–
6. गुजरात	1,36,52,917	4,02,94,000	शून्य	शून्य	शून्य	–
7. गोवा	12,65,833	53,231	17,01,871	शून्य	27,12,500	–
8. हरियाणा	97,65,000	8,63,333	शून्य	शून्य	शून्य	–
9. हिमाचल प्रदेश	84,90,000	–	30,10,913	शून्य	शून्य	–
10. जम्मू व कश्मीर	16,50,000	30,69,700	शून्य	शून्य	शून्य	–
11. कर्नाटक	2,53,16,667	1,55,26,615	1,09,44,385	62,38,334,	2,44,12,500	
12. केरल	1,53,70,833	शून्य	1,80,83,333	27,12,503	1,71,79,164	–
13 मध्य प्रदेश	1,62,75,000	1,36,79,307	62,37,422	91,95,004	64,84,938	–
14. छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	40,41,795	4,03,418	39,72,749	–
15. मणिपुर	24,00,000	–	शून्य	7,70,000	20,54,250	–
16. महाराष्ट्र	3,97,83,333	2,18,05,563	1,43,61,104	2,40,63,049	1,87,48,107	–
17. मेघालय	7,70,000	–	शून्य	शून्य	शून्य	–
18. नागालैंड	2,88,750	शून्य	शून्य	शून्य	9,90,000	–
19. मिजोरम	51,00,000	34,63,750	19,23,662	शून्य	57,12,588	–
20. उड़ीसा	1,49,18,750	3,21,25,555	55,65,244	2,36,04,805	1,11,89,063	–
21. पंजाब	1,05,87,500	2,30,43,949	शून्य	1,70,75,865	1,17,64,998	–

1	2	3	4	5	6	7
22. राजस्थान	1,71,79,167	1,88,72,146	77,05,881	85,96,839	1,43,26,254	–
23. सिक्किम	9,90,000	–	3,84,249	शून्य	20,04,600	
24. तमिलनाडु	3,07,41,667	42,22,317	2,95,93,516	43,56,508	3,28,40,909	–
25. त्रिपुरा	36,00,000	शून्य	51,00,000	शून्य	51,00,000	–
26. उत्तर प्रदेश	2,91,86,500	5,91,51,193	75,44,375	4,83,28,272	शून्य	–
27. उत्तरांचल	शून्य	शून्य	85,46,945	25,13,001	71,32,866	–
28. पश्चिम बंगाल	88,60,833	–	31,56,926	31,56,926	73,10,188	–
29. अंडमान व निकोबार	99,000	–	शून्य	शून्य	शून्य	–
30. चंडीगढ़	20,15,000	–	7,59,500	शून्य	शून्य	–
31. संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
32. पांडिचेरी	12,65,833	1,96,700	शून्य	शून्य	8,00,000	–
33. लक्षद्वीप	56,100	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	–
34. दादरा व नगर हवेली	1,24,000	–	59,675	शून्य	1,40,668	–
35. दमन और दीव	2,04,600	–	86,800	59,290	2,04,600	–

राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के साथ विश्राम गृह

1425. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–9 के साथ विश्राम गृह बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग–9 के 366 कि.मी. पर मार्गस्थ सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्राक्कलन को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत किया है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रगति पर है। बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, निजी भागीदारी से मार्गस्थ सुविधाओं के विकास की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ग) कार्य प्रारंभ करने के लिए समय सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है।

प्रदूषण रहित वाहन

1426. **श्रीमती निवेदिता माने : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.एन.जी. और यूरो–दो मानक वाले वाहन प्रदूषण रहित वाहनों की श्रेणी में आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) सी. एन.जी. से चलने वाले वाहनों अथवा यूरो–2 के समकक्ष मानकों

वाले पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहन निश्चित तौर पर अन्य वाहनों से कम प्रदूषण करते हैं।

(ख) सी.एन.जी. और यूरो-2 मानक वाले वाहनों के उत्सर्जन मानक पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं और उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

दूरसंचार विभाग को हानि

1427. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन बिलों के गैर-भुगतान हेतु बड़ी संख्या में कनेक्शन काटे जाने के कारण और सरेंडर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए किए गए रिफंड के कारण दूरसंचार विभाग को हानि को कम करने हेतु कोई उपाय तैयार किए हैं; और

(ख) राज्य-वार कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और सरकार द्वारा आज तक नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु कितनी राशि एकत्र की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड के गठन के बाद, सरकार दूरसंचार सेवाएं प्रदान नहीं करती और इसलिए दूर संचार विभाग को कोई घाटा नहीं है। चूंकि सरकार अब सेवा प्रदाता नहीं है इसलिए दूरसंचार विभाग द्वारा अब कोई जमा वसूल नहीं की जा रही है। तथापि, 31.1.03 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य का नाम	31.1.2003 की स्थिति के अनुसार टेलीफोनों की संख्या
1	2
अंडमान व निकोबार	35621
आंध्र प्रदेश	3312182
अरुणाचल प्रदेश	51392
असम	475619
बिहार	908415
छत्तीसगढ़	296058
गुजरात	3105602
हरियाणा	1087692
हिमाचल प्रदेश	474543
जम्मू व कश्मीर	252631
झारखंड	436371
कर्नाटक	2832131
केरल	3036994
मध्य प्रदेश	1261584
महाराष्ट्र	3972307
मणिपुर	40246
मेघालय	57660
मिजोरम	49224
नागालैंड	42648
उड़ीसा	742076
पंजाब	2117717
राजस्थान	1739993
सिक्किम	36820
तमिलनाडु	4010131
त्रिपुरा	77308
उत्तर प्रदेश	3110569
उत्तरांचल	350936
पश्चिम बंगाल	2439511
एमटीएनएल, दिल्ली	2295916
एमटीएनल, मुम्बई	2562970

चिकित्सा प्रतिपूर्ति

1428. श्री के. पी. सिंह देव :
डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार से खरीदी गई दवाओं के मूल्य की प्रतिपूर्ति के लिए सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के कुल कितनी राशि के बिल लम्बित हैं;

(ख) क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र को इस संबंध में कोई निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन लम्बित बिलों को निपटाने हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के कष्टों को दूर करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। फिलहाल 54,93,433/–रुपए की राशि के बिलों पर कार्रवाई चल रही है।

(ख) और (ग) जी, हां। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रताप चन्द चसवाल बनाम भारत संघ और अन्य, द्वारा दायर की गई सिविल रिट याचिका संख्या 33/2003 में सिविल विविध याचिका संख्या 43/2003 में अपने दिनांक 8.1.2003 के आदेश में अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा है :

> "...जहां तक सेवानिवृत्त लाभार्थियों की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का संबंध है, प्रतिवादी चैक तैयार करके और उनको संबंधित औषधालयों/अस्पतालों को सौंप कर उक्त विषय में तेजी लाने के लिए कदम उठाना जारी रखेंगे...।"

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पेंशनर लाभार्थियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है और लाभार्थियों/औषधालयों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) में अभी भी बिल प्राप्त हो रहे हैं। लाभार्थियों के लंबित चिकित्सा बिलों को निपटाने के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2002–2003 के दौरान 5.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि के आवंटन हेतु एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) दिनांक 1.11.2002 से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों द्वारा की गई हड़ताल के कारण लाभार्थियों के सामने आ रही कठिनाइयां तब कम हो गई जब 16.1.2003 को सरकार ने आदेश जारी किए जिसमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन सभी प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की आवश्कयताओं के अनुसार दवाइयों की आपूर्ति करने की अनुमति करने की अनुमति दे दी। इसके अतिरिक्त, हास्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कार्पोरेशन के जरिए औषधालयों को दवाइयों की आपूर्ति हेतु व्यवस्थाएं की गई थीं।

इंजीनियरिंग समाधानों के लिए तंत्र

1429. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का सड़कों को चौड़ा करने और राजमार्ग प्रणाली के आधुनिकीकरण के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले अभियंत्रण संबंधी समाधानों की कोई प्रविधि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे गांवों का संपर्क नई सड़क के निर्माण अथवा विद्यमान राजमार्ग के चौड़ा किए जाने से टूट गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे उदाहरण हैं जिनमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुराने संपर्कों को बाधित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी स्थिति की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) सड़कों को चौड़ा करने और राजमार्ग प्रणाली के आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं के इंजीनियरी समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डी.पी.आर. परामर्शदाताओं और पर्यवेक्षण परामर्श–दाताओं की नियुक्ति करता है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों से लगे गांवों के लिए पहुंच मार्गों के लिए सेवा सड़कें, उपमार्ग आदि उपलब्ध कराके हर संभव तरीके से ध्यान रखा गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धन का आवंटन

1430. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री वाई. जी. महाजन :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान देश में, विशेषकर बिहार में, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख–रखाव और उनकी मरम्मत के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने पुलों का निर्माण किया गया और कितने पुल निर्माणाधीन हैं और कितने अनुमोदन के लिए लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित धन अपर्याप्त था; और

(घ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीया योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए कितना धन आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूड़ी) : (क) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु आवंटित निधियां		राष्ट्रीय राजमार्गो के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु आवंटित निधियां	
		कुल	बिहार	कुल	बिहार
1.	2001–02	5060.04	246.24	732.66	52.82
2.	2002–03	5309.98	155.58	707.11	53.52

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

गत दो वर्षों के दौरान निर्मित पुलों की संख्या	317
निर्माणाधीन पुलों की संख्या	1238
अनुमोदनार्थ लंबित पुल प्रस्तावों की संख्या :	29

(ग) और (घ) निधियों का आवंटन समग्र उपलब्ध, आवश्यकता और पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 59,700 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

राज्यों को वित्तीय सहायता

1431. श्री नरेश पुगलिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा को वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई के मद्देनजर चयनित परियोजनाओं और कार्यों के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सम विकास योजना पिछड़े क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है, जिनमें कुछ वामपंथी उग्रवाद से भी प्रभावित रहे हैं। इस स्कीम के तीन घटक अर्थात, (i) पिछड़े जिले पहल; (ii) बिहार के लिए विशेष योजना; तथा (iii) उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना है।

इस स्कीम के पिछड़े जिले पहल घटक के अंतर्गत 25 जिलों को प्रायोगिक आधार पर चयन किया गया है जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के कुछ जिलों सहित 11 जिलों की गृह मंत्रालय द्वारा उग्रवाद से प्रभावित जिलों के रूप में पहचान की गई है।

इसके अलावा, उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष

योजना के अन्तर्गत, इस राज्य के तीन उग्रवाद से प्रभावित जिले शामिल किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, बिहार के लिए विशेष योजना को समग्ररूप से इस राज्य के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत, विद्युत, सड़क, बागवानी, जलसंभर विकास, वनारोपण आदि जैसे पहचान किए गए महत्व के क्षेत्रों के लिए नवीन वितरण व्यवस्था के माध्यम से निधियन किया जा रहा है ताकि इन क्षेत्रकों में वतर्मान अड़चनों को दूर किया जा सके तथा इस राज्य के भावी विकास के लिए उपलब्ध कराई गई आधारिक संरचना भी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सके।

द्वीप विकास परिषद (आईडीसी)

1432. श्री के. पी. सिंह देव :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग छह वर्षों के बाद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के मामले में हाल ही में द्वीप विकास परिषद (आईडीसी) की बैठक बुलाई गई है;

(ख) यदि हां तो इतने लंबे समय के बाद इस बैठक को बुलाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस बैठक से क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस क्षेत्र के सतत विकास पर्यारवरण के अनुकूल सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के मामले में द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए) की बैठक लगभग छह वर्षों के पश्चात दिनांक 19 जनवरी, 2003 को आयोजित की गई थी।

(ख) उच्च स्तरीय द्वीप विकास प्राधिकरण की बैठकें 1997 और 2001 में होनी निश्चित हुई थीं लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इन्हें स्थगित करना पड़ा था। तथापि, आईडीए की स्थाई समिति की तीन बैठकें अंतरिम अवधि में आयोजित की गई थीं।

(ग) आईडीए ने इन द्वीपों में पर्यटन, मत्स्य उद्योग, मूल्य कृषि और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा संसाधनों, जो पर्यावरणात्मक और कार्यनीति सरोकारों सहित विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता को सुसंगत बनाते हैं, के विकास के लिए एक नीति विकसित करने और उसकी सिफारिश करने के समयबद्ध उत्तरदायित्व सचिवों की स्थाई समिति को सौंपने का निर्णय लिया है।

(घ) आईडीए और उसकी स्थायी समिति की बैठकों और द्वीपों की राज्य योजनाओं की वार्षिक चर्चाओं के दौरान भी क्षेत्र के विकास के लिए पारिस्थितिकीय रूप से संधारणीय स्कीमों को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करना ध्यान में रखा जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर चुंगियां/चुंगी द्वार

1433. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) ने राष्ट्रीय राजमार्ग–5 पर चुंगी और चुंगी द्वार प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग–5 के साथ–साथ किन भागों में यह प्रणाली समुचित प्रतीत होगी;

(ग) ऐसे चुंगी द्वारों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या ऐसे चुंगी द्वारों को चालू करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार की नीति के अनुसार, वर्तमान 2 लेन से 4/6 लेन सुविधाओं में उन्नत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क वसूला जाएगा और इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग–5 के सभी खंडों पर चुंगी द्वार प्रणाली होगी।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग–5 के खंडों की समुचित लंबाई पूरा होने पर शुल्क वसूली प्रणाली शुरू की जाएगी।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी 4 लेन वाले खंडों पर प्रयोक्ता शुल्क हमेशा वसूला जाएगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : अध्यक्ष महोदय, श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 1330(अ) जो 19 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56ख (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 और 56 को जोड़ने के लिए लखनऊ–बाईपास) पर भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1332(अ) जो 19 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 और 11 के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1337(अ) जो 19 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (होसूर से कृष्णागिरि खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1342(अ) जो 20 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुआ था तथा जो कनार्टक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर भूमि का अर्जन करने के लिए प्रबंधक (तकनीकी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, शिवबसवा नगर, बेलगांव, कर्नाटक को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कृत्यों का निष्पादन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1391(अ) जो 31 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (नसीराबाद से बराल) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 14(अ) जो 6 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर–मंगलवार खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 23(अ) जो 9 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि–रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 24(अ) जो 9 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि–रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 25 (अ) जो 9 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (होसूर–कृष्णागिरि खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 30(अ) जो 10 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 फरवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 236 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का.आ. 36(अ) जो 13 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर–वाराणसी खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 45 (अ) जो 15 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि से रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी 7038/2003]

(2) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटरवाहन (छठा संशोधन) नियम, 2002, जो 27 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 845(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7039/2003]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्य करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7040/2003]

(3) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृति चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7041/2003]

(5) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7042/2003]

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

उनतालीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां, तैंतालीसवां और चवालीसवां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : महोदय, मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2002–2003) के बारे में 32वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन;

(2) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग (शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2002–2003) के बारे मे 36वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन;

(3) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में 26वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन;

(4) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों के बारे में 33वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन;

(5) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2002–2003) के बारे में 34वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन; तथा

(6) शहरी विकास विभाग (शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2002–2003) के बारे में 35वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01½ बजे

[हिन्दी]

समिति के लिए निर्वाचन

इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसाइटी

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : महोदय, श्री अजित सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं :

"कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसायटी के नियम 4(vii) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसायटी के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसायटी के नियम 4(vii) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसायटी के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

रेल बजट, 2003-2004

अध्यक्ष महोदय : अब रेल बजट प्रस्तुत किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की जन्मभूमि को रेल से जोड़ने का यहां माननीय मंत्री जी प्रस्ताव पास करें।...*(व्यवधान)* वैशाली को रेल लाइन से जोड़ने वाला प्रस्ताव यहां पास करें। वह ऐतिहासिक धरती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर जी, क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है?

(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : जी, हां।.. *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष व्यवस्था के प्रश्न जैसा कुछ नहीं है। कृपया बैठ जाएं। सभा में ऐसा कुछ नहीं है। रेल मंत्री अपनी बात जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, रेल बजट हर वर्ष हिन्दी में प्रस्तुत किया जाता है। इसे अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं, इसका ध्यान रखूंगा। उनकी एक समस्या है, श्री नीतीश कुमार जी। उन्हें अंग्रेजी अनुवाद सुनाई नहीं पड़ रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या वह शुरू हो गया है?

हां, अब शुरू हो गया है। माननीय मंत्री जी अब शुरू से आरंभ करेंगे। माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : क्या मैं शुरू से आरंभ करूं?

अध्यक्ष महोदय : हां, आप शुरू कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय रेल के लिए वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

प्रस्तावना

सर्वप्रथम, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने राष्ट्रीय रेल विकास योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज को सुदृढ़ करने, बन्दरगाहों के साथ बेहतर व द्रुत रेल संपर्क स्थापित करने और चार महा सेतु के निर्माण का कार्य किया जाएगा। इस बजटेतर पहल से राष्ट्र की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेल के विकास में और तेजी आएगी।

2001-2002 के दौरान वित्तीय निष्पादन

अब मैं वर्ष 2001-2002 के दौरान वित्तीय निष्पादन की संक्षेप में समीक्षा करूंगा। वर्ष 2001-2002 के दौरान 492.5 मिलियन टन का लदान किया गया जो कि वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में निर्धारित किए गए 489 मिलियन टन के लक्ष्य से 3.50 मिलियन टन अधिक था। इसके फलस्वरूप माल यातायात में संशोधित लक्ष्य से 235.4 करोड़ रुपए अधिक आमदनी हुई। यह सुधार वर्ष की अंतिम तिमाही में बेहतर निष्पादन के कारण संभव हो सका जब अर्थव्यवस्था में बेहतरी आनी शुरू हो गई थी। बहरहाल, विभिन्न बाह्य कारणों से वर्ष की अंतिम तिमाही में यात्री यातायात में कमी आई, जिससे 11,400 करोड़ रुपए के बढ़े हुए संशोधित लक्ष्य की तुलना में यात्री यातायात से होने वाली आय 204 करोड़ रुपए कम रही। अन्य कोचिंग

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और फुटकर आय में वृद्धि को देखते हुए और संशोधित अनुमान के लक्ष्यों की तुलना में ट्रैफिक सस्पेंस में कम बढ़ोतरी के कारण वर्ष के लिए सकल यातायात प्राप्तियां संशोधित अनुमान से 118 करोड़ रुपए अधिक थीं।

खर्च पर लगातार नजर रखने और उसे नियंत्रित करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप रेलवे साधारण संचालन व्यय को 28,703 करोड़ रुपए तक सीमित रखने में सफल रही, जिससे संशोधित अनुमानों की तुलना में 397 करोड़ रुपए की अधिक बचत संभव हो सकी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि (डी.आर.एफ.) और पेंशन निधि में यथावश्यक विनियोग करने तथा शुद्ध विविध प्राप्तियों में परिवर्तन के कारण रेलवे के शुद्ध राजस्व में 197 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। संशोधित अनुमानों में आंका गया 96.6 प्रतिशत का परिचालनिक अनुपात (आपरेटिंग रेशियो) बेहतर होकर 96.0 प्रतिशत रहा। बजट के अनुसार 1,000 करोड़ रुपए के आस्थगन के बाद रेलवे 1337 करोड़ रुपए के लाभांश का निपटान करने के अलावा सामान्य राजकोष से पूंजी निधि के वास्ते लिए गए 249 करोड़ रुपए के ऋण अदायगी करने में सफल रही।

वर्ष 2002-2003 के वित्तीय निष्पादन की समीक्षा

2002–2003 के बजट में 510 मिलियन टन प्रारंभिक राजस्व उपार्जक यातायात का अनुमान लगाया गया था। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में निष्पादन समानुपातिक लक्ष्य से अधिक रहा है। तदनुसार, वर्ष के संशोधित अनुमानों में प्रारंभिक राजस्व उपार्जक यातायात के लक्ष्य को बढ़ाकर 515 मिलियन टन किया गया है। दूसरी ओर, दिसम्बर, 2002 के अंत तक यात्रियों की संख्या में लगभग 3 प्रतिशत की कमी आई है।

माल यातायात से होने वाली आमदनी 26,118 करोड़ रुपए के बजट लक्ष्य से 540 करोड़ रुपए अधिक होने की संभावना है जबकि यात्री यातायात से आमदनी 13,450 करोड़ रुपए के बजट लक्ष्य की तुलना में 720 करोड़ रुपए कम होने की संभावना है। अन्य कोचिंग और फुटकर आमदनी के मिलकर बजट लक्ष्य से 24 करोड़ रुपए कम होने की संभावना है। रेल उपयोगकर्ताओं, विशेषकर विद्युत बोर्डों द्वारा रेलों को देय राशि में लगातार वृद्धि होने से गैर–वसूली वाली राशि में बजट में निर्धारित 50 करोड़ रुपए के निपटान के बजाय 417 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए, बजट के अनुसार 41,538 करोड़ रुपए की सकल यातायात प्राप्तियां संशोधित अनुमानों में घटकर 40,867 करोड़ रुपए हो गई हैं।

लगातार नजर रखने और मितव्ययिता के अथक प्रयासों के कारण साधारण संचालन व्यय में 850 करोड़ रुपए की कमी आने की संभावना है। तदनुसार, संचालन व्यय के लिए 31,160 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान 30,310 करोड़ रुपए है।

बजट में अनुमानित 94.4 प्रशितात परिचालनिक अनुपातिक (आपरेटिंग रेशियो) संशोधित अनुमान में सुधर कर 92.5 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

वर्ष के लिए लाभांश दायिता का पूर्णरूपेण निर्वाह करने के अलावा, आरथगित लाभांश दायिता राशि में से 50 करोड़ रुपए का भी भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है।

ग्राहक संतुष्टि

महोदय, भारतीय रेल के 150वें वर्ष को हम "यात्री सुविधा वर्ष" के रूप में मना रहे हैं। मौजूदा वर्ष में भारतीय रेल की राष्ट्र को गौरवशाली सेवा के 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर भारतीय रेल अपने ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिनके सतत सहयोग से इस विशाल तंत्र का सर्वांगीण विकास हो पाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रेल से आत्मीय संबंध था। बापू ने कहा था कि ग्राहक हमारे परिसर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अतः ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम कर्तव्य है...*(व्यवधान)* और इसी कारण मैं वर्ष 2003–2004 ग्राहकों को समर्पित करते हुए इसे "ग्राहक संतुष्टि वर्ष" घोषित करता हूं। इस वर्ष संरक्षा, सुरक्षा, समय–पालन तथा सफाई से संबंधित अनेक कदम उठाए जाएंगे ताकि ग्राहकों को रेल की बेहतर सेवा से संतोष मिल सके।

संरक्षा

मैं सदन के भीतर और बाहर रेल परिचालन में संरक्षा के विषय पर व्यक्त चिंता से अवगत हूं। संसद के विगत शरदकालीन सत्र के दौरान मेरे द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में इस सत्र के दौरान संरक्षा से संबंधित हर पहलू को शामिल करते हुए एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण मानवीय चूक है। इस संदर्भ में, संरक्षा कोटियों में ग्रुप 'डी' स्तर पर कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए इस श्रेणी की रिक्तियों का भरा जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसी 20,000 से अधिक रिक्तियों को रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से अगले एक वर्ष में भर दिया जाएगा। कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने में प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। रेलवे संरक्षा संबंधी प्रशिक्षण में सतत सुधार के लिए कटिबद्ध है तथा इसके

[श्री नीतीश कुमार]

लिए सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों, सात पर्यवेक्षी प्रशिक्षण केन्द्रों और आठ केन्द्रीय इंजीनियरी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं को यथोचित रूप से समुन्नत किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के माड्यूल भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए 41 करोड़ रुपए की लागत से नए कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

टक्कर-रोधी उपकरण (ए.सी.डी.)

टक्कर–रोधी उपकरण (ए.सी.डी.) देश में विकसित माइक्रोप्रोसेसर–युक्त उपकरण है, जिसके द्वारा गाड़ियों की आपस की टक्कर को रोका जा सकता है। रेल इंजनों, ब्रेकयानों, स्टेशनों और समपार फाटकों पर लगाए जाने के बाद ये ए. सी.डी. आपस में नेटवर्क स्थापित कर टक्कर होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देते हैं।

उत्तर रेलवे के जालंधर–अमृतसर खंड पर इस उपकरण के व्यापक परीक्षण 19 जनवरी, 2003 को सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। अब भारतीय रेल में इस उपकरण को लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस सिलसिले में 1,800 मार्ग किलोमीटर पर इसके प्रतिस्थापन तथा 1,641 मार्ग किलोमीटर पर सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। वर्ष 2003–2004 में इस कार्य को तीव्र गति प्रदान करने के लिए 10,000 मार्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण तथा, 1,750 मार्ग किलोमीटर पर इस उपकरण को लगाने का प्रस्ताव है।

सतत रेलपथ परिपथन

सतत रेलपथ परिपथन करने से रेल/वेल्ड फ्रैक्चर या तोड़–फोड़ की कार्यवाही के कारण रेलपथ में हुए विखण्डन का पता लगाया जा सकता है। इससे समय पर एहतियाती कार्रवाई करने का अवसर मिल जाता है और संभावित दुर्घटना को बचाया जा सकता है। इससे समपारों पर भी संरक्षा सुधरेगी तथा लाइन क्षमता भी बढ़ेगी। स्टेशन लिमिट में ट्रैक सर्किटिंग का काम चल रहा है। अब "ए", "बी" और "सी" मार्गों के चुने हुए खंडों पर 425 करोड़ रुपए की लागत से सतत रेलपथ परिपथन के काम को इस बजट में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

पुल

पुलों के निरीक्षण और प्रबंधन प्रणाली को समुन्नत बनाने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए जल के भीतर निरीक्षणों, आधुनिकतम उपकरणों के साथ कंप्यूटरीकृत गैर–विनाशक परीक्षण और एक आधुनिक पुल–प्रबंधन प्रणाली पर काम शुरू किया जा चुका है।

सवारी डिब्बों को टक्कर-रोधी बनाना

रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को चोट लगने की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए सवारी डिब्बों को इस प्रकार से पुनः डिजाइन किया जा रहा है कि उनके भीतरी हिस्से में कोई तेजधार वाले मोड़ या कोने न हों और खतरे की संभावनाओं वाली जगहें यथोचित रूप से पैड युक्त हों। टक्कर होने की दशा में सवारी डिब्बों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने की स्थिति से बचने के लिए, कसे हुए लॉक वाले कपलर को उत्तरोत्तर रूप से लगाया जा रहा है और साथ ही सवारी डिब्बों के छोरों को इस प्रकार पुनः डिजाइन किया जा रहा है कि टक्कर का पूरा प्रभाव वहीं तक सिमट कर रह जाए जिससे यात्रियों वाले हिस्से को कोई नुकसान न हो।

विशेष रेल संरक्षा निधि से किया जाने वाला खर्च–वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति

वर्ष 2001–2002 के दौरान विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत 1,400 करोड़ रुपए आवंटन की तुलना में वास्तविक खर्च 1,434 करोड़ रुपए (नेट) हुआ। संरक्षा अधिभार की वसूली में लक्ष्य से 95 करोड़ रुपए की कमी रही, अतः इन दोनों मदों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त 129 करोड़ रुपए रेलवे के राजस्व से उपलब्ध कराए गए थे। चालू वर्ष में विशेष रेल संरक्षा निधि के लिए कुल शुद्ध आवंटन बजट अनुमानों के अनुसार 2,210 करोड़ रुपए था, जिसमें 1,350 करोड़ रुपए सामान्य राजस्व से अंशदान के रूप में थे और 860 करोड़ रुपए संरक्षा अधिभार के रूप में प्राप्त करके उपलब्ध कराए गए थे। विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत संरक्षा कार्यों की प्रगति बनाए रखने के लिए संशोधित अनुमानों में 100 करोड़ रुपए की और वृद्धि की गई है। इस अतिरिक्त राशि का प्रावधान तथा चालू वर्ष की संरक्षा अधिभार वसूली में लगभग 200 करोड़ रुपए की कमी को रेलवे के अपने राजस्व से पूरा किया जा रहा है।

वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में मैं सूचित करना चाहूंगा कि लगभग 5400 कि.मी. लम्बे रेलपथ के नवीकरण का कार्य भी इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाएगा। लगभग 745 पुलों के पुनः उद्धार का कार्य चालू वित्त वर्ष के अन्त तक कर लिया जाएगा। अभी तक 298 स्टेशनों पर सिगनल उपकरणों के बदलाव का काम पूरा कर लिया गया है। इसी प्रकार, विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत 1350 रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की जा चुकी है।

सुरक्षा

आर.पी.एफ. को अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए रेल सुरक्षा बल अधिनियम तथा रेल अधिनियम के संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को संबद्ध मंत्रालयों से सक्रिय विचार-विमर्श कर अंतिम रूप दिया जा रहा है।

रेल सुरक्षा बल तथा रेल सुरक्षा विशेष बल को सुदृढ़ करने के लिए 3,500 से अधिक कांस्टेबुल की नियुक्ति रेल भर्ती बोर्ड द्वारा वर्ष 2003-2004 में की जाएगी।

समय पालन

यात्री सेवाओं के समय पालन में और सुधार लाने के लिए हमारे निगरानी तंत्र को और सुचारू एवं सुदृढ़ बनाए जाने का प्रस्ताव है। अनिवार्य बाध्यताओं (Force Majeure) को छोड़कर यात्री सेवाओं के समय पालन को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों को नियंत्रित करने के लिए निगरानी तंत्र को और सुचारू एवं सुदृढ़ बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु एक नई कंप्यूटरीकृत कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली (सी. ओ.आई.एस.) को प्रारंभ किया जा रहा है।

स्वच्छता अभियान

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्टेशन परिसरों तथा रेलगाड़ियों में बेहतर सफाई सुनिश्चित करने के लिए "ऑपेरशन स्वच्छता" की घोषणा की है। इसके लिए कार्य योजना बनाने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। रेलवे में सफाई का कार्य कई विभागों की जिम्मेदारी होती है। सफाई के काम में सफाई लाने के लिए एकल नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता है। सफाई के क्षेत्र में रेलों में उपलब्ध मानव तथा मशीनी संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ-साथ ऊंची लागत वाली मशीनों की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिए निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा।

यात्री सुविधाएं

अनारक्षित टिकट प्रणाली संबंधी दिल्ली में चलाई गई पायलट परियोजना के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए इस प्रणाली को उत्तर रेलवे के अन्य क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर, पूर्व मध्य, पूर्व एवं पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

यात्रा नहीं कर पाने की स्थिति में गाड़ी छूटने के बाद आरक्षित टिकटों का रिफंड लेना यात्रियों के लिए अभी भी एक समस्या है। अतः वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त गाड़ी के गंतव्य तक पहुंच जाने के तीन घंटे के बाद किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र से देय राशि का रिफंड लेने की सुविधा यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

आरक्षित अथवा आर.ए.सी. टिकट खो जाने की स्थिति में आरक्षण चार्ट के तैयार होने से पहले, दूरी और गाड़ी की किस्म के आधार पर, पूरे किराए के 10 प्रतिशत या 50 प्रतिशत भुगतान करने पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जा सकता है। एक ग्राहकोपयोगी उपाय के रूप में यह प्रस्ताव है कि इस प्रकार जारी किए गए डुप्लीकेट टिकट का प्रभार ऐसे टिकट पर की गई यात्रा की समाप्ति पर गंतव्य स्थान पर स्थित पी.आर.एस. केन्द्र से वापस लिया जा सकता है।

रेल की भागीदारी बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय

बंगलौर में व्हाइटफील्ड टर्मिनल पर एकीकृत भण्डारण सुविधा के उपयोग से प्रोत्साहित होकर अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के एकीकृत रेल साइड भंडारण परिसरों के विकास के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम को महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में शामिल करने हेतु एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का विचार है।

महाप्रबंधकों को माल-भाड़े में रेलवे की हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए उन्हें स्टेशन से स्टेशन दरों के अन्तर्गत 10 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक रियायतें देने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं व इसकी परिधि में माल भेजने वालों के साथ-साथ माल प्राप्त करने वालों को भी शामिल किया जा सकता है।

रेलवे द्वारा निर्धारित समय सारिणी वाली अनुसूचित पांच पार्सल गाड़ियां प्रति सप्ताह चलाई जा रही हैं। जिनमें से तीन गाडियां दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई से गुवाहाटी तक जाती हैं। दिल्ली से कोलकाता तथा दिल्ली से बंगलौर एक-एक गाड़ी चलती है। अब इनके अतिरिक्त अमृतसर से मुम्बई बरास्ता दिल्ली, दिल्ली से गुवाहाटी बरास्ता मुरादाबाद, लखनऊ और गोरखपुर तथा मुम्बई से कोलकाता के लिए भी ऐसी ही पार्सल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है।

रेफ्रिजरेटेड यान

जैसा कि पिछले वर्ष के रेलवे बजट में घोषणा की गई थी, रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला में रेफ्रिजरेटेड यान के प्रोटो-टाइप का निर्माण कर लिया गया है। नश्य (पेरिशेबल) वस्तुओं की दुलाई के लिए वर्ष 2003-2004 में दस रेफ्रिजरेटेड यान लम्बी दूरी की लोकप्रिय सवारी गाड़ियों के साथ चलाए जाने का प्रस्ताव है।

[श्री नीतीश कुमार]

यात्रियों को रियायतें

हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को सभी श्रेणियों में और सभी गाड़ियों के किरायों में 30 प्रतिशत रियायत दी जा रही है। यह रियायत 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों और 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु की महिलाओं को दी जाती है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पुरुष और महिला दोनों वरिष्ठ नागरिक वाली रियायत पाने के पात्र होंगे।

कैंसर और 'थेलेसीमिया मेजर' के रोगी तथा ह्रदय की शल्य की चिकित्सा के लिए रेल यात्रा करने वाले रोगी को अकेले या परिचर के साथ यात्रा करने के वास्ते पहले और दूसरे दर्जे में 75 प्रतिशत रियायत मिलती है। अब इस सुविधा में विस्तार करते हुए उन्हें मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूल–3 टियर और वातानुकूल कुर्सीयान में भी 75 प्रतिशत और वातानुकूल प्रथम श्रेणी और वातानुकूल 2–टियर में 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। गुर्दे की खराबी वाले रोगी भी इलाज के लिए रेल यात्रा करने पर उपरोक्त रियायत के पात्र होंगे।

मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को इस समय प्रति वर्ष/एक्सप्रेस गाड़ियों की सभी श्रेणियों में, 30,000 किलोमीटर तक यात्रा करने के लिए 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। बशर्ते कि वे संबंधित राजधानी अथवा जिला मुख्यायलय से 25 किलोमीटर की दूरी के भीतर हो। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस रियायत के लिए यात्रा दूरी की सीमा तथा उनके रहने के स्थान की सीमा को हटाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को अब राजधानी और शताब्दी गाड़ियों में भी 30 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।

राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में चलती गाड़ियों में सार्वजनिक उद्घोषणाएं करने और संगीत प्रसारित करने के लिए मौजूदा संचार प्रणाली को जनशताब्दी गाड़ियों में भी लगाया जाएगा। ऐसी सभी गाड़ियों में अब मौसम और प्रहर के अनुरूप सिर्फ वाद्य संगीत ही प्रसारित करने की नीति अपनाने का निर्णय लिया गया है।

अन्य पहलकदमियां

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के साथ संयुक्त उपक्रम

जैसा कि पिछले वर्ष सूचित किया गया था, रेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के साथ कैप्टिव ताप बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस प्रयोजन के लिए गठित संयुक्त परियोजना समिति, जिसमें एन.टी.पी.सी. और रेलवे का प्रतिनिधित्व है, ने चार विभिन्न स्थानों की जांच करने के बाद 1,000 मेगावाट के ताप बिजलीघर की स्थापना के लिए नबीनगर की अनुशंसा की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अब रेलवे तथा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम का एक संयुक्त उपक्रम बनाने का प्रस्ताव है।

बायो-डीजल

रेलवे वैकल्पिक ईंधन के स्रोतों की संभावनाओं पर भी काम कर रही है इसके लिए रेल पटरियों के दोनों ओर रतन जोत पौधों को लगाने का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। रतन ज्योत के पौधों से एक साधारण और कम खर्चीली शोधन प्रक्रिया से बायो–डीजल निकाला जा सकता है जिसे हमारे रेल इंजनों में इस्तेमाल किए जाने वाले डीजल तेल में आसानी से मिलाया जा सकता है। यह उपाय न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि इससे रेलवे के ईंधन व्यय को कम करने में मदद मिलेगी।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के साथ एक पायलट परियोजना के लिए 12.02.2003 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके तहत वे रेलवे भूमि पर रतन जोत के पौधों को उगाएंगे और उनसे प्राप्त तेल की बिक्री वापस रेलवे को ही करेंगे।

नए जोनों और मंडलों का गठन

सात नए जोनों और आठ नए मंडलों को परिचालित करने के निर्णय से माननीय सदस्य अवगत हैं। उत्तर–पश्चिम रेलवे जयपुर और पूर्व–मध्य रेलवे हाजीपुर ने 01.10.2002 से अपना काम शुरू कर दिया है। शेष पांच नए जोनों अर्थात पूर्व–तटीय रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर–मध्य रेलवे इलाहबाद, दक्षिण पूर्व–मध्य रेलवे बिलासपुर, पश्चिम–मध्य रेलवे जबलपुर तथा दक्षिण–पश्चिम रेलवे हुबली तथा आठ नए मंडलों जिनका मुख्यालय आगरा, अहमदाबाद, गुंतूर, नांदेड़, पुणे, रांची, रंगिया और रायपुर में होगा, 01.04.2003 से परिचालित कर दिए जाएंगे। इन नए जोनों व मंडलों में क्रमशः महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक स्तर के विशेष कार्य अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 01.10.2002 को परिचालित दो नए जोन अर्थात उत्तर पश्चिम रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे बेहतर कार्यकुशलता के साथ काम कर रहे हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसंधान और विकास

कार्यकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए 01.01.2003 से आर.डी.एस.ओ. को रेलवे बोर्ड के 'संबद्ध कार्यालय' के स्थान पर 'जोनल रेलवे' का दर्जा दिया गया है।

सुधार कार्यक्रम

भारतीय रेल को ग्रहाकोन्मुखी संगठन का स्वरूप प्रदान करने के लिए लेखा प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रस्ताव है। इस सिलसिले में वर्तमान लेखा नीतियों और पद्धतियों का पुनरीक्षण तथा पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत लेखा और प्रबंध सूचना प्रणाली लागू करने की योजना है ताकि यात्री एवं माल सेवाओं से संबंधित लागत आंकड़े वाणिज्यिक आधार पर निकाले जा सकें।

हमारी उत्पादन इकाइयां भारतीय रेल की जरूरतों को ही मुख्यतः पूरा करती रही हैं। अत्याधुनिक टेक्नालॉजी हासिल कर लेने के बाद रेलवे उत्पादन अब प्रतिस्पर्धी बन सकती हैं और वे विश्व बाजार में अपना स्थान बना सकती हैं बशर्ते उन्हें अपेक्षित रणनीति अपनाने और निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रदान की जाए। उत्पादन इकाइयों को इस दृष्टिकोण से सक्षम बनाने के लिए उनकी पुनर्संरचना स्वतंत्र लागत तथा लाभ केन्द्र के रूप में करने का प्रस्ताव है।

परियोजनाएं

राष्ट्रीय रेल विकास योजना

15 अगस्त, 2002 को घोषित 15000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली राष्ट्रीय रेल विकास योजना 26 दिसंबर, 2002 को माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा औपचारिक रूप से आरंभ की जा चुकी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा संसाधन जुटाने के लिए कंपनी एक्ट के तहत 'रेल विकास निगम लिमिटेड' नामक एक कंपनी का सृजन किया गया है। चिह्नित की गई उप-परियोजनाओं के माध्यम से स्वर्णिम चतुर्भुज तथा इसके विकर्णों को मजबूत बनाने के कार्यों पर लगभग 8000 करोड़ रुपए की लागत आएगी जो इस योजना का प्रमुख भाग होगा। एशियन विकास बैंक द्वारा इसके लिए 31.36 करोड़ अमेरिकी डालर का आंशिक ऋण मंजूर किया गया है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः स्वर्णिम चतुर्भज को मजबूत बनाने के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाएगा। चार महासेतु के निर्माण तथा राष्ट्रीय रेल विकास योजना की अन्य परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत शुरू की गई है। पोर्ट कनेक्टिविटी के अंतर्गत परियोजनाओं की पहचान की गई है और इसके लिए विभिन्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी संबंधी पहलकदमियों के माध्यम से और बजटीय सहयोग से संसाधन जुटाने का प्रस्ताव है।

महोदय जैसा कि मेरे पिछले वर्ष के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, तीन महासेतु-यथा ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील में, गंगा नदी पर-एक पटना में और एक मुंगेर में-का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। मुझे सदन को यह भी सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कोसी नदी पर बनने वाले चौथे महासेतु के लिए सरकार से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इस कार्य को प्रस्तुत बजट में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय तथा सामरिक परियोजनाएं

माननीय प्रधान मंत्री ने श्रीनगर के अपने दौरे के दौरान घोषणा की थी कि कश्मीर घाटी में पहली गाड़ी 15 अगस्त, 2007 तक चलनी शुरू हो जाएगी। ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला परियोजना की महत्ता को स्वीकार करते हुए कार्य हेतु 2003-2004 के लिए 500 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। ऊधमपुर-कटरा तथा काजीगुंड-बारामूला खंडों का कार्य पहले से ही चल रहा है। कटरा-काजीगुंड खंड एक दुर्गम क्षेत्र है जिसमें अनेक लम्बी सुरंगों, लम्बे तथा ऊंचे पुलों के निर्माण के लिए विशेष स्थल सर्वेक्षण की जरूरत पड़ेगी। कार्य की दुरूहता को देखते हुए इस खंड के निर्माण का कार्य तकनीकी दृष्टि से सक्षम दो संगठनों यथा इरकॉन और कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है जबकि सर्वेक्षण का कार्य राइट्स को दिया गया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जम्मू-ऊधमपुर की काफी समय से लंबित परियोजना ने अच्छी गति पकड़ ली है और मार्च, 2004 तक इसे पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा कटरा तक रेल लिंक का कार्य 2004-2005 के दौरान पूरा कर लेने की संभावना है।

सामरिक महत्व की दो परियोजनाओं अर्थात लूनी से मुनाबाव के आमान परिवर्तन और कोलायत से फलोदी तक नई लाइन के निर्माण का कार्य भी संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है और समदड़ी तक आमान परिवर्तन का कार्य पूरा कर लिया गया है।

चालू वर्ष के दौरान 1300 किलोमीटर से ज्यादा नई बड़ी लाइन उपलब्ध हो जाने की संभावना है। इसके अलावा, 2003-2004 में लगभग 1340 किलोमीटर नई बड़ी लाइन जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

[श्री नीतीश कुमार]

नई लाइनें

महोदय, मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुमारघाट–अगरतला नई लाइन परियोजना का कुमारघाट–मानु खंड पहले ही पूरा कर लिया गया है और 27.12.2002 को इसे यात्री सेवाओं के लिए खोल दिया गया है। फतुहा–इस्लामपुर के पुनर्स्थापन का कार्य भी पूरा का लिया गया है। दरौंधा–महाराजगंज के पुनर्स्थापन और कटरा–फैजाबाद तथा जोरुली–क्योंझर नई लाइनों का काम वर्ष के दौरान पूरा कर लिए जाने की आशा है। इसके अलावा, दौलतपुर–मलिकपुर तथा बाजकुल–नचेंदा का कार्य भी मार्च, 2003 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इन लाइनों के शेष लक्षित भाग अर्थात मलिकपुर से बालुरघाट और नचेन्दा से कांठी का कार्य जून, 2003 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

2003–2004 में 225 किलोमीटर नई लाइन का कार्य पूरा करने का रेलवे का प्रस्ताव है, जिसमें निम्नलिखित खंड शामिल हैं :

(i) पनवेल–करजत

(ii) आरा–सासाराम का सासाराम–नोखा खंड

(iii) लक्ष्मीकांतपुर–नामखना का काकदीप–नामखाना खंड

(iv) जम्मू–ऊधमपुर का बजालता–ऊधमपुर खंड

(v) नंगलडैम–तलवाड़ा का ऊना–चुरारु तकराला खंड

(vi) काकीनाड़ा–कोटिपल्ली पुनर्स्थापन

(vii) हावड़ा–आमटा का महेन्द्रलाल नगर–आमटा खंड

(viii) हासन–बंगलौर का हासन–श्रवणबेलगोला खंड

(ix) राजगीर–तिलैया का तिलैया–जगदीशपुर खंड

आमान परिवर्तन

वर्ष के दौरान बडालूर–वृद्धाचलम, धर्माबाद–निमाजाबाद तथा जनकमपेट–बोधन के आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चालू वर्ष के लिए 791 किलोमीटर के आमान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया था परन्तु लगभग 900 किलोमीटर आमान परिवर्तन होने की संभावना है। इसमें मिरज–लातूर का लातूर–रोड़ नई लाइन खंड, मंगलौर–कबाकपुत्तूर, विरुधनगर–राजपालयम, काटिपाडि–पकाला–तिरुपति, सुरेन्द्रनगर–पिपाबाव, राजकोट–जूनागढ़ और समदड़ी–जसई, जहां मेगा ब्लाक का कार्य चल रहा है, खंड शामिल हैं।

2003–2004 के दौरान 775 किलोमीटर से ज्यादा के आमान परिवर्तन का प्रस्ताव है, जिसमें निम्नलिखित खंड शामिल हैं :

(i) न्यू जलपाईगुड़ी–न्यू बोंगाईगांव का न्यू जलपाईगुड़ी/सिलिगुड़ी–समुकतला खंड

(ii) आगरा–बांदीकुई का बांदीकुई–भरतपुर

(ii) लूनी–मूनाबाव का जसई–मूनाबाव खंड

(iv) हासन–मैंगलौर का कबाकपुत्तूर–सुब्रह्मण्य रोड खंड

(v) विल्लुपुरम पांडिचेरी

(vi) क्विलोन–तिरूचेंदूर तथा विरुधनगर–तेनकासी का राजपालयम–तेनकासी खंड

(vii) सेलम–कुड्डालोर का वडालूर कुड्डालोर खंड

(viii) तंजावूर–विल्लुपुरम का तंजावूर–कुम्बाकोनम खंड

(ix) जबलपुर–गोंदिया का गोंदिया–बालाघाट खंड

(x) राजकोट वेरावल का सोमनाथ तक विस्तार सहित जूनागढ़–वेरावल खंड

(xi) धोला–भावनगर

इसके अलावा, मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि गुना–इटावा के भाग के रूप में भिंड–इटावा नई लाइन का निर्माण कार्य तथा मानसी–सहरसा के आमान परिवर्तन का काम अच्छी प्रगति कर रहा है और इसे 2004 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

दोहरीकरण

चालू वर्ष के दौरान लगभग 200 किलोमीटर दोहरीकरण का काम पूरा कर लिए जाने की संभावना है जबकि अगले वित्त वर्ष के लिए 340 किलामीटर का लक्ष्य रखा गया है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि पकनी–मोहोल तथा मानसी–महेशखुंट, रोहतक–जाखल, हापुड़–कानकाथर, साहिबाबाद–आनन्द विहार तीसरी तथा चौथी लाइन, अम्बातुराई–कोडाईकनाल, चेन्नई बीच–करूकुपेट, कटेया डांडी–लोहगड़ा, शुजालपुर–अकोड़िया, बरौनी–तिलरथ, बड़हरवा–तीनपहाड़, कायन–कुलम–चेप्पड़ तथा कायनकुलम–मवेलीकारा, जहानाबाद–बेला

तथा चांदपाड़ा–बनगांव के दोहरीकरण का कार्य बजट में शामिल किया गया है, इसके अलावा, रायचूर–गुंतकल, कटक–बरोंग, खुर्दा–बरोंग तीसरी लाइन तथा अलीगढ़–गाजियाबाद तीसरी लाइन के कार्य को भी शामिल किया गया है ताकि स्वर्णिम चतुर्भुज को सुदृढ़ता मिले। इन कार्यों के पूरा हो जाने से यातायात प्रवाह सुगम हो जाएगा और कुछ संतृप्त खंडों में अतिरिक्त क्षमता सृजित होगी।

मेगा टर्मिनल

महानगरों से नई गाड़ियां चलाने की निरन्तर मांग की जाती है। इस को पूरा करने में एक बड़ी कठिनाई टर्मिनल की तंगी है। इस समस्या से निजात पाने के लिए कोलकाता में चितपुर तथा दिल्ली में आनन्द विहार अतिरिक्त टर्मिनलों के लिए प्रस्ताव बजट में शामिल किए गए हैं।

उपनगरीय परिवहन परियोजना

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मुंबई शहरी परिवहन परियोजना, चरण–I के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत मुंबई नगर में रेल अवसंरचना को समुनन्त बनाने की परिकल्पना की गई है और इसका मुंबई उपनगरीय रेल प्रणाली में दैनिक यात्रियों की भीड़ के घनत्व को कम करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। इस परियोजना में 1613 करोड़ रुपए का ऋण अंश शामिल है, जिसे विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस कार्य के 5 वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।

मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अंधेरी से बोरीविली की पांचवीं लाइन के शेष भाग का काम पूरा हो गया है। विरार से दहानु रोड तक स्वचालित ब्लाक सिगनल प्रणाली का कार्य भी पूरा हो गया, जिससे खंड की लाइन क्षमता बढ़ी है।

22.12.2002 से बारासात–हसनाबाद खंड पर ई.एम.यू. सेवाएं चालू कर दी गई हैं। टॉलीगंज से गरिया तक कोलकाता मेट्रो के विस्तार का कार्य संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है। सर्कुलर रेलवे का प्रिंसेपघाट से माजेरहाट तक विस्तार तथा इसके नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हवाई अड्डे से संपर्क का कार्य दिसम्बर, 2004 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हाल ही में चेन्नई बीच से और चेन्नई एग्मोर तक आमान परिवर्तन का कार्य चालू किया गया है। ताम्बरम से चेंगलपट्टू तक के खंड का कार्य मार्च, 2004 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लोगों की जरूरत को देखते हुए चेन्नई सेन्ट्रल और चेन्नई एग्मोर के बीच सीधा संपर्क मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। इस संपर्क का लाभ दैनिक यात्रियों तथा लम्बी दूरी के यात्रियों दोनों को होगा और उन्हें इन दोनों स्टेशनों पर अनचाहे यानान्तरण से मुक्ति मिलेगी। जहां तक एम आर टी एस का संबंध है, तिरुमलाई से वल्लाचेरी खंड का कार्य जून, 2003 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

जुड़े हुए हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद नगरों के लिए मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली का कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। हैदराबाद–सिकन्दराबाद–फलकनुमा और हैदराबाद–लिंगमपल्ली खंडों में रेल अवसंरचना को समुन्नत करने का कार्य मार्च, 2003 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

कोलकाता में सर्कुलर रेलवे के स्टेशनों के सौंदर्यवर्द्धन की मांग की जाती रही है ताकि हुगली नदी के तट के साथ लगे क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ सके। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्टेशनों में वृक्षारोपण और स्टेशनों के बीच सजावटी फेंसिंग के साथ–साथ स्टेशनों की साज–सज्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि उनके चारों ओर का वातावरण मनोहारी हो सके।

रेल विद्युतीकरण

वर्ष के दौरान रेल विद्युतीकरण के कार्यों में संतोषजनक प्रगति हुई और जनवरी, 2003 तक 208 किलोमीटर मार्ग को ऊर्जान्वित किया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 375 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। मार्च, 2003 के अंत तक भारतीय रेल पर 16376 मार्ग किलोमीटर (25.98 प्रतिशत) का विद्युतीकरण हो जाएगा।

रेलवे भर्ती बोर्ड

अब तक रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा किए जाने वाले ग्रुप 'डी' की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी में ही तैयार किए जाने का प्रावधान है। चूंकि ग्रुप 'डी' में भर्ती रेलवे मंडलवार की जाती है, इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि उस रेलवे मंडल, जिसके लिए भर्ती की जानी है, में संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से स्थानीय स्तर पर प्रयुक्त होने वाली भाषा में भी प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। इससे सिर्फ ऐसी स्थानीय भाषा जानने वालों को भी रेलवे में ग्रुप 'डी' की नौकरी प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

[श्री नीतीश कुमार]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2001–2002 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा। 2001–2002 में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने 907 करोड़ रुपए का कारोबार किया और उसने 104 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। कंपनी ने 17. 3 करोड़ रुपए का लाभांश प्रदान किया। विदेशों में निर्माण ठेकों से विदेशी मुद्रा अर्जन में अधिकतम कारोबार करने के लिए कंपनी को ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया से निर्यात पुरस्कार प्राप्त हुआ। राइट्स लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभा दर्ज करते हुए वर्ष 2001–2002 के दौरान 283 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक कारोबार किया और 3.75 करोड़ रुपए का लाभांश भुगतान किया। भारतीय कंटेनर निगम (कनकोर) ने 249.85 करोड़ रुपए का अर्जन करते हुए 1286 करोड़ रुपए का कारोबार किया तथा 41 करोड़ रुपए का लाभांश प्रदान किया। वर्ष 2001–2002 के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम (आई आर एफ सी) ने 292 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया और 100 करोड़ रुपए का लाभांश भुगतान किया।

कोंकण रेल निगम

कोंकण रेल निगम ने अपने परिचालन में कुछ वृद्धि दर्ज की है और यह अपने संचालन व्ययों के लिए पर्याप्त राजस्व जुटाने में भी समर्थ रही है, परन्तु निर्माण के चरण में लिए गए ऋण और उस पर ब्याज दायिता को चुकाने के लिए निगम को पर्याप्त वित्तीय सहायता की अभी भी आवश्यकता है। क्षेत्र के लाखों लोगों और मालभाड़ा संचलन के लिए महत्वपूर्ण रेल लिंक होने के कारण रेल मंत्रालय इसकी ऋण सेवादायिता को पूरा करने के लिए निगम को निरंतर सहायता दे रहा है।

भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने वित्त वर्ष 2001–2002 के लिए रेल मंत्रालय को प्रथम लाभांश के रूप में 20 लाख रुपये दिए हैं। वर्ष 2002–2003 के दौरान, जो इसके परिचालन का पहला पूरा वर्ष है, आईआरसीटीसी द्वारा भारतीय रेल को 3.5 करोड़ रुपये दिए जाने की आशा है, जिसमें रियायत और लाइसेंस शुल्क तथा अन्य प्रभार शामिल हैं।

रेलटेल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

चालू वर्ष के दौरान रेलटेल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने बैंडविड्थ और अन्य दूरसंचार अवसंरचनाओं को पट्टे पर देकर 5.22 करोड़ रुपये अर्जित किए। चालू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा 12.5 करोड़ रुपये अर्जित किए जाने की संभावना है।

रेलटेल नेटवर्क के चरण–I और चरण–II को 2003–2004 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 150 महत्वपूर्ण नगरों और 1500 स्टेशनों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा जोड़े जाने की आशा है।

रेलटेल की नई दिल्ली स्टेशन पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंटरनेट कियोस्क मुहैया कराए जाने की योजना है। अगले वित्त वर्ष के दौरान एक चुनी हुई गाड़ी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंटरनेट सेवा मुहैया कराए जाने की भी योजना है।

कार्मिक संबंध

वर्ष के दौरान भारतीय रेलों पर कार्मिक संबंध शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण रहे। स्थाई वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र योजनाओं के अन्तर्गत सभी स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र संतोषजनक रहा है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी, आदरणीय उप प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने रेल कर्मियों की लम्बे समय से लंबित दो समस्याओं का समाधान कर दिया है। रेलवे प्रमोटी अधिकारियों के वेतनमानों को सुधारने तथा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से रेलवे के संगठित लेखा संवर्ग के वेतनमानों में विसंगति को दूर करने का निर्णय ले लिया गया है। इन दोनों निर्णयों से इस संगठन का मनोबल ऊंचा करने में मदद मिलेगी।

खेलकूद

चालू वर्ष के दौरान भारतीय रेल का खेलों में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है।

रेलवे के खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में चार स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदक जीते हैं। इसी प्रकार एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए कुल 35 पदकों में से रेलवे खिलाड़ियों ने 13 पदक (6 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य) जीते हैं। मैं श्रीमती नीलम जे. सिंह का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने चीनी एथलीट के 12 वर्ष पुराने रिकार्ड को तोड़कर बूसान एशियाई खेलों में "डिस्कस थ्रो" में स्वर्ण पदक

जीता। एथलैटिक्स में सुश्री के. एम. बीनामोल का प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा, जिन्होंने 2 स्वर्ण और एक रजत पदक जीते।

महोदय, अब मैं नई गाड़ियां, फेरों में वृद्धि और चालन क्षेत्र में विस्तार का उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष 2003–2004 में निम्नलिखित अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ियां चलाए जाने का प्रस्ताव है :

(i) सियालदह–आसनसोल बरास्ता बर्धमान (प्रतिदिन)

(ii) जबलपुर–कोटा बरास्ता बीना (प्रतिदिन)

(iii) सूरत–मुंबई (बांद्रा) (प्रतिदिन)

(iv) आजमगढ़–दिल्ली बरास्ता लखनऊ (प्रतिदिन)

(v) सिकंदराबाद–सिरपुरकागजनगर बरास्ता काजीपेट (प्रतिदिन)

(vi) संबलपुर–रायपुर बरास्ता टिटलागढ़ (प्रतिदिन)

(vii) तिनसुकिया–मरियानी (प्रतिदिन)

(viii) चेन्नै इग्मोर–इरोड बरास्ता तिरूचिरापल्लि (प्रतिदिन)

(ix) जयपुर–उदयपुर बरास्ता अजमेर और चित्तौड़गढ़ (प्रतिदिन) (मीटर लाइन)

(x) बलिया–सियालदह बरास्ता बरौनी (प्रतिदिन)

(xi) गया–नई दिल्ली बरास्ता इलाहाबाद (प्रतिदिन)

(xii) विजयवाड़ा–सिकंदराबाद (प्रतिदिन)

(xiii) लखनऊ–आगरा कैंट (प्रतिदिन)

(xiv) रीवां–नई दिल्ली बरास्ता इलाहाबाद (प्रतिदिन)

(xv) चिरिमिरी–रीवां बरास्ता कटनी (प्रतिदिन)

(xvi) सेलम–बंगलोर (यशवंतपुर) (प्रतिदिन)

(xvii) जयनगर–नरकटियागंज (प्रतिदिन) (मीटर लाइन)

(xviii) न्यूअलीपुरदुआर–सिलीगुड़ी (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद

(xix) न्यूअलीपुरदुआर–न्यू जलपाईगुड़ी (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद

(xx) न्यू जलपाईगुड़ी–सिलीगुड़ी (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद

(xxi) भावनगर–अहमदाबाद (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद

(xxii) भावनगर–मुंबई (बांद्रा) (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद

(xxiii) लखनऊ–मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) बरास्ता झांसी (सप्ताह में तीन दिन)

(xxiv) जबलपुर–नागपुर बरास्ता इटारसी (सप्ताह में तीन दिन)

(xxv) अजमेर–मुंबई सेंट्रल (सप्ताह में तीन दिन)

(xxvi) इलाहाबाद–हरिद्वार बरास्ता प्रतापगढ़ और लखनऊ (सप्ताह में तीन दिन)

(xxvii) बंगलोर (यशवंतपुर)–निजामुद्दीन बरास्ता सिकंदराबाद (सप्ताह में तीन दिन)

(xxviii) वाराणसी–हावड़ा बरास्ता मुगलसराय और पटना (सप्ताह में तीन दिन)

(xxix) पुणे–नागपुर बरास्ता मनमाड (सप्ताह में दो दिन)

(xxx) टाटानगर–अमृतसर बरास्ता मुगलसराय एवं लखनऊ (सप्ताह में दो दिन)

(xxxi) दुर्ग–गोरखपुर बरास्ता बिलासपुर, कटनी एवं इलाहाबाद (सप्ताह में दो दिन)

(xxxii) बंगलोर–मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) बरास्ता हुबली और पुणे (सप्ताह में दो दिन)

(xxxiii) चेन्नै–देहरादून एवं चंडीगढ़ बरास्ता नई दिल्ली और सहारनपुर (साप्ताहिक)

(xxxiv) बीकानेर–सिकंदराबाद बरास्ता काजीपेट (साप्ताहिक)

(xxxv) पुरी–गुवाहाटी बरास्ता आसनसोल (साप्ताहिक)

(xxxvi) रांची (हटिया)–बंगलोर (यशवंतपुर) बरास्ता झारसुगुडा एवं विशाखापत्तनम (साप्ताहिक)

(xxxvii) पुणे–पटना बरास्ता इलाहाबाद (साप्ताहिक)

(xxxviii) भुवनेश्वर–बंगलोर (यशवंतपुर) बरास्ता विशाखापत्तनम (साप्ताहिक)

(xxxix) वास्को–चेन्नै बरास्ता हुबली (साप्ताहिक)

(xl) तिरूवनंतपुरम–जोधपुर बरास्ता मडगांव (साप्ताहिक)

[श्री नीतीश कुमार]

(xli) रांची–मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) बरास्ता राउरकेला और नागपुर (साप्ताहिक)

(xlii) चेन्नै–बंगलोर (साप्ताहिक)

(xliii) डिब्रूगढ़–अमृतसर बरास्ता वाराणसी और लखनऊ (साप्ताहिक)

(xliv) सियालदह–जयपुर बरास्ता टुंडला (साप्ताहिक)

(xlv) विजयवाड़ा–मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) बरास्ता वाडी (साप्ताहिक)

(xlvi) अहमदाबाद–धनबाद बरास्ता टुंडला, मुगलसराय एवं पारसनाथ (साप्ताहिक)

(xlvii) गुवाहाटी–सिकंदराबाद बरास्ता विजयवाड़ा (साप्ताहिक)

(xlviii) मुजफ्फरपुर–बंगलोर (यशवंतपुर) बरास्ता कटिहार और हावड़ा (साप्ताहिक)

(xlix) ओखा–गुवाहाटी बरास्ता वाराणसी और पटना (साप्ताहिक)

(l) इंदौर–नागपुर बरास्ता देवास और मकसी (साप्ताहिक)।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कुछ लोकप्रिय गाड़ियों के साप्ताहिक फेरे बढ़ाए जाएंगे, अब मैं उनका विवरण दे रहा हूं :

(i) 2313/2314 सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 4 दिन से 5 दिन

(ii) 2443/2444 भुवनेश्वर–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 दिन से 2 दिन

(iii) 2439/2440 रांची–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 दिन से 2 दिन

(iv) 2441/2442 बिलासपुर–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 दिन से 2 दिन

(v) 2129/2130 पुणे–हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 4 दिन से 5 दिन

(vi) 2561/2562 दरभंगा–नई दिल्ली स्वतन्त्रता सेनानी एक्सप्रेस 4 दिन से प्रतिदिन

(vii) 5025/5026 गोरखपुर–मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) गोदान एक्सप्रेस 1 दिन से 3 दिन

(viii) 4311/4312 बरेली–न्यू भुज आला हजरत एक्सप्रेस 2 दिन से 4 दिन

(ix) 7017/7018 सिकंदराबाद–राजकोट एक्सप्रेस 2 दिन से 3 दिन

(x) 2101/2102 मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस)–हावड़ा ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 3 दिन से 4 दिन

(xi) 5631/5632 गुवाहाटी–जोधपुर एवं बीकानेर एक्सप्रेस 1 दिन से 2 दिन

(xii) 2141/2142 पटना–मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) एक्सप्रेस 4 दिन से 6 दिन

(xiii) 2905/2906 हावड़ा–हापा एक्सप्रेस 1 दिन से 2 दिन।

मुझे निम्नलिखित सेवाओं के परिचालन में विस्तार की घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है :

(i) 2983/2984 जयपुर–दुर्ग एक्सप्रेस को बिलासपुर तक

(ii) 9113/9114 जम्मू तवी–अमृतसर एक्सप्रेस को फिरोजपुर तक

(iii) 7029/7030 हैदराबाद–एर्णाकुलम सबरी एक्सप्रेस को त्रिवेंद्रम तक सप्ताह में तीन दिन

(iv) 9169/9170 वाराणसी–अहमदाबाद एक्सप्रेस को ओखा तक

(v) 6512/6511 बंगलोर (यशवंतपुर)–दुर्ग एक्सप्रेस को बिलासपुर तक

(vi) 8611/8612 रांची–गढ़वा रोड एक्सप्रेस को वाराणसी तक

(vii) 6513/6514 बंगलोर (यशवंतपुर)–शोलापुर एक्सप्रेस को बीजापुर तक

(viii) 2905/2906 हावड़ा–हापा एक्सप्रेस को पोरबंदर तक

(ix) 6305/6306 एर्णाकुलम–कालीकट एक्सप्रेस को कन्नानूर तक

(x) 8189/8190 अल्लेपी–बोकारो एक्सप्रेस को धनबाद तक

(xi) 297/298 कोटा–ग्वालियर पैसेंजर को भिंड तक

(xii) 9503/9504 जामनगर–अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस को सूरत तक

(xiii) 9307/9308 इंदौर–ग्वालियर एक्सप्रेस को भिंड तक

(xiv) 8183/8184 दानापुर–बिलासपुर दक्षिण बिहार एक्सप्रेस को दुर्ग तक (प्रतिदिन)

(xv) 1/2 सी सी एम मिर्जापुर–चोपन पैसेंजर को शक्तिनगर और इलाहाबाद तक

(xvi) 409/410 बिलासपुर–शहडोल पैसेंजर को रीवां तक

(xvii) 3149/3150 सियालदह–न्यू जलपाईगुड़ी कंचन कन्या एक्सप्रेस को आमान परिवर्तन के बाद अलीपुरदुआर तक

(xviii) 1463/1464 जबलपुर–राजकोट एक्सप्रेस को आमान परिवर्तन के बाद वेरावल तक

(xix) 103/104 चेन्नै एग्मोर–विल्लुपुरम पैसेंजर को आमान परिवर्तन के बाद पांडिचेरी तक

(xx) 437/438 तथा 439/440 मनकापुर/कटरा के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियों को फैजाबाद तक

(xxi) 3467/3468 भागलपुर–पटना विक्रमशिला एक्सप्रेस को नई दिल्ली तक

(xxii) 2069/2070 रायगढ़–दुर्ग जनशताब्दी को डूंगरगढ़ तक

(xxiii) 9019/9020 मुंबई (बांद्रा)–देहरादून एक्सप्रेस के दिल्ली–कोटा कोचों को नीमच तक

(xxiv) 7225/7226 विजयवाड़ा–हुबली अमरावती एक्सप्रेस को सप्ताह में एक बार वास्को तक

निम्नलिखित खंडों पर एमईएमयू/डीईएमयू सेवाएं चलाने का प्रस्ताव करता हूं :

(i) पेंड्रा रोड–बिलासपुर

(ii) आद्रा–भागा

(iii) भोजूडीह–चन्द्रपुरा

(iv) जौनपुर–औंड़िहार

(v) आद्रा–मिदनापुर

(vi) विरार–दहानु रोड

(vii) मोकामा–पटना–बक्सर

(viii) आद्रा–पुरुलिया

(ix) भोजूडीह–भागा

(x) बिशनुपुर–आद्रा

(xi) आद्रा–भोजूडीह

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : केवल आद्रा आ रहा है।

श्री नीतीश कुमार : सब आपका है।

वार्षिक योजना 2003-2004

महोदय, मैं अब वर्ष 2003–2004 की वार्षिक योजना प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्ष 2003–2004 के लिए योजना परिव्यय 10,607 करोड़ रुपये रखा गया है। विशेष रेल संरक्षा निधि से संबंधित संरक्षा कार्यों के लिए 2,311 करोड़ रुपये के परिव्यय को देखते हुए कुल परिव्यय 12,918 करोड़ रुपये बनता है। यह पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 603 करोड़ रुपये ज्यादा है। वर्ष 2003–2004 के लिए सामान्य राजकोष से कुल 6,577 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जिसमें विशेष रेल संरक्षा निधि में अंशदान के 1,600 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त 433 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसमें नव सृजित रेल विकास निगम में विशिष्ट रूप से निवेश के लिए 730 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। वर्ष 2002–2003 के लिए ये आंकड़े 5,840 करोड़ रुपये थे जिसमें विशेष रेल संरक्षा निधि के लिए 1,350 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त 450 करोड़ रुपये शामिल थे।

[श्री नीतीश कुमार]

बजटीय सहायता के अलावा, रेलवे का योजना व्यय के लिए आंतरिक स्रोतों से 2,630 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने का प्रस्ताव है। यह राशि पिछले वर्ष के बजट में किए गए प्रावधान जितना ही है। योजना की शेष आवश्यकता बजटेतर स्रोतों से साधन जुटाकर पूरी की जाएगी, जिसमें 2,970 करोड़ रुपये भारतीय रेलवे वित्त निगम के माध्यम से बाजार से उधार लेकर और 30 करोड़ रुपये बीरमगाम–मेहसाणा आमान परिवर्तन कार्य में बी.ओ.टी. के रूप में निवेश के माध्यम से प्राप्त होंगे। विशेष रेल संरक्षा निधि के लिए केन्द्र सरकार के अंशदान के अतिरिक्त संरक्षा अधिभार से 711 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जिससे विशेष रेल संरक्षा निधि के अन्तर्गत कुल परिव्यय 2,311 करोड़ रुपये हो जाएगा।

महोदय, इस वर्ष पांच प्रमुख परियोजना शीर्षों में पूंजी के अन्तर्गत कुल परिव्यय 2,716 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें नई लाइनों पर 1,005 करोड़ रुपये, आमान परिवर्तन पर 703 करोड़ रुपये, दोहरीकरण के लिए 443 करोड़ रुपये और विद्युतीकरण के लिए 122 करोड़ रुपये शामिल है। महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए 443 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से मुंबई उपनगरीय परिवहन परियोजना के लिए बहु–पक्षीय वित्त पोषण शामिल है।

इसके अलावा, नई लाइनें, दोहरीकरण, आमान परिवर्तन तथा रेल विद्युतीकरण योजना शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिए, जो रेल विकास निगम द्वारा निष्पादित किए जाने हैं, 730 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं।

विशेष रेल संरक्षा निधि के अन्तर्गत दिए गए परिव्यय को शामिल करते हुए, संरक्षा से संबंधित योजना शीर्षों में रेलपथ नवीकरण के लिए 2,605 करोड़ रुपये, पुलों के लिए 302 करोड़ रुपये और सिगनल तथा दूरसंचार के लिए 689 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : वैशाली को रेल लाइन से जोड़ने की बात मंत्री जी बोल नहीं रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री यहां बैठे हैं। वैशाली भगवान महावीर की जन्म स्थली है। इसे रेल लाइन से जोड़ने की कई वर्षों से मांग हो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब इस विषय पर चर्चा होगी, उस समय आप बोलना। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसका शिलान्यास कब होगा? 6 वर्ष से टाल–मटोल हो रही है।

महोदय, अब में 2003–2004 के बजट अनुमानों की चर्चा करना चाहूंगा।

वर्ष 2003–2004 के दौरान रेलवे द्वारा 540 मिलियन टन राजस्व उपार्जक आरंभिक माल यातायात की ढुलाई किए जाने की आशा है, जो चालू वर्ष के दौरान 515 मिलियन टन ढोए जाने वाले संभावित यातायात से 25 मिलियन टन अधिक है और यह बढ़त पिछले कुछ वर्षों में ढोए गए माल यातायात की औसत बढ़त से अधिक है। अर्थव्यवस्था के रुझान और रेलवे द्वारा किए गए कई उपायों को देखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की आशा है। आरंभिक यात्री यातायात में लगभग 3 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक आमदनी होने की संभावना है। "अन्य कोचिंग संबंधी आमदनी" में 7 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। वर्ष 2003–2004 के लिए 'अन्य विविध आय' 990 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 5 प्रतिशत अधिक है।

इन अनुमानों पर सकल यातायात से प्राप्तियां 45,495 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 2,628 करोड़ रुपए ज्यादा है।

रेलवे का साधारण संचालन व्यय 32,460 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 7 प्रतिशत अधिक है। पेंशन निधि में विनियोग को 6,385 करोड़ रुपए रखा गया है। योजना संसाधन के लिए संभावित आवश्यकताओं के आधार पर मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में 2005 करोड़ रुपए के विनियोग का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार कुल संचालन व्यय 40,850 करोड़ रुपए होगा, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध यातायात प्राप्तियां 2,645 करोड़ रुपए की होंगी। शुद्ध विविध प्राप्तियां 888 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें विशेष रेलवे संरक्षा निधि को विनियोजित किए जा रहे यात्री किराए पर के अधिभार की वसूली के जरिए एकत्रित होने वाली राशि भी शामिल हैं। अतः शुद्ध राजस्व 3,533 करोड़ रुपए बनता है।

सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर के संबंध में रेलवे कन्वेन्शन कमिटी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इस बीच वर्ष 2003–2004 के लिए लाभांश की व्यवस्था वर्ष 2002–2003 के लिए लागू दर पर ही की गई है। इस आधार पर वर्ष 2003–2004 के लिए लाभांश दायिता 2,930 करोड़ रुपए बनती है। कुछ अन्य देय राशियों के साथ–साथ 2978

करोड़ रुपए की राशि सामान्य राजस्व को देय होती है। इस दायिता का पूरी तरह निर्वाह किया जाएगा।

उक्त अनुमानों से वर्ष के लिए योजना परिव्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंतरिक स्रोतों से पर्याप्त धन सृजित होने की संभावना है।

मालभाड़ा दरों तथा यात्री किरायों को प्रतिस्पर्धी बनाने तथा परिवहन क्षेत्र में रेलवे की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि टेरिफ को युक्तिसंगत और संतुलित बनाने की प्रक्रिया जारी रखी जाए। रेलवे की ओर ज्यादा यातायात आकर्षित करने के लिए मैं कुछ अन्य उपायों तथा सुधारों को प्रस्तावित करता हूं।

मालगाड़ी सेवाएं

महोदय, वर्ष 2002–2003 में मैंने मालभाड़ा दरों में समान रूप से कोई वृद्धि नहीं की। वर्ष 2003–2004 में किसी भी वस्तु के लिए मालभाड़ा दरों में वृद्धि करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मालभाड़ा संरचना को युक्तिसंगत बनाते हुए श्रेणियों की कुल संख्या 59 से घटाकर 32 की गई थी जिसमें श्रेणी–90 न्यूनतम और श्रेणी–300 उच्चतम रखी गई थीं। इस प्रकार युक्तिसंगत बनाई गई मालभाड़ा संरचना में उच्चतम और न्यूनतम मालभाड़ा दर का अनुपात 8.0 से घटाकर 3.3 किया गया था। श्रेणियों के अंतर को कम करने के लिए उच्चतम श्रेणी को श्रेणी–300 से घटाकर श्रेणी–250 करने का प्रस्ताव है। संशोधित वर्गीकरण में श्रेणियों की कुल संख्या 32 से घटकर 27 रह जाएगी और उच्चतम तथा न्यूनतम श्रेणियों के लिए माल भाड़ा दर का अनुपात भी 3.3 से और घटकर 2.8 हो जाएगा।

मालभाड़ा दरों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कुछ वस्तुओं, जिनमें रेलवे को ऊंची माल भाड़ा दरों के कारण कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, का वर्गीकरण घटाने का प्रस्ताव है। पेट्रोल के पूरी गाड़ी (ट्रेन लोड) संचलन को वर्गीकरण श्रेणी–280 से तीन वर्ग घटाकर श्रेणी–250 करने का प्रस्ताव है जिससे उसकी मालभाड़ा दरें 10.7 प्रतिशत कम होंगी। कुछ अन्य वस्तुओं के वर्गीकरण में दो वर्गों की कमी करने का प्रस्ताव है। इन वस्तुओं में हाई स्पीड डीजल तेल (एच.एस.डी.), भट्टी तेल, कच्चा तेल, नेफ्था, लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.), कौम्प्रेस्ड गैसें, लूब्रिकेटिंग तेल, लोहा और इस्पात, पिग आयरन, लोहा स्क्रैप, सीमेंट शीट, पेट्रोलियम कोक और सोडा राख शामिल हैं। टैंक वैगनों में ढोए जाने वाले कुछ तरल पदार्थ जैसे कि शीरा, डामर (बिटुमन), रिफाइंड तेल (डिवीजन ए) और गंधक तेजाब को भी उनकी मौजूदा श्रेणियों से दो वर्ग कम पर प्रभारित किए जाने का प्रस्ताव है। श्रेणी कम करने के कारण मालभाड़ा दरों में प्रस्तावित कमी 5.3 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत के बीच होगी। सीमेंट, क्लिंकर, मैगनीज अयस्क तथा कास्टिक सोडा तरल (टैंक वैगनों में) के वर्गीकरण में एक वर्ग की कमी करने का प्रस्ताव है जिससे मालभाड़ा दरों में लगभग 3.7 प्रतिशत की कमी होगी। चुनिंदा दूरियों के लिए मौजूदा तथा प्रस्तावित मालभाड़ा दरों के साथ इन वस्तुओं के पुनर्वर्गीकरण का ब्यौरा मालभाड़ा दरों तथा किरायों में समायोजन संबंधी बजट प्रस्तावों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन में दिया गया है।

वस्तुओं के कुछ ऐसे समूह हैं जिनके लिए उनके विभिन्न स्वरूप के आधार पर, जैसे कि ढेले, पाउडर आदि के लिए, विभिन्न श्रेणियां तय की गई हैं। ऐसी वस्तुओं के समूह के वर्गीकरण को, जो मालडिब्बों की पूरी वहन क्षमता तक लदान करने योग्य हैं, सरल बनाने की दृष्टि से प्रत्येक ऐसे समूह के लिए एक समान श्रेणी तय की जाएगी। लौह अयस्क के विभिन्न रूपों जैसे ढेलों, पाउडर, चूरा, गोलियां, आदि को इस समय श्रेणी–120 से श्रेणी–125 तक श्रेणीबद्ध किया गया है। अब उनके ट्रेनलोड के लिए श्रेणी–120 के अंतर्गत समान भाड़ा प्रभारित किया जाएगा। इसी प्रकार, अन्य चुनिंदा वस्तुओं के समूहों, जैसे मैंगनीज अयस्क, जिप्सम, बॉक्साइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट, सोपस्टोन तथा चाक के प्रत्येक समूह को एक समान श्रेणी में रखा जाएगा। इन वस्तुओं के समूहों के मौजूदा और प्रस्तावित वर्गीकरण के ब्यौरे मालभाड़ा दरों तथा किरायों में समायोजन संबंधी बजट प्रस्तावों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन में दिया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए रेलवे, विभिन्न सेक्टरों के लिए मालभाड़ा दरों में और कटौती करने के लिए अलग–अलग तेल कंपनियों के साथ दीर्घकालिक समझौते करने के लिए तैयार है बशर्ते रेलवे को दुलाई के लिए अतिरिक्त यातायात की गारंटीशुदा मात्रा की वचनबद्धता मिले।

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ ही औद्योगिकीकरण की प्रणाली में काफी परिवर्तन हो रहा है। उत्पादन केन्द्र, कच्चे माल के स्रोतों अथवा खपत केन्द्रों के निकट बन रहे हैं। रेलों द्वारा ढोई जाने वाली कुछ प्रमुख वस्तुओं की औसत दूरी धीरे–धीरे घट रही है और रेलवे को

[श्री नीतीश कुमार]

कम गमन दूरी के यातायात को हासिल करने के लिए विभिन्न उपाय करने होंगे। 1999-2000 के रेल बजट में 100 किलोमीटर न्यूनतम दूरी से कम के माल भाड़ा दरों में 25 प्रतिशत की रियायत प्रदान की गई थी क्योंकि प्रभार लगाए जाने के लिए न्यूनतम दूरी 100 कि.मी. है। इस उपाय के परिणाम सकारात्मक रहे और इससे रेलवे के लिए अतिरिक्त राजस्व मिला। अब श्रेणीकृत रियायतों की योजना के माध्यम से 100 कि.मी. तक की दूरी के लिए बुक होने वाले सभी यातायात के लिए मालभाड़ा प्रभार को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत 50 कि.मी. तक की दूरी के लिए बुक यातायात के लिए मालभाड़े में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। 51 कि.मी. से 75 कि.मी. तक के लिए 25 प्रतिशत रियायत और 76 कि.मी. से 90 कि.मी. के लिए 10 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। प्रस्तावित युक्तिकरण में इन सभी दूरी श्रेणियों के लिए प्रतिटन प्रति कि.मी. मालभाड़ा दर एक समान रहेगी।

रेल उपयोगकर्ताओं को यह विकल्प प्राप्त है कि वे भाड़ा प्रभार का भुगतान या तो बुकिंग के समय या गंतव्य स्टेशन पर सुपुर्दगी के समय करें। इस समय, बुकिंग के समय मालभाड़ा का भुगतान न किए जाने पर कोयले के अलावा सभी वस्तुओं के लिए सामान्य मालभाड़े पर 10 प्रतिशत का 'टु-पे' अधिप्रभार लगाया जाता है। कोयला यातायात के मामले में 15 प्रतिशत का 'टु-पे' अधिप्रभार लगाया जाता है। रेल उपयोगकर्ता इस अधिप्रभार को अत्यधिक मानते हैं। अतः कोयले के लिए 'टु-पे' अधिप्रभार को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत तथा अन्य सभी वस्तुओं के लिए 'टु-पे' अधिप्रभार को 10 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके लिए केवल वैगन लोड श्रेणी है। यह विनिश्चय किया गया है कि यदि किसी वस्तु जिसके लिए केवल वैगन लोड श्रेणी उपलब्ध है तब उसके लिए ट्रेन लोड श्रेणी वैगन लोड श्रेणी से एक स्तर कम तय की जाएगी। परिणामस्वरूप, अगर अब ऐसी कोई वस्तु ट्रेन लोड बुकिंग के लिए प्रस्तुत की जाएगी तो मालभाड़ा 4 प्रतिशत से लेकर 5.26 प्रतिशत तक कम हो जाएगा।

भारतीय रेल पर माल का संचालन मुख्यतः एक प्रारंभिक स्टेशन से एकल गंतव्य स्थल तक ब्लॉक रेक के रूप में किया जाता है। फिर भी, ग्राहकों के लिए वहन लागत कम करने की दृष्टि से एक आरंभिक स्टेशन से एक-दूसरे के निकट दो गंतव्य स्थलों तथा दो आरंभिक स्टेशनों से एक गंतव्य स्थल तक ब्लॉक रेक संचलन की भी अनुमति दी जा रही है। इस समय, ऐसे दो गंतव्य वाले ब्लॉक रेकों के लिए ट्रेन लोड वाली कम दरों का लाभ केवल सह गंतव्य स्थल तक के लिए ही प्राप्त है। अब यह विनिश्चय किया गया है कि दो गंतव्य वाले ब्लॉक रेकों के लिए परिवहन की समूची दूरी तक ट्रेन लोड वाली दरों का लाभ दिया जाएगा।

इस समय, एक साथ छह परेषणों (कन्साइनमेंट) को बड़ी लाइन के अठपहिए मालडिब्बे में ढोने की अनुमति है। बड़ी संख्या में व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए रेल परिवहन की व्यवस्था करने की दृष्टि से प्रत्येक अतिरिक्त रेलवे रसीद के लिए 100 रुपए का भुगतान करने पर बारह परेषणों को एक साथ ढोने की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है।

निजी साइडिंगों में तैनात रेल कर्मचारियों का वेतन परम्परागत रूप से साइडिंग मालिकों को प्रभारित किया जाता है। साइडिंग मालिकों को राहत देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलें निजी साइडिंग के मालिक को प्रभारित की जा रही रेल कर्मचारी की लागत को चरणबद्ध आधार पर कम करने हेतु व्यापक समीक्षा करेंगी।

अपनी साइडिंगों से प्रारंभिक यातायात द्वारा प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपए से अधिक माल आमदनी देने वाले साइडिंग मालिक रेलवे के विशिष्ट ग्राहक माने गए हैं। परिवहन में रेल का हिस्सा बढ़ाने की दृष्टि से विशिष्ट ग्राहकों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है। इन ग्राहकों द्वारा रेलों को पिछले वर्ष की तुलना में दी गई अतिरिक्त शुद्ध प्रारंभिक मालभाड़ा आमदनी के प्रत्येक पांच करोड़ रुपए के लिए 2 प्रतिशत की मालभाड़ा छूट दी जाएगी। यह छूट उन्हें प्राप्त किसी अन्य मालभाड़ा रियायत के अलावा दी जाएगी। यह प्रोत्साहन योजना श्रेणी-135 और इससे ऊपर की श्रेणियों में उल्लिखित वस्तुओं से प्राप्त शुद्ध अतिरिक्त प्रारंभिक मालभाड़ा आमदनी पर लागू होगी।

यात्री सेवाएं

महोदय, इस वर्ष यात्री किरायों में वृद्धि का मेरा प्रस्ताव नहीं है।

गत वर्ष, मेल/एक्सप्रेस, साधारण यात्री गाड़ियों तथा मासिक सीजन टिकटों (एमएसटी) के किराया ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया था। इस वर्ष, राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1995-96 में, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों

के लिए एक अलग किराया संरचना की गई थी जिनका मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां के किरायों के साथ कोई निश्चित संबंध नहीं है। अब राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों को मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के युक्तिसंगत किराए ढांचे के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के तदनुरूपी श्रेणी के किराए से समान आधार पर मूल किराए को 15 प्रतिशत अधिक निर्धारित किया जाएगा। यात्रा की आवश्यकता के अनुसार, खानपान सेवाओं के प्रभार मूल किराए में जोड़ दिए जाएंगे। महोदय, इस युक्तिकरण के फलस्वरूप, राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की विभिन्न श्रेणियों के मूल किराए अधिकांश स्टेशनों के लिए कम होंगे। अपवाद स्वरूप कुछ स्टेशनों के लिए मामूली रूप से अधिक होंगे लेकिन वैसी स्थिति में वर्तमान किराए लागू रहेंगे। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के आरम्भ से गन्तव्य तक के मौजूदा और प्रस्तावित किरायों के ब्यौरे, रेल बजट में मालभाड़ा दरों तथा किरायों में समायोजन संबंधी बजट प्रस्तावों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन में दिया गया है।

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष है कि पिछले वर्ष के रेल बजट में घोषित की गई सभी सोलह जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को चला दिया गया है। जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किराया ढांचे को सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों से 10 प्रतिशत अधिक रखा गया था। इसके अलावे टिकट किरायों में, खानपान सेवाओं के लिए अतिरिक्त प्रभार भी शामिल थे। जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को और लोकप्रिय बनाने के लिए इनके मूल किरायों का सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के तदनुरूपी श्रेणी के किरायों के वर्तमान 10 प्रतिशत आधिक्य को घटाकर 5 प्रतिशत के स्तर पर रखने तथा इन गाड़ियों में खानपान सेवाओं को वैकल्पिक बनाने का प्रस्ताव है।

यात्रियों को लाभ पहुंचाने तथा रेलों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए गैर-व्यस्त काल के दौरान किराया घटाने की अवधारणा को कुछ चुनी हुई गाड़ियों में लागू करने का प्रस्ताव है। प्रयोग के तौर पर इस वर्ष 15 जुलाई से 15 सितम्बर की अवधि के दौरान सभी राजधानी गाड़ियों के वातानुकूल प्रथम श्रेणी और वातानुकूल द्वितीय श्रेणी के मूल किरायों में 10 प्रतिशत की कमी की जाएगी।

इस समय, यदि कोई प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्री, राजधानी अथवा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी में चढ़ जाता है, तो उससे टिकट किराए के बराबर अतिरिक्त किराया प्रभारित किया जाता है। यह महसूस किया गया है कि इस दण्ड प्रभार को बदलने की आवश्यकता है। यह विनिश्चय किया गया है कि मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में चढ़ने वाले प्रतीक्षा-सूचीबद्ध यात्रियों से संबंधित नियम अब राजधानी, शताब्दी तथा जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के प्रतीक्षा-सूचीबद्ध यात्रियों के लिए भी लागू होंगे।

पार्सल एवं सामान सेवा

पार्सल एवं सामान यातायात की बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने और विभिन्न गाड़ियों द्वारा पार्सलों को ढोले के लिए उपलब्ध परिवहन क्षमता के उपयोग को अनुकूलतम बनाने के लिए, पार्सल एवं सामान यातायात की बुकिंग हेतु दर संरचना को युक्तिसंग बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस समय, पार्सलों पर वस्तुओं की किस्म के आधार पर सात विभिन्न स्तरों के आधार पर प्रभार लगाया जाता है। अब यह प्रस्ताव है कि सामान सहित सभी प्रकार की वस्तुओं पर ग्राहक द्वारा चुनी गई सेवा की किस्म के आधार पर चार स्तरों समान रूप से एक ही दर से प्रभार वसूला जाएगा। सर्वोच्च श्रेणी-आर, राजधानी सेवाओं के लिए होगी और यह राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों पर लागू होगी। अगली श्रेणी-पी, कतिपय अधिसूचित मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में विशिष्ट सेवा के लिए होगी। अगली निचली श्रेणी-एस, मानक सेवाओं के लिए होगी जो अन्य मेल/एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस तथा पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों में लागू होगी। न्यूनतम श्रेणी-ई, साधारण यात्री गाड़ियों के किफायती सेवा के लिए होगी। इस युक्तिसंगत संरचना में, पार्सल तथा सामान यातायात को प्रभारित करने वाली श्रेणियों की संख्या 7 से कम होकर 4 हो जाएगी और सर्वोच्च तथा न्यूनतम दरों के बीच का अनुपात 8.7 से घटकर 6.2 हो जाएगा। समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को अब सभी गाड़ियों में न्यूनतम श्रेणी-ई के अंतर्गत समान दरों पर प्रभारित किया जाएगा। नई संरचना के अंतर्गत पार्सल यातायात की युक्तिसंगत दरें मौजूदा दरों से निम्नतर होंगी। कुछ चुनिंदा स्टेशनों के बीच अलग-अलग वस्तुओं की मौजूदा तथा प्रस्तावित दरों का ब्यौरा मालभाड़ा दरों तथा किरायों में समायोजन संबंधी बजट प्रस्तावों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन में दिया गया है।

ये सभी प्रस्ताव 01.04.2003 से लागू होंगे।

महोदय, भारतीय रेल जैसे विशाल संगठन की उपलब्धियां रेलकर्मियों के कर्तव्यपालन और उनकी समर्पण भावना की परिचायक हैं जिसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। जन आकांक्षाओं और जन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के सतत प्रोत्साहन और उदार सहयोग के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुझे

[श्री नीतीश कुमार]

पूर्ण विश्वास है कि उनके मार्ग दर्शन में भारतीय रेल प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगी। वित्त मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने रेलवे को पर्याप्त समर्थन दिया है। मुझे विश्वास है कि वे आगामी वर्ष में रेलवे परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए उदारतापूर्वक अतिरिक्त धन प्रदान करने की कृपा करेंगे। माननीय सदस्यों से प्राप्त अनवरत सहयोग और उनके सुझावों के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आशा करता हूं कि वे इसे आगे भी जारी रखेंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट 2003–2004 सदन में संस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7043/2003]

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : तमिलनाडु के मामले का क्या हुआ?...*(व्यवधान)* महोदय, अ.भा.अ.द्र.मु.कु. तथा अन्य दलों के 40 सांसदों ने माननीय रेलवे मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ज्ञापन दिया था और तमिलनाडु के इन्साफ की मांग की थी...*(व्यवधान)* हमने उन परियोजनाओं की सूची बनाई है जोकि मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए पड़े हैं ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी ने भी इसकी जांच करने का वायदा किया था। लेकिन इस घोषणा के बाद आज भी तमिलनाडु रेलवे के मानचित्र पर दिखाई नहीं दे रहा है...*(व्यवधान)* तमिलनाडु के लोग विनम्र और कानून का पालन करने वाले हैं। तमिलनाडु में बिना टिकट यात्रा नहीं की जाती...*(व्यवधान)* रेलवे को दक्षिण रेलवे से काफी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। जब चर्चा होगी, तब आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.05 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.31 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.31 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज अयोध्या का मुद्दा आने वाला था। इन लोगों ने पहले दिन हल्ला मचा दिया तो उस दिन भी हम लोग तैयार थे और आज भी तैयारी करके आए हैं। ये लोग बहस करने से भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पर आज ही बहस हो जाए क्योंकि हम आज तैयार हैं और हमारा आगे का कार्यक्रम बना हुआ है, इसलिए चाहेंगे कि आज ही इस पर चर्चा हो जाए। जो कार्य सूची है, उसमें भी अयोध्या का मुद्दा दिया हुआ है। अगर यह सब बदल जाएगा तो हम लोगों को कठिनाई होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा यह आरोप लगाने की क्या आवश्यकता है क्योंकि यह मुद्दा आपकी सहमति से टाला गया है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अयोध्या मुद्दे पर चर्चा से कोई भागता नहीं है। यहां तो व्यावहारिक संकट था। आज रेज बजट पेश हुआ है। मैं समझता हूं कि वह प्रमुख सवाल था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। मुझे एक वक्तव्य देना है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, अयोध्या पर जरूर चर्चा होगी लेकिन चर्चा प्रमुखता के साथ हो।

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, क्या हर विषय पर बोलने की जरूरत होती है। आप प्लीज बैठिए। प्रत्येक बात का ध्यान रखने के लिए मैं यहां हूं। कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, ये लोग अयोध्या मामले को सुलझाना ही नहीं चाहते। इनको क्रिकेट के मैच की ज्यादा चिन्ता है। ये केवल हल्ला मचाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.33 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अयोध्या मुद्दे पर चर्चा के बारे में

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, लोक सभा में विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं ने मुझसे आज की कार्यसूची में सम्मिलित किए गए अयोध्या मामले पर अल्पकालीन बहस के मुद्दे आज के लिए स्थगित करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद कल 27 फरवरी, 2003 को लेने का आग्रह किया था। मैंने उनकी बात मान ली है।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में हमें बताया गया था कि रेलवे बजट के बाद अयोध्या मामले पर बहस होगी।

[हिन्दी]

अगर सरकारी काम–काज के बारे में कुछ कहना है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री बताएंगी अगर सरकारी पक्ष की बात विपक्ष को मान्य है तो हमारा आग्रह है कि अयोध्या पर आज ही चर्चा की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा कल होगी। अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, नेता, विपक्ष अंदर आ रही थीं, मैं उनका सम्मान करता हूं। रामजीलाल सुमन जी को सरकारी काम–काज पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर कब से चिन्ता होने लगी। मैं चाहता हूं कि अयोध्या मामले पर आज ही चर्चा होनी चाहिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष जी, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। बी.ए.सी. के प्रतिवेदन से सब को सहमति होती है। जब हाउस में सहमति हो जाती है तो कार्य किया जाता है। यदि इसमें कोई असहमति हो तो हाउस की सहमति लेने के लिए रखा जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कमरे में बैठकर कुछ करेंगे और यहां पर दूसरी अनाउंसमेंट करेंगे, यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, हाउस तो सब की सहमति से चलता है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, जो आपने व्यवस्था दी है, उसे चुनौती दे रहे हैं जो ठीक नहीं है।... *(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष जी, क्या आपकी दी हुई व्यवस्था को इस तरह से चैंजेज करेंगे? यह अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठिए। मैं आपको समझाता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री किरीट सोमैया ने जो सवाल उठाया है वह एक तरह से आपके अधिकारों को चुनौती है। आपने सब लोगों से बात करके निर्णय दिया है। अयोध्या पर चर्चा से कोई नहीं भाग रहा है। अयोध्या पर सार्थक चर्चा हो इसलिए सबने आपसे प्रार्थना की थी कि कल इस विषय पर चर्चा हो जाए। इस तरह के आरोप लगाने का कोई अ. नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप रूल बताइए, कौन से रूल में आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर बहस शुरू नहीं की है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए। कृपया मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। सदन में विचार-विमर्श किए जाने के संबंध में यह कोई कठिन मुद्दा नहीं है। यह मामला काफी सरल है। ऐसा हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। ऐसा कई बार किया जा चुका है।

जब सभी नेता कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के कार्यक्रम में परिवर्तन का आग्रह करते हैं तो मुझे उनका आग्रह मानना पड़ता है। सभी नेताओं ने मेरे पास आकर इस परिवर्तन का आग्रह किया था, अतः मैंने इसकी सम्मति दे दी। अब इस पर आगे और क्या बहस हो सकती है। मान लीजिए यदि कोई इस बारे में जानना चाहता है तो वह अपने नेता से पूछ सकता है कि उसने इस परिवर्तन का आग्रह किया था या नहीं। यह एक साधारण सी बात है। यह सभी माननीय सदस्यों की सुविधा का मामला था और मैंने इसकी सम्मति दे दी।

जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय का प्रश्न है, आप अयोध्या मामले पर अभी बहस शुरू कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह एक सामान्य परिपाटी है कि जब नेता अध्यक्ष के पास जाकर इसका आग्रह करते हैं और सभी नेता इससे सहमत होते हैं तो सदन का समय क्यों इस पर व्यर्थ किया जा रहा है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सत्ता पक्ष सहित।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल। जब मैंने सब कहा है तो इसमें भाजपा भी सम्मिलित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो अपने नेता से पूछिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, अयोध्या मामले पर स्थगन प्रस्ताव आने के पहले दिन ही इस तरफ से श्री शिवराज पाटील ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस पर आज के दिन बहस होगी आपको याद होगा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में, संसदीय कार्य मंत्री की उपस्थिति में, सम्पूर्ण समिति इसे 26 तारीख तक टालने के लिए सहमत हो गई थी...*(व्यवधान)* आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया तो मैं अपने दल की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का नाम किसी ने नहीं लिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने अध्यक्ष महोदय से अनुमति ली है, आपसे नहीं...*(व्यवधान)* महोदय इससे हमें यह संकेत मिलता है कि सरकार और विपक्ष के बीच सुचारु रूप से सदन चलाने के लिए परस्पर सहयोग की धारणा की कोई वैधता नहीं है। यदि आपके कक्ष में हम सब मिलकर किसी बात पर सहमत होते हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आक्षेप लगाने का प्रयास करते हैं तो मैं अपनी तरफ से यह बताना चाहूंगा कि हम केवल कार्य मंत्रणा समिति में ही बोलेंगे और उससे परे हमारा कोई संबंध या सामंजस्य नहीं होगा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। क्या इस पर सरकार का यह विचार है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बोलने की परमीशन नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सदन की कार्यवाही चलाने दें। यदि कोई सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना चाहेगा तो माफ कीजिएगा, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जब हम सरकार की सुविधा का ध्यान रखते हैं तो क्या सरकार को परस्पर विनिमय में समान रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार-विमर्श करेंगे।

अपराह्न 2.38 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास में वन संरक्षण अधिनियम बाधक न बनने देना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : अध्यक्ष महोदय, वन संबंधी कानून मेरे भरूच संसदीय क्षेत्र के नर्मदा जिले डोंडीया पाडा और सगवारा तहसीलों के आदिवासी लोगों के विकास को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिजर्व फॉरेस्ट कानून और वन सुरक्षा कानून तथा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के चलते यहां के आदिवासियों के खेतों की सिंचाई हेतु डैम नहीं बनाए जा सकते, आने-जाने के लिए रोड नहीं बना सकते, पशुओं के पीने का पानी और खेतों की सिंचाई के लिए तालाब और छोटी-छोटी नहर नहीं बनाई जा सकती हैं। यह कैसा विरोधाभास है कि वनों के कानूनों से वनवासियों को ही नुकसान पहुंच रहा है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों में इन कानूनों को इतना कठोर नहीं बनाया जाए और इन कानूनों को इस प्रकार से संशोधित किया जाए कि आदिवासी लोगों का विकास आसानी से किया जा सके।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने जो पूछा, वह गलत नहीं था, मैंने स्वाभाविक उत्तर दे दिया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कभी-कभी यह नहीं जान पाता हूं कि हम सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं या नहीं। आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आज सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। यह सब क्या हो रहा है। यह मुद्दा हल कर लिया गया है। मैंने पहले भी यह कहा है। मैं इस पर नियमन दे चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार भी इस निर्णय को लेने वालों में से एक है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है कि कभी-कभी यह सूचना सब तक नहीं पहुंचती। इसीलिए उन्होंने खड़े होकर यह प्रश्न पूछा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : इसीलिए, मैं कह रहा हूं कि यह ठीक रवैया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैंने बताया है कि इसमें रवैये का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर बिल्कुल चर्चा अलाउ नहीं करूंगा। हर चीज की एक सीमा होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये क्या कर रहे हैं? हर समय खड़े हो जाते हैं।

[अनुवाद]

मैं किसी को भी सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने पहले ही सदन की कार्यवाही शुरू कर दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय के बाद आपको अनुमति दूंगा। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा, अभी नहीं। कृपया बैठिए।

[हिन्दी]

(दो) हरियाणा में रेवाड़ी-नारनौल राजमार्ग पर कुतुबपुर रेलवे फाटक पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) सुधा यादव (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, रेवाड़ी हरियाणा राज्य के महेन्द्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में आता है। इस ओर से दिल्ली-रेवाड़ी-खेतड़ी स्टेट हाईवे होकर जाता है। यहां से विभिन्न दिशाओं में रेलगाड़ियों का आवागमन है। यह बहुत ही व्यस्त रेल मार्ग है। इसके आस-पास 600 गांव हैं जो कि इस रेलवे स्टेशन से जुड़े हैं, किन्तु इस मार्ग पर

[डा. (श्रीमती) सुधा यादव]

कुतुबपुर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज न होने के कारण इस मार्ग पर घंटों जाम लगा रहता है, जिसके कारण यहां के नागरिकों, नौकरी करने वालों, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों तथा बीमार लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहती हूं कि नागरिकों की भारी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस राजमार्ग की व्यस्तता और महत्व को देखते हुए रेवाड़ी–नारनौल राजमार्ग पर कुतुबपुर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(तीन) राजस्थान में रतनगढ़-सरदारशहर-पल्लू सादुलशहर होकर हनुमानगढ़ और सुजानगढ़ के बीच स्थित राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : महोदय, राजस्थान राज्य का राजमार्ग संख्या–7 हनुमानगढ़ से सुजानगढ़ वाया रतनगढ़ सरदारशहर पल्लू, सादुलशहर को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग वर्षों से की जा रही है। पंजाब व श्रीगंगानगर से आने वाला ट्रैफिक इसी मार्ग से गुजरते हुए कांडला बंदरगाह व मुम्बई को जाता है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 व 65 को राष्ट्रीय मार्ग 10 से जोड़ता है। उक्त राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होने से इस क्षेत्र का विकास तो होगा ही, साथ ही यातायात में भी समय एवं धन की बचत होगी।

इस क्षेत्र के विकास व सुगम परिवहन के लिए उक्त मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। अतः मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जनता की इस महत्वपूर्ण मांग को पूरा करते हुए उक्त मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कष्ट करें।

(चार) गुजरात में बिल्लीमोरा और बहाई के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने तथा इसे नासिक तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी) : महोदय, बिल्लीमोरा से बहाई के बीच नैरोगेज रेलवे लाइन है जबकि इसको बड़ी लाइन बनाकर लाभकारी बनाया जा सकता है, किन्तु रेलवे विभाग ने इस रेलवे लाइन में सुधार करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया है जिसके कारण यह रेलवे सेवा जो चार बार चलती थी, वह एक बार हो गई है और टिकट भी रेलवे डिब्बों में बेची जाती है। यह पूर्णतः पिछड़ा क्षेत्र है और आदिवासी बाहुल्य है और यहां के आदिवासियों के बीच यातायात का और साधन नहीं है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस रेलवे सेवा को नासिक तक बढ़ाया जाए जिससे रेलवे को राजस्व तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ यहां के आदिवासी लोगों को आने जाने की सुविधा भी मिल सकेगी। इस रेलवे लाइन को बड़ी लाइन से जोड़ा जाए जिससे यहां अन्य शहरों से सीधा संपर्क हो सके।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : महोदय, मैं सदन का ध्यान माननीय प्रधान मंत्री जी के भाषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो उन्होंने सेबी द्वारा आयेजित "निवेशक जागरूकता अभियान" के उद्घाटन के समय दिया था। इसमें उन्होंने कंपनियों की खराब कार्यप्रणाली और रेगुलेटर्स की कमियों को दोषी ठहराया था जिसके कारण पूंजी बाजार में छोटे निवेशकों का विश्वास उठ गया है।

फिक्की के एक समारोह में सितम्बर 1998 में भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि उन्होंने वित्त मंत्रालय को आदेश दे दिए हैं कि धोखेबाज कंपनियों के प्रमोटरों के विरुद्ध तीन माह के अंदर कठोर कार्रवाई की जाए।

लेकिन आज तक एक भी प्रमोटर या डायरेक्टर को पकड़ा नहीं गया है और न ही दस हजार करोड़ रुपए में से एक भी रुपया बरामद किया गया। भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए सेबी एक्ट में प्रभावपूर्ण संशोधन भी नहीं किए गए हैं।

इनवैस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के कोष का समयबद्ध व सही तरीके से संचालन नहीं किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि इन सभी मामलों में तुरंत उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

[अनुवाद]

(छह) कोचीन के निकट नेदुम्बास्सेरी में एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, केरल का

प्रतिष्ठित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निजी क्षेत्र की भागीदारी से निर्मित किया गया था और इसका उद्घाटन 1995 में हुआ था। देश के किसी अन्य अंतर्राट्रीय हवाई अड्डे की तुलना में यहां सभी आधुनिकतम सुवधिाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय विमान कंपनी के साथ–साथ विभिन्न राष्ट्रों की एयरलाइन्स यहां अपनी सेवाओं का संचालन कर रही हैं। अनिवासी केरलवासियों के लिए सारे विश्व विशेषकर खाड़ी देशों में जाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। केरल पर्यटन का एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया है और विदेशी पर्यटकों की संख्या के संबंध में यह सभी राज्यों में अग्रणी है।

विश्व के विभिन्न भागों से आने वाले पर्यटकों और देश के पर्यटकों के प्रबन्धन के लिए कोचीन के पास नेदुम्बास्सेरी में एक नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक निश्चित समयावधि के भीतर कोचीन अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक नेदुम्बास्सेरी में रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए पर्याप्त धन का आवंटन करे।

(सात) केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही वित्तीय नीतियों के कारण राज्य सरकारों में जबरदस्त वित्तीय संकट पैदा हो गया है। केन्द्र सरकार देश भर में संग्रहीत कुल करों और राजस्व का दो–तिहाई अपने पास रखती है और शेष राशि को 28 राज्यों में बांट देती है। राज्य सरकारों को इस धनराशि से सिंचाई, सड़क, विद्युत, जनस्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य करने होते हैं।

जहां तक पश्चिमी बंगाल का संबंध है, केन्द्र सरकार ने नदियों के कटाव से गांवों को बचाने के लिए किए जाने वाले कार्यों हेतु निर्धारित धनराशि को अभी तक जारी नहीं किया है। इतना ही नहीं, यहां बाढ़ पीड़ितों के लिए न तो पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि दी गई है और न ही उनके लिए पुनर्स्थापन कार्य किए गए हैं। केन्द्र सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण वित्तीय बोझ को बराबर–बराबर बांटने से मना कर दिया है। ओवर ड्राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है और केन्द्र द्वारा दिए गए ऋण पर 12 प्रतिशत का ब्याज लिया जा रहा है जबकि केन्द्र बाजार से लिए गए ऋणों पर केवल सात प्रतिशत ऋण ही देता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि राज्य–केन्द्र के वित्तीय संबंधों की तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए। केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों से संग्रहीत करों की कम से कम 50 प्रतिशत राशि राज्यों में बांटी जानी चाहिए। अन्तर–राज्यीय परिषद की उप–समिति की बैठक में एकमत से निर्णय किया गया था कि जब तक राज्यों की भागीदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें $33^{1/3}$ प्रतिशत राशि दी जाए।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्यों में कम से कम $33^{1/3}$ प्रतिशत राशि तत्काल वितरित करे और फिर इसे धीरे–धीरे 50 प्रतिशत तक बढ़ाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आपका व्यक्तिगत स्पष्टीकरण क्या है?

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, आपने यह बताकर काफी उदारता का परिचय दिया है कि विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं ने आपके पास जाकर आपसे अनुरोध किया कि अयोध्या मुद्दे पर चर्चा को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों के साथ नहीं हूं। मैं केवल यही स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

महोदय, आपको याद होगा कि मैं सत्र के पहले दिन से ही अयोध्या मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग करता रहा हूं। यहां तक कि मैंने संशोधन भी सुझाया लेकिन सत्तापक्ष जो आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इतना अधिक बेचैन हैं, सहित इस सभा ने उस संशोधन को अस्वीकार कर दिया।

इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे इस संशोधन को भी अस्वीकार कर दिया कि इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए। इसलिए मैं केवल इसी तथ्य को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा स्थगित किए जाने का जो अनुरोध किया गया है मैं उसमें शामिल नहीं हूं। यह एक अलग बात है। मैंने आरंभ से ही इस पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग की है। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

(आठ) आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कि जाने की आवश्यकता

श्री कालवा श्रीनिवासुलु (अनन्तपुर) : महोदय, आंध्र प्रदेश

[श्री कालवा श्रीनिवासुलु]

के अनन्तपुर जिला में लगातार चौथे वर्ष सूखा पड़ा है और इससे वहां के लाखों किसानों और मजदूरों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मूंगफली, जो यहां की अर्थव्यवस्था का मूल है, की लगातार चौथे वर्ष भी पैदावार नहीं हुई है और इससे किसानों पर ऋण बहुत अधिक बढ़ गया है। रोटी-रोजी की तलाश में लोग हजारों की संख्या में गांवों से पलायन कर गए हैं और गांव के गांव खाली पड़े हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने अल्प संसाधनों से जो राहत कार्य शुरू किए गए हैं वह अपर्याप्त हैं। राज्य के इन प्रयासों में सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मुक्त रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस जिला को राहत पैकेज के रूप में अविलंब 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जाए। साथ ही, 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दो लाख टन चावल जारी किया जाए। मेरा यह भी अनुरोध है कि एक कृत्रिम वर्षा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जाए ताकि मानसून के असफल होने की दशा में उसके विकल्प को तलाशा जा सके।

अपराह्न 2.51 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

(नौ) बिहार में खगड़िया रेलवे के निकट खगड़िया और हामेगार्ड फांड़ी के बीच सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : महोदय, खगड़िया रेलवे स्टेशन के पूर्वी ढाला से सटे एन.एच.-31 स्थित खगड़िया एवं होमगार्ड फांड़ी के बीच रोड ओवरब्रिज के निर्माण की नितान्त आवश्यकता है। इस स्थल के नजदीक सदर अस्पताल, बैंक, जेल, महाविद्यालय, अनुमंडल कार्यालय, डी.ए.वी. स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, मंडल दूरसंचार कार्यालय, समाहरणालय तथा कई रिहायशी इलाके हैं। यहां दिन में करीब 40 जोड़ी रेल गाड़ियों के चलने से बार-बार फाटक बंद हो जाता है, जिससे ढाला के दोनों तरफ गाड़ियों का ताता लग जाता है। इससे यातायात में आम लोगों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त स्थल पर रोड ओवरब्रिज बन जाने से इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से उपरोक्त स्थल पर रोड ओवरब्रिज निर्माण की मांग करती हूं।

[अनुवाद]

(दस) उड़ीसा में भुवनेश्वर में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : महादेय, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भारत के पूर्वी क्षेत्र में तेजी से विकास करने वाला शहर है। यहां की सड़कों की वर्तमान दशा ऐसी नहीं है कि वह शहर की यातायात जरूरतों को पूरा कर सकें। शहर की यातायात स्थिति से निपटने के लिए मैं केन्द्र और राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे शहर में उपरिपुलों के निर्माण का आदेश दें।

मेरा माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करें ताकि स्थानीय जनता की समस्याओं का समाधाम हो सके।

(ग्यारह) बीटी कॉटन के निष्पादन का विस्तृत स्वतंत्र मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम) : महोदय, 10-11 नवम्बर, 2002 को एमओईएफ से एक विशेषज्ञ दल, जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने आंध्र प्रदेश में बीटी कॉटन के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए वहां के कृषकों के खेतों का दौरा किया। तत्पश्चात, उनकी रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्री ने बताया कि 'बीटी कॉटन का कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा है।

लेकिन ग्रीनपीस से सर्वोदय यूथ आर्गेनाइजेशन एंड सेंटर फार रिसोर्स एजूकेशन ने पूर्व में विशेषज्ञ दल द्वारा देखे गए पांच किसानों के खेतों का दौरा 7-8 जनवरी, 2003 को किया। खेतों का दौरा करने तथा किसानों से बातचीत करने के बाद उन्होंने पाया कि यह अध्ययन वास्तव में दोषपूर्ण था क्योंकि इनके सैम्पल का आकार बहुत अधिक छोटा था। इसका अध्ययन क्षेत्र भी बहुत ही सीमित था और इसके महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक बिन्दुओं को छोड़ दिया गया था तथा इसके अध्ययन का समय भी उपयुक्त नहीं था।

इन स्थितियों को देखते हुए बीटी कॉटन के कार्य निष्पादन का व्यापक, वैज्ञानिक और स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाना चाहिए तथा बीटी कॉटन अथवा किसी अन्य जीई फसल की आगे स्वीकृति के पहले इनकी निगरानी और मूल्यांकन की एक विस्तृत

प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए और इसमें नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) ग्रुपों तथा किसानों को सहभागी बनाया जाना चाहिए ताकि इस तरह की अत्यधिक भूलों से बचा जा सके जो अत्यधिक खर्चीली साबित हुई हैं।

[हिन्दी]

(बारह) किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फसल बीमा योजना के उपबंधों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना से किसानों को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है। किसानों को इस योजना के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण कई किसान इस योजना से लाभ नहीं लेना चाहते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में किसानों को फसल बीमा योजना से जो पैसा देना है, वह बैंकों में ही पड़ा है, विशेषकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई भी उद्योग नहीं है। लोग खेती–बाड़ी और डेयरी उद्योग पर ही निर्भर हैं। खेती भी सिंचाई के अभाव में और सूखे की मार से हो नहीं पाती है। सूखे की चपेट में मेरे संसदीय क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा रहता है, जिसके कारण यहां के किसान ठीक प्रकार से फसल नहीं बो पाते हैं। अतः फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए इसकी पॉलिसी में बदलाव करना जरूरी है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना की पॉलिसी में किसानों के हित में बदलाव किया जाए, जिससे आपदा के समय वे फसल बीमा योजना का फायदा उठा सकें।

[अनुवाद]

(तेरह) केरल में त्रावणकोर क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसका मुख्यालय कोत्तारकारा में हो, खोले जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, केरल के तिरुअनन्तपुरम, क्यूलोन तथा पाथनमथिट्टा जिलों में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। केरल के ये तीनों जिले मुख्यतया कृषि आधारित जिले हैं।

भारत में, अधिकतर जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। केरल के उत्तरी और दक्षिणी मलाबार में भी वर्षों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किसानों के लिए कई योजनाएं आरंभ की हैं। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लागू किया जाता है। दुर्भाग्य से, केरल के ट्रावणकोर क्षेत्र में इस तरह की सुविधा नहीं है। ट्रावणकोर स्टेट बैंक देश के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक है। ट्रावणकोर स्टेट बैंक की जमाराशि और दूसरी सेवाएं उच्चकोटि की हैं। ट्रावणकोर स्टेट बैंक ट्रावणकोर क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चला सकता है।

इसलिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह ट्रावणकोर क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाए और ट्रावणकोर क्षेत्र के केन्द्रीय स्थान कोट्टाराकारा में इसका मुख्यालय स्थापित करे।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय यहा पर रखना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

योगी आदित्यनाथ : आज सैन्ट्रल हॉल में भारत माता के महान सपूत स्वातन्त्र्य वीर सावरकर के चित्र का अनावरण महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है। कांग्रेस तथा अन्य दलों के लोगों ने उस समारोह का विरोध किया था, इसलिए ये सीधे–सीधे देश के महान क्रान्तिकारियों का अपमान है और इसकी निन्दा की जानी चाहिए। संसद के द्वारा निन्दा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यह देश के महान स्वतन्त्रता सेनानियों का निरादर है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : ये साम्प्रदायिक लोग हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : हमने इसका बहिष्कार किया है, ये लोग गांधी के हत्यारे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : ये अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ, क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे?

(व्यवधान)

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या कृपया आप अपनी सीट पर बैठेंगे?

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। हमें महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। हमारे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रकांत खैरे, यह क्या हो रहा है? कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया गया। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? श्री मोहन रावले कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे? सभी सदस्य बोल चुके हैं।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। आप कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हर चीज की एक सीमा है। आप सभी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे? श्री मोहन रावले, यह क्या है? कुंवर अखिलेश सिंह, यह क्या है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को इतना बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज्य में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमें कार्य शुरू करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रकांत खैरे, कृपया उन्हें संभालिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, ये जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिसकी वजह से समाज में शांति न रहे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे? हम पहले ही सदन का समय व्यर्थ कर चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, अब कृपया सदन का समय व्यर्थ न करें। मैं आपसे सदन का समय व्यर्थ न करने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.07 बजे

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक–पारित

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अनादि साहू अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : धन्यवाद महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कल समय की पाबंदी के कारण आपने मुझे रोक दिया था। मैं आभारी हूं कि आपने आज मुझे पुनः अनुमति दी है और मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पर अपना भाषण जारी रख रहा हूं। इससे पहले कि मैं कुछ मामले उठाऊं, मैं बता दूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय की न्यायिक प्रणाली लोक प्रशासन और एक प्रशासन को उसके दैनंदिन कार्यों तथा निर्णय लेने के स्तर पर आने वाली कठिनाइयों व जटिलताओं का हल निकालने में सहायक नहीं है। तत्कालीन सरकार ने, चाहे वह कोई भी सरकार थी, निर्णय लिया था कि प्रशासनिक मामलों में प्रशासक को एक सीमा तक संरक्षण दिया जाएगा। इसीलिए, एकल खिड़की या एकल निदेश प्रणाली की व्यवस्था शुरू की गई थी लेकिन दुर्भाग्यवश उच्चतम न्यायालय ने 1997 में विनीत नारायण बनाम भारतीय संघ मामले में इस पर रोक लगा दी। आपकी विनम्र अनुमति से मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभावकारी भाग को उद्धृत करना चाहूंगा। इस निर्णय के पैरा 61 के प्रवर्ती भाग में लिखा है :

> "इसके परिणाम में, हम ऊपर उद्धृत एकल निदेश के निदेश संख्या 4.7(3) को समाप्त करते हैं और उक्त निदेश देते हैं, जिसे पूर्व निर्णय के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इन निदेशों को समुचित मूल्यांकन करने हेतु स्वतन्त्र समीक्षा समिति (आई.आर.सी.) और इसकी सिफारिशों को, जो कि इस सीमा तक समान हों, पढ़ा जा सकता है। हम जहां तक स्वतन्त्र समीक्षा समिति के निष्कर्ष और सिफारिशों से सहमत हैं, और यह एक बड़ा क्षेत्र है, वहां तक हमने उक्त निदेशों को तैयार करने में उन्हें अंगीकार किया है। इन निदेशों का भारतीय संघ और सभी संबंधित पक्षों पर कड़ाई से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है।"

इसका अंतिम वाक्य बिल्कुल उचित नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया एक प्रशासनिक निदेश है जो कि उचित नहीं है।

महोदय, जैसा कि मैंने अभी कहा, उच्चतम न्यायालय ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा प्रशासन एक जटिल मामला है और तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। यदि किसी विशेष स्तर पर स्थित अधिकारी को संरक्षण प्रदान न करके उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो इससे वह अधिकारी निर्णय लेने में विलम्ब करेगा और इस विलम्ब से विकास प्रक्रिया में बाधा पहुंच सकती है।

इसलिए, संयुक्त समिति ने अपने विवेक से सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि एकल निदेश प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि एकल निदेश प्रणाली निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को संरक्षण प्रदान करेगी। मैं एक उदाहरण दूंगा : कैसे निर्दोष लोगों से भी स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है; निर्दोष वरिष्ठ अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। इससे पहले कि मैं उन तथ्यों के बारे में बताऊं मैं बाइबल की एक कहानी का उदाहरण देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जीसस क्राइस्ट और बाराबस को एक ही स्थान पर सूली पर चढ़ाया गया था। बाराबस एक साधारण चोर था और जीसस क्राइस्ट यहूदियों के राजा थे जैसा कि वहां सूली पर लिखा है : "आई.एन.आर.आई."। इसका अर्थ है "जीसस नाजारेनस, रेक्स जेसियंस" अर्थात "नजारथ का जीसस, यहूदियों का राजा।" ऐसे महान व्यक्ति की जो प्यार और शांति का प्रचार कर रहा था उसे एक साधारण अपराधी के साथ सलीब पर चढ़ा दिया गया। वहां कोई भेदभाव नहीं था।

जब तक हम किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं करते तो आगे आने वाले दिनों में वह समय आएगा जब वरिष्ठ अधिकारी कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए संयुक्त समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया और समिति का यह विचार था कि उच्चतम न्यायालय कोई कानून बनाने या किसी खण्ड को कार्यान्वित करने का निदेश नहीं दे सकता इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। हम, जैसा कि मैंने पहले कहा, संसद सदस्य होने के नाते अपनी शक्तियां खो चुके हैं और इसके परिणामस्वरूप इस रिक्त स्थान को उच्चतम न्यायालय द्वारा भरने का प्रयास किया जा रहा है। शासन में दैनंदिन कार्यों में बहुत से आकलन, बहुत से समायोजन की आवश्यकता होती है और जैसा कि मैंने कहा वर्तमान न्यायिक प्रणाली स्वयं को उचित तरीके से लोक प्रशासन की ओर उन्मुख नहीं करती है।

[श्री अनादि साहू]

स्वतन्त्रता से पूर्व के दिनों में यहां इम्पीरियल सिविल सर्विस (आई.सी.एस.) हुआ करती थी। कुछ आई.सी.एस. अधिकारियों को जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा रहा था और उनमें से बहुत से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बने; उनमें से कुछ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके पीछे क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य यह था कि न्यायपालिका को भी प्रशासनिक कार्यप्रणाली का भान हो। यदि उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली के बारे में पता नहीं होगा तो उन्हें दैनंदिन के प्रशासनिक कार्यों को करने में बहुत कठिनाई होगी। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए एकल निदेश प्रणाली, जिसे स्वयं संयुक्त समिति की सिफारिश के आधार पर इस विधेयक में शुरू किया गया है, एक स्वागत योग्य परिवर्तन है और इसका पालन होगा जिससे कि कुछ वर्षों के बाद यदि किसी को कोई निर्णय लेना पड़े तो उसे स्पष्टीकरण न देना पड़े, वह उचित रूप से अपना बचाव नहीं कर सकता। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एकल निदेश प्रणाली, जो कि शुरू की गई है, एक स्वागत योग्य परिवर्तन है और संयुक्त समिति ने बहुत स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि निर्णय लेने के स्तर पर स्थित व्यक्ति को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। सरकार को उसे संरक्षण देना पड़ेगा, अतः किसी न किसी प्रकार का संरक्षण देना पड़ेगा और सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद जांच शुरू होगी।

सी.वी.सी. विधेयक में सभी मामलों को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने सूचना के अधिकार का विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसे लागू कर दिया गया है। अब यह विधेयक रखा गया है और इस पर चर्चा हो रही है। जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तो यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि जहां एक ओर सरकार निर्णय लेने के स्तर पर तैनात अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करना चाहती है वहीं दूसरी ओर वह भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करेगी। जैसा कि मैंने कहा जब भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी तो थोड़ी अड़चन आएगी। एक साधारण पुलिस थाने में इसी प्रकार एक मामला दर्ज कराया जा सकता है। उस पर कोई रोक नहीं है। अपराध प्रक्रिया संहिता में कोई अड़चन नहीं है लेकिन जब हम किसी वरिष्ठ अधिकारी पर प्रशासन में कोई आरोप लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। इसलिए जांच करनी पड़ेगी और सरकार को इन बातों की जानकारी रहेगी और वह यह निर्णय लेगी कि किस प्रकार का निर्णय लेना पड़ेगा। सी.बी.आई. तुरन्त अपनी ओर से कोई मामला शुरू नहीं करती। इसमें बहुत सा समय लगता है। संसदीय जांच करनी पड़ेगी। किसी वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिक जांच शुरू करने से पूर्व सरकार से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। मैं और अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा।

अब, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि सी.वी.सी विधेयक पूर्ण नहीं है और इसमें कुछ और चीजें जोड़ी जा सकती हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक स्वागत योग्य विधेयक है और इसे उसी रूप में लागू किया जाना चाहिए जिस रूप में संयुक्त समिति ने इसकी सिफारिश की है और स्वयं सरकार ने उसे स्वीकार किया है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं महान कवि पिंडर को उद्धृत करना चाहूंगा। अपने पाइथियन ओड्स में पिंडर ने लिखा है :

"स्ट्राइव नॉट माई सोल, फॉर एन रम्मौरटल लाइफ,

बट मेक द मोस्ट व्हाट इज पॉसीबल।"

हम यही कर रहे हैं। हम यथासंभव कर रहे हैं। एक ऐसा विधान बनाकर अमर होने का प्रयास न करें, जिसे सामान्यतः बाद के चरण में बदला जा सकता है।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया। मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 पर हो रही इस चर्चा में स्वयं की भागीदारी से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

श्री अनादि साहू और मैंने संयुक्त संसदीय समिति में कहा था कि यह विधेयक संसद के विवेक से ही लाया जाना चाहिए। यह विधेयक संसद के विवेक से नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय के विनीत नारायण मामले में दिए गए निर्देशों से लाया गया है। हमने समिति में कहा था कि उच्चतम न्यायालय को संसद को किसी विधि को एक विशिष्ट रूप में अधिनियमित करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में ही कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय संसद को किसी विधि को अधिनियमित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए, यह विनीत नारायण का मामला वास्तव में स्वयं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाता है। इसलिए, न्यायालय और संसद का विवेक, इस विधेयक के मामले में परस्पर विरोधी है।

हालांकि हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इससे प्रबंध निदेशकों और सरकार

के स्वामित्व वाली कंपनियों पर निरंतर आशंका बनी रह सकती है। इस विधेयक के अधिनियमन के बाद वे अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आ जाएंगे, देखिए इस अधिनियम की धारा 8।

एक दिन विनिवेश मंत्री ने कहा कि बीपीसीएल और एचपीसीएल भी कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत संचालित होती हैं। अब तक इन्हें प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया गया है। विधेयक का खंड 8 कहता है :

> "केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी ऐसे निदेश पर जांच करना या जांच करवाना या अन्वेषण करना जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि केन्द्रीय सरकार या उसके अधीन स्थापित किसी निगम के किसी कर्मचारी ने लोक सेवक के रूम में"

इसलिए इसके बाद विनिवेश संबंधी निर्णय लेते समय निर्णय लेने वाले अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतनी पड़ेगी। यदि किसी ने थोड़ा भी उनके खिलाफ संशय जाहिर किया, और सभा के अन्दर भी किया तो सीबीआई इसका संज्ञेय ले सकती है क्योंकि यह सीधे सीवीसी के अन्तर्गत आता है। इसमें अन्य सरकारी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें केवल सरकारी स्वामित्व वाले निगमों के सरकारी कर्मचारियों को ही शामिल किया गया है...*(व्यवधान)*

यह विधेयक स्वागत योग्य कदम है। संयुक्त संसदीय समिति ने विधेयक पर विस्तृत विचार विमर्श किया है और सरकार की सिफारिशों को स्वीकार किया है। हमने समिति में केवल यही मुद्दा उठाया था कि यह संसद की सहमति से नहीं लाया गया है। अब, संसद की सहमति से इस विधेयक पर यहां चर्चा की जाए। हमें यह दिखा देना चाहिए कि हमारा अपना भी विवेक है और उच्चतम न्यायालय को यह सोचने का अवसर नहीं देना चाहिए कि केवल उसके निर्देश पर ही यह विधान नहीं बनाया जा रहा है।

विभिन्न पदों पर नियुक्तियां नियुक्तियों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की तर्ज पर एक बहु-सदस्यीय नियुक्ति समिति द्वारा की जानी चाहिए। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु हमें इस विधेयक को पारित करते समय अपना विवेक दिखा देना चाहिए।

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग दिनांक 4 अप्रैल, 1999 के भारत सरकार के संकल्प संख्या 371/20/99 एबीडी 3 के प्राधिकार के अन्तर्गत कार्यरत है। यह सांविधिक निकाय नहीं है। वर्तमान आयोग भी उसी संकल्प के प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 को दिए अपने आदेश में यह निर्देश दिया था कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक शक्तियां दी जाएं। इस आदेश का विभिन्न कारणों से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। वर्तमान अध्यादेश आयोग को सांविधिक अधिकार देने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

सतर्कता आयोग उच्च पदों पर आसीन नौकरशाहों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। उच्च स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाती थी क्योंकि पूरा तन्त्र लम्बे समय से गृह मंत्रालय के अधीन था। यह न्यूनाधिक गृह मंत्रालय के निर्देशों के अन्तर्गत कार्य कर रहा था। यह स्वभाविक था कि गृह मंत्रालय के उच्च पदेन नौकरशाह हमेशा आयोग पर प्रभाव डालेंगे और अन्य उच्च पदेन अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाएंगे। सर्वविदित स्पष्ट भ्रष्टाचार के मामलों में भी, उच्च पदेन नौकरशाहों को गिरफ्तार या सजा दबाव के कारण नहीं मिल पाती।

यह सर्वविदित बात है कि स्वतन्त्रता के बाद से देश की सिविल सेवा में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह बढ़ रहा है। जो नौकरशाह विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करते थे, वे सजा से आसानी से बच जाते थे। हमारे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं क्योंकि उच्च पदों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसका नियन्त्रण नहीं हो सका। विगत में ऐसे अनेक वाकये हुए हैं जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे राष्ट्रकृत बैंकों और संबंधित उद्योगों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए गए। तथापि कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो जिसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अन्तर्गत कार्य करना था ने समुचित रूप से कार्य नहीं किया है। इस जांच एजेंसी की साख मामलों को अप्रभावी ढंग से निपटाने के कारण न्यूनाधिक खत्म हो गई। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भी राजनीति से प्रभावित होती थी। आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया गया था। आयोग की स्वतन्त्रता को समुचित रूप से सुनिश्चित नहीं किया गया था। अतः मेरा सरकार और गृह मंत्रालय से पुरजोर अनुरोध है कि एक स्वतंत्र सांविधिक सतर्कता आयोग का गठन करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

[श्री टी. गोविन्दन]

यह विधान बहुत महत्वपूर्ण है और समय पर लाया गया है क्योंकि आम जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह एक सामाजिक बुराई बन गया है जो हमारी सभ्यता की जड़ों को खोखला कर रहा है। उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एक ओर बोफोर्स घोटाला ने हमारे राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित किया था, वहीं तहलका कांड ने रक्षा सेवाओं को प्रभावित किया है। घोटालों के क्रम में हाल ही में यूटीआई घोटाला हुआ है।

हम यह आसानी से पता लगा सकते हैं कि बड़े–बड़े स्थानों में भ्रष्टाचार के मुद्दों और उच्चाधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों के बीच सांठ–गांठ पर चर्चा करने में हमने कितने घंटे और दिन गंवा दिए हैं। तथापि उच्च पदों पर भ्रष्टाचार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किए जा सके। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान विधेयक इस दिशा में प्रथम प्रयास होगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी जिसका गठन स्वतंत्र रूप से करते हुए उसे स्वायत्तता प्रदान की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार एक ऐसे आयोग का गठन करके उसे कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए कहा गया है।

उपाध्यक्ष जी, अभी पाण्डियन जी ने एक सब्जैक्ट का जिक्र किया कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में डिसइनवैस्टमेंट के बाद भ्रष्टाचार होता है। डिसइनवैस्टमेंट के सवाल पर हमारी शिवसेना का कुछ प्रमाण में विरोध है, क्योंकि प्रोफिट मेकिंग कंपनियों का डिसइनवैस्टमेंट कर रहे हैं। लॉस होने के बाद विचार करके कंपनी का डिसइनवैस्टमेंट हो तो उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन लॉस क्यों होता है, क्योंकि वहां के सी.एम.डी., ए.डी., डायरेक्टर्स और अफसर इतनी करप्शन करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे बहुत से सांसदों के पास एक सी.एम.डी. घूम रहा था, उसे दोबारा कांटीन्युएशन चाहिए था। वह बहुत से सांसदों के पास आया कि मुझे फलां–फलां कारपोरेशन में सी.एम.डी. बनाना है। हमें फोन आया कि सी.वी.सी. की रिपोर्ट उसके खिलाफ है। लेकिन उसने सी. वी.सी. के पेपर्स लाकर दिखा दिए कि मेरी रिपोर्ट अच्छी है। इस तरह से देखें कि सभी जगह भ्रष्टाचार है। इसे कंट्रोल करने के लिए आयोग को मजबूत करना आवश्यक है। उस अधिकारी ने बताया कि सी.वी.सी. ने उसे क्लीन चिट दी है। इस भ्रष्टाचार के कारण ही आज कारपोरेशंस डूब गए हैं और श्री अरूण शौरी जी उनका डिसइनवैस्टमेंट कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनके ऊपर कोई कंट्रोल है या नहीं। आज बहुत से सरकारी उपक्रमों और महकमों और सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मैंने कहा था कि सभी मंत्रियों को लोकाभिमुख होना चाहिए। मराठी में लोकाभिमुख शब्द है, जिससे कि जनता से उनका ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क हो सके। हमेशा नहीं, लेकिन जब सत्र चल रहा हो तब सांसद को एक घंटे जनता से मिलना चाहिए। श्री राम नाईक जी वैसा ही करते हैं। मंत्री जी तो मिलते हैं, लेकिन अधिकारी वर्ग या हमारे जैसा आदमी यदि फोन भी करे तो नहीं मिलते हैं। करप्शन के लिए उनकी कहां–कहां मीटिंग होती हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि 'सेल' के स्टील प्रोडक्शन की इतनी डिमांड है। लेकिन उनके कोई अफसर पेरोल हैं। अब क्या उन्हें सी.वी.सी. ढूंढकर निकालेगी। कानूनी दर्जा तो उन्हें मिल रहा है। वह किसी कंपनी के पेरोल पर हैं, जो कंपनी उनकी सेल को लेने जा रही है। इस तरह से देखें तो हर तरफ करप्शन चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि करप्शन बंद होना चाहिए और इसके लिए सी.वी.सी. का बहुत उपयोग हो सकता है। लेकिन उसमें जो लोग होने चाहिए वे अच्छे तथा चरित्र सम्पन्न लोग होने चाहिए और उनके आफिस के लोगों के किसी से कोई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। आज भी हमारी न्यायपालिका बहुत क्लियर है। कोई भी जज चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का हो, हाईकोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो या अन्य किसी कोर्ट का हो, उनका पब्लिक कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। वे किसी के साथ मिक्स–अप नहीं होते हैं, ताकि उन पर कोई कीचड़ न उछाल सके। सतर्कता आयोग में जितने लोग होने चाहिए, वे सब भी ऐसे ही होने चाहिए। अन्यथा जैसे हमारे पास वह सी.एम.डी.ओ. था कि मुझे सी. वी.सी. की क्लियरेन्स मिल गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सी.वी.सी. के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। सरकारी उपक्रमों और सरकारी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। मान लीजिए एकाध एम.पी., विधायक, जनप्रतिनिधि या नागरिक यदि सी.वी.सी. को कोई एप्लीकेशन देता है तो उसकी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री या जो भी उनकी अथॉरिटी या विभाग होगा, उसके पास भेजनी चाहिए, ताकि तुरन्त एक्शन हो जाए और भ्रष्टाचार भी न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसके पहले सी.वी.सी. के जो प्रमुख थे, अब वह रिटायर हो गए हैं। रोजाना उनका नाम कभी किसी वैबसाइट पर कभी टी.वी. पर आता था कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। उनकी बहुत पब्लिसिटी होती थी। हमारे सम्भाजीनगर और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में दो ब्रिजेज बनाए गए। मैं वहां गया और मैंने देखा वे बहुत खराब थे। अभी तीन महीने भी नहीं हुए थे कि वे उखड़ गए थे और खराब हो गए थे। मैंने कहा इसकी इनक्वायरी करेंगे। मैं कुछ पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों को लेकर वहां गया। उन्होंने कहा कि यह इरकॉन ने किया है और फिर दूसरे को कॉनट्रैक्ट दिया है। मैंने कहा कि आपके आदमी भी इसमें सम्मिलित हैं और उनका साथ दे रहे हैं। इस पर एक अधिकारी ने कहा कि आप सी.वी.सी. में कंप्लेंट करिए। मैंने सी.वी.सी. को फोटोग्राफ्स देकर कंप्लेंट की। सी.वी.सी. के तत्कालीन अध्यक्ष का पत्र आया कि आपकी कंप्लेंट मिली, हम जांच करवा रहे हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। दो बार मैंने चीफ इंजीनियर को बुलाया और रास्ता ठीक किया। अगर इस प्रकार के सी.वी.सी. के अध्यक्ष होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा तथा सी.वी.सी. पर कौन विश्वास करेगा? कुछ लोग धमकियां देते हैं कि सी.वी.सी. के पास जाएंगे और शिकायत करेंगे। पोलिटिकल लोगों के खिलाफ ऐसा ज्यादा बोला जाता है। कोई मंत्री है तो उनके बारे में अधिकारी कह देते हैं कि सी.वी.सी. की रिपोर्ट खराब आई है। अधिकारी वर्ग का अच्छा तजुर्बा मुझे है। हालांकि बिल का इससे कोई संबंध नहीं है लेकिन बिल पर जब चर्चा हो रही है तो इसके बारे में बता देना भी अच्छा रहता है।

अन्त में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। ऐसे आयोग की क्या आवश्यकता थी और इसकी आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई?

यदि हम इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि—मेरा यह कहना है—भ्रष्टाचार निवारक मामलों से संबंधित संतानम समिति ने काफी समय पहले 1964 में ऐसे आयोग का गठन करने की सिफारिश की थी।

प्रारंभ में इस प्रकार के आयोग को गृह मंत्रालय के साथ सम्बद्ध करने का निर्णय लिया गया था परन्तु बाद में इसे कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के साथ सम्बद्ध करने का निर्णय लिया गया। परन्तु बाद में यह महसूस किया गया कि इस प्रकार के आयोग को किसी मंत्रालय के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए। बल्कि यह केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की तरह ही एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि ऐसे किसी आयोग के गठन का लक्ष्य और उद्देश्य सरकारी प्रशासन में भ्रष्टाचार के मामलों का निपटान करना है। इसलिए यह महसूस किया गया कि ऐसे आयोग के पास स्वायत्त शक्तियां होनी चाहिए ताकि यह स्वतंत्र, विवेकपूर्ण, मुक्त और अपनी सेवाओं के प्रति बिना किसी डर के जो कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों की दया पर होती हैं, कार्य कर सके।

अतः एक सरकारी संकल्प द्वारा यह फैसला किया गया कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी मोहर के तहत एक वारंट द्वारा की जाएगी और उसे यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने या निलम्बित करने के लिए बताए गए तरीके के अलावा, पद से हटाया या निलम्बित नहीं किया जाएगा।

1997 में पुनः, सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने प्रयासों के भाग के रूप में भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों को मजबूत करने के उपायों को सुझाने के लिए एक स्वतन्त्र समीक्षा समिति आईआरसी गठित की। आईआरसी की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि सी.वी.सी. को सांविधिक दर्जा देने के साथ—साथ केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों की पुनर्बहाली भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी मोहर से की जानी चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

दूसरा, आई.आर.सी. ने यह भी सिफारिश की थी कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रभावी कार्यकरण के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

तदनन्तर, सम्माननीय उच्चतम न्यायालय ने 18 दिसम्बर, 1997 को विनीत नारायण तथा अन्य बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए फैसले में इस संबंध में कतिपय निदेश दिए कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा दर्जा दिए जाने के परिणामों के संबंध में अनेक निदेश भी दिए थे।

महोदय, सम्माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के अनुपालन हेतु सरकार ने तत्काल एक अध्यादेश अर्थात 1998 का अध्यादेश 15 तथा 1998 का संशोधन अध्यादेश 18

[श्री पी. एस. गढ़वी]

के माध्यम से विधि का प्रस्ताव किया। सरकार ने इन अध्यादेशों के स्थान पर 7 दिसम्बर, 1998 को लोक सभा में केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पुरःस्थापित किया। इसके बाद इसे गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया जहां इस पर गहन विचार–विमर्श हुआ। स्थायी समिति ने 25.2.1999 को कतिपय सिफारिशों के साथ संसद में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सरकार ने स्थायी समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करके 1999 के केन्द्रीय सतर्कता विधेयक में सरकारी संशोधन का प्रस्ताव किया और लोक सभा ने 15.3.1999 को इसे पारित कर दिया।

इससे पहले कि इस विधेयक पर विचार किया जाता और पारित किया जाता, बारहवीं लोक सभा 26 अप्रैल, 1999 को भंग हो गई और तदनन्तर विधेयक व्यपगत हो गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के महत्व और तत्कालिकता को देखते हुए—जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा और मेरे विचार से सभी ने इसका समर्थन किया है—सरकार ने संकल्प संख्या 371/20/99 दिनांक 4 अप्रैल, 1999 को पारित करके इस विधेयक को स्वीकार किया चूंकि अध्यादेश 5.4.1999 को व्यपगत हो रहा था। इस तरह इस संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग गैर–सांविधिक निकाय बना हुआ है। इस आयोग को सांविधिक निकाय का दर्जा देने हेतु यह विधेयक संसद के समक्ष लाया गया। इस प्रकार इस विधेयक के महत्व और अविलम्बनियता को देखते हुए तथा सम्माननीय उच्चतम न्यायालय में विनीत नारायण तथा अन्य बनाम भारत संघ के निदेशानुसार माननीय मंत्री यह विधेयक लाए हैं जिसका मैं स्वागत तथा समर्थन करता हूं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्य और शक्तियां विधेयक के खण्ड 8 में उल्लिखित किए गए हैं। खण्ड 11 जांच संबंधी शक्तियों का उल्लेख है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दीवानी न्यायालय का मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत चलाने की सभी शक्तियां होंगी।

इन परिस्थितियों में, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग चार दशकों से, 39 वर्षों से केन्द्रीय सतर्कता आयोग अस्तित्व में है। इन 39 वर्षों के दौरान ऐसी स्थिति आ गई है जहां केन्द्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार को नियंत्रित, रोकने अथवा समाप्त नहीं कर पा रहा है। बताया गया है कि एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की है कि राष्ट्र भ्रष्टाचार में डूब रहा है। भूतपूर्व राष्ट्रपति को अपने भाषण में टिप्पणी करनी पड़ी कि भ्रष्टाचार प्रायः सर्वत्र विद्यमान है। यह भयावह रूप से बढ़ रहा है। अनेक घोटाले हो रहे हैं जिनमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री, मौजूदा मंत्री, भूतपूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री भी, सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों तथा शेयर बाजार के मुख्य अधिकारी लिप्त हैं। पिछले संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि उदारीकरण के साथ भ्रष्टाचार में भी उदारीकरण हो रहा है तथा यह भयावह अनुपात तक बढ़ गया है।

यद्यपि यह कदम सही दिशा में है, तथापि अपर्याप्त है। इससे भ्रष्टाचार को रोकने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। विश्वव्यापी निकायों में से एक निकाय यथा ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल ने विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार को नोट किया और सार्वजनिक रूप से कहा कि विश्व के आज सर्वाधिक भ्रष्ट राष्ट्रों में से भारत एक है और स्कैंडीनेवियन देश सबसे कम भ्रष्ट देश है।

ऐसी स्थिति में, मैं नहीं जानता कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कुछ सांविधिक शक्तियां देना किस तरह सहायक होगा। लेकिन मैं हाल ही के दो या तीन उदाहरण उद्धृत कर सकता हूं। रक्षा सौदों के संबंध में तहलका डॉट कॉम नामक एक एजेंसी थी। गहन जांच के पश्चात उसने रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का मामला प्रस्तुत किया। अब, आपको पता चलता है कि संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में भी बताया गया है कि जिन लोगों, निर्दोष पेशेवर का तहलका डॉट कॉम के साथ थोड़ा–बहुत संबंध था, उन्हें परेशान किया गया है। तहलका डॉट कॉम को समाप्त कर दिया गया है। अब हमें पता चला है कि 28 फरवरी को एक नए न्यायाधीश दूसरी सुनवाई करेंगे। मैं तहलका डॉट कॉम की अन्य बातों पर नहीं जाऊंगा। दो मुख्य अधिकारियों—दो उत्कृष्ट पेशेवरों का जीवन बर्बाद कर दिया गया। उनके बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। यह संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन का भाग है। तहलका डॉट कॉम के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष को कतिपय टिप्पणियां करनी पड़ीं। यह सब क्या है? जब श्री विट्ठल से पूछा गया कि क्या आप तहलका डॉट कॉम द्वारा की गई जांच के तरीके से सहमत हैं तो उन्होंने कहा :

> "मैं शत–प्रतिशत सहमत हूं। जैसा कि चाणक्य ने कहा है कि भ्रष्ट लोगों को यह कहने का अधिकार नहीं है कि जो लोग उनका भंडाफोड़ करना चाहते हैं उन्हें बहुत धार्मिक तरीका अपनाना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए।"

उन्होंने वेबसाइट पर कतिपय लोगों के नाम प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने वित्तीय संस्थानों से धनराशि लेकर उसका भुगतान नहीं किया। वे चूककर्त्ता हैं। उन लोगों का सम्मान किया जा रहा है। जब यह प्रश्न पूछा गया कि क्या जिस व्यक्ति ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से धनराशि लेकर भुगतान नहीं किया है, उसे विनिवेश प्रक्रिया में बोली की अनुमति दी जाएगी तो मंत्री महोदय ने कहा कि 'हां'। उद्योग जगत का प्रमुख स्वयं चूककर्त्ता है। वे बोली लगा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक चूककर्त्ता को उसी बैंक के शेयर में बोली लगाने का अवसर मिला जिसमें वह चूककर्त्ता था। ध्यान दिलाए जाने पर ही भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप किया। वह चूककर्त्ता और वहीं भ्रष्ट व्यक्ति उसी बैंक के शेयर खरीद रहा है जिसे उसने लूटा था। आप इस स्थिति तक पहुंच गए हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने रक्षा सौदों की जांच की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यह नहीं बता रहा कि कौन कैसा है। हम जानते हैं कि एक त्यागपत्र की कहानी है, एक 'राजग' के घटक ने रक्षा मंत्री के त्यागपत्र की मांग की। इसके बाद रक्षा मंत्री पुनः वापस आए और उन्हें मंत्रालय में पुनः शामिल किया गया। यह कहानियां सर्वविदित हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट के बारे में क्या कहना पड़ा? उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी सरकारी दस्तावेज देखने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। निःसंदेह, इसी समय नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ने रक्षा सौदों, फिलीडेलफिया से दोगुने मूल्य पर खरीदे गए ताबूत के बारे में कतिपय टिप्पणियां कीं। इसका सबूत दिया जा सकता है। इसको ताबूत घोटाला कहा जाता है। आज सुबह भी कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया था कि विपक्ष के नेता ने हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक भाषण के दौरान यह टिप्पणी की थी। यह दस्तावेज पर है। यह नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणी है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक जैसे संस्थान पर तथाकथित पत्रकार पंडित अथवा इसी तरह के किसी व्यक्ति ने आक्षेप लगाया है। वह स्वयं भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे।

रक्षा मंत्री ने इस सभा के सदस्य, लोक लेखा समिति के सदस्यों को एक पुस्तिका अग्रेषित की थी। रक्षा मंत्री ने स्वयं सभी अभिसमय नियमों का उल्लंघन किया है। यह मुद्दा अभी भी लंबित है। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता। संसद की सर्वाधिक प्रतिष्ठित समिति यथा लोक लेखा समिति ने मांग की कि केन्द्रीय सतकर्ता आयोग की रिपोर्ट समिति को उपलब्ध कराई जानी चाहिए लेकिन आज भी लोक लेखा समिति को वह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है यद्यपि यह सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष ने स्वयं कहा है कि यदि यह रिपोर्ट लोक लेखा समिति को दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह रिपोर्ट छह माह के भीतर नहीं दी जाती तो वह इसे सार्वजनिक कर देंगे। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने ऐसा किया। इसका क्या परिणाम निकला? जो कुछ हुआ है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हूं। जब यह रिपोर्ट लोक लेखा समिति के विचारार्थ थी तो नए अध्यक्ष ने कहा कि नियंत्रक– महालेखापरीक्षक रिपोर्ट में अंतर्विष्ट टिप्पणियों में से अधिकांश यथा अस्सी से अधिक मामूली टिप्पणियां हैं। केवल दस गंभीर आरोप हैं। बताया गया है कि उन्होंने कहा कि भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोप साधारण स्वरूप के हैं। क्या सरकार को इस तरह से संस्थान को कार्य करने देना चाहिए? क्या इस तरह से भ्रष्ट लोगों, जिनके नाम वेबसाइट पर उल्लिखित हैं, को लाभप्रद सरकारी उपक्रमों के लिए बोली लगाने की अनुमति देनी चाहिए? क्या इस बात की अनुमति दी जा सकती है कि जिन लोगों ने धनराशि का भुगतान नहीं किया है, माननीय प्रधान मंत्री उन चूककर्ताओं के समीप बैठकर उन्हें सम्मानित करें? यदि सरकार का यही रवैया है तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक प्राधिकार अथवा अन्यथा शक्ति प्रदान करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

महोदय हम लोकपाल विधेयक की मांग करते रहे हैं। सरकार क्यों यह विधेयक ला रही है? इस विधेयक को लाने में अनिच्छा क्यों है? उच्चतम न्यायालय के निदेश के बाद भी इस मुद्दे पर सरकार का रवैया डांवाडोल है। लोकपाल विधेयक का क्या हुआ? एन. एन. वोहरा समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ जिसमें अपराध जगत, नौकरशाह तथा राजनितियों के बीच सांठगांठ की बात कही गई है? हम मांग करते रहे हैं कि निर्वाचन संबंधी सुधार की तत्काल आवश्यकता है। दलों को राजनैतिक दान दिया जाता है और समग्र प्रणाली भ्रष्ट हो गई है। इस सरकार ने क्या किया है? क्या उन्होंने विपक्ष की आवाज सुनी है? निर्वाचन सुधारों के लिए समितियां गठित की गई हैं, इन समितियों ने सिफारिशे की हैं लेकिन सरकार इस पर कार्यवाही क्यों नहीं करती। यदि आप उच्चतम न्यायालय के निदेश के अंतगर्त कतिपय संशोधन करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह बहुत ही अपर्याप्त है।

महोदय, मैं सरकारी कर्मचारियों की अवधारणा पर आता हूं। एक बार मैंने भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर से पूछा था कि सरकारी बैंकों में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को दण्डित करने में क्या बाधा आती है। उनके उत्तर में एक उत्तर सरकारी

[श्री रूपचन्द पाल]

कर्मचारी अवधारणा से संबंधित था। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? वीडियो टेप में सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष को पैस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी सत्तारूढ़ दल कहता है कि वे भ्रष्टाचार से ऊपर हैं और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। हमने मांग की है कि रक्षा मंत्री को सभी दस्तावेजों के साथ आने दीजिए और लोक लेखा समिति उपलब्ध सभी दस्तावेजों की जांच करें।

महोदय, भ्रष्टाचार का यह स्तर है। अब संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस तरह से इस देश के वित्त मंत्री ने जानबूझ कर अथवा अन्यथा अपने कृत्यों, अपनी चूके से कई बार जानते हुए और कई बार अनजाने में यू. टी.आई. के यू.एस.-64 यूनिट के मामले में कार्यवाही की थी। ऐसे प्रमाण हैं जिनसे सरकार, वित्त मंत्री मुक्त नहीं हो सकते हैं। उच्चाधिकारियों के परिवारों के नाम हैं। इस तरह की मजेदार गप्प और कहानियां प्रकाशित की गई हैं कि कौन किससे मिल रहा है। लेकिन सरकार मौन साधे हुए है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

मैं समझता हूं कि एक निकाय के रूप में सी.बी.आई. को स्थिति की आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। सी.बी.आई. का प्रयोग अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। केन्द्रीय सतकर्ता आयोग (सी.वी.सी.) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) के बीच एक संबंध है। यहां तक कि देश के मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं कि 20 प्रतिशत न्यायाधीश भ्रष्ट है। यह टिप्पणी मेरी नहीं है। यदि न्यायाधीश भ्रष्ट हैं, मंत्रियों और उच्च पदों पर आसीन लोगों के परिवार के सदस्य और संबंधीगण तथा अन्य उच्च पदों पर आसीन लोग भ्रष्ट लोगों के संपर्क में आते हैं और उनकी मजेदार कहानियां बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का देश के प्रति उत्तरदायित्व बनता है कि वह पारदर्शिता के साथ-साथ उत्तरदायिता भी दर्शाए। लेकिन यह सरकार अपने उत्तरदायित्व से बच रही है। यह लोकपाल विधेयक को दबाकर बैठी है। यह चुनाव सुधारों के प्रति गंभीर भी नहीं है। यह उचित एजेंसियों को पर्याप्त शक्तियां नहीं दे रही है, बल्कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनका दुरुपयोग कर रही है। जैसा कि मैं कह रहा हूं सी.बी.आई. का दुरुपयोग हो रहा है कल ही ऐसा एक मामला सामने आया है पर मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता।

रक्षा मामलों के बारे में 20 फरवरी को ही-यदि तारीख के बारे में मैं गलत नहीं हूं तो-एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने रक्षाकर्मी के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने के संबंध में क्या किया गया इसकी सूचना दी। उन्हें सजा दी गई, कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें सजा मिली। लेकिन उन मुख्य सिविल प्राधिकारियों का क्या हुआ जिनके नाम भी इसमें शामिल थे।

ऐसी स्थिति में, इन सभी विसंगतियों को देखते हुए मैं इस निर्देशात्मक सिद्धांत का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक में किए गए प्रावधान सहायक सिद्ध नहीं होंगे। निस्संदेह यह सत्य है कि कभी-कभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। सरकार की इस बाध्यता को पूरा करने के लिए रक्षा और अन्य दूसरे क्षेत्रों में उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। किसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए किसी अधिकारी द्वारा विशेष तरीके से कोई कार्य करने के लिए उसे संरक्षण देना एक अलग बात है जबकि जानबूझकर, नियोजित तरीके से भ्रष्ट आचरण में लिप्त होना और किसी संस्था को नष्ट करना बिल्कुल अलग बात है।

न्यायपालिका और कार्यपालिका सहित ऐसे स्थानों पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। हम जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं 'ओह ये राजनेता है यह तो भ्रष्ट ही होगा'। यह एक राजनेता की छवि है। लेकिन कुछ पूरी तरह समर्पित राजनेता भी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए अर्पित कर दिया है। ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद उनके पास कुछ कमीज, पाजामें, बैग, पैन और छोटी-मोटी चीजें ही मिलती हैं। ऐसे लोग आज भी हैं। ऐसी स्थिति में, यह हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि राजनेताओं-चाहे वह विधायक हो, सांसद या कोई मंत्री हो, की छवि में सुधार लाएं। राजनेता होने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति भ्रष्ट है। सब राजनेता भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होते। कुछ लोग तो भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। वे सुबह से लेकर शाम तक अपनी जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं और और उनके भ्रष्ट आचरण की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। केवल कुछेक लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यदि सही संस्थान और सही विधिक उपायों के माध्यम से इनसे उचित ढंग से निपटा जाए तो मैं समझता हूं कि हम अपनी छवि में निखार ला सकते है और देश का पुनः निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्रों के समूह में जो हमारे देश की छवि बनी है कि भारत एक बहुत भ्रष्ट देश है, हम इसमें सुधार ला सकते हैं। हम इस छवि को निखार सकते हैं। मैं समझता

हूं कि ऐसी स्थिति में आप केवल इसी विधेयक के बारे में नहीं बल्कि इसके साथ-साथ लोकपाल विधेयक और चुनाव सुधारों के बारे में भी सोचें। पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। लोक लेखा समिति और ऐसे अन्य संस्थानों व निकायों को किसी मामले पर सही निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से संबंधित सभी सामग्री प्राप्त करने की अनुमति होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वास्तव में बहुत सुन्दर बिल, बहुत अच्छा बिल जिसकी देश में बहुत बड़ी आवश्यकता थी, वह बिल यहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया है क्योंकि भ्रष्टाचार हर अंग में व्याप्त है, ऐसा मेरे सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कटिबद्ध है इसलिए इस भावना का कहीं पर विरोध न मैं कर रहा हूं और न आगे आने वाले वक्ता जो बोलेंगे, वे इस बिल का विरोध नहीं करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। यह बिल छोटा सा बिल है। कमेटी ऑन प्रीवेंशन ऑफ करप्शन यह एक के. संथानम साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं सिफारिश कर रहा हूं कि एक सैनट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया जाए। सीवीसी बने, यह प्रस्ताव 24.8.64 को ईवीडी के द्वारा और यह 11 फरवरी, 1964 को बन गया तो उसके बाद बहुत दिक्कतें चलती रहीं और उसके बाद क्या हुआ कि यह होम अफेयर्स के तहत नहीं रहकर एक इंडिविजुअल बॉडी हो जाए ताकि देश में जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी रोकथाम की जा सके। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत यह पहले था लेकिन उसके बाद वहां से हटा दिया गया और इसको स्वतंत्र और पूर्ण अधिकार दे दिया गया। इसको पूर्ण अधिकार इसलिए दिया गया, जैसे यूनियन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों की नियुक्ति भारत के प्रेसीडेंट के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार इस कमेटी के कमिश्नर की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। उनको साधारणतः न हटाया जाएगा, न उनको सस्पेंड किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा बाकी साधारणतः न राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं और न इनको संस्पेंड किया जा सकता है। इस प्रकार का अधिकार दिया गया है। इसका संशोधन 1995 में किया गया। सितम्बर 1997 में श्री बी. जी. देशमुख के नेतृत्व में एक स्वतंत्र रिव्यू कमेटी बनाई गई, उसमें गिरि साहब थे बाकी बौरा साहब उसके मैम्बर थे। यह कहा गया कि इस कमीशन को शक्ति दी जाए जिससे भ्रष्टाचार मिट सके। यह इस बिल में प्रावधान करने वाला उनका विचार था। इसके बाद 18 दिसम्बर, 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक डायरेक्शन दिया कि इसको विनीत नारायण वर्सेज अगस्त वाले मामले में यह अधिकार दिया गया कि इस पर ठीक से पुनर्विचार किया जाए और एक केस, जैन हवाला केस में कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें अधिक शक्ति देने वाली बात कही और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक अध्यादेश निकाला गया और उसके बाद 25 अगस्त, 1998 को और फिर 27 अक्तूबर, 1998 को सैन्ट्रल विजिलेंस कमीशन ने यह सारा पास किया और स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया। बीच में यह लोक सभा में पास हो गया लेकिन राज्य सभा में लैप्स हो गया। इसके बाद 15 मार्च, 1999 को राज्य सभा में गया और बारहवीं लोक सभा में जैसा कि आपको ध्यान होगा, आप भी मेरे साथ मैम्बर थे, मैं भी उस समय मैम्बर था। उस समय बार-बार एक-डेढ़ साल में चुनाव हो रहे थे और लोग कहेंगे कि महाराज, आप तो फिर आ गए, गटर का पानी तो बह ही रहा है। अब लोक सभा के मैम्बर का गटर के पानी से क्या हिसाब है लेकिन कुछ दुर्भाग्य रहा। दो-तीन बार मैं भी गोता खा गया। 1999 में आया था, इसके बाद गोता खाता चला गया और लोक सभा भंग हो गई और यह बिल भी फेल हो गया। फिर आखिरकार यह बिल आता कहां से? इसके बाद 5 अप्रैल, 1999 को अध्यादेश की सीमा समाप्त हो रही थी। भारत सरकार ने सचेत होकर 4 अप्रैल, 1999 को एक एक्सट्रा-ऑर्डिनरी गजैट निकाल दिया।

अपराह्न 4.00 बजे

उस बिल के लिए जो आर्डिनेंस वापस निकाला था, उसको जीवित करने का काम भारत सरकार ने किया, इसके लिए मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसम्बर, 1997 को सेंट्रल विजीलैंस कमीशन को और शक्ति देने वाली बात कही, मैं समझता हूं उसके लिए यह बिल बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि सरकार द्वारा सतर्कता आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। यह अधिकार देकर उसको और शक्तिशाली बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया है, यह एक ठीक प्रयास है। पहले उसकी पहचान विभाग के रूप में होती थी, लेकिन अब स्वतंत्र विभाग हो गया है इससे इसकी ताकत संवैधानिकता के नाते और बढ़ गई है। इसलिए मंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए, जो अधिकारी ईमानदार होगा, मैं समझता हूं सरकार को उसको हटाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जो अधिकारी बेईमान है और बेईमानी करता है, उसका अखबारों में प्रचार हो और उसको हटा दिया जाए। आजकल हम देख रहे हैं

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

कि चाहे बड़े-बड़े नेता हों या बड़े-बड़े अधिकारी हों, टी.वी. पर उनकी फोटो आती है, लेकिन उनमें से एक भी नेता को नहीं हटाया गया। मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सब जानते हैं कि कौन आदमी कौन-कौन से घोटालों में लिप्त रहे हैं। भारत सरकार को इस संबंध में भी प्रयास करना चाहिए।

रक्षा मंत्री जी पर जब 75 करोड़ रुपए का आरोप लगा था, तो उन्होंने देखा कि मुझ पर आरोप लगा है तो जार्ज साहब ने वह मामला सी.बी.आई. को सौंप दिया था। यह उनका बड़प्पन था। रक्षा मंत्री जी के इस उदाहरण को लेकर लोगों को आचरण करना चाहिए। भ्रष्ट आदमी का नाम समाचार पत्रों में बाकायदा आना चाहिए और यह भी आना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है कि लोकपाल बिल भी आना चाहिए, मैं समझता हूं कि वह भी सरकार शीघ्र संसद में लाए। चुनावों में बेईमानी होना स्वाभाविक बात है। हर आदमी कहता है कि मुझे जीप चाहिए, झंडे चाहिए। इनको ले जाकर वह अपने घर में रख लेता है। इस तरह से चुनावों में भी बेईमानी होती है। उसके लिए जो आप बिल लाएंगे, उससे यह खामी भी दूर हो जाएगी। सुना जा रहा है कि यह लोक सभा पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा न करे। इस तरह की बात जब सदन में आती है तो हम डर जाते हैं कि हे प्रभो, फिर से सबके सामने जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोकपाल बिल भी जल्दी से जल्दी लाएं, तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं फिर से भारत सरकार को इस बिल के लिए धन्यवाद दे रहा हूं। इसके साथ ही मैं सभी वक्ताओं से प्रार्थना करता हूं कि सरकार की जो भ्रष्टाचार मिटाने की जो मंशा है, उसकी कद्र करते हुए इस बिल को पास करें। भारत सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, काम नहीं करते हैं, अपना वेतन उठा लेते हैं और उसके अलावा भी जो उठाने का प्रयास करते हैं, उन पर भारत सरकार रोक लगा सके, उसके लिए यह बिल वास्तव में सही है।

अपराह्न 4.03 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

मैं इसके लिए मंत्री जी को और सरकार को बधाई देता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 पर अपनी बात कहने का मौका प्रदान किया। सरकार द्वारा जो यह विधेयक पेश किया गया है, यह स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने स्वतंत्रता और स्वायत्ता इस आयोग को प्रदान करने की बात कही है। लेकिन यदि इसकी नियुक्ति में सरकार की प्रतिछाया नजर आएगी, तो मैं समझता हूं कि यह आयोग स्वतंत्र और निष्पक्षतापूर्वक अपना कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप धारण कर चुका है। आज भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे होकर बह रही है। अभी रूपचन्द पाल जी ने बताया कि हमारा सेंट्रल विजीलेंस कमीशन 39 वर्षों से इस दे में काम कर रहा है। इतने वर्ष से कार्य करने के बाद भी हम भ्रष्टाचार की रफ्तार पर अंकुश नहीं लगा पाए, बल्कि भ्रष्टाचार की रफ्तार प्रतिवर्ष बढ़ती चली गई है। आज देश उस मुहाने पर खड़ा है, जब भारतवर्ष को एक भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में चिन्हित किया जाता है। यह हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है। आज देश की राजधानी दिल्ली और उसके अगल-बगल में नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद से लेकर विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों के अंदर ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं इस बात की चुनौती दे रही हैं कि कहीं न कहीं हमें भ्रष्टाचार के कार्य के लिए राजनीतिक आकाओं का संरक्षण प्राप्त है। वे इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि इस देश के अंदर जो प्रचलित कानून हैं उनको हम ठेंगा दिखाने में समर्थ हैं, इस देश के कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। देश की राजधानी और प्रदेशों की राजधानियों के अंदर नौकरशाहों और पूंजीपतियों के आलीशान मकानों का ही केवल सर्वेक्षण कर लीजिए और उन पर अंकुश लगा दीजिए तो भ्रष्टाचारियों के मन में भय पैदा होगा। लेकिन चाहे चुनाव आयोग हो, सीवीसी हो या सीबीआई हो, ये केवल पाला छूने भर का कार्य करते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बुनियादी परिवर्तन जो होना चाहिए, वह नहीं होता है। माननीय टी. एन. शेषन साहब जब चुनाव आयोग में आए थे तो लोगों की आशा जगी थी कि अब चुनाव प्रक्रिया में सुधार आ जाएगा और चुनाव की प्रक्रिया की बुराइयां दूर हो जाएंगी। लेकिन वे अपना कार्यकाल समाप्त करके चले गए। उसके बाद कई लोग चुनाव आयोग में आए लेकिन चुनाव की खामियां अभी भी बरकरार हैं। आज भी चुनाव के अंदर धन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अगर चुनाव में धन के प्रभाव को नहीं रोका गया तो आप भ्रष्टाचार को मिटाने में, उस पर अंकुश लगाने में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। अगर पूंजिपतियों के धन के बल पर लोग सत्ता में आएंगे तो उन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का काम यह तंत्र नहीं कर पाएगा, यह तंत्र विफल रहेगा। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में भी आपको आगे आना होगा। जैसा कि ब्रिटेन और अमरीका

में है कि वहां पर एक मंच उपलब्ध करा दिया जाता है जहां से विभिन्न पार्टियों के नेता अपनी बात कहकर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने का कार्य यदि आपने किया और निजी धन खर्च करने की छूट समाप्त कर दी तो निश्चित रूप से चनुाव प्रक्रिया में सुधार आएगा। मेरा आपसे कहना है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया में सुधार नहीं आएगा, तब तक भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता है। देश की जनता के मन में यह धारणा पैदा हो गई है कि राजसत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के द्वारा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है और वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

तहलका–डॉट–कॉम प्रकरण के अंदर जो दिखाया गया वह पूरी दुनिया ने देखा। यह हमारे लिए शर्म का विषय है। एक सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधे–सीधे रिश्वत लेते दिखाया जाता हो, यह हमारे लिए शर्म की बात है। तहलका–डॉट–कॉम प्रकरण से यह प्रमाणित हुआ कि सरकार में रक्षा के लिए जो विभाग है, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इतना ही नहीं, आपरेशन विजय के समय जो हुआ, जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि कफन चोरी करने का काम, ताबूत के अंदर कमीशन लेने का काम भी किया गया है। जहां शहीदों के कफन में चोरी करने का काम किया जा रहा हो, वहां भ्रष्टाधार मिटाने की बातें आप करेंगे, तो कितनी भी शक्तियां आप उनको प्रदान करे दें, हमारे सब प्रयास विफल होंगे।

इसके पहले सीवीसी के चेयरमैन साहब थे, उनकी बहुत सी बातें हम अखबारों और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुना करते थे। वे बहुत आदर्श की लम्बी–चौड़ी बातें किया करते थे। लेकिन माननीय, एन. विट्ठल साहब उससे पहले जब प्रशासनिक पदों पर थे तो उन्होंने उन सुधारों को करने की दिशा में क्या कोई कदम उठाए, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। ऐसे पदों पर बैठे लोगों की कथनी और करनी में एकरूपता होनी चाहिए, तथी कोई सुधार हो सकता है।

अभी माननीय पांडियन साहब ने कहा कि न्यायालय के निर्देश पर हम यह कार्य करने जा रहे हैं। हमें ऐसा करना चाहिए जिससे यह न लगे कि न्यायालय के निर्देश पर ही हम यह कार्य करने जा रहे हैं। मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि संसदीय प्रणाली जब विफल होगी तो बाध्य होकर न्यायालय को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है तो यह कोई अनुचित नहीं है। यह हमारा जो सिस्टम है, यह उसकी विफलता का परिणाम है जो न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इसलिए हम संसद से भी आग्रह करेंगे कि हमें इस तंत्र के अंदर जो विफलताएं उनको चिह्नित करके, हैं उनको दूर करने का कार्य करें, वरना यह संसदीय जनतंत्र समाप्त हो जाएगा।

हम आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में यदि कर्मचारियों को ही रखेंगे, तो भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पाएंगे। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में प्रधान मंत्री कार्यालय को भी लाएं, मंत्रियों को भी लाने का काम करें, मुख्य मंत्रियों को भी लाने का काम करें और राज्यों के मंत्रियों को भी लाने का काम करें। यदि इनको इस दायरे में नहीं लाते हैं, तो पहले लोकपाल विधेयक लेकर आइए और इस विधेयक को परित करिए। अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में एक बात घर करती चली जा रही है कि हमारे ऊपर तो कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगोत्री जहां ऊपर से बह रही है, वे लोग अपने ऊपर कोई भी शिकंजा कसना नहीं चाहते हैं। इसलिए माननीय मंत्री, श्री हरिन पाठक जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, तहलका प्रकरण का सम्पूर्ण घटनाक्रम पूरे देश और दुनिया ने देखा, उस समय आप रक्षा उत्पादन मंत्री थे। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस घटना से सेना का मनोबल गिरा था, सैनिकों का मनोबल गिरा था। जो सैनिक देश की सीमाओं पर हैं, देश की हिफाजत के लिए तैनात थे, उनका मनोबल गिरा था। खासकर किसान और मजदूर तो सबसे ज्यादा इस भ्रष्टाचार के रोग से पीड़ित हैं। जब गांव के स्तर पर किसान और मजदूर, लेखपाल से लेकर सिपाही तक 10–20–50 रुपए रिश्वत देता है और हम थाने तथा तहसीलदार तक अपनी लगाम नहीं कस पाते हैं तथा वे जब तर्क देते हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग करोड़ों के घोटालों में लिप्त हैं तो हमारी जबानें बन्द हो जाती हैं। हमारे राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जबानें बंद हो जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हें कठोर–से–कठोर दंड देने का प्रावधान नहीं करेंगे, तो हम निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को इस देश से खत्म नहीं कर सकते हैं। हम चाहे कितनी ही शक्तियां इस विधेयक के माध्यम से केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दे दें, इस दिशा में प्रगति नहीं हो सकती है। इस विधेयक में मैंने देखा है कि नियुक्तियों के अधिकार के लिए प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी और नेता विरोधी दल–इन तीन लोगों की समिति गठित की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन तीन लोगों की समिति में भी सरकार की छाया नजर आएगी, क्योंकि नेता विरोधी दल अकेली होंगी और प्रधान मंत्री व गृह मंत्री दोनों संयुक्त खड़े होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन नियुक्तियों की प्रक्रिया में भी संशोधन करने का कार्य करिए। मेरे विचार से अच्छा होगा, यदि यह

[कुंवर अखिलेश सिंह]

अधिकार आप सुप्रीम कोर्ट को दे दें, तो निष्पक्षता से चयन होगा। सुप्रीम कोर्ट तय करने का कार्य करे। यह अधिकार प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और नेता विरोधी दल से लेकर सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट को दे, तो अच्छी व्यवस्था उभर आएगी।

मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आज जो हमारी संसदीय लोकतन्त्र की विफलता है, वह संसदीय लोकतन्त्र की विफलता को रोकने के लिए हमें निश्चित ही तौर पर कठोर वित्तीय अनुशासन का पालन करना होगा। अभी जो लोग सीधे रिश्वत ले रहे हैं, वे स्वयं उस सीमा में आएं। जो अपनी नीतियों, कृत्यों के द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको भी इस परिधि में लाना चाहिए। अभी दिन में दो बजे मैं भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के बीच में गया था, उनको सम्बोधित करके आ रहा हूं। गत वर्ष उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने बीच में एक दलाल को नियुक्त कर दिया है कि ये ठेका लेंगे और स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम करेंगे। इस व्यवस्था में 55-60 करोड़ रुपए खर्च हुआ, कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारी पुरानी व्यवस्था को ही बहाल करें, लेकिन खाद्य मंत्रालय लगातार भारतीय खाद्य निगम के तन्त्र पर दबाव डाल रहा है कि नहीं दलाली व्यवस्था को जारी रखने का काम करें। 42 करोड़ रुपए जब खर्च हो रहे थे तो कर्मचारी संतुष्ट थे लेकिन 60 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मेरा विचार है कि इन को भी इस विधेयक की परिधि में लाना चाहिए। जो लोग इसके उत्तरदायी हैं, उनको निश्चित ही तौर पर कठोर दंड दिया जाना चाहिए, तभी हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक का समर्थन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिए हैं, निश्चित ही तौर पर उन सुझावों पर आप गम्भीरता से विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए अनिच्छापूर्वक खड़ा हुआ हूं। अनिच्छापूर्वक शब्द को मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से सामने लाए गए सभी पहलुओं का मैं पूरी तरह समर्थन नहीं करता।

हाल ही में मैंने दो प्रतिवेदनों को पढ़ा। उनमें से एक प्रतिवेदन विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई थी और दूसरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन द्वारा। विश्व बैंक की रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, गरीबी का स्तर, शिक्षा की दर, जनसंख्या वृद्धि जैसी हर बात के संबंध में 191 देशों के तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं। उन्होंने एक तुलनात्मक विवरण दिया है। किसी देश की संपन्नता के संबंध में मैंने प्रतिव्यक्ति आय का तुलनात्मक विवरण बनाया और प्रति व्यक्ति आय स्विटजरलैंड में सबसे अधिक है, जो कि 38,140 डालर प्रतिवर्ष है। इस प्रकार स्टिजरलैंड के बाद जापान, डेनमार्क, हांगकांग, फिनलैंड, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि का स्थान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में लिए गए 91 देशों में भारत का स्थान 72वां है। मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि विश्व बैंक को रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में पहले 20 देश ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ईमानदारी की सूची के पहले 20 देश हैं। इसका मतलब है कि विश्व के वे सभी देश जो अमीर हैं, ईमानदार भी हैं। यदि आप नीचे से शुरू करें तो सबसे अधिक बेईमान देश हैं, बंगलादेश, नाइजीरिया, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या, निकारागुआ, इक्वोडोर, पाकिस्तान, रूस तंजनिया, उक्रेन, अजरबेजान, बोलिविया आदि। ये सबसे गरीब देश भी हैं। इस तरह गरीबी और बेईमानी से गहरा संबंध है। इन दोनों प्रतिवेदनों से मैंने यही सीखा। इस प्रकार महोदय हम सदैव यह पूछते हैं कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, इसी तरह हम कह सकते हैं कि पहले गरीबी या भ्रष्टाचार। कुछ लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं इसीलिए भ्रष्ट हैं। और कुछ कहते हैं कि हम भ्रष्ट हैं इसीलिए गरीब हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भ्रष्टाचार गरीब विरोधी, विकास विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। हम इसीलिए गरीब हैं कि हम भ्रष्ट हैं। एशिया में हांगकांग, सिंगापुर, जापान, चीन और कोरिया के संपन्न होने में यह एक महत्वपूर्ण कारण है। ऐसा इसीलिए है कि यह एशिया के सबसे अधिक ईमानदार देश हैं।

महोदय, हम भ्रष्टाचार के बारे में कतई सहनशीलता न रखने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार उन देशों में फैल रहा है जिनके संसाधन व्यर्थ हो रहे हैं और जिनकी संसदीय व्यवस्था को उसके उन संस्थानों ने पंगु बना दिया है जो कि भ्रष्टाचार की अनदेखी करके भ्रष्ट गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। राजनेताओं के स्तर पर भ्रष्टाचार गरीब देशों को लेन-देन में व्यर्थ का व्यय करने को मजबूर करते हैं जहां कि घूस ली जा सकती हो। कभी-कभी विश्व बैंक और गैर-सरकारी संगठनों जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देती हैं क्योंकि अग्रिम दिए गए ऋण का उचित लेखा न रखने के कारण इसका अक्सर दुरुपयोग होता है।

अगर आप इस देश की प्रक्रिया का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि सारी व्यवस्था भ्रष्ट व्यक्तियों को संरक्षण देने में लगी है। उदाहरण के लिए यदि आप बैंकों में जाएं तो बैंक आपको प्रमुख दोषियों के नाम नहीं बताएंगे। आयकर विभाग उन बड़े–बड़े कर निर्धारितियों के नाम नहीं बताएगा जो कि कर देने से मना करते हैं। सरकारी खरीद में लगी विभिन्न एजेंसियां सार्वजनिक तौर पर उन बेईमान पार्टियों के नाम नहीं बतातीं जिन्होंने आकर्षक ठेके लेने के लिए अधिकारियों और राजनेताओं को घूस दी है। इस देश के 65 प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान हर समय लाभ कमाते हैं लेकिन वे कर नहीं देते। अतः ऐसा लगता है कि सारी व्यवस्था ही इस ढंग से बनाई गई है। लेकिन वर्तमान विश्व में पारदर्शिता और लोकतंत्र का प्रचलन है। अगर कोई देश विश्व की महाशक्ति बनना चाहता है तो इसे पारदर्शी बनना पड़ेगा। यदि आप विश्व व्यापार संगठन का उदाहरण लें तो इसमें सरकारी खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने का प्रमुख तर्क दिया जाता है। हाल ही में मैं डब्ल्यू. टी.ओ. पर संसदीय फोरम की एक बैठक में भाग लेने जिनेवा गया था। वहां पर भी सरकारी खरीद में पारदर्शिता के मुद्दे पर प्रमुख रूप से बहस की गई।

महोदय, अमरीका के आसूचना स्रोतों ने आकलन किया है कि सरकारी ठेके प्राप्त करने वाली 80 प्रतिशत फर्में रिश्वत देती हैं। इसका मतलब यह है कि कम विकसित देशों या हमारे जैसे विकासशील देशों में वे प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। अतः आर्थिक उदारीकरण का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पहले भ्रष्टाचार से निपटना होगा।

महोदय, अब मैं एक अन्य मुद्दा उठाना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन भाषणों से नहीं किया जा सकता। यह एक प्रणालीगत समस्या है यदि आप इस प्रणाली में जरा भी सुधार करेंगे तो भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हाल ही में मैं फ्रैंकफुर्त गया। मैं एक वाहन से यात्रा कर रहा था। ड्राइवर एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने गया। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के लिए कोई नहीं था। उसने स्वयं पेट्रोल भरा, मीटर पर आए पैसे अदा किए और बाकी बचे पैसे लेकर वह चला आया। मैंने उससे पूछा कि 'यदि कोई पैसे न चुकाए तो क्या हो?' उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि 'इस देश में कोई भी ऐसा नहीं करता।' रात्रि में मैं भारत के प्रमुख वाणिज्य दूत द्वारा दी गई एक दावत में गया। मैंने उनसे पूछा : "क्या जर्मनी में हर कोई धर्म युधिष्ठिर है? कोई चोर नहीं है? क्या कोई रिश्वत नहीं लेता?" उसने बताया : "यहां हर व्यक्ति युधिष्ठिर नहीं है। कोई व्यक्ति पेट्रोल भर कर पैसे न चुकाए तो वह बच सकता है। लेकिम यदि वह पकड़ा गया तो उसे कम से कम तीन साल का कारावास होगा।" हमारे देश में हर कोई जानता है कि यदि वह पकड़ा भी गया तो विधिक व्यवस्था के कारण बच सकता है।

महोदय, मैं सम्माननीय संयुक्त समिति द्वारा लाए गए ज्यादातर संशोधनों का समर्थन करता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि समिति में दो सदस्य होने चाहिए। इसका मतलब है कि पांच सदस्यों के स्थान पर तीन सदस्य होने चाहिए। इसे कम करके तीन कर दिया है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त की सहमति से किया गया है।

मेरा दूसरा मुद्दा है कि इस विधेयक के अनुसार प्रमुख सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त को भारत सरकार में या किसी राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश में आगे रोजगार प्राप्त करने के अयोग्य बनाया गया है।

महोदय, यह ठीक है। मैं समझ गया कि वह कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे परन्तु क्या वह कोई चुनाव लड़ने के योग्य होंगे? यहां उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उदाहरण हैं। अपना पद त्यागने के पश्चात वे चुनाव लड़ रहे हैं और संसद में भी आ रहे हैं। क्या हमें यह होने देना चाहिए? यदि हम किसी को सरकारी पद स्वीकार करने की अनुमति नहीं देने जा रहे हैं तो आप उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? चुनाव लड़ने का अर्थ है जब आप पद पर हैं तो किसी राजनैतिक दल के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। अतः यहां मुझे कड़ी आपत्ति है। उन्हें न केवल कोई सरकारी पद प्राप्त करने के अयोग्य होना चाहिए अपितु उन्हें किसी भी राजनैतिक दल के झंडे तले चुनाव लड़ने या कोई भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इसके बाद, मैं अक्षमता संबंधी धारा से सहमति जताता हूं जिसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त को उसकी अक्षमता के चलते हटाया जा सकता है। मैं 'अधीक्षण की शक्तियों का उपयोग' धारा से भी सहमत हूं जिसमें यह प्रावधान दिया गया है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त किसी नीतिगत मामले में दखल नहीं दे सकता। लेकिन मुझे इस एकल निदेश के प्रति गहरी आपत्ति है।

माननीय संसद सदस्य, श्री शिवराज वि. पाटील ने यह विचार–विमर्श आरम्भ किया और उनके बाद माननीय संसद सदस्य श्री अनादि साहू बोले। ये सभी बहुत अनुभवी व्यक्ति

[श्री खारबेल स्वाइं]

हैं। उन्होंने कहा कि हां, सच्चे अधिकारियों को स्वतन्त्र निर्णय लेने हेतु संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं क्योंकि यदि किसी अधिकारी को मामलों का हवाला देकर डराया जाता है तो वह कोई भी स्वतन्त्र निर्णय लेने से पूर्व भयभीत हो सकता है। यह बिलकुल ठीक है। अब सरकार उस पर अभियोग लगाने की अनुमति देगी। लेकिन मेरा प्रश्न यह है : 'यदि सरकार उस पर अभियोग लमाने हेतु समय पर अनुमति नहीं देती है तो क्या होगा?' आप इन उदाहरणों को लें। मैं आपको तथ्य बता सकता हूं। मार्च, 2000 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु 1100 मामले लंबित थे। अन्य 1300 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर जांच कार्यवाही करने के मामले लंबित हैं। अतः मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कृपया समाचार पत्रों की रिपोर्टें देखें। जब संयुक्त संसदीय समिति उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद एक निदेश के कारक को बनाए रखना चाहती थी तो समाचार पत्रों में क्या लिखा गया था? उन्होंने लिखा था कि नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच बहुत मजबूत संबंध हैं, नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच गठजोड़ है, और वे एक-दूसरे को बचा रहे हैं। देश में यह एक आम सोच है।

सभापति महोदय : श्री खारबेल स्वाइं, क्या आप इससे सहमत हैं कि देश में चरित्र का संकट पैदा हो गया है? आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मेरा जोर इस बात पर है कि यह मानवीय प्रकृति विश्वव्यापी है। मैं कई बार विदेशों में गया। मुझे नहीं लगता कि एक भारतीय और एक विदेशी के चरित्र में कोई अन्तर है। मैं उस वाहन चालक का उल्लेख कर रहा था जिसने स्वयं राशि का भुगतान किया। वह जर्मन नहीं था; वह एक भारतीय था। उसने ऐसा जर्मनी में किया था लेकिन वह वही कार्य यहां नहीं करेगा क्योंकि यहां का वातावरण, विधि व्यवस्था पूर्णतया भिन्न हैं। मैं इसी का उल्लेख कर रहा था। मैं यह नहीं कहता कि कोई भारतीय भ्रष्ट है और एक जर्मन या अमरीकी धर्मराज युधिष्ठिर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हू। बात केवल यह है कि हमें व्यवस्था को सुदृढ़ करना पडेगा। अतः यहां मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि यदि एक एकल निदेश प्रणाली होनी चाहिए तो एक निर्धारित समय सीमा भी होनी चाहिए जिसके अन्दर-अन्दर सरकार या तो स्वीकृति प्रदान कर दे या स्वीकृति प्रदान न करे। यदि सरकार स्वीकृति प्रदान नहीं करती है तो उसे इसका कारण भी अवश्य देना चाहिए कि उसने एक अधिकारी विशेष पर अभियोग लगाने की अनुमति क्यों नहीं दी।

यह मेरा सुझाव है। यदि अभी नहीं तो सरकार को भविष्य में इस पर विचार करना चाहिए और एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिससे कि जब मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा सरकार से किसी अधिकारी पर अभियोग लगाने की अनुमति मांगी जाए तो वह उस निर्धारित समयावधि में अनुमति प्रदान करे। यह सुझाव देने के साथ-साथ मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने का यह कोई एकमात्र तरीका नहीं हो सकता।

मेरा अगला सुझाव यह है कि सरकार को प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त हुए पत्र का उत्तर देना चाहिए। मैं स्वतन्त्रता के पश्चात पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने सुना है कि जब ब्रिटिश सरकार को कोई पत्र लिखा जाता था तो उसका उत्तर मिलता था। यह एक लोकतंत्र है। ये इस देश के लोग हैं जो सरकार चुनते हैं और जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करते हैं। अतः इन लोगों को सरकारी अधिकारियों या राजनैतिक व्यक्तियों से जवाब क्यों नहीं मिलना चाहिए? कम्प्यूटरों के आने के बाद और सब चीजों के कम्प्यूटरीकृत हो जाने के बाद इस देश के किसी व्यक्ति द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर देना बहुत सरल हो गया है। अतः मैं इस सरकार से विशेषकर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार से अपील करता हूं कि वह मेरे सुझाव पर विचार करे और जब भी कोई व्यक्ति सरकार को पत्र लिखे तो उसे उसका उत्तर मिलना चाहिए जिससे कि वह कम से कम यह तो सोचे कि इस सरकार ने इस देश की व्यवस्था में कुछ मूलभूत परिवर्तन किया है।

हम पहले ही संसद में सूचना का अधिकार विधेयक पारित कर चुके हैं। विभिन्न राज्य सरकारें इस प्रकार के विधेयक पारित कर चुकी हैं परन्तु राज्य सरकारों ने अपने सूचना का अधिकार विधेयक में कुछ ऐसी कमियां छोड़ दी हैं जिनके कारण कोई अधिकारी यह कहते हुए वह सूचना देने से इंकार कर सकता है कि वह गोपनीय है और प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। मेरी सरकार से यह अपील है कि वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर जोर डाले--जैसा कि वी. ए.टी. (वैट) को शुरू करने के लिए किया गया था-कि वे भारत भर में एक समान सूचना का अधिकार विधेयक बनाएं

जिससे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज की मांग करे तो उसे उस सरकार द्वारा वह उपलब्ध कराया जाए।

भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने हेतु जब भी कोई सरकारी कर्मचारी पचास वर्ष की आयु पूरी कर ले तो उसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जानी चाहिए। इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या वह अगले दस वर्ष तक कुशलतापूर्वक कार्य करता रह सकता है। यदि उसका कार्यनिष्पादन अच्छा है और वह ईमानदार तथा सक्रिय है तो उसे साठ वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उसे स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए कह दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर नए व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। किसी भी नौकरी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार सेवा में आ जाने के बाद किसी व्यक्ति को 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने की गारंटी मिल जाए फिर चाहे उसका कार्यनिष्पादन अच्छा हो या नहीं, चाहे वह ईमानदार हो या नहीं।

राज्य सरकारों के स्तर पर एक चीज है जिसे 'दर की तालिका' कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी ठेके के लिए बोली लगाता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वह उस दर तालिका के अनुसार बोली लगाएगा। यदि हम ईंटों का उदाहरण लें तो इसकी दर तालिका तीन से चार वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। यदि आज बाजार में एक हजार ईंटों का मूल्य 1800 रुपये है तो जब चार वर्ष पूर्व यह दर निर्धारित की गई होगी तो उस समय यह 600 रुपये रहा होगा। अतः ठेकेदार तीन हजार ईंटों के स्थान पर केवल 1000 ईंटें ही खरीदेगा क्योंकि चार वर्ष पूर्व निर्धारित की गई दरों पर तो एक हजार ईंटें ही आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियंता या सहायक अभियंता उस बिल पर तभी हस्ताक्षर करेगा जब उसे पर्याप्त रिश्वत दे दी गई होगी। अतः हम हर छह महीने बाद दर तालिका में परिवर्तन क्यों नहीं करते?

ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? वर्षों से ऐसा नहीं किया जा रहा है क्योंकि हम जानबूझकर इन भ्रष्ट परम्पराओं को समर्थन दे रहे हैं।

अंतिम परन्तु महत्वपूर्ण बात, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में क्या विचार है? न्यायपालिका यह कहती है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। लेकिन एक न्यायाधीश के बारे में क्या विचार है? क्या वह सबके समान है या वह कानून से ऊपर है? सरकार एक राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना पर विचार कर रही थी जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। अतः मैं सरकार से शीघ्रातिशीघ्र एक राष्ट्रीय विधि आयोग स्थापित करने की अपील करूंगा। आजकल क्या हो रहा है? आजकल न्यायाधीश अपने भाई–भतीजों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय विधि आयोग के माध्यम से हो।

महोदय, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, मैं अनिच्छापूर्वक इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि कुछ न होने से कुछ होना अच्छा है और इस सरकार द्वारा कुछ तो किया गया है।

श्री अनादि साहू : सभापति महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं समय सीमा के बारे में कुछ संदेह दूर करना चाहूंगा। खण्ड 21 और 22 के अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्र सरकार को शक्तियां निर्धारित करने के बारे में, नियम के अन्तर्गत पर्याप्त ध्यान दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, देश में भ्रष्टाचार की एक बड़ी भारी समस्या है। विद्वानों ने, सभी ने इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी एवं विभिन्न लिखा–पढ़ी की बात कही है, लेकिन हम लोग तो रोज देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नीचे से ऊपर तक हर जगह, जहां डैवलपमेंट की बात कही जाती है, वहां डैवलपमेंट में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। सभी विद्वान लोग यह भी बताते हैं कि भ्रष्टाचार में देश का ऊंचा स्थान है।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, बिहार का भ्रष्टाचार में सबसे ऊंचा स्थान है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं समझ गया, ये क्या सुनना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप आसन को संबोधित करके बोलिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : श्री खारबेल स्वाइं अभी कह रहे थे कि जीरो टौलरेंस ऑफ करप्शन। मेरा कहना है कि

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

इस प्रकार की जीरो टौलरेंस करप्शन की सोच नहीं है बल्कि 100 टौलरेंस आफ करप्शन की सोच है क्योंकि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उसमें भ्रष्टाचार मिटाने, खत्म करने या घटाने के लिए कहीं एक शब्द भी नहीं है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का एक डाक्यूमेंट होता है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार मिटाने या घटाने का कहीं कोई जिक्र नहीं है।

महोदय, ये दावा करते हैं कि यह बिल वे लाए हैं। वे नए मंत्री हैं इसलिए मैं उन पर हमला भी साधारण रूप से करूंगा। यह विधेयक मंत्री महोदय स्वयमेव नहीं लाए हैं, बल्कि वर्ष 1997 में सितम्बर मास में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट रिव्यू कमेटी बनाई थी, उसने कहा था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टेट्यूटरी बनाया जाए, नियम–सम्मत बनाया जाए। उसके आधार पर यह बिल लाया गया है। सितम्बर और दिसम्बर में मशहूर हवाला घोटाला हुआ जिसमें इस सरकार के कई मंत्री आरोपित थे। आडवाणी जी एवं श्री जसवंत सिन्हा आदि सभी आरोपित थे। मैं कह रहा हूं उससे कोई माई का लाल इंकार नहीं कर सकता।...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : आप बिलकुल निराधार बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं पूर्ण आधार के साथ कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

महोदय, हवाला केस में इस सरकार के दर्जनों मंत्री आरोपी थे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका जब बोलने का टाइम आएगा तब आप बोलिए, अभी रघुवंश जी को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ...*(व्यवधान)* आप सर्टिफिकेट दिखाते रहें, उसमें नाम शामिल था। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य नहीं मिला है, आपको बेकसूर साबित नहीं किया है, ये बेकसूर हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, यह किसी ने नहीं कहा। यह कहा कि सबूत नहीं मिला, जब हथियारों के खिलाफ सबूत नहीं मिलता है तो वह कसूरवार नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसे छेड़ने की कोशिश मत करिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : छेड़ने की बात नहीं है, आप गलत बयानी कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : आपके खिलाफ हम कुछ एक्वीजिशन करेंगे तो क्या आप दोषी हो जाएंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आपस में टोका–टाकी न करें। आप आपस में कैसे टोका–टाकी कर रहे हैं, आप अपनी बात अपने समय पर बोलिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : कोर्ट ने फैसला दिया था, क्या हम नहीं जानते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : स्वाइं जी, कृपा कर आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं भंडा–फोड़ कर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आसन की तरफ देख कर बोलिए, आप उधर देखते हैं तो वे लोग भी बोलते रहते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। यहां इस मंत्रिमंडल में है। यूटीआई घोटाला, तहलका, कफन बेचो आदि कई घोटाले हुए हैं। इस मंत्रिमंडल में कौन घोटाला नहीं कर रहा है। इस मंत्रिमंडल के रहते हुए भ्रष्टाचार बढ़ेगा और बढ़ रहा है। हर मंत्रिमंडल और मंत्रालय में दलाल हैं, ये भ्रष्टाचार पर क्या कार्यवाही कर सकते हैं।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सीवीसी का जो विधेयक आपके सामने है, उस पर आप बोलिए। आप जनरल घोटाले पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपा कर आप बैठ जाइए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मंत्री और प्रधान मंत्री के भ्रष्टाचार को पकड़ने वाले के लिए यह विधेयक है।...*(व्यवधान)* ये लोकपाल क्यों नहीं ला रहे हैं, यह विधेयक कहां चला गया? हमने एक प्राइवेट मेम्बर बिल दाखिल किया था, जिसमें देश भर में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, जो धनपति हो गए हैं, उन सभी के ऊपर सम्पत्ति के लिए, जैसे टेलीफोन की डायरेक्टरी का नम्बर नाम देखने से मिल जाता है, उसी तरह किसके पास कितनी संपत्ति है, उसकी डायरेक्टरी बनाने का हमने विधेयक दाखिल किया था। इनके मंत्रालय ने उसे क्यों दबा कर रखा

हुआ है। पार्लियामेंट उसे भेज नहीं रहा है, हम रिमाइंडर देते–देते थक गए हैं। हमारे उस विधेयक को क्यों दबा कर रखा हुआ है, उसे लाएं और उस पर बहस कराएं। इसमें किस–किस ने संपत्ति बढ़ाई है, उसकी छानबीन और जांच होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, सरकार ने उसे क्यों दबा कर रखा हुआ है, उसे राष्ट्रपति जी के पास क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी की सहमति के बाद ही उस पर बहस हो सकती है। हमारा विधेयक सरकार के मंत्रालय में क्यों दबा कर रखा हुआ है? सीवीसी का यह बिल क्यों लाए हैं, इससे भ्रष्टाचार पर कुछ नियंत्रण नहीं होने वाला है। ज्वाइंट सैक्रेट्री तक सरकार की सहमति के बाद जांच–पड़ताल होगी और तब कार्यवाही होगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप इस बिल का सपोर्ट नहीं करते हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम बताते हैं कि इसका सपोर्ट करने से क्या होगा। ये जो भ्रष्टाचार खत्म करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेचुटरी बनाओ। सन् 1997 में छः वर्ष के बाद ये इसे स्टेचुटरी बनाने के लिए लाए हैं। इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार पर हमला हो सके। माननीय मंत्री जी बताएं कि ज्वाइंट सैक्रेट्री लेवल तक सरकार की सहमति के बिना, उनके निर्णय के बिना इस पर कोई जांच–पड़ताल एवं कार्यवाही नहीं हो सकती है। इस विधेयक का क्या मतलब है, कर्मचारी, सिपाही, किस पर कार्रवाई के लिए आप यह विधेयक लाए हैं? और हर विभाग में विजिलेंस आफिसर बहाल है तो जब सरकार की मर्जी से ही जांच होनी है तो विजिलेंस आफिसर ही सब की जांच कर लेगा और इसमें आपने जोइंट सैक्रेटरी लेविल तक बरी कर दिया कि बिना सरकार की सहमति के जांच नहीं होगी तो इस विधेयक का क्या मतलब है। इनके एक सैन्ट्रल विजिलेंस कमिश्नर एशियन एज में 15 जनवरी, 2001 को बोले :

> "केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी क्षेत्र के 52 से अधिक उपक्रमों के सैकड़ों विभागों और अंगों की घोषणा की है।"

100 विभाग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कितने पब्लिक अंडरटेकिंग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।

> "छह बैंक और नौ सरकारी संगठन भ्रष्टाचार–प्रवण हैं।"

यह सैन्ट्रल विजिलेंस कमिश्नर बोल रहा है, यह सैन्ट्रल विजिलेंस कमीशन का कहना है।

> "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को काली सूची में डाले जाने की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने हाल ही की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस रैकेट में बड़ी संख्या में उच्चाधिकारी सम्मिलित हैं और वे अपने निहित स्वार्थों के लिए उनकी रक्षा और उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।"

देखा जाए, यह कमीशन का कहना है। यह कमीशन को कमजोर करने वाला विधेयक लाए हैं, ये जवाब दें कि बिना सरकार की सहमति के ऊंचे पदों के आफिसरों की जांच–पड़ताल नहीं हो सकती, कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारा जो पांइटेड क्वश्चन है, उसका उत्तर दीजिए। बिहार से निगरानी ब्यूरो सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : मैं माननीय सदस्य की आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपकी बात नहीं आ रही है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हर स्टेट में निगरानी ब्यूरो है। बिहार का निगरानी ब्यूरो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया है।

सभापति महोदय : आप बिना अनुमति के खड़े हो जाते हैं। आप यील्ड कर रहे हैं क्या, बोलने का मौका दे रहे हैं? आप अपनी बात जारी रखिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये हमसे कुछ सुनना चाहते हैं। इनके मैम्बर हमारी पैरवी करते हैं, बोलते हैं कि आप बोलते हैं तो असली बात कहते हैं। वे लोग तो बोल नहीं पाते हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : रघुवंश बाबू, यह जो विधेयक आया है, इसमें आपने कहा कि बहुत सी कमियां हैं। मंत्री जी नए हैं, जिस तरीके का तेजधार विधेयक होना चाहिए, वैसा तेजधार विधेयक नहीं है, वह तेजधार कैसे हो सकती है, यह जो सकारात्मक सुझाव है, वह आपको देना चाहिए, क्योंकि आप भ्रष्टाचार के सभी दरवाजे और उपाय को जानते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभी भ्रष्टाचार को आप निगल जाने वाले हैं और उसी में यह देश भोग रहा है आपका राज और आपके समर्थन उसी के लिए हैं, जिसमें घोटाले पर घोटाला

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हो रहा है, कोई नियंत्रण नहीं है और यहां तक की पी.एम. ओ. भी उसमें शामिल हो जाता है। तहलका घोटाले में पी. एम.ओ. शामिल है।

यह हमारा सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट के निगरानी ब्यूरो को किसी भी अधिकारी पर जांच करने का पूरा अधिकार होगा, केस करने का और उन पर कार्रवाई करने का, उसमें सरकार से पूछने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह हाल का फैसला है। माननीय मंत्री दरयाफ्त करके इसका जवाब दें। वैसी परिस्थिति में जब स्टेट में निगरानी ब्यूरो को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कार्रवाई करने में पूछने की जरूरत नहीं है, आप आजाद हैं, ऑटोनोमस हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। उस हालत में ये अभी जो विधेयक लाए हैं, जिसमें कह रहे हैं कि जोइंट सैक्रेटरी या उसके ऊपर के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार से पूछना पड़ेगा, उनकी सहमति, उनका निदेश आवश्यक होगा। महोदय, ये कहां जा रहे हैं और यह विधेयक कहां ले जाएगा? यह बैक गियर में गाड़ी चल रही है, यह प्रतिगामी कदम है, भ्रष्टाचार को कम करने की तरफ यह विधेयक काम नहीं कर सकेगा। यह हमारी आशंका है इसलिए मंत्री जी इसे स्पष्ट करें। बिहार के डी.जी. विजिलेंस श्री डी. पी. ओझा सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि निगरानी ब्यूरो को बिना सरकार से पूछे किसी पर भी कार्यवाही करने का, जांच करने का, एफ.आई.आर. दर्ज करने या गिरफ्तारी कराने आदि का अधिकार है। अब यह सैंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस फैसले के आलोक में आपको क्या कहना है और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के समक्ष यह बिल क्या बता रहा है? यह अफसर और भ्रष्टाचार को बचाने वाला विधेयक होगा या इसको समाप्त करने वाला विधेयक होगा, मंत्री जी इसे भी स्पष्ट करें।

सभापति महोदय : अब आप कन्क्लूड कीजिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम प्वाइंटवाइज बोल रहे हैं। इन्होंने इस बिल में कहा है कि तीन से अनाधिक सतर्कता आयोग के सदस्य होंगे। पहले चार सदस्य वाला था तो आपने तीन का कर दिया। चार सदस्य तो ज्यादा थे। डेमोक्रेसी में दो...*(व्यवधान)* कमेटी बनाई है तो आप इसे बहस के लिए क्यों लाए हैं? इस विधेयक को ऐसे ही पास कर दीजिए।...*(व्यवधान)* उसमें हर पार्टी के सदस्य रहें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश जी, आप चेयर की तरफ मुखातिब होइये। हम किसी को एलाऊ नहीं कर रहे इसलिए आप बोलते रहिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस विधेयक में चार रहें या तीन रहें लेकिन इनका कहना है कि तीन से अनाधिक। हमारा कहना है कि शून्य भी तीन से अधिक नहीं है। एक भी तीन से अधिक नहीं है। दो भी तीन से अधिक नहीं है। मैक्सिमम तीन तक है। कानून बनाने में सरकार ने क्या चालाकी की है, वह देखिए। अगर चीफ विजिलेंस कमीश्नर के अलावा जीरो भी सदस्य रहा तो यह कहेंगे कि कानून में तीन से अनाधिक है। अब जीरो भी तीन से अनाधिक नहीं है। आप इस फिलॉसफी को समझिए। सम्पूर्ण सदन से मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में बहुत पेच है। अगर सरकार चाहेगी तो एक ही चीफ विजिलेंस कमीश्नर से काम चला लेगी। इन्होंने बिल में कहा है कि तीन से अनाधिक यानी तीन से ज्यादा नहीं। अब तीन से कम तो दो भी है, एक भी है तथा जीरो भी तीन से कम है। बिना सदस्य के भी यह विजिलेंस कमीशन को चालू रखेंगे। इसका क्या मतलब है? यह कैसे-कैसे पेच वाला कानून है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कन्क्लूड कीजिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, कानून तो स्पष्ट होना चाहिए। इसमें तीन से अनाधिक है यानी तीन से अधिक नहीं। "तीन से अधिक नहीं।" शून्य भी तीन से अधिक नहीं है। एक भी तीन से अधिक नहीं है। दो भी तीन से अधिक नहीं है। बिना सदस्य के भी रहने के लिए यह कानून बनाया है। ऐसी इनकी फिलॉसफी है। आप इस बिल के आगे देखिए। इसमें लिखा है कि विजिलेंस कमीश्नर को सस्पेंड कर देंगे। जो सदस्य नौकरी कर रहा है, उसको सस्पेंड कर देंगे। अगर आपको उसे हटाना है तो आप उसे हटा दीजिए। उसे सस्पेंड करने से क्या होगा? इतनी भारी कमेटी भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए बन रही है। इस कमेटी में जो सदस्य रहेंगे, उसके लिए ये कहते हैं कि हम उनको सस्पेंड कर देंगे। अगर आप उनको सस्पेंड कर देंगे तो क्या जवाब तलब होगा? विजिलेंस कमीश्नर अगर खराब होगा तो उसे आप हटाने का निर्णय लीजिए। यह सस्पेंड कर देने का क्या मतलब है? इसे भी देखा जाए।

सभापति महोदय : यह प्वाइंट हो चुका है।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : देश में भ्रष्टाचार की जो समस्या फैल रही है, उसके लिए एक के. संथानम कमेटी बनी थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से आचार्य कृपलानी ने जाकर कहा कि बहुत भारी भ्रष्टाचार है। घूसखोरी हर जगह है। उसके लिए उन्होंने एक कमीशन बैठा दिया। कमीशन ने कहा कि घूस और रिश्वतखोरी नाम की चीज कहीं देखने में नहीं आ रही है। नेताओं के यहां चंदा है, थाने में सलामी है, इंजीनियर के यहां परसेंटेज है। बैंकों में स्पीड मनी है, कही बख्शीशनामा है, कहीं मुहरनामा है, यह भ्रष्टाचार विभिन्न नामों से समाज के अंग–अंग में, समाज की नस–नस में घुसा हुआ है। घूस ले रहा है और कहता है कि सलामी है। यह भ्रष्टाचार समाज की नस–नस में घुसा हुआ है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, अब आप समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : भ्रष्टाचार एक समस्या है और उसके समाधान को पूछा है। भ्रष्टाचार कहां–कहां है? भ्रष्टाचार तीन स्थानों पर है। पहला, जहां आमदनी पांच हजार हो और खर्चा दस हजार हो, वहां भ्रष्टाचार होगा। कोई माई का लाल इसको काट नहीं सकता। वहां जांच–पड़ताल की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे, जहां पॉवर है और कमजोर हो, एक ताकतवर हो, एक कमजोर हो, वहां भ्रष्टाचार होना है। तीसरे, भाई–भतीजा, कुटुम्ब और जाति के लिए भ्रष्टाचार होता है। इन तीन स्थानों के अलावा कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म करने का सुझाव बताते हैं कि आमदनी से अधिक खर्चे को रोको, खर्चे पर पाबन्दी लगाओ, यह डा. लोहिया ने कहा था।...*(व्यवधान)* तहलका में कहा गया कि मंत्री दलाल रखता है। क्यों नहीं इसकी जांच करते हो?

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, अब समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए यह सरकार जब तक रहेगी, भ्रष्टाचार और घोटाले पर घोटाला होगा। जनता को राहत नहीं मिलने वाली है। मंत्री लूट लेते हैं, फिर हट जाते हैं। वहां कमा लिया, अब दूसरे विभाग में गए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इनकी बाकी बातें प्रोसीडिंग में नहीं जाएंगी। रघुवंश बाबू, आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए। सुबोध मोहिते जी, आप बोलिए।

*(व्यवधान)**

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। समर्थन के साथ–साथ जो कुछ सच्चाइयां हैं, वे भी मैं यहां पर रखना चाहता हूं। मेरी एक आदत है कि जो भी बातें मैं बोलता हूं, उसके लिए मैं जस्टिफिकेशन जरूर देता हूं। यहां पर जो बिल लाया गया है, कोई भी बिल कुछ ऐम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ लाया जाता है लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के दो पार्ट्स हैं। एक थ्योरिटिकल पार्ट है और दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट है। इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स के दो प्वाइंट्स हैं जो मैंने पढ़े। उसमें पहला प्वाइंट प्रीवेंशन ऑफ करप्शन है और दूसरा ब्यूरोक्रेटिक एकाउंटेबिलिटी है। इन दो प्वाइंट्स का बिल मुझे लग रहा है। जब ऐम्स और ऑब्जेक्टिव्स की खातिर बिल लाया गया है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव के बीच में दरार क्या है?

अपराह्न 5.00 बजे

कहने का मतलब यह है कि सीवीसी जो रिकमंडेशन देता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिकमंडेशन, इनका प्रपोर्शन क्या है, यह व्यवहारिक उद्देश्य है। मैं समझता हूं अगर प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव और थ्योरिटिकल ऑब्जेक्टिव मैच कर जाए तो भ्रष्टाचार होना पासिबल नहीं है। लेकिन इसमें इतनी दरार है, जिसकी वजह से करप्शन जैसे महारोग की दवा नहीं मिल पाती। जो मैं टेक्नीकल पाइंट रख रहा हूं, जिससे इसके बीच का फासला दूर हो जाए। लेकिन करप्शन का ट्रेंड अपटू द जीरो आता है। प्रश्न यह है कि क्या करप्शन का ट्रेंड रिड्यूस हुआ है, क्या करप्शन का ट्रेंड जीरो हुआ है? उसके तीन–चार मुद्दे हैं, जो मैंने इस बिल में से निकाले हैं। सबसे अहम् मुद्दा यह है कि सीवीसी अपनी रिकमंडेशन देता है, वह यूपीएससी के पास जाती है। लेकिन सीवीसी और यूपीएससी के बीच में किसी प्रकार का कोआर्डिनेशन नहीं होने की वजह से यूपीएससी सीवीसी की अधिकतर केसेज में रिकमंडेशन खारिज कर देता है। उसके फिगर मैं दूंगा। मेरा कहना यह है कि अगर सीवीसी, जिसे हम एक्सपर्ट बॉडी कहकर कांस्टीट्यूट कर रहे हैं, उसको पावर क्यों नहीं दी जाए, क्यों नहीं उसको मेंडेट्री किया जाए, इसकी भूमिका केवल सलाहकार की है। एडवाइजरी रोल के लिए हम इतना बड़ा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इतना नेशनल टाइम उठा रहे हैं, अगर हम पर्सेंटवाइज देखेंगे तो जीरो है। यह मेरा पहला मुद्दा है कि सीवीसी का रोल मेंडेट्री किया जाए।

सीबीआई हम नाम के लिए बोलते हैं। वह ऐसी जांच

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुबोध मोहिते]

एजेंसी है जिससे लोग डरते हैं। लेकिन सीवीसी और सीबीआई का जो रोल है, उसको पहले विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, जैसा अभी रघुवंश जी ने बताया। हालांकि उन्होंने उसको अलग ढंग से पेश किया है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि सीवीसी को सुओमोटो एक्शन लेने की इजाजत दी जाए, तभी उसका फायदा होगा। रिकमंडेशन और एक्शन के बारे में मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि जब वे अपना उत्तर दें तो यह बताने की कृपा करें कि इतनी रिकमंडेशंस सीवीसी ने की, इतनी रिकमंडेशंस पर यूपीएससी ने अनुमति दी और अनुमति देने के बाद इतनी रिकमंडेशंस पर एक्शन हुआ है, यह इसकी थीम होनी चाहिए।

कोई भी बिल उठाकर देख लें, वहां कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने समय के बाद या छः महीने के अन्दर सीवीसी की रिकमंडेशन के ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर कोई रिकमंडेशन टाइम फ्रेम नहीं है तो फिर एक्शन में रिकमंडेशन का मतलब क्या है। मैं यह दस्तावेज दिखाऊंगा, जो मैं आज ही निकालकर लाया हूं, मेरे पास एक्जेक्ट फिगर है कि अभी तक 4347 केसेज विभाग के पास पेंडिंग हैं, जिनमें सीवीसी ने सिफारिश की है कि इन अधिकारियों को भगाइए। लेकिन विभाग एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। सैकड़ों ऐसे अधिकारी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं ओर वे विभाग का बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। जैसा अभी बताया गया, अधिकारियों और राजनैतिक दलों में गठजोड़ है। इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है की बात कही है, उसमें इंटरनेशनल लेवल पर हमारा देश करप्शन के इंडैक्स में काफी हाई है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि करप्शन कहां होना चाहिए, इसकी भी थोड़ी लिमिटेशन होना चाहिए। खासकर हैल्थ जैसी सर्विसेज में, पावर जैसी सर्विसेज में करप्शन का इंडैक्स हाई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने देखा होगा कि जो इंस्टीट्यूशन का हैड है, जो इंस्टीट्यूशन रन करता है वह अपने सबोर्डिनेट्स को बचाने की पूरी–पूरी कोशिश करता है। उसका इंटरेस्ट यह होता है कि अगर मेरे इंस्टीट्यूशन पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लग गया तो मेरा इंस्टीट्यूशन खराब हो जाएगा। अन्ततः, मैं विभागाध्यक्ष हूं। मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। यह सत्य है।

इससे बड़ा उदाहरण सभापति जी मैं आपके सिवा किसी का नहीं दे सकता। भ्रष्टाचार का मतलब है भ्रष्ट–आचार। आपने किसानों के लिए रैली निकाली थी। आपने खुद के लिए नहीं निकाली थी। आज आप आसन पर मौजूद हैं। आप किसानों के लिए न्याय मांगने के लिए गए थे। हमारे देश के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यह कहा है कि कोई भी पुलिस आम आदमी को डंडा नहीं मार सकती, तो ये तो हमारे सम्मानित संसद सदस्य हैं। माननीय डी. पी. यादव जी खुद के लिए कुछ मांगने नहीं गए थे। वह ऑफिसर जिसने कमीशन की रिकमंडेशन के साथ–साथ इंसानियत का भी उल्लंघन किया। उस प्रदर्शन का जो सीन हमने टीवी में देखा, उसके दर्दनाक सीन हमने इस साल नहीं देखा होगा। मजे की बात देखिए कि यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय न्यूज बन गई। शायद उस ऑफिसर का नाम मोहन लाल था। हमारा दुर्भाग्य है कि चार दिन के बाद उसी ऑफिसर को रि–इंस्टेट कर दिया गया। यह है आचार–संहिता। इससे बड़ा किसी कायदे–कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता।

सभापति जी, सबसे बड़ा हादसा तो मेरे साथ हुआ है। सबसे बड़ा भुक्तभोगी तो मैं हूं। यह देखिए मंत्री जी का लैटर। इसको बाद में मैं आपको दिखा दूंगा।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : आप मंत्री जी का नाम बता दीजिए। आपको सदन को नाम बताना चाहिए।

श्री सुबोध मोहिते : मेरी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, मैं एनडीए का सदस्य हूं। मैं सब कुछ नहीं बोल सकता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आपको दिखाने में क्या एतराज है? आप दिखा दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रामदास जी, आप मत बोलिए। माननीय सदस्य अपनी बात कहने में सक्षम हैं। आप बैठ जाइए।

श्री सुबोध मोहिते : मैंने एक "मिशन करप्शन" नाम की संस्था खोली थी। मैंने संसद में एक प्रश्न पूछा था कि अभी तक सीवीसी ने भारत सरकार के विभागों के कितने ऑफिसर्स को करप्ट रिकमेंड किया है। मुझे 4437 ऑफिसर्स की लिस्ट मिल गई। मैंने 31 अगस्त, 2001 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को चिट्ठी लिखी थी। मैंने पूछा था कि इन ऑफिसर्स में कितने ऐसे हैं जो जाइंट–सैक्रेट्री और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत हैं। इस सूचना को प्राप्त करने में मुझे डेढ़ साल डिपार्टमेंट से लड़ाई लड़नी पड़ी। डेढ़ साल बाद 21 अक्टूबर, 2002 को यानी एक साल तीन महीने के बाद मुझे जवाब मिला कि 146 ऑफिसर्स 4437 में से ऐसे हैं जो जाइंट–सैक्रेट्री और उससे ऊपर के पदों पर हैं। मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं। कोल–इंडिया के तीन ऑफिसर्स, डिफेंस के तीन ऑफिसर्स,

फूड प्रौसेसिंग के तीन ऑफिसर्स, बैंकिंग के दो ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के सात ऑफिसर्स तथा एक्साइज एंड कस्टम के 17 ऑफिसर्स हैं। मैं पूरे 146 लोगों की लिस्ट नहीं पढ़ सकता हूं। इनकम—टैक्स ऑफिस जिसको हम रेवेन्यू—अर्निंग ऑफिस कहते हैं वहां के 29 ऑफिसर्स हैं। सीबीडीटी के 29 अधिकारियों को भ्रष्ट घोषित किया गया और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। सेंट्रल एक्साइज के 12 ऑफिसर्स और रेलवे के 19 ऑफिसर्स हैं। एमपी होने के नाते मेरा विशेषाधिकार है कि मेरे प्रश्न का जवाब दिया जाए। मैंने रेलवे विभाग से पूछा कि वे 19 ऑफिसर्स कहां काम कर रहे हैं तो उनका जवाब था कि 'यह एक गोपनीय सूचना है'। हम जवाब नहीं दे सकते हैं।

सभापति जी, मेरी सात मांगें हैं। पहली मांग है कि मैं हार चुका हूं, इसलिए मेरे लैटर्स का जवाब सदन के माध्यम से मुझे दिया जाए। दूसरी मांग है कि सीवीसी के रिकमंडेशंस के बाद 6 महीने के अन्दर या जो भी शैड्यूल्ड टाइम हो, उसमें एक्शन होना जरूरी है। तीसरी—सीवीसी की एडवाइस मैनडेटरी होनी चाहिए। चौथा—सीबीआई को सुओमोटो एक्शन लेने की परमिशन दी जाए। पांच—4500 क ष्ट आफिसर जो मंत्रालयों में हैं, उन पर एक्शन लेने के लिए आदेश दिए जाएं। छः—संसद सदस्यों द्वारा इस संबंध में जो पत्र जाते हैं, उनके जवाब दिए जाएं और सात—सैंसिटिव विभागों में जो 5000 आफिसर हैं, उनको हटाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया। जबकि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, परन्तु मैं यह भी अवश्य कहूंगा कि कभी नहीं से देर भली। यह बहुत अच्छी बात है कि श्री हरिन पाठक जैसे माननीय मंत्री ने यह विधेयक पारित करने हेतु प्रस्ताव किया है। यह मेरे लिए रोचक बात है। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह विधेयक पर्याप्त नहीं है। यह अपर्याप्त है। यहां अनेक बातें कही गई हैं। इस सभा के माननीय सदस्यों ने कई मुद्दे उठाए हैं। महोदय, हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था कि यदि कोई कालाबाजारी में लिप्त है तो उसे सरेआम फांसी दे दी जानी चाहिए। परन्तु भ्रष्टाचार आज आम बात हो गई है। ये मात्र निचले स्तर तक ही सीमित नहीं है अपितु उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। इसलिए, हम यह कहना चाहते हैं कि कभी नहीं से देरी बेहतर है।

महोदय, मैं थोड़े दिन पहले अनेक समाचार—पत्रों में छपी एक खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि हमारे देश के सबसे बड़े घोटाले--प्रतिभूति घोटाले—के मुख्य योजनाकार श्री केतन पारिख ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सेबी अधिकारियों को काफी पैसे दिए हैं और इसी कारण उन्होंने उसके गलत कामों और हेराफेरी को अनदेखा किया। ऐसी जानकारी मिली है। अभी—अभी माननीय सदस्य, श्री सुबोध मोहिते ने यहां एक भयानक तस्वीर पेश की है। यह हमारे लिए चौंका देने वाली बात है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों के लिए जो पाप है वह भगवान के लिए एक खेल है। भगवान कभी गलती नहीं करते और राजा कभी गलती नहीं कर सकते। यदि मनुष्य कोई अपराध करता है तो वह पाप है और यदि यह अपराध देवताओं द्वारा किया जाए तो यह लीला है। यह कृष्ण—लीला या राम—लीला कहलाती है।

महोदय, आम मेहनतकश लोगों पर तो बहुत से कानूनी प्रावधान हैं परन्तु जो उच्च पदस्थ हैं उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

महोदय, सभा के कई सदस्यों ने चुनाव सुधार का उल्लेख किया है और मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने लोकपाल विधेयक का भी उल्लेख किया है मैं उनसे सहमत हूं। ऐसा कहा गया है कि सीबीआई को स्वतन्त्र रूप से कार्य करना चाहिए और इसे पर्याप्त अधिकार और शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए, मैं उनसे सहमत हूं। इसके अलावा मैं यहां दल—बदल कानून के संबंध में एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। हम राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण की भी बात करते हैं। दल—बदल विरोधी कानून की भी पुनरीक्षा की जानी चाहिए। वर्तमान पद्धति के तहत यदि किसी पार्टी का सदस्य चाहे वह विधान सभा का हो या संसद का, अपनी पार्टी छोड़ देता है तो उसे दल—बदल समझा जाता है और उसे सजा दी जाती है। यदि किसी दल के एक—तिहाई सदस्य दल छोड़ देते हैं तो उस दलबदलुओं के दल को मान्यता प्रदान की जाती है। मेरे विचार से ये बातें भ्रष्टाचार के पनपने में सहायक हैं। दल—बदल विरोधी कानून की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

महोदय, विधेयक का उद्देश्य अच्छा है। परन्तु इसे एक व्यापक विधेयक बनाने के लिए और इन विधेयकों के प्रावधानों

[श्री प्रबोध पण्डा]

को व्यवहार में लाने के लिए इन अधिनियमों की समीक्षा और संशोधन आवश्यक है। मेरे विचार से हमारी सरकार इस पर विचार करेगी और इस संबंध में वह उचित तरीके से समुचित और उपयुक्त संशोधन लाएगी।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार ने बहुत व्यापक रूप धारण कर लिया है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। यह सर्वत्र व्याप्त और अनियंत्रित है। इसकी प्रकृति कैंसर जैसी है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रशासन में भ्रष्टाचार की समस्या युद्ध के कारण आपूर्ति में कमी, राशनिंग, आवश्यक वस्तुओं की कमी इत्यादि के कारण भयंकर रूप से बढ़ गई थी। स्वतन्त्रता के पश्चात जैसा कि सभी जानते हैं भ्रष्टाचार में आश्चर्यजनक वृद्धि सरकारी व्यय के कारण हुई है। दुर्भाग्य से बहुत सारे बिचौलिए भी पैदा हो गए हैं और उनकी प्रभावशाली जगहों पर गहरी पैठ है।

महोदय 1999 के ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल करप्शन परशेप्शन इंडेक्स के अनुसार 99 देशों के किए गए अध्ययन के अनुसार भारत का स्थान काफी नीचे 73 पर है और भारत के अंक 10 में से केवल 2.9 हैं जो बहुत खराब है। इस अध्ययन के अनुसार सभी विकसित देशों की तुलना में भारत को बहुत भ्रष्ट माना जाता है और अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमरीका के अनेक विकासशील देशों की तुलना में भी यह अधिक भ्रष्ट है। देश की क्या स्थिति है? स्थिति और भी बदतर होती जा रही है।

अब अन्ततः हमारे पास एक विधेयक है; जो सतर्कता आयुक्त को सांविधिक दर्जा देने के न्यायालय के निर्देशानुसार ही लाया गया है। यह विधेयक अंतिम रूप में हमारे पास पहुंचने से पूर्व तीन अध्यादेश और एक विधेयक व्यपगत हो गए। दुर्भाग्य से यह विधेयक भी सीमित प्रकृति का है। सर्वप्रथम सीवीसी केवल परामर्शदात्री निकाय होगा। जबकि आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से निपटने के लिए इस निकाय को प्रभावी बनाया जाए। इसके बजाय इसकी भूमिका सिर्फ परामर्श देने तक है। खंड 8 में आप पाएंगे कि सीवीसी केवल सरकार के कहने पर ही जांच या पूछताछ कर सकता है स्वतः नहीं। सीवीसी सरकार के कहने पर ही जांच करेगी। सीवीसी के ऐसे किसी शक्तियों का उल्लेख नहीं है जिसके अन्तर्गत वह अपने विवेक से पूछताछ या जांच आरम्भ कर सकता है। एक शिकायत दर्ज होनी चाहिए और इस शिकायत के बाद ही सीवीसी जांच आरंभ कर सकता है।

यह सारी कार्यप्रक्रिया शून्य हो जाती है जब हम दूसरे हास्यास्पद परन्तुक जिसका उल्लेख खण्ड 6के उप-खण्ड (1) के भाग (ज) में है उसके अनुसार सीवीसी जांच सरकार के सतर्कता के निर्देशों के अनुरूप ही कर सकता है। यह हास्यास्पद है। सीवीसी सरकार के सतर्कता संबंधी निर्देशों के अनुसार ही जांच करने के लिए बाध्य है। इससे बढ़कर नियंत्रण और क्या होगा? इसके कारण यह एजेन्सी–केन्द्रीय सतर्कता आयोग–की शक्तियों को घटा कर कम किया गया है।

सीवीसी सतर्कता से संबंधित जांच को सरकार के निर्देशानुसार ही कर सकती है। कोई भी प्रशासन अपने कार्य का निर्णायक नहीं हो सकता और यह दिशानिर्देश तो प्रशासन जारी करेगा कि उसके स्वयं के कार्य का पर्यवेक्षण एजेन्सी किस प्रकार करेगी। इस मामले में सीवीसी की कुछ भी स्वतन्त्रता नहीं बचेगी।

अन्य परन्तुकों को भी देखिए। सीवीसी को सीबीआई के कार्यकरण की निगरानी और निरीक्षण करने की स्थिति में होना चाहिए। विशेषकर जब उच्चतम न्यायालय ने पाया है कि सीबीआई जांच और अभियोग चलाने दोनों ही मामले में ठीक से कार्य नहीं करती है। जैन हवाला मामले में न्यायालय के निष्कर्ष पहले ही सभा के सामने हैं। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि जांच और अभियोग चलाने दोनों ही मामले में सीबीआई का कार्य संतोषजनक नहीं है। परन्तु यहां सीवीसी भी असहाय है। यह ऐसे कोई निर्देश नहीं दे सकती जिसके आधार पर सीबीआई मामले की जांच या निपटान एक विशिष्ट तरीके से करे। क्या आपका विचार इस संगठन को शक्तिहीन बनाना है? जो कुछ भी है वह एकदम भिन्न बात है। मैं सभा के समक्ष केवल यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार का यह प्रयास है कि सीवीसी को जितना संभव हो सीमित बनाया जाए।

इस विधेयक के खंड 27 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। इस विधेयक के खंड 27 के द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में खंड 6(क) जोड़ा जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप सीबीआई सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अथवा सरकार द्वारा किसी निगम में नियुक्त अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत किए गए किसी भी अपराध की जांच सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं करेगा। यह मामला पहले ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया गया है। और उच्चतम न्यायालय ने जांच के आरम्भिक चरणों में पूर्वानुमति के प्रावधान को खारिज कर दिया है। यह उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय है कि जांच के चरण में पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु यहां सभा

को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कार्य करने को कहा गया है कि सरकार के उसी पूर्व स्थिति को बनाए रखा जाए जहां जांच के चरण में भी पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी। सभा को अवश्य ज्ञात होगा और इसे पूर्व गंभीरता से लेना होगा कि भ्रष्टाचार से संबंधित बहुत मामलों में सरकार द्वारा इस विधेयक पर सहमति मांगी जा रही है जो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों, सलाह और निष्कर्षों को अस्वीकार करता है। मैं नहीं जानता कि इस विशेष खण्ड का भाग्य क्या होगा यदि इस विशेष खण्ड को बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाती है। परंतु यह इस सभा के लिए अति होगी यदि इस प्रकार के हमारे सम्मुख खण्ड लाए जाते हैं और सभा इस पर सहमति प्रकट करती है।

मैं उन विभिन्न प्रकार के अन्य सीमित खण्डों के विस्तार में नहीं जाना चाहता जिनमें खामियां हैं और जो इस विशेष सीवीसी के कार्यकरण के लिए सीमित प्रकृति के हैं। मेरे पास करीब 22 संशोधन हैं और मैं इन संशोधनों को उचित मौकों पर प्रस्तुत करूंगा।

मैं इन विशेष प्रावधानों को बेहतर बनाने के लिए उचित मौकों पर इन संशोधनों को प्रस्तुत करूंगा। यह भी कहा गया है कि सीवीसी को अन्य किसी लाभ के पक्ष पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह कार्य को करने का अजीब तरीका है। उचित सीवीसी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद उसे न केवल लाभ के पद पर परंतु किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

मेरे पास लगभग 22 संशोधन हैं। मैं नहीं चाहता कि संशोधन प्रस्तुत करते समय खड़े होकर मैं फिर से सदन का समय लूं। अतः मुझे कुछ मिनट का समय और दिया जाए ताकि मैं अपनी बात समाप्त कर सकूं।

सभापति महोदय, विधेयक में विनिर्दिष्ट खण्ड 4 का उपखण्ड (1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति के संबंध में है। इसमें कहा गया है कि सीवीसी की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होगी जिसमें प्रधान मंत्री, गृहमंत्री और लोक सभा के विपक्ष के नेता सदस्य होंगे। गृहमंत्री सीवीसी की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में होंगे। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और घोर आपत्तिजनक स्थिति है। केन्द्रीय गृहमंत्री, जो कि उप प्रधान मंत्री भी हैं, के विरुद्ध न्यायालय में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के जघन्य अपराध का मामला चल रहा है। सभापति महोदय, सीवीसी की नियुक्ति के प्रश्न पर इस प्रकार के नियंत्रण की बात हो रही है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र मे सीवीसी होगी और उसकी नियुक्ति में केन्द्रीय गृहमंत्री, जो कि स्वयं एक जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय का सामना कर रहे हैं, की सम्मति ली जाएगी।

महोदय, इसमें कुछ अन्य आवश्यक मुद्दे भी हैं। मैं संविधान के अनुच्छेद 105 के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में है। अब हम झारखण्ड मुक्ति मोर्चा मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में जानते हैं, जिसमें संसद सदस्यों को सदन में दिए गए उनके भाषण या मतदान के संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्ति दी गई है। यह पाया गया है कि सांसदों को घूस लेने या भ्रष्टाचार के मामले में जो उन्मुक्ति प्रदान की गई है उसका संबंध उससे है जो वे संसद में कहते हैं या मतदान करते हैं।

महोदय, अब मुझे यह मुद्दा समाप्त करने दीजिए। अनुच्छेद 105 भ्रष्टाचार का कोई शासन पत्र नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि संसद सदस्यों के साथ इस प्रकार की उदारता क्यों की जानी चाहिए या भारत के संविधान को ऐसा क्यों समझा जाए कि उससे संसद सदस्यों के भ्रष्टाचार का अभिनंदन होता है। महोदय, चूंकि आप बहुत जल्दी मचा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि संशोधन प्रस्तुत करते समय मैं सदन में यह स्पष्ट करूंगा कि उनकी आवश्यकता क्यों है।

लगता है कि लोकपाल विधेयक कहीं खो गया है। सरकार को सदन में लोकपाल विधेयक लाने में शीघ्रता करनी चाहिए। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। हम सबको ईमानदार होना चाहिए। देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 उन विधयकों में से एक है जो कि हमारी व्यवस्था की कमियों को दर्शाते हैं, इनको संविधान द्वारा बड़ी आशाओं से लाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 320(3)(ग), के अनुसार भारत सरकार या राज्य सरकार में प्रशासनिक हैसियत से कार्यरत किसी भी व्यक्ति को प्रभावित

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

करने वाले मामलों संबंधी अभ्यावेदनों या याचिकाओं सहित सभी अनुशासनात्मक मामलों में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह ली जानी चाहिए। वास्तव में यह शक्ति आई.ए.एस. अधिकारियों या लोक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को दी गई है जिन पर संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है।

पूरे विश्व में केवल भारत के प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें सेवा में प्रवेश के समय से सेवानिवृत्ति तक और उसके बाद मृत्यु पर्यंत पूरा संरक्षण दिया जाता है। कोई व्यक्ति 35 वर्ष तक के लिए सेवा में हो सकता है और वह इस व्यवस्था के सभी लाभ प्राप्त कर सकता है। उसे वेतन, मकान, किराया भत्ता, यातायात भत्ता आदि प्राप्त होता है। उसके बच्चों को भी संरक्षण दिया जाता है। उनके बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। उसकी पत्नी को संरक्षण दिया जाता है। चिकित्सीय लाभ, यात्रा भत्ता और ऐसी हर वस्तु सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है।

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि) : मुद्दा यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वे उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं...*(व्यवधान)*

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : मुझे थोड़े से समय में बहुत सी बातें कहनी हैं। जैसा कि श्री वेत्रिसेल्वन ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वे राज्यों के गवर्नर जैसा उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। वे सतर्कता आयोग के आयुक्त भी हो सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को इतना संरक्षण प्राप्त है। यदि ऐसी सेवा या इसमें कार्यरत कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है तो देश में कैसी व्यवस्था होगी।

ऐसा नहीं है कि केवल राजनेता ही भ्रष्ट हैं। उन्हें भ्रष्ट बनाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि वे ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं। हम आजकल ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्य से प्रसिद्ध हवाला मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी तंत्र पर राजनेताओं की शक्तियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इस मामले के अनुसार, सतर्कता विभाग पर मंत्री का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और यह विभाग राजनेताओं से अलग रखा जाना चाहिए। यह सर्वोच्च न्यायालय की मंशा थी। इम भी यह कहते हुए इसे स्वीकार करते हैं कि यह हमें नहीं चाहिए हम इसमें उच्च पीठ पर ही आएं। लेकिन संविधान ने सतर्कता आयोग के लिए ऐसी किसी पीठ का सृजन नहीं किया। वास्तविक तथ्य यह है कि सतर्कता आयोग कार्यपालिका का ही एक अंग है। चाहे कोई भी विभाग हो उसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी व्यवस्था के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का एक अलग विभाग इसकी देखरेख करता है। अलग विभाग की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब इस आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? यह इन मामलों का अन्वेषण करेगा और किसी सरकारी कर्मचारी विशेष के विरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी कानून या दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा। यह साधारण सी बात किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से की जा सकती है। ऐसा होने पर भी किसी ग्रुप–एक के अधिकारी पर अभियोजन की अनुमति देने के लिए सरकारी खजाने से इतना धन खर्च करने की क्या आवश्यकता है?

लोकतंत्रीय व्यवस्था में यह अनावश्यक है। न्यायपालिका पारदर्शी है और हर निर्णय न्यायालय द्वारा खुले तौर पर दिया जाता है। संसद में जो कुछ होता है वह भी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, केवल सरकार के कार्यकारी आदेशों के बारे में जनता को पता नहीं चलता। इनका पता जन साधारण को राजपत्र के माध्यम से या किसी व्यक्ति की दी गई उसकी प्रतिलिपि के माध्यम से पता चलता है। यदि कार्यपालिका में भी पारदर्शिता हो तो ऐसे आयोगों की स्थापना की कोई आवश्यकता ही न हो। ऐसे किसी आयोग की स्थापना यह दर्शाती है कि वर्तमान व्यवस्था असफल हो गई है। यदि कोई आई.एस. अधिकारी भ्रष्ट आचरण करता है और अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात में अधिक सम्पत्ति जमा करता है तो इसका मतलब है कि आयकर विभाग उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। यदि आयकर विभाग उचित ढंग से कार्य करता है तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है। यदि किसी विभाग का आंतरिक सतर्कता प्रभाग उचित तरीके से कार्य करता है तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अतः ऐसे और अधिक संगठनों का सृजन करने के बजाय आंतरिक व्यवस्था को सही किया जाना चाहिए। यदि ऐसे नए संगठनों का सृजन किया जाएगा तो अधिकाधिक प्रशासनिक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति तक रोजगार मिलेगा।

महोदय, जब गरीब लोग पीने के पानी और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं जैसे सड़क, स्कूल आदि के लिए परेशान हो

रहे हैं, हम ऐसे नए संगठनों की स्थापना में अनावश्यक रूप से धन खर्च कर रहे हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अपने इस निर्णय की पुनः समीक्षा करे और ऐसे किसी संगठन की स्थापना करना सिर्फ इसलिए आवश्यक नहीं है कि न्यायालय ने ऐसे निर्देश दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, सदन में जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 पर चर्चा हो रही है, इस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, जानवरों में सिंह राजा होता है, ये थोड़ा चलने के बाद पीछे देखता है, इसलिए सरकार ने भी भ्रष्टाचार के बारे में पीछे से देखा है। महोदय, बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका निर्मूलन करने के बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए। इसलिए सतर्कता आयोग की नियुक्ति सरकार कर रही है। जैसे द्वितीय का चांद दिन—प्रतिदिन बढ़ जाता है और 15 दिन के बाद पूर्णिमा होती है फिर चांद बड़ा दिखाई देता है, लेकिन चांद के ऊपर एक काला दाग होता है, ऐसे इस बिल में न हो जाए। यह सिंह है लेकिन बगैर दांतों का है। ये भ्रष्टाचार को कैसे कटेगा, यह स्वतंत्र नहीं है। अनार फल देखने में बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन काटने से ठीक नहीं दिखाई देता है, वैसी स्थिति इस बिल की है। ये जो तीन सदस्यों की नियुक्ति होगी, यह निष्पक्षता से होनी चाहिए और आयोग की भी निष्पक्षता से नियुक्ति होनी चाहिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 जिसे हमारे हरिन पाठक जी यहां लाए हैं, उस पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की सरकार की इच्छा होनी चाहिए। अगर सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है तो उसके लिए सरकार को प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए मुझे लगता है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है वे बहुत सारे पैसे इधर—उधर से लेती है। इस इलैक्शन सिस्टम में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को हमें खत्म करना है। उसके लिए अगर किसी नौकरी के लिए गरीब आदमी जाता है तो 25 हजार, 50 हजार, एक लाख या दो लाख रुपए जगह—जगह अधिकारी लोग मांगते हैं और बीच में कार्यकर्ता भी इसी तरह का भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा।

'अटल जी अगर ज्यादा दिन तक राज करना है
तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा,
पाठक जी, भ्रष्टाचार करने वालों को जल्दी ही हटाना होगा,
भ्रष्टाचार के विरोध में लोगों को जगाना होगा।
भ्रष्टाचार करने वालों को देश के बाहर भगाना होगा।'

लोग इसी तरह भ्रष्टाचार करके देश को बदनाम कर रहे हैं। आज हमारे देश में चार लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा ब्लैकमनी है। जिस देश में ज्यादा ब्लैकमनी होती है, उस देश का डवलपमेंट ठीक नहीं होता, इसलिए चाहे कोई भी हो, अधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, लीडर हो, एम.पी. हो, एम. एल.ए. हो, मंत्री हो, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना होगा। अभी आपने इसमें बताया कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन रहेंगे, गृहमंत्री मैम्बर रहेंगे, अपोजीशिन लीडर इसकी मैम्बर रहेंगी।

सभापति महोदय : कन्क्लूड कीजिए, आपने मूल बात बोल दी है।

श्री रामदास आठवले : अगर इतनी जल्दी भ्रष्टाचार खत्म होगा तो मैं बैठता हूं। मेरे न बोलने से अगर भ्रष्टाचार खत्म होता होगा तो मैं एक लफ्ज भी आगे बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा कहना है कि आप जो आयोग बना रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार को हमें प्लानिंग से रोकना होगा। अगर हमें एक दूसरे की मदद करनी भी है तो मेरा कहना यह है कि बुद्ध के कार्यकाल से दान की जो कल्पना है, अगर एक आदमी को दूसरे आदमी की मदद करनी है तो उसे उस तरह से मदद करनी चाहिए। लेकिन जहां हम रोड बनाते हैं तो रोड में केवल 40 परसेंट पैसा लगता है, 60 परसेंट पैसा, पांच परसेंट इसे, दो परसेंट उसे देने में चला जाता है, इसमें कोई पाबन्दी या कोई एकाउण्टेबिलिटी है या नहीं है?

मैं आठ दिन तक स्पीकर साहब के साथ चीन में था। चीन ने अपनी इकोनोमी इतनी डवलप कर ली है कि वहां बहुत बड़ी—बड़ी बिल्डिंग हैं, रास्ते भी अच्छे हैं, इस तरह से वे प्रगति कर रहे हैं। भारत में क्या कमी है, भारत में एग्रीकल्चर है, भारत में सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन सरकार उतनी अच्छी नहीं है, यह बात ठीक है। आपकी सरकार उतना ठीक काम नहीं कर रही है। अटल जी ठीक होंगे, मगर बाकी के मंत्री ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जब इधर थे तो कहते थे कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। अगर आपको देश

[श्री रामदास आठवले]

को सही दिशा में, प्रगति की दिशा में आगे ले जाना है तो भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा।

'भ्रष्टाचार को मैं कैसे खत्म करूं, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है,
इस सरकार को मैं कैसे खत्म करूं, सरकार का कार्यकाल तो बढ़ता ही जा रहा है,
सारे अपोजीशन को मैं कैसे एक करूं, आपस में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है।'

मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप आयोग बनाओ। महाराष्ट्र में अन्ना हजारे जी, जो बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं, वे भी भ्रष्टाचार के विरोध में आन्दोलन कर रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लोगों को जगाना होगा, इसमें हम आपको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अगर अटल जी कोई प्लान बनाते हैं तो हम भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तो हम चीन से आगे निकल जाएंगे। इतना ही नहीं हम अमेरिका का भी मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए आप सब लोगों का साथ हम लोगों को चाहिए।

सभापति महोदय : अब आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी, आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

श्री रविप्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका अभारी हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें एहसास दिला दिया है कि कहां-कहां हम लोग पीछे रह गए हैं। आज यह सदन इस बात पर चर्चा कर रहा है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक इंडीपेंडेंट बाडी के तौर पर स्थापित हो जानी चाहिए। आज बहुत से बिन्दु सामने आए हैं लेकिन भ्रष्टाचार जैसे कि हम देख रहे हैं कि उसके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके लिए टालरेंस बहुत पैदा हो चुका है समाज के सभी वर्गों के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक इतनी ज्यादा टालरेंस पैदा हो चुकी है जिससे उसके अंदर ऐसी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए लोग जमीन-आसमान एक कर रहे हैं। हालांकि यह आयोग बनने जा रहा है लेकिन आज इस राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार समस्या है तो बेइमानों के लिए उनकी समस्याओं का समाधान भी है।

जो भ्रष्ट लोग हैं, वे आज अपने-अपने स्तर पर जहां कहीं भी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को एक निजी ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस टालरेंस के माध्यम से वे इतने संगठित हो चुके हैं कि आम हिन्दुस्तानी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि भ्रष्टाचार है तो क्या करें। यदि आसमान में भगवान है तो धरती पर भ्रष्टाचार है। आज यह स्थिति सामने आ चुकी है। सरकार ने इस पर गौर किया है लेकिन बहुत देर से किया है, सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर किया है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि किस स्तर तक भ्रष्टाचार फैल चुका है।

मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में, मैंने कई बार इस सवाल को संसद में उठाया है, वाटरशेड की 10 करोड़ रुपए की स्कीम वहां गई थी। उसकी पहली इंस्टालमैंट सवा दो करोड़ रुपए की थी जो गायब हो गई। दो साल तक पता नहीं चला कि वह पैसा कहां गया। उसके बाद जांच कराई गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सी.डी.ओ. के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सी.डी.ओ का तो कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सस्पेंड हो गया। आज यहां तक कहानी पहुंच चुकी है। आज आरोप लगाए जा रहे हैं कि अस्थिरता के इस दौर में जो सरकारें बन रही हैं, वे भ्रष्टाचार की ताकत पर काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि यह वह स्थिति है जहां पर हमें बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। हिन्दुस्तान के नीति नियामक बनाने वाली सरकारें या जो जन प्रतिनिधि हैं, उनकी ताकत यदि भ्रष्टाचार बन जाएगी तो आम आदमी का क्या होगा?

मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो स्थिति बन चुकी है, कम से कम मेरे जनपद में मैंने खुद देखा है कि एक गांव की आमदनी 20 या 22 लाख रुपए साल की है जो वहां के लोग गेहूं, गन्ना या धान बेचकर कमाते हैं। उस गांव के लोगों को भ्रष्टाचार के ऊपर आठ से दस लाख रुपए सालाना खर्च करना पड़ता है। उसके बिना उनको न्याय और सुरक्षा मुहैया नहीं होती, उनकी पहचान सुरक्षित नहीं होती।

सभापति महोदय : आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। एक बड़ा मजेदार किस्सा सामने आया। रक्षा मंत्रालय का एक मामला था जिसके बारे में मैंने जांच के लिए कहा था। मुझे मंत्री महोदय के यहां से चिट्ठी मिली कि आरोप सिद्ध

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं हुए लेकिन उन्हीं मामलों के अंदर सी.बी.आई. ने चार एफ.आई.आर. दर्ज की हैं। आज तक उन बेइमान अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया।

अभी मेरे पूर्ववक्ता श्री सुबोध मोहिते जी बता रहे थे कि बेइमान को संरक्षण देने की इतनी बड़ी प्रणाली, तंत्र विकसित हो चुका है कि उसको हिलाना मुश्किल है। हिन्दुस्तान आज 100 करोड़ की आबादी के साथ बहुत चुनौतियों से घिरा है। उन चुनौतियों को अगर खत्म करना है तो उसके लिए मैक्सिमम पीपुल्स पार्टीसिपेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए जिससे आदमी मन लगाकर काम कर सके। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसको न्याय और सुरक्षा मुहैया हो सके, वह इस व्यवस्था के अंदर निश्चिंत महसूस कर सके तो इसके लिए इस आयोग को इंडिपेंडेंस देना बहुत जरूरी है। आज जो बात आई है कि सीबीआई की मदद के लिए आयोग जांच करेगा और सरकार के इशारे पर यह जांच होगी, इन हालात में यह सोचकर दिल कांपता है कि क्या यही सरकार की मंशा है कि एक पालतू आयोग बनाया जाए जो इनके इशारे पर काम करे और जिसको वह न चाहे, उसके गले में दांत गढ़ा दे और जिसको वे बचाना चाहें, उसका आयोग बाल बांका नहीं कर सके। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से बार–बार आग्रह करना चाहता हूं और हमारे कई साथियों ने बहुत बातें कह दी हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इस आयोग को स्वतंत्र आयोग बनाने का कष्ट करें जिसके अंदर कैपेसिटी हो कि अगर एफ. आई.आर. हो तो उसके बाद मुकदमे भी कायम कर सके और सरकार का बंधन न रहे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार पुनर्विचार करेगी और इस आयोग को शक्ति देने का प्रयास करेगी जो इसकी भावना के अंदर निहित है। इसके साथ हम यहां पर विश्वास कर सकेंगे कि हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, और उनमें से भ्रष्टाचार जो सबसे बडत्री चुनौती है, उससे हम लड़ सकें।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद! मैं सबसे पहले उन 17 संसद सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पर आयोजित इस बहस में गम्भीरतापूर्वक भाग लिया। उनके विचार बड़े उद्‌बोधक रहे, जिन्होंने हमें इस महत्वपूर्ण कानून की जटिलताओं के विषय में गहन निरीक्षण करने की दृष्टि दी। एक मंत्री होने के नाते जिसे कि इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व दिया गया था, विधेयक पर विचार करने के दौरान हुई विचार–उद्वेलक और प्रेरक बहस व्यक्तिगत रूप से मेरे इस दायित्व का पूर्ण करने का स्रोत रही है।

महोदय, निस्संदेह जैसा कि माननीय सदस्य जानते है कि यह वर्तमान विधेयक, 15 मार्च, 1999 को लोकसभा में पारित हुए सीवीसी विधेयक, 1998 के समान ही है, लेकिन बारहवीं लोकसभा के भंग हो जाने के कारण 25 अप्रैल, 1999 को इसका अवसान हो गया था। सीवीसी विधेयक, जिसे दिसम्बर, 1999 में संयुक्त संसदीय समिति को प्रेषित किया गया था, को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। लोक सभा के बीस तथा राज्यसभा के दस सदस्यों सहित श्री शरद पवार की अध्यक्षता में यह समिति, विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवा, सशस्त्र बलों, पत्रकारिता आदि के प्रसिद्ध विशेषज्ञों सहित सम्पूर्ण राजनीतिक हलकों का प्रतीक थी। विभिन्न स्रोतों से जनता की राय लेकर और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की राय को व्यक्तिगत रूप से सुनकर समिति ने यह निष्कर्ष निकाला था। जैसा कि संयुक्त संसदीय समिति ने बताया है कि इस विधेयक में केवल समिति के सदस्यों की सम्मिलित बुद्धिमता ही नहीं वरन अन्य स्रोतों से प्राप्त विचार राय, और सुझाव भी शामिल हैं।

महोदय, इस पृष्ठभूमि को देखते हुए मैं यहां पर हुई बहस में उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहता । जे.पी.सी. को सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें की गई सिफारिशों के औचित्य पर कोई गहन विचार नहीं करना चाहता।

महोदय, कुछ माननीय संसद सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, और उन पर मेरा उत्तर इस प्रकार है।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि लगभग, सभी 17 माननीय संसद सदस्य इस बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात कह चुके हैं, अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। उनके विचार और बातें बहुत–बहुत उचित हैं। ये बहुत विद्वान सदस्य हैं और उन्होंने इस विधेयक और इन संशोधनों का गहराई से अध्ययन किया है और फिर इस प्रतिष्ठित सदन के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।

सायं 6.00 बजे

महोदय, अधिकांश जो मैंने लिए हैं, इनके भाषणों में समान ही हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय इस बिल के पास होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : सदन का समय इस बिल के पास होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

संसद में एक बहुत प्रख्यात और विद्वान सदस्य श्री शिवराज वि. पाटील ने 21 तारीख को इस विधेयक पर वाद–विवाद आरंभ होने पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया था। यह कार्यकरणों न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका के बारे में था।

संयुक्त संसदीय समिति ने उस विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्य और कारणों के कथन में पैरा 7 से अपनी असहमति प्रकट की थी क्योंकि इससे यह भाव प्रकट होता है कि संसद यह कानून न्यायपालिका के निर्देश के अन्तर्गत लागू कर रही है। इसलिए संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की कि उद्देश्य और कारणों के कथन के पैरा 7 का लोप किया जाना चाहिए। सरकार ने समिति की इस सिफारिश को स्वीकार किया और 11 जुलाई, 2001 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उद्देश्य और कारणों के कथन के पैरा 7 का लोप करने की सूचना भेज दी।

[हिन्दी]

रघुवंश बाबू, यह बात थी। जे.पी.सी. में पूरी चर्चा हुई कि सदन सर्वोपरि है या कौन। जब जे.पी.सी. का गठन हुआ था, जैसा मैंने शुरूआत में कहा कि उसमें सांसदों को और एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया। उनकी राय ली गई और काफी चर्चा के बाद तय किया गया कि संसद सर्वोपरि है और उसके सदस्य भी सर्वोपरि होने चाहिए। यह ठीक है कि हम अदालत का सम्मान करते हैं। संसद की सर्वोपरिता पर और हमारे कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है, उस पर कहीं न कहीं कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ बातें कही गईं। एक बात रघुवंश जी ने कही, रूपचंद पाल जी ने कही और हमारे मित्र अनादि साहू जी ने कही।

[अनुवाद]

यह एकल निदेश के बारे में है। यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है और मैं इसके बारे में दो वाक्यों में अपनी बात कहना चाहूंगा। 'एकल निदेश' की संकल्पना सी.बी.आई. को सरकार से पूर्वानुमति लेने के लिए बाध्य करती है। ऐसा क्यों आवश्यक है? ऐसा इसलिए है कि प्रत्येक को यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यदि समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अतः एकल निदेश की संकल्पना के अनुसार सी.बी.आई. को भारत सरकार के किसी संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीय बैंकों में उनके समकक्ष अधिकारी पर लगे किसी अपराध के आरोप की जांच। छानबीन आरंभ करने से पूर्व सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी।

सरकार के कार्यकारी निदेशों में यह व्यवस्था थी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने विनीत नारायण मामले में इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इसे वैधानिक समर्थन नहीं है और एक समान अपराध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कानून के अनुसार एक ही तरीके से निपटा जाना चाहिए।

संयुक्त संसदीय समिति ने नोट किया कि समिति के समक्ष उपस्थित अधिकांश गवाहों ने यह विचार व्यक्त किए कि निर्णय लेने के स्तर पर लिए गए वास्तविक निर्णयों को संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है विशेषकर बढ़ते हुए प्रतियोगी वातावरण में जहां विभिन्न संगठनों में सामान्य व्यवसायिक निर्णय लेने में भी जोखिम निहित रहता है। समिति ने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की कि अभी इन व्यक्तियों को इनके विरुद्ध मामले दर्ज करते समय कोई संरक्षण उपलब्ध नहीं है।

सरकार ने इस मामले में विधि–विभाग से परामर्श लिया। इस परामर्श का निचोड़ यह था कि 'एकल निदेश' की संकल्पना न तो मनमानी है और न ही संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत शक्ति बाह्य है, अतः यह इस संकल्पना को प्रभावी बनाने हेतु संसद अपनी विधायी क्षमता के अनुरूप एक प्रावधान कर सकती है।

न्यायपालिका के सदस्यों के लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने के. वीरास्वामी बनाम भारतीय संघ और उत्तर–प्रदेश ज्युडिशियल आफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ के मामलों में इसी प्रकार का प्रबंध किया है।

यह उन आधारों पर है कि सी.वी.सी. विधेयक में खण्ड

6क जोड़कर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करने का एक प्रावधान है जिससे 'एकल निदेश' की संकल्पना को वैधानिक समर्थन दिया जा सके।

महोदय, मैंने माननीय संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए अधिकांश बिंदुओं को नोट किया है। यदि सदन की इच्छा उन्हें एक-एक करके लेने की है तो मैं बोल सकता हूं। लेकिन मैं सदन को निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां तक लोकपाल विधेयक का संबंध है, वह पहले ही 14 अगस्त, 2001 को लोक सभा में पुरःस्थापित हो चुका है और हम इसे संसद में शीघ्रातिशीघ्र पारित कराए जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने अन्य बिन्दुओं का उल्लेख किया है। मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि माननीय संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए अधिकांश बिंदुओं को इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया है। अतः मैं माननीय संसद सदस्यों से केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पर सर्वसम्मति से उसी रूप में विचार करने का अनुरोध करूंगा जिस रूप में संयुक्त संसदीय समिति ने सूचित किया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ करेगी।

श्री बनातवाला क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री जी. एम. बनातवाला : जी, हां महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 7 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए :

"(कक) 'केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो' से भारत सरकार के दिनांक 1.4.1963 के संकल्प संख्या 4/31/61-टी/एम एच ए के साथ पठित दिल्ली पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के अंतर्गत स्थापित संगठन अभिप्रेत है"। (6)

सभापति महोदय : मैं श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9,—

"तारीख 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99-ए.वी.डी. III" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"तारीख 13 अगस्त, 2002 के समसंख्यक द्वारा यथासंशोधित तारीख 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99-ए.वी.डी. III" (3)

(श्री हरिन पाठक)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29-30,—

"तारीख 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99-ए.वी.डी. III" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"तारीख 13 अगस्त, 2002 के समसंख्यक द्वारा यथासंशोधित तारीख 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99-ए.वी.डी. III" (4)

(श्री हरिन पाठक)

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

"केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए या तो किसी ऐसे निर्देश पर अथवा अन्यथा किसी अभिकथन की जांच करना या अन्वेषण करना (11)

पृष्ठ 5, पंक्ति 12–13,–

"उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग से संबंधित किसी पदधारी के विरुद्ध किसी परिवाद, जिसमें यह अभिकथन किया गया है" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग से संबंधित किसी पदधारी के विरुद्ध किसी परिवाद, या अन्यथा किसी ऐसे अभिकथन की"। (12)

पृष्ठ 4, पंक्ति 41,–

"अन्वेषण" के पश्चात्,

"और अभियोजन" अंतःस्थापित किया जाए। (13)

पृष्ठ 5, पंक्ति 18,–

"अन्वेषणों" के पश्चात्,

"और अभियोजनों" अंतःस्थापित किया जाए। (14)

पृष्ठ 5,–

पंक्ति 32, के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए–

(झ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन्कार किए गए मामलों का पुनर्विलोकन करना;

(ञ) एक नियमित मामला रजिस्टर करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निदेश देना और केन्द्रीय सरकार या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, उस सकरार के स्वामित्व के स्वामित्वाधीन अथवा उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनी, सोसाइटी और किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी कर्मचारी ने लोक सेवक के रूप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित कोई अपराध या कोई ऐसा अपराध जिससे किसी लोक सेवक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, कारित किया है, के संबंध में अन्वेषण करना;

(ट) किसी ऐसे परिवार को जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम, उस सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा उसके नियंत्रणाधीन सरकार कंपनी, सोसाइटी और किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी कर्मचारी ने लोक सेवक के रूप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कोई अपराध या कोई ऐसा अपराध जिससे किसी लोक सेवक को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, कारित किया जाए, समुचित कार्रवाई और रिपोर्ट देने के लिए केन्द्रीय सरकार संबंधित निगम, सरकारी कंपनी, सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकरण को निर्दिष्ट करना;

(ठ) केन्द्रीय सरकार को ऐसे मामलों में जिनको वह उचित समझे सलाह देना और मामलों का परीक्षण और प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात, यथास्थिति, यह निश्चय करना कि क्या अभियोजन की मंजूरी दी जाए अथवा नहीं या अभियोजन को ऐसी मंजूरी देने से इनकार क्यों न किया जाए;

(ड) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनी, सोसाइटी और स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी, जिसके बारे में आयोग को यह प्रतीत होता है कि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है या अपनी शक्तियों का प्रयोग भ्रष्ट प्रयोजन के लिए किया है, के विरुद्ध लोक सेवक के रूप में की जाने वाली समुचित कार्रवाई के बारे में सलाह देना तथा विद्यमान प्रक्रियाओं और पद्धतियों, जिनसे भ्रष्टाचार अथवा अवचार होने की गुंजाइश हो, में अपेक्षित परिवर्तनों के बारे में भी सलाह देना;

(ढ) ऐसे अंतरालों, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, पर प्रशासन की प्रक्रिया और पद्धतियों जहां तक उनका प्रशासन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखने तक संबंध हो, का पुनर्विलोकन आरंभ करना;

(ण) ऐसे आंकड़े या डाटा तथा अन्य जानकारी, जो आयोग के कृत्यों के समुचित और प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो एकत्र करना या एकत्र करवाना;

पंक्ति 21 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए :–

"(ग) जिन्हें वित्त, विधि प्रशासन, सतर्कता अथवा अन्वेषण से संबंधित मामलों में अनुभव तथा विशेषज्ञता प्राप्त हो और जो अपनी योग्यता तथा सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हों।" (7)

पृष्ठ 2,–

पंक्ति 25–27 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :–

"केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से आयोग में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने लिए जिन्हें आयोग विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक सचित नियुक्त करेगा"। (8)

सभापति महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 7 और 8 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 7 और 8 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सेवा संबंधी नियम और अन्य शर्तें

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 30,–

"लाभ के किसी पद पर आगे नियुक्ति के लिए" के स्थान पर "आगे किसी नियुक्ति के लिए" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

श्री प्रबोध पण्डा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 10,–

"65" के स्थान पर

"62" प्रतिस्थापित किया जाए। (28)

सभापति महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री प्रबोध पण्डा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 28 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 8 केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्य और शक्तियां

श्री जी. एम. बनातवाला : सभापति महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 और 21 प्रस्तुत करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 41,–

"अन्वेषण के पश्चात्,

"और अभियोजन" अंतःस्थापित किया जाए। (10)

पृष्ठ 5, पंक्ति 6–7,–

"केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी ऐसे निर्देश पर जांच करना या जांच करवाना या अन्वेषण करना जिसमें यह अभिकथन किया गया है" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

(त) आयोग द्वारा की गई सिफारिश या दी गई सलाह के बारे में की गई कार्रवाई के संबंध में संबंधित प्राधिकारी या प्राधिकारियों से जानकारी मांगना; और

(थ) यह सुनिश्चित करना कि लोक सेवक की अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियों का संबंधित अभिकरणों द्वारा दुरुपयोग या कुप्रयोग न किया जाए।" (15)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 3 से 5 का लोप किया जाए। (18)

पृष्ठ 5, पंक्ति 29 से 31,—

"आयोग को सतर्कता प्रशासन के ऊपर अधीक्षण का ऐसी रीति से प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है जो सरकार द्वारा जारी किए गए सतर्कता संबंध विषयों से संबंधित निदेशों के संगत न हो," का लोप किया जाए। (19)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 36 से 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सभी अधिकारी।" (20)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 41 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"(3) आयोग उपधारा (1) के खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के अधीन जांच करने या अन्वेषण करने के लिए किसी व्यक्ति, अभिकरण या प्राधिकारी, जिसे वह उचित समझे, की सहायता प्राप्त कर सकेगा।" (21)

सभापति महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा खण्ड 8 में प्रस्तुत संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 और 21 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 आयोग की कार्यवाहियां

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 1,—

"आयोग की कार्यवाहियां इसके प्रधान कार्यालय में संचालित की जाएंगी" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"आयोग की कार्यवाहियां सामान्यतः इसके प्रधान कार्यालय में संचालित की जाएंगी;

परन्तु आयोग, यदि वह उपयुक्त और समीचीन समझे और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, अपने कारबार का संचालन अपने प्रधान कार्यालय से भिन्न किन्हीं स्थानों पर कर सकेगा।" (22)

सभापति महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 22 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 17 नया खण्ड 9क जोड़ने के लिए है। श्री जी. एम. बनातवाला।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 15 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

शिकायतों के संबंध में उपबंध। "9 क. (1) आयोग—(क) उस तारीख, जिसको अपराध के अभिकथित रूप से कारित होने की शिकायत की गई है, से सात वर्ष के अवसान के पश्चात धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन ऐसी किसी भी परिवाद;

(ख) परिवादी को उस अपराध का ज्ञान होने पर जिसका उसने परिवाद किया है दो वर्षों के अवसान के पश्चात धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन किसी भी परिवाद की जांच अथवा अन्वेषण नहीं करेगा।

परन्तु यह कि आयोग खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित अवधि के अवसान के पश्चात किसी परिवाद को ग्रहण कर सकेगा यदि वह संतुष्ट है कि उक्त अवधि के भीतर परिवाद न किए जाने का पर्याप्त कारण है।

(2) आयोग, किसी परिवाद के प्राप्त होने पर अथवा इसके स्वयं के प्रस्ताव पर आरंभ किए गए किसी मामले में, ऐसे परिवाद अथवा मामले पर अन्वेषण की कार्यवाही करने से पूर्व, ऐसी प्रारंभिक जांच करेगा अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को ऐसी प्रारम्भिक जांच करने का निदेश देगा जैसा कि वह ठीक समझे। यदि ऐसी प्रारंभिक जांच करने पर आयोग यह पाता है कि ऐसा कोई आधार विद्यमान नहीं है, तो वह इस आशय के निष्कर्ष को लेखबद्ध करेगा और इसके पश्चात मामले को बंद कर दिया जाएगा तथा परिवादी का तदनुसार सूचेत कर दिया जाएगा।

(3) आयोग को किसी भी चरण में बंद किए गए किसी मामले को प्रत्यावर्तित करने के लिए अपने आदेश अथवा निर्णय का पुनर्वलोकन करने तथा परिवादी को परिवाद वापस लेने की अनुमति प्रदान करने अथवा नामंजूर करने की शक्ति प्राप्त होगी।

परन्तु यह कि आयोग इसके कारण लिखित में दर्ज करेगा।

(4) आयोग उसे किए गए प्रत्येक परिवाद अथवा इसके स्वयं प्रस्ताव पर आरंभ किए गए मामले का निपटान यथाशीघ्र करेगा, परन्तु यह अवधि परिवाद प्राप्त होने अथवा इसके अपने प्रस्ताव पर किसी जांच के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष अपश्चात नहीं होगी।" (17)

सभापति महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 17 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11 जांच से संबंधित शक्तियां

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 33 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"(2) जहां कोई लोक सेवक आयोग द्वारा दिए गए किसी नोटिस, सम्मन या निदेश का जवाब देने में असफल रहता है, वहां वह आयोग द्वारा दंडनीय होगा और उसे कारावास का, जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और केन्द्रीय सरकार या निकाय द्वारा, जिसका वह कर्मचारी है, ऐसी अतिरिक्त कार्रवाई का, जैसा आयोग निदेश दे, दंडादेश दे सकेगा। (23)

सभापति महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 23 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 16 नया खंड 11क जोड़ने के लिए है।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 33 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"11क. आयोग किसी लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति के कार्य या आचरण की जांच कर सकेगा जहां तक वह धारा 8 में निर्दिष्ट जांच करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।" (16)

सभापति महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 16 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

खंड 12 आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 36 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"(2) आयोग द्वारा धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन अपनी शक्ति अथवा कृत्य के प्रयोग में किए एक किसी आदेश, निदेश या विनिश्चय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी और कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी मामले में कोई स्थगन आदेश या कोई अन्य आदेशिका जारी नहीं करेगा। (24)

सभापति महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 24 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 17 आयोग द्वारा किए गए निर्देश पर की गई किसी जांच की रिपोर्ट का उस आयोग को भेजा जाना

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 29 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह और कि जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई है, वहां आयोग की उक्त सलाह और एक ज्ञापन जिसमें सलाह को अस्वीकृत करने के कारण दिए गए हों, उसकी अस्वीकृति की तारीख से एक महीने के भीतर या जब सभा का सत्र न हो, सत्र के आरंभ होने के दो सप्ताह के भीतर, जो भी बाद में हो, संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष रखे जाएंगे।" (25)

सभापति महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 25 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने।"

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 21 विनियम बनाने की शक्ति

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 11 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"(घ) वह समयावधि जिसके भीतर धारा 8 के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन कोई जांच या अन्वेषण सामान्यतः पूरा किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। (26)

सभापति महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 26 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 27 1946 के अधिनियम संख्या 25 का संशोधन

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 1 से 13 का लोप किया जाए। (27)

सभापति महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 27 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 निरसन और व्यावृति

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 11, पंक्ति 15,—

"तारीख 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99—ए.वी.डी. III" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"तारीख 13 अगस्त, 2002 के समसंख्यक संकल्प द्वारा यथासंशोधित तारीख 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99—ए.वी.डी. III" (5)

(श्री हरिन पाठक)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1999" के स्थान पर

"2003" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री हरिन पाठक)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"पचासवें" के स्थान पर

"चौवनवे" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री हरिन पाठक)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री हरिन पाठक : महोदय मैं, प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.20 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 27 फरवरी, 2003/ 8 फाल्गुन, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/31/8/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।